सप्तम माला, 14 मार्च, 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (T) 1
Date 22. 7. 80.



(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 4, शुक्रवार, 14 मार्च, 1980/24 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 62 से 64 और 66 से 69	1–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 65 और 70 से 81	15–20
अतारांकित प्रश्न संख्या : 469 से 562, 564 से 574, 576 से 588, 590 से 615, 617 से 641 और 643 से 648	20–100
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	100–106
समितियों के लिये निर्वाचन	106–107
कार्य-मंत्रणा समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	107
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आसाम), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मध्य प्रदेश), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (महाराष्ट्र), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पंजाब), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (राजस्थान), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर-प्रदेश), 1979-80 विवरण प्रस्तुत किया गया	108
आसाम बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	108
श्री आर० वेंकटरामन	108
बिहार बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	108
श्री आर० वेंकटरामन	108

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह †इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गुजरात बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
मध्य प्रदेश बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
महाराष्ट्र, बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	106
श्री आर० वेंकटरामन	109
उड़ीसा बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
पंजाब बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
राजस्थान बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
तमिलनाडु, बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
उत्तरप्रदेश बजट, 1980-81 प्रस्तुत किया गया	109
श्री आर० वेंकटरामन	109
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) हल्दिया पेट्रोल रसायन परियोजना के लिये लायसेंस देने में विलंब किये जाने के समाचार	109
श्री निरेन घोष	109
(दो) दक्षिणी राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में अनुशासनहीनता के समाचार	110
श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियान	110
(तीन) बंबई की एक मिल से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी के भंडार में से चीनी का कोटा न उठाया जाना	110
श्री भाऊसाहिब थोरट	110
(चार) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले में पीलिया का प्रकोप	110
श्री हरीश रावत	110-111
(पांच) बिहार और मध्यप्रदेश में महिलाओं पर हुए बलात्कार के समाचार	111
श्रीमती गीता मुखर्जी	111
सामान्य बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, लेखानुदान, 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (1979-80)	
श्री आर० वेंकटरामन	111
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980 —पुरः स्थापित	111
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	122
श्री नीरेन घोष	122-123
श्री रामावतार शास्त्री	123-125
खंड 2 से 4 और	
पास किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	126

विषय	पृष्ठ
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1980—पुरःस्थापित	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	126
वित्त विधेयक, 1980—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	127, 135–140
श्री सतीश अग्रवाल	127–128, 130–135
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	128129
श्री सी० टी० दंडपाणि	129132
श्री इन्द्रजीत गुप्त	132133
खंड 2 से 5 और	
पास किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री नीरेन घोष	141
हेसियत कपड़े और बोरियों पर नियति शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	
श्री आर० वेंकटरामन	141–142, 147
श्री नीरेन घोष	142–143
श्री इन्द्रजीत गुप्त	143–146
श्री एन० जी० रंगा	146–147
संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	148–149, 152–153
श्री टी० आर० शमन्ना	149
श्रीमती गीता मुखर्जी	150–151
श्री सी० टी० दंडपाणि	151
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	151–152
श्री मूलचन्द डागा	152
खंड 2 से 5 और	
पास किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	153–154
श्री दिग्विजय सिंह	154
श्री पी० के० थुंगन	154
डाक-तार कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में वक्तव्य—	
श्री सी०एम० स्टीफन	155
पेश किये गये विधेयक—	
(1) अवैध संपत्ति अर्जन निवारण विधेयक	
श्रीमती कृष्णा साही	156
(2) दयामूत जीवन अंत विधेयक	
श्री मूलचंद डागा	156

विषय	पृष्ठ
(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 3 आदि का संशोधन)	
श्री वी० एन० गाडगिल	156
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (धारा 102 आदि का संशोधन)	
श्री आर० के० महालगी	156
(5) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 126 और 127 का संशोधन)	
श्री जी० एम० बनातवाला	157
(6) पदों तथा सेवा में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये) आरक्षण विधेयक	
श्री सूरज भान	157
(7) लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	157
(8) दलबदल निवारण विधेयक	
श्री राम जेठमलानी	157
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 41 का संशोधन)	
श्री बापूसाहिब पारुलेकर	158
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 का संशोधन)—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ	
श्री चित्त बसु	158–161
श्री मगन भाई बरोट	161–165
श्री फारुख अब्दुल्ला	165–166
श्री अजय विश्वास	166
श्री राम विलास पासवान	167
श्री शिवराज वी० पटेल	168
श्री नारायण चौबे	168–169
श्रीमती कृष्णा साही	170
श्री हरीश रावत	170–171
श्री बापूसाहेब पारुलेकर	171–173
श्री पी० वेंकटसुब्बया	173–174
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102 और 103 का संशोधन)—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
प्रो० मधु दंडवते	177–178

लोक सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 1980/24 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ करना

*62. श्री चितामणो पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि उड़ीसा में अब चीनी 6 रुपये से 7 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रही है और सरसों का तेल 15 रुपये प्रति किलो बिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ करने और गांवों में बहुत बड़ी संख्या में निर्धन उपभोक्ताओं को लेवी चीनी वितरित करने के लिए क्या तत्काल उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा को जनवरी और फरवरी, 1980 में लेवी चीनी आबंटित की गई थी; और यदि हां, तो वहां अब तक उसकी कितनी मात्रा पहुंची और कितनी वितरित की गई ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क)से(ग) : मूल्यों के लगभग उसी स्तर पर होने की सूचना मिली है ।

लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से एक समान मूल्यों पर वितरित की जा रही है । उड़ीसा को माह जनवरी, 1980 के लिये 10,723 मीटरी टन और माह फरवरी, 1980 के लिये 10,724 मीटरी टन लेवी चीनी आबंटित की गई है भारतीय खाद्य निगम ने जनवरी, 1980 के अन्त तक लगभग 6,700 मीटरी टन और फरवरी, 1980 के दौरान 15,592 मीटरी टन चीनी भेजी है । उड़ीसा सरकार ने अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 8000 मीटरी टन लेवी चीनी का वितरण किया है ।

उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस समय 11,660 बिक्री केन्द्र हैं । राज्य सरकार इसका और विस्तार करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि सभी गांवों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके ।

श्री चितामणो पाणिग्रही : वक्तव्य से अत्यन्त स्पष्ट है कि जनवरी और फरवरी के दौरान उड़ीसा में वितरण के लिए 22,292 टन चीनी आवंटित की गई है परन्तु अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 11000 केन्द्रों से वितरण के लिए केवल 8000 टन चीनी आबंटित की गई है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इसी अवधि में कितने टन माल भेजा गया था और क्या यह भेजा गया माल पिछले वर्ष उड़ीसा भेजे गये माल से अधिक है और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को भेजे जाने वाली लेवी चीनी की कसौटी क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : भेजे गये माल के आंकड़े पहले ही दिये जा चुके हैं । वास्तव में चीनी की नई वितरण प्रणाली दिसम्बर, 1979 में शुरु हुई । इसलिए चीनी उत्पादक राज्यों से चीनी उपभोक्ता राज्यों को दिसम्बर में भेजे गया माल वास्तव में नाममात्र था । जनवरी और फरवरी के आंकड़े पहले ही दे चुका हूं। इन आंकड़ों का संबंध उस समय से है जब चीनी उत्पादन केन्द्रों से भेजी जा रही थी । परन्तु माल पहुंचने में समय लगता है । उसके बाद भारतीय खाद्य निगम उसे विभिन्न केन्द्रों को वितरित करता है ।

जहां तक आवंटन का संबंध है यह 400—500 ग्राम प्रति व्यक्ति है ।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : यद्यपि उड़ीसा को 22,292 टन चीनी आवंटित की गई थी तथापि कितनी चीनी वास्तव में अभी तक उड़ीसा में पहुंची है? क्या मंत्री महोदय को पता है कि उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर विक्रेताओं को लेवी चीनी पर प्रति बोरी 15 रुपए रिशवत के रूप में देने पड़ते हैं। क्या सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने का निर्णय किया है? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा न हो, विक्रेताओं को चीनी समय पर मिले, उन्हें कई दिन प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा उन्हें 15 रुपए रिश्वत न देनी पड़े, कौनसे प्रभावी कदमे उठाये गये हैं? भारतीय खाद्य निगम से कोटा प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पहुंचे जाये इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक जनवरी और फरवरी के कोटे का प्रश्न है यह क्रमशः 10,723 और 10,724 टन है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त दर लेने का प्रश्न है—

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : भारतीय खाद्य निगम के निरीक्षक विक्रेताओं से लेते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे इस बात पर ध्यान देना होगा। मैं कृषि मंत्रालय में अपने सहयोगी से इस मामले पर ध्यान देने को कहूंगा। राज्य सरकारों को लदान और परिवहन के लिए अधिक मूल्य लेने का अधिकार है। परन्तु निश्चय ही यह 10—15 रुपए प्रति बोरी नहीं होना चाहिए। इस विशेष आरोप पर ध्यान दिया जायगा।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के समक्ष एक विशेष समस्या यह है कि उनके सब-डिपू वहां पर नहीं है, इसलिए हमें भारतीय खाद्य निगम को विभिन्न ब्लाकों के मुख्यालयों में सब डिपू खोलने के लिए आग्रह करना है ताकि गांवों में चीनी की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

श्री जैतुल बशर : उत्तर प्रदेश में मेरा खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सबन्ध नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी 7 रुपए प्रति किलो बिक रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चीनी के मूल्य घटाने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहें हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक आम प्रस्ताव का सम्बन्ध है उनकी पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूर्ति करने की प्रयास कर रहें है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक चीनी वितरित की जायेगी। निश्चय ही इसका बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु अभी यह देखना है कि इसका बाजार के हालात पर क्या प्रभाव पड़ता है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैंने नागरिक पूर्ति मंत्रियों तथा उड़ीसा में राज्यपाल के परामर्शदाताओं की बैठक बुलाई थी। उसके बाद चीनी की जमाखोरी करने वाले असामाजिक तत्वों को निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अतर्गत हिरासत में लिया गया। इसके परिणामस्वरुप बाजार पर कुछ प्रभाव पड़ा। चीनी का मूल्य उस समय 5.6 से 5.8 के बीच था। मुझे चीनी के थोक मूल्यों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, बंबई में चीनी का थोक मूल्य 618 से 622 रुपये प्रति क्विंटल है; कलकत्ता में 4.80 से 4.85 रुपये, दिल्ली में 5.35 से 5.80 रुपये है इस प्रकार इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितनी कि आप अपेक्षा कर रहें हैं।

श्री जगन्नाथ राव : ग्राम पंचायतों के अलावा जिन के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जायेगा, क्या सरकार देश के पंजीकृत बेरोजगार युवकों को दुदरा वितरण का कार्य सौंपेगा, जिसका प्रयोग मेरे क्षेत्र में किया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : हमने राज्य सरकारों से कर दिया है कि वे उचित दर की दुकानों, सरकारी भंडारों अथवा एसोसिएसनों तथा पंचायतों का वितरण के लिए उपयोग कर सकते है। मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक क्षेत्र इसके अतर्गत लिया जा सके। इसलिए उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री के० वी० सिंह देव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा में आवश्यक वस्तुओं का वितरण पिछली सरकार के कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में है जो आम लोगों को अनिवार्य वस्तुए पहुंचने के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, ऐसी वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए तथा स्थिति पर नजर रखने के लिए नागरिक समितियां स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने का प्रश्न है, इस बारे में राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ था कि जिला में ब्लाक स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों के साथ सलाहकार समितियां संलग्न की जाय ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*63. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूरे देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) कीमतों में कमी लाने के लिए क्या प्रभावी और कठोर कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क), (ख) और (ग) : वर्ष 1979-80 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई । "अखिल भारतीय औद्योगिक मजदूर उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (1960=100) में लगातार वृद्धि हुई और यह सूचक अंक जो मार्च 1979 में 332 था बढ़कर दिसम्बर 1979 में 374 हो गया इस प्रकार इसमें 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु जनवरी 1980 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए, यह सूचक अंक घट कर 371 हो गया है" । समूह-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

2. कीमत वृद्धि के मुख्य कारण हैं : व्यापक रुप से सूखे का पड़ना, कुछ वस्तुओं की प्रशासित कीमतों में वृद्धिकारी समायोजन किया जाना, पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होना, कोयला और विद्युत जैसी आवश्यक निवेश्य वस्तुओं की पूर्ति में कमी आना, परिवहन संबंधी बाधाएं उपस्थित होना औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध आना और सट्टेबाजी की ताकतों का जोर होना है ।

3 सरकार निम्नलिखित उपायों के द्वारा कीमत स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कटिबद्ध है :

(i) उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि;

(ii) मांग और पूर्ति का बेहतर प्रबन्ध;

(iii) विद्युत और परिवहन के गतिरोध को दूर करना;

(iv) वितरण संबंधी प्रबन्धों को सरल और कारगर बनाना;

(v) जमाखोरी और काला बाजार को रोकने के लिए वर्तमान कानूनों को लागू करना ।

अनुबंध

अखिल भारतीय औद्योगिक मजदूर उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (1960=100)

	मार्च 1979	दिसम्बर 1979	मार्च 1979 दिसम्बर, 1979 में प्रतिशत परिवर्तन
सामान्य सूचक अंक	332	374	+12.7
(i) खाद्य	341	391	+14.7
(ii) पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	348	367	+5.5
(iii) इंधन और बिजली	400	457	+14.2
(iv) आवासन	197	200	+1.5
(v) कपड़े, बिस्तर और जूते आदि	385	416	+8.1
(vi) विविध	290	319	+10.0

टिप्पणी : यद्यपि सामान्य सूचक अंक जनवरी 1980 तक उपलब्ध है लेकिन समूह-वार ब्योरा केवल दिसम्बर 1979 तक ही उपलब्ध है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में मंत्री महोदय ने बताया :

"वर्ष 1979-80 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में तीव्र वृद्धि हुई अखिल भारतीय औद्योगिक मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) में लगातार वृद्धि हुई और यह सूचकांक जो मार्च 1979 में 332 था बढ़कर दिसम्बर 1979 में 374 हो गया । इस प्रकार इसमें 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु जनवरी 1980 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए, यह सूचकांक घट कर 371 हो गया है।

मंत्री महोदय ने इस के द्वारा यह आभास दिया है कि वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद मूल्य घट रहे हैं। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि पिछले छः सप्ताहों में सभी वस्तुओं के थोक मूल्य बढ़े हैं और 1 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्य सूचांक आधारवर्ष 1970-71 के आधार पर बढ़कर 231.4 हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल बात करें तथा स्पष्ट प्रश्न पूछे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह स्पष्ट प्रश्न है। मंत्री महोदय जीवन की वास्तविकताओं को छिपाते क्यों हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने केवल तथ्य ही बताए हैं। तथ्य यह है कि दिसम्बर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 374 था जो जनवरी में घट कर 371 रह गया। इसका यह अर्थ नहीं है कि मूल्य गिर रहे हैं और न ही मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि मूल्य घट रहे हैं। इसके विपरित मूल्यों के निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति से मैं परिचित हूं। मैं इस तथ्य भली प्रकार अवगत हू और इस पर काबू पाने के लिए सचष्ट हूं अतः यह माननीय सदस्य की अपनी धारणा है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मूल्य गिर रहे हैं।

यहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सबन्ध है यदि माननीय सदस्य थोक मूल्य सूचकांक पर ध्यान देंगे तो वह पाएंगे कि जिस अवधि का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें 1.1 प्रतिशत वृद्धि हुई । इससे अगले सप्ताह में अर्थात 23 फरवरी 1980 से 1 मार्च 1980 के बीच के बल 3 प्रतिशत वृद्धि हुई इस प्रकार ये दोनों आंकड़े मेल खाते हैं।

श्री गीता मुखर्जी : अब वह स्थिति आ गई है जिसका इन्होंने उल्लेख किया है। तब तो मैं भी कह सकती हू कि जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने दिया है उसका आज के समाचार पत्रों में खण्डन किया गया है। मैं चाहती हूं कि वह बताए कि सचाई क्या है। आज के पैट्रिएट में छपा है कि इस सप्ताह के चैक मूल्यों का सूचकांक पिछले वर्ष के इस सप्ताह के थोक मूल्यों के सूचकांक में 23.8 प्रतिशत अधिक है। निःसंदेह इसका सम्बद्ध श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नहीं है अपितु सामान्य मूल्य वृद्धि से है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है।

श्री आर वेंकटरामन : आंकड़ों का मिलान समान आंकड़ों से किया जा सकता है। जिन आंकड़ों का मिलान माननीय सदस्या कर रही है वह पिछले वर्ष के इसी सप्ताह से सबद्ध हैं । जो आंकड़े मने दिये है उनका सबन्द्ध सदस्य महोदय द्वारा उद्धृत आंकड़ों से है । उन्होंने 16 फरवरी से 23 फरवरी तक के आंकड़े उद्धृत किये जिनमें वृद्धि 1 1 प्रतिशत हुई है। मैंने अगले सप्ताह 23 फरवरी से 1 मार्च तक के आंकड़े उद्धृत किये हैं। बात केवल यही है कि आप समान आंकड़े का मिलान कर सकते हैं, भिन्न आंकड़े का नहीं।

श्री छांगुर राम : अध्यक्ष महोदय, कीमतों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में मंत्रीजी ने तीन चार सुझाव दिए हैं जैसे मांग और पूर्ति का वेह पर प्रबन्ध, वितरण सम्बन्धी प्रबंधों को सबल और कारगर बनाना–मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान व्यवस्था है वितरण और मांग पूर्ति के सम्बन्ध में, इस व्यवस्था के अतिरिक्त और कौन सी व्यवस्था है जिसको वे बेहतर बनायेंगे ? मंत्री जी बनायेंगे कि वर्तमान व्यवस्था के अलावा और कौन सी व्यवस्था बनाने का उनका विचार है ?

श्री आर वेंकटरामन : जब आप मांग और पूर्ति के प्रबन्ध की बात करते है, मांग प्रबन्ध में एक प्रकार की कार्यवाहियां सम्मिलित है, जैसे धन पूर्ति इत्यादि का नियंत्रण। यहां तक पूर्ति प्रबन्ध का प्रश्न है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, हम सहकारी भंडारों, सुपर बाजारों, उचित मूल्य की दुकानों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तथा यथासंभव अधिक से अधिक ऐसी तह एजेंसियों स्थापित करना चाहते हैं जो इन दुर्लभ वस्तुओं का ईमानदारी से वितरण करें। हमारा प्रयत्न है कि उपलब्ध वस्तुओं का सम्यक् वितरण हो। आज कठिनाई यह है कि उपलब्ध सामग्री को भी एक स्थान पर जमा कर लिया जाता है । यदि हमारे पास समुचित वितरण व्यवस्था हो तो हम दुर्लभ वस्तुओं का सम्यक वितरण कर सकेंगे।

श्री छांगुर राम : मेरा क्वैश्चन यह था कि मन्त्री जी जो बता रहे हैं वह तो वर्तमान व्यवस्था है तो इस व्यवस्था के अतिरिक्त मांग और पूर्ति को बेहतर बनाने के लिए और कौन से उपाय हैं? अभी तो जो आज है वही वे बता रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

डा० फारुक अब्दुल्ला : यदि दुकानदार वस्तुओं की मूल्य सूचियां रखेंगे तो गृहणियां और निर्धन लोग उनकी लूट से बच सकेंगे । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे उपाय अपनायेंगे जिससे दुकानदारों के लिए मूल्य सूचियां रखना अनिवार्य हो जाए ताकि दुकानदार लोगों को लूट न सके ।

श्री आर० वेंकटरामन : इस प्रश्न का उत्तर मेरे सहयोगी नागरिक पूर्ति मंत्री देंगे । वितरण व्यवस्था उनके अधीन है ।

डा० फारुक अब्दुल्ला : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नया नोटिस दे।

डा० फारुक अब्दुल्ला : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री के० मालन्ना : विवरण मे यह स्वीकार किया गया है कि मूल्यों में वृद्ध हुई है और इसके लिए कुछ कारण दिए गए हैं। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर पड़ा सूखा तथा कुछ वस्तुओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ जमाखोर, चोर बाजारिए और तस्कर मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बार-बार क्यो दोहराया जा रहा है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय इस बात को स्वीकार करते हुए कि भूतपूर्व सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर पाई और उस सरकार से विरासत में मिली. . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के० लकप्पा : आप मेरी बात सुनिए (व्यवधान) भूतपूर्व सरकार ने जमाखोरों और चोरबाजारियों को छूट दे रखी थी और ऐसी परिस्थितियों में मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा की जा चुकी है।

श्री के० लकप्पा : हुआ यह है । . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री के० लकप्पा : वही लोग फिर मिल गए हैं और स्थिति को बदतर कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी कोई योजना है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके है कि जमाखोरों और चोरबाजारियों. . . . .

श्री के० लकप्पा : मुझे अपना प्रश्न तो पूरा करने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री के० लकप्पा : बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण हेतु क्या वित्त मंत्री और पूर्ति मंत्री मिल कर देश में सभी उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा मूल्यों में कमी लाने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना करेंगे । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कब तक वह ऐसा करेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश में जमाखोरी और चोरबाजारी न हो। अब हम निवारक नजरबंदी कानून का उपयोग कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको पूर्ति मंत्री इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए उपायों में से एक उपाय वितरण व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना है। भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान एक व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना का काफी प्रचार किया गया था और यह योजना तत्कालीन वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री मोहन धारिया ने तैयार की थी लेकिन यह योजना उस सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के प्रति वर्तमान सरकार का क्या रवैया है। क्या वे इस योजना को त्यागना चाहते है उनकी इच्छा इसे क्रियान्वित करने की है तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने से क्या तात्पर्य है? क्या सभी आवश्यक वस्तुओं के स्टाक को सरकार द्वारा हाथ में लिए बिना प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्भव है? यदि नहीं, तो वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने का क्या अर्थ है?

श्री आर० वेंकटरामन : वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने का क्या अर्थ है, यह मैं आपको बताता हूं। वास्तविक वितरण प्रणाली नागरिक पूर्ति मंत्री के अधीन है। वितरण को सुचारू करने का हमारा अर्थ यह है कि जिन वस्तुओं का अभाव है वह उपभोक्ताओं को सहकारी समितियों, उचित दर की दुकानों, सुपर बाजारों तथा अन्य मान्यता प्राप्त ऐजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं उपरोक्त ऐजेंसियों के माध्यम से हम वितरण करना चाहते है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार स्टाक पर पूरा नियंत्रण रखेगी क्यों कि स्टाक पर नियंत्रण के अभाव में वितरण पर नियंत्रण रखना संभव नहीं। इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि फिलहाल हमारा स्टाक पर पूर्ण नियंत्रण रखने का विचार नहीं है। इसलिए सुचारूता केवल वितरण के संबध में होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्री मोहन धारिया की योजना के बारे में क्या हुआ? क्या वह एक नई योजना तैयार कर रहे हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : समस्या यह है कि प्रश्न दो मंत्रालयों से संबद्ध है। मैं अपने सहयोगी मंत्री के क्षेत्राधिकार में नहीं जाना चाहता इसलिए माननीय सदस्य इसके लिए पृथक प्रश्न की सूचना दें।

वाणिज्य तथा इस्पात तथा खान और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह योजना जारी है। हमारी एक बैठक भी हुई थी और इस योजना को त्यागा नहीं गया है।

श्री ऐडुआर्डो फैलीरो : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के साथ लगे पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्य तेल, चीनी, प्याज तथा मसालों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है यदि हां तो सरकार दण्डात्मक कार्यवाही नजरबंदी और छापा मारने आदि की कार्यवाही में वृद्धि कैसे करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में कई बार बताया जा चुका है कि सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रही है।

श्री ऐडुआर्डो फैलीरो : मंत्री महोदय को उत्तर देने दे।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके है। आपको और कुछ कहना है क्या?

श्री आर० वेंकटरामन : सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि पश्चिमी सीमाओं पर कुछ वस्तुओं की तस्करी हो रही है। हमने मामले की जाँच की और पता चला कि इस शिकायत में कुछ अधिक सार नहीं था। चीनी केवल ऊंटों पर ही लाद कर ले जाई जा सकती है और एक ऊंट पर केवल दो क्विंटल चीनी ही लादी जा सकती है। हमने इन सब बातों की जाँच की है किन्तु साथ ही हम यह कोशिश कर रहे हैं कि तस्करी बिल्कुल न हो।

इस्पात में आत्मनिर्भरता

*64. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के इस्पात की अपनी आवश्यकताओं के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि नहीं, तो गत चार वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग और भारतीय स्रोतों से उनकी उपलब्धता देश में कितनी कितनी रही है तथा प्रतिवर्ष विदेशों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया गया, और

(ग) इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) पिछले चार वर्षों में देश में सभी प्रकार के इस्पात के उत्पादन की तुलना में उसकी आवश्यकता और आयात किये गए इस्पात के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(हजार टन)

वर्ष	आवश्यकता	वास्तविक उत्पादन	आयात	
			मात्रा	मूल्य करोड़ रुपये
1	2	3	4	5
1975-76	6,170	6,376	479.2	201.88
1976-77	6,340	7,859	320.6	132.39
1977-78	7,360	8,109	431.6	176.40
*1978-79	8,220	8,513	*782.2	*273.60

*केवल सेल के माध्यम से आयात किये गये इस्पात के आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) देश की सभी प्रकार के इस्पात की आवश्यकता की पूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्रत्यक्ष रूप से ऐसा उद्देश्य नहीं है जो आवश्यक अथवा वांछनीय हो। आवश्यकता की मात्रा तथा उत्पादन की लाभ-हानि को देखते हुए कुछ मदों के उत्पादन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः या आंशिक रूप में उनका आयात करना अधिक लाभकर हो सकता है। इस प्रकार सबसे ज्यादा विकसित और औद्योगिक रूप से समुन्नत देशों में भी कुछ देश कुछ प्रकार के इस्पात के आयात पर निर्भर करते हैं जबकि कुछ प्रकार का इस्पात निर्यात करते हैं।

इस सामान्य अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार यह स्वीकार करती है कि देश में इस्पात के उत्पादन के लिए आयोजन और विकास का उद्देश्य उन मदों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होना चाहिए जिनकी आवश्यकता पूरी तरह प्रमाणित हो और जिनका उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो। इस दिशा में सरकार ने जो बड़े-बड़े उपाय किये हैं अथवा करने का विचार कर रही है, नीचे दिए गए है :—

(1) भिलाई इस्पात कारखाने और बोकारो इस्पात कारखाने, प्रत्येक का 40 लाख टन पिण्ड क्षमता तक चल रहे विस्तार कार्य को शीघ्र पूरा करना। बोकारो इस्पात कारखाने का आगे 47.5 लाख टन पिण्ड क्षमता तक विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

(2) सेलम इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को पूरा करना जिसमें 32 हजार टन बेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों/पत्तियों का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना के वर्ष 1981 के उत्तरार्द्ध में पूरा होने की सम्भावना है।

(3) बिजली उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 37,500 टन ठंडी बेलित ग्रेन ओरियन्टेड और 36,000 टन ठंडी बेलित नान-ग्रेन-ओरियन्टेड चादरों का उत्पादन करने के लिए राउरकेला में एक कारखाना लगाना। इस कारखाने के वर्ष 1981 में चालू होने की सम्भावना है।

(4) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में अतिरिक्त गलन सुविधाओं की व्यवस्था करना जिससे इसकी क्षमता 10 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर 16 लाख टन पिंड हो जाये ।

(5) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की स्थापना । इस कारखाने की स्थापित क्षमता लगभग 34 लाख टन द्रव इस्पात तैयार करने की होगी । इसे लगभग छः वर्षों में दो अतिच्छादी चरणों में पूरा किया जायेगा ।

(6) वर्तमान इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाना जिससे क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके और कारखानों को तकनीकी दृष्टि से सही अवस्था में रखने के लिए उपस्करों का आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन ।

(7) भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए इनमें प्रौद्योगिक सुधार करना/नवीन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना ।

(8) लघु इस्पात कारखानों को कच्चे माल और बिजली की सप्लाई में सुधार करके उनकी क्षमता के उपयोग में वृद्धि करना ।

(9) कुछ विकसित देशों की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से नये इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में प्राप्त कुछ ठोस प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बना ली है या बनाने जा रही है जिस से देश में हम आत्म-निर्भर हो सकें, अगर बना ली है तो क्या उस योजना के अनुसार आज तक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है ? यदि नहीं हो रही है तो उस के कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि 1977-78 और 1978-79 के अन्दर हमारी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 90 प्रतिशत और 84 प्रतिशत कम हुई ? यदि हुई है तो उनके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार वह समय बतला सकती है जब कि हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता शब्द का उपयोग करना बहुत कठिन है लेकिन जहां तक बढ़ी हुई मांग का सम्बन्ध है तथा जिस हद तक हम उसे पूरा करेंगे उसके सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं । इस दशाब्दि 1981–1991 के अन्त तक 2 करोड 40 लाख से 2 करोड़ 50 लाख टन इस्पात का उत्पादन होने की आशा है । वर्तमान स्थापित क्षमता, समेकित इस्पात संयंत्रों की 1 करोड़ 10 लाख टन और छोटे इस्पात संयंत्रों की 30 लाख टन है । विवरणन में मैंने उत्पादन के आंकड़े विस्तार से बता दिए ह । अतः मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता । लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि पिछले तीन वर्षों में उत्पादन कम हुआ है । कायम नहीं रखा गया जहां तक समेकित इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, 1976 के स्तर को भी कायम रखा गया और जहां तक विस्तार कार्यक्रमों का सम्बन्ध है मैंने कुल आंकड़ों का उल्लेख किया है । लेकिन अधिक विस्तार में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि बोकारो और भिलाई का विस्तार हो रहा है । दुर्गापूर के भी आधुनिकीकरण करने पर विचार हो रहा है । जहां तक राउरकेला के विस्तार की विशेषकर इलैक्ट्रिक इस्पात की किस्म के बारे में योजना राउरकेला में क्रियान्वित हो रही है । विभिन्न देशों द्वारा एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते है कि सोवियत संघ के सहयोग से ऐसा एक संयंत्र विजाग में भी स्थापित किया गया है ।

श्री मूलचंद डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री नीरेन घोष : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें एक दशाब्दि में 222 लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी । प्रेस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहयोग से दो नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जाएगी सारा पैसा विदेशी फर्मों द्वारा लगाया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस खबर में कुछ सच्चाई है और उस देश का नाम क्या है तथा वह एजेंसी कौनसी है । मंत्री महोदय ने विभिन्न इस्पात संयंत्रों के विस्तार की बात की है लेकिन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सबसे पुराना है । निर्माण के समय इसकी क्षमता 35 लाख टन उत्पादन की रखी गई थी । क्या इस संयंत्र का विस्तार राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है । टिन चादरों के आयात पर करोड़ो रुपया व्यय किया जा रहा है । जिनका उत्पादन एलाय इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाना था । लेकिन इस संयंत्र को खडाई में डालने के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है । क्या मंत्री महोदय सदन को इस बारे में जानकारी देंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य के वक्तव्य का प्रथम भाग सच है अर्थात् दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में प्रयुक्त प्रोद्योगिकी बहुत पुरानी है। चूंकि यह संयंत्र सबसे पहले लगाया गया था और प्रयुक्त की जा रही प्रोद्योगिकी पुरानी है यही कारण है कि हम इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इसमें कुछ राजनीतिक दृष्टि से बाधाएं आ रही हैं। जहां तक अलाय इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया है कि दुर्गापुर के अलाय इस्पात संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। नए इस्पात संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परन्तु इस पर अभी निर्णय लिया जाना है कि सरकार को कौन सा प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। यह हम पहले ही जानते हैं कि विजाग संयंत्रों के सम्बन्ध में हमने सोवियत संघ से कुछ व्यवस्था कर रखी है हमें पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन से नए इस्पात संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, अतः इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है।

श्री ए० के० राय : हमें दिए गए आंकड़े विस्मयकारी हैं। यदि वास्तविक उत्पादन आवश्यकता से अधिक है तो इस्पात के आयात की क्या आवश्यकता है? क्या हम किसी विशेष प्रकार का इस्पात आयात कर रहे हैं, जिसका उत्पादन देश में नहीं हो रहा है? यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर पढ़ें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। आप चाहें तो कोई और प्रश्न पुछ सकते हैं।

श्री ए० के० राय : कुछ समय पहले बिहार विधान सभा में बोकारों इस्पात संयंत्र के विकास के सम्बन्ध में एक संकल्प आया था। बोकारो इस्पात संयंत्र के विकास की मूल योजना 100 लाख टन की थी। परन्तु बाद में यह आशंका हुई कि सरकार इसमें कटौती कर रही है। अतः बिहार विधान सभा में इस विस्तार लक्ष्य में कटौती करने की किसी भी योजना का विरोध करने के लिए एक गैर-सरकारी संकल्प पेश किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर कुछ प्रकाश डालने तथा बिहार के लोगों में व्याप्त आशंकाओं को समाप्त करने के लिए कहूंगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक आयात का प्रश्न है, मैंने सभा के पटल पर रखी गई सारणी के भाग (ग) में यह बता दिया है कि ऐसे विशेष प्रकार के इस्पात का आयात किया जा रहा है जिसका देश में उत्पादन नहीं हो रहा है। यह कुछ विशेष प्रकार का इस्पात है। मैंने उदाहरण के तौर पर इलैक्ट्रिक स्टील का उल्लेख किया है।

जहां तक बोकारों के विस्तार का सम्बन्ध है, इसे हाथ में ले लिया गया है और कुछ विस्तार कार्य हो चुका है तथा शेष काम किया जा रहा है। परन्तु मेरे लिए यह बताना कठिन है कि हम इसे किस सीमा तक कर पाएंगे क्योंकि हमें स्रोतों का भी ध्यान रखना है जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व है।

श्री रास बिहारी बहेरा : मैं माननीय मंत्री महोदय से राउरकेला इस्पात संयंत्र में रोजगार संभावनाओं के विषय में जानना चाहता हूँ और यह भी जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया जाएगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक नए इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रश्न है यह प्रारम्भिक अवस्था में है और मैं इस विषय में कुछ नहीं बता पाऊंगा।

श्री एम० एस० संजीवी राव : माननीय मंत्री महोदय यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देश को आगामी वर्षों में काफी इस्पात की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन की भांति इस्पात संयंत्रों के पनपने में काफी समय लगता है। कम से कम सरकार को यह तो सुनिश्चित करना ही होता है कि वर्तमान संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अच्छे लौह अयस्क के मामले में भाग्यशाली है। परन्तु हमारे पास धातुकर्मीय कोयले का अभाव है। काफी समय पहले जनता सरकार ने धातुकर्मी कोयला आस्ट्रेलिया से आयात करने की योजना बनाई थी। मैं नहीं जानता कि वर्तमान सरकार धातुकर्मी कोयले के आयात के सम्बन्ध में क्या कर रही है। क्या इस सम्बन्ध में मैं सही स्थिति जान सकता हूँ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक अधिकतम उपयोग का सम्बन्ध है, यह हमारी नीति है और हमने पहले ही क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए कदम उठाए हैं। जहां तक वर्तमान संयंत्रों के विस्तार का संबंध है, उस पर भी हमने विचार किया है। माननीय सदस्य ने जिस विशेष प्रकार के इस्पात का जिक्र किया है उसकी सही स्थिति बताने के लिए मुझे एक पृथक नोटिस चाहिए।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : मंत्री महोदय ने इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए भिलाई बोकारो आदि कारखानों के एक्सपेन्शन की बात कहीं है। कम मूल्य में ज्यादा इस्पात कारखाने देश में लग सके और जादा लोगों को काम मिल

सके और साथ ही जल्दी से जल्दी इस्पात का उत्पादन शुरू हो सके इस के वास्ते मीनी स्टील प्लान्ट्स जैसे चीन में है स्थापित करने का विचार सरकार रखती है और लघु उद्योगों के द्वारा इस्पात का उत्पादन ज्यादा हो, इसके बारे में भी सरकार कुछ सोचती है या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रश्न इस्पात संयंत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में है ।

श्री दिग्विजय सिंह : हमारे सभी लघु इस्पात संयंत्र संकट की स्थिति में है । उन्हें सक्षम यूनिट बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने है । क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अन्तर्गत उन्हें और प्रोत्साहन तथा करों में रियायत देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके ताकि इस्पात उत्पादन को बढाया जा सके ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कर रियायतों का सम्बन्ध है, मैं उनके विषय में बोलने में सक्षम नहीं हूं । परन्तु लघु इस्पात संयंत्रों को बहुत सी रियायतें दी गई हैं । यही कारण है कि पिछले दो वर्षों में उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की असेम्बलियों में स्टार्ड क्वेश्चेंज के रिप्लाइज सदस्यों को लिखित में मिल जाते हैं । यहां पर ये नहीं दिए जाते हैं । हम 540 सदस्य हैं और एक दिन में तीन चार सवाल ही आ पाते हैं । मेरा सुझाव है कि यहां भी लिखित उत्तर सदस्यों के पास आ जाने चाहिए —

अध्यक्ष महोदय : सुझाव नहीं आप प्रश्न करें । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी कोई स्टील या मिनी स्टील प्लान्ट बनाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सवाल नहीं है । है कोई तो बता दीजिये ।

श्री प्रणब मुखर्जी : भिलाई संयंत्र का विस्तार काफी विशाल स्तर पर हो रहा है ।

पटना और दिल्ली के बीच विमान सेवा

*66. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से दिल्ली के लिये सुबह की एक उड़ान और दिल्ली से पटना के लिये शाम की एक उड़ान आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये विमान सेवाएं कब तक आरम्भ हो जाएंगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क), (ख) और (ग) । जी, नहीं । इण्डियन एयर लाइन्स विमानों की तंगी के कारण पटना के लिए कोई अतिरिक्त सेवा चालू करने की स्थिति में नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि नई सेवा आरम्भ नहीं की जा रही है तो क्या मंत्रालय के लिए कलकत्ता से दिल्ली की मौजूदा उड़ान के समय में इस प्रकार परिवर्तन करना संभव नहीं है कि यह पटना से होकर गुजरे और सुबह की उड़ान भी हो जाए ?

श्री जे० बी० पटनायक : मौजूदा बाधाओं को देखते हुए इसके समय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है परन्तु इस वर्ष के मध्य में एक नये हवाई जहाज के आ जाने से पटना से दिल्ली के बीच प्रातः की उड़ान चलाना संभव हो जाएगा और यह इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा किया जाएगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्षजी, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कोई इस तरह का विचार नहीं है । असल में मैंने अखबार में जो पढ़ा वही पूछ रहा हूं । मैंने यह पढ़ा अखबार में कि आपके राज्य मंत्री महोदय ने पटना में इस बात की चर्चा की कि पटना में शाम की विमान सेवा शीघ्र ही शुरू की जाने वाली है । तो उन्होंने यह किस आधार पर कहा, यह तो बताइये ? बाहर कुछ कह देते है, और यहां कुछ कहते हैं । मैं ईवनिंग फ्लाइट के बारे में बोल रहा हूं जो कि आज या कल के अखबार में निकला है । माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कहा था और समाचार-पत्रों में भी आया था । यह ठीक है या नहीं ?

श्री जे०बी० पटनायक :मैंने उस वक्तव्य को नहीं देखा है, परन्तु मैंने सभा को पहले ही यह वचन दिया था कि इस वर्ष के मध्य में एक नए विमान के आ जाने से हम पटना से दिल्ली के बीच प्रातः की एक उड़ान आरम्भ कर सकेंगे।

चावल की भूसी से खाद्य तेल का उत्पादन करने की जापान से तकनीकी जानकारी प्राप्त करना

*67. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चावल की भूसी से उत्तम खाद्यतेल का उत्पादन करने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई समझौते किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय विदेशों से खाद्य तेलों का आयात करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह आयात किस-किस देश से किया जाता है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए सोयाबिन के तेल, रेपसीड तेल, कच्चे ताड़ के तेल, आर. बी० डी० ताड के तेल और पामोलिन जैसे खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है। मुख्यत: जिन देशों से खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है वे हैं :—संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाड़ा, मलेशिया, इण्डोनेशिया और सिंगापुर।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : हम जानते हैं कि चावल की भूसी से बहुत बढ़िया खाद्य तेल बनाया जा सकता है। जैसा कि हमारे अनुसंधान संस्थान ने खोज की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह तेल निकाला जाए, सरकार क्या कदम उठा रही है ?

दूसरे, यदि चावल के पौधों से प्राप्य भूसी से खाद्य तेल प्राप्त किया जा सकता है तो जापान से इस तकनीक का आयात क्यों नहीं किया जाए ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक तकनीक का सम्बन्ध है, इसे जापान से आयात करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इसकी तकनीक है। परन्तु चावल की भूसी से तेल उत्पादन करने में एक बडी कठिनाई यह है कि देश में धान कूटने की विशेष प्रकृति है। परिणामस्वरूप जब हम इसे वाणिज्यिक स्तर पर लेना चाहते हैं तो इसमें कठिनाई होती है। जब तक चावल मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता और चावल भूसी वाणिज्यिक स्तर पर इकट्ठी नहीं की जाती तब तक इसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहारीक नहीं बनाया जा सकेगा यद्यपि प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को कुछ आंकडे दे सकता हूं जिससे वह जान सकेंगे कि उत्पादन हो रहा है। वर्ष 1976–77 में यह 70,000 टन था परन्तु 1978–79 में इसका उत्पादन बढ़ कर 101.000 टन हो गया है।

यह तो हुई चावल-भूसी तेल मिलों की बात। हम इसका उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : हमें प्रसन्नता है कि तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जाएगा और शीघ्र ही इसका पता लगाया जाएगा।

परन्तु उत्तर में यह कहा गया है कि सोयाबीन तेल का आयात किया जा रहा है। जब हमारे देश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो तेल का विदेशों से आयात क्यों किया जा रहा है ? हम इसका यहीं उत्पादन क्यों नहीं कर सकते है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह तथ्य नहीं है कि हम सोयाबीन तेल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। मैंने उत्तर में यह कहा है कि देश की मांग और उपलब्धता के अन्तर को दूर करने के लिए हम कुछ तेलों का आयात कर रहे हैं, वहीं मैंने सोयाबीन तेल कहा है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम देश में सोयाबीन तेल का उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं।

श्री मणत्भाई बरोट : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसी आधार पर दूध के सम्बन्ध में एक प्रयोग किया गया था जिसे "फ्लड आपरेशन" का नाम दिया गया था और नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड और उसके अध्यक्ष

श्री कूरियन ने तेल के सम्बन्ध में भी देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक सुझाव दिया था जिसके लिए एक प्रयोग का प्रस्ताव किया गया। क्या इस योजना की भारत सरकार द्वारा जांच की गई है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक इस योजना विशेष का सम्बन्ध है, मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु मैं सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को दूंगा।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : खाद्य तेल की देश की सही-सही मांग कितनी है और हम कितना उत्पादन कर रहे हैं तथा खाद्य तेल के संयंत्रों की कितनी क्षमता बेकार पड़ी है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : कुल आयात ....

श्री दिनेन भट्टाचार्य : पहले आप इस बात का उत्तर दें कि मांग कितनी है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह प्रश्न तो केवल चावल भूसी तेल से सम्बन्धीत है और यदि माननीय सदस्य प्रश्न को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। मेरे पास जो सूचना है, वह मैं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए इन्हें नोटिस चाहिए।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : यह असंगत है। कृपया बताइए, क्या मेरा प्रश्न संगत नहीं है। वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि उन्हें आपके लिए अलग से सूचना प्राप्त करनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने जो तीन प्रश्न पूछे है उनमें से दो का उत्तर देने के लिए वह खड़े हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इसके लिए तैयार है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उनसे पूछिए, इस सम्बन्ध में वह एक योग्य मंत्री है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह प्रश्न तो विशेषरूप से चावल भूसी से सम्बन्धित है। ये सभी खाद्य तेलों के विषय में जानना चाहते हैं। मैं उन्हें कैसे उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा... अच्छा, ठीक है, आप इसके लिए पृथक नोटिस दीजिए।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : उन्होंने सदस्यों को व्यर्थ में तंग किया है, पहले तो कह दिया प्रश्न पूछिए बाद में कहते हैं मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं जानता हूं क्या कठिनाई है।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या सरकार चावल उत्पादन क्षेत्रों में चावल मिलों के आधुनिकीकरण का विचार रखती है ताकि चावल भूसी से खाद्य तेल बनाया जा सके। इससे देश के चावल उत्पादक क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी बात को दृष्टि में रखकर मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार चावल भूसी से खाद्य तेल प्राप्त करने के लिए चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है।

श्री प्रणव मुखर्जी : पहले प्रश्न के उत्तर मे मैंने पहले ही यह कहा है कि जब हम आधुनिकीकरण कर लेंगे और वाणिज्यिक आधार पर चावल-भूसी एकत्र कर लेंगे तभी इस विशेष उद्योग का विस्तार सम्भव होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : विदेशों से खाद्य तेलों के अत्यधिक आयात को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अण्डमान निकोबार में मलेशिया के समान पर्यावरण स्थिति होने के कारण क्या सरकार इस द्वीप में ताड़ के तेल का संयंत्र लगाने पर विचार करेगी ताकि द्वीप वासियों को पर्याप्त रोजगार दिया जा सके और देश की खाद्य तेल की मांग पूरी की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है। वह इस पर विचार कर सकते हैं। श्री सतीश प्रसाद सिंह—यहां नहीं है। श्री शेजवलकर।

चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति

*68. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1980 में चौथा वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चौथा वेतन आयोग नियुक्त करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति के क्या मान दण्ड है ? क्या वह विस्तार से बताएंगे?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मानदण्ड?

श्री एन० के० शेजवलकर : सरकार के अनुसार इस प्रकार के पे कमीशन नियुक्त करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति के लिए, वह यह जानना चाहते हैं ।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : वेतन आयोग की नियुक्ति का कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। जब कभी सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, जब कभी स्टाफ सदस्य इसके लिए अभ्यावेदन करते हैं, तब इस पर विचार किया जाता है और प्रत्येक अवसर पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस संबंध में क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों की ओर से इस प्रकार का वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग की गई है अर्थात् चौथा वेतन आयोग नियुक्त करने की?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस पर एकमत नहीं है। चौथा वेतन आयोग नियुक्त करने के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग कहते हैं इसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, कुछ सुझाव देते हैं कि नहीं की जानी चाहिए। परन्तु इस पर सहमति नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। निस्संदेह सरकार सही स्थिति रखने में समर्थ नहीं है। वे कहते हैं जब मांग होती है तो वे इस संबंध में विचार करते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार की मांग की जा रही है और साथ ही यह कहते हैं कि कोई मांग नहीं की जा रही। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनको यह कहने का कि इस प्रकार की कोई मांग नहीं है क्या यह अर्थ नहीं है कि वह अप्रत्यक्ष रूप में और अनजाने केन्द्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा आन्दोलन आरम्भ करने के लिए कह रहे हैं ताकि इस प्रकार की मांग बनाई जा सके ।

परन्तु मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य नहीं है कि तीन वेतन आयोगों ने अपनी सिफारिशें के बिना किसी वैज्ञानिक कार्य मूल्यांकन के दी थी और इसी लिए अधिकांश केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने रेलवे कर्मचारियों का बहुमत है जो कि लगभग 7 लाख हैं, अभ्यावेदन किया है कि उन्हें इस प्रकार का वेतन आयोग नहीं चाहिए इसकी बजाए तो वो एक ऐसा तंत्र चाहते हैं जिससे कार्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो और उसके पश्चात् उन का वेतन निर्धारित किया जाए। परन्तु यह वेतन आयोग द्वारा नहीं हो सकता है ।

श्री आर० व्हो० वेंकटरामन : मैंने भी यही कहा है। दो प्रकार के मत व्यक्त किए जा रहे हैं, कुछ लोग वेतन आयोग की नियुक्ति के पक्ष में है और कुछ नहीं है। जब कभी वे 'वेतन आयोग' शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उनके दिमाग में अपनी पसन्द और अपने दृष्टिकोण के वेतन आयोग की नियुक्ति की बात होती हैं। यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार का वेतन आयोग चाहते हैं जो कार्य मूल्यांकन, कार्य का श्रेणीकरण करेगा तब उसके अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। अब तक तो इसी प्रकार के अभ्यावेतन प्राप्त किए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 ।

श्री सोबेंग तेइयेंग : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वेतन आयोग की सिफारिशें. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहसिन को अगले प्रश्न के लिए बुलाया है।

श्री सोवेंग तेइयेंग : महोदय, मैं बोलने के लिए कई बार खड़ा हुआ हूँ। आपने अनुमति नहीं दी है। मैंने नागर विमानन के संबंध में भी प्रश्न पूछा था। आपने उसी की भी अनुमति नहीं दी। मेरे विचार से आप उत्तर-पूर्व क्षेत्र से बचना चाहते हैं।

मैं केवल इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मुझे प्रश्न संख्या 69 लेना जाहिए था। अब प्रश्न सं० 69, श्री पाण्डेय।

जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में बखोरा झील का विकास

*69. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में बखीरा झील के पर्यटन की दृष्टि से विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और इसकी क्रियान्विति के लिए कितना समय अपेक्षित है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि मुगल काल से यह देखने योग्य स्थल रहा है जहां विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब तक झील का सर्वेक्षण नहीं किया जाता, तब तक यह बताना संभव नहीं होगा कि क्या पर्यटन के दृष्टीकोण से इस झील का विकास करना लाभप्रद रहेगा या नहीं। ऐसा समझा जाता है कि इस झील पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की किस्म निर्धारित करने और इस झील के भावी विकास पर विचार करने हेतु अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार एक व्यापक सर्वेक्षण कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांण्डेय : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बसीरा झील केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत की सब से पुरानी झील है। मुगल काल में यहां पर राजा महाराजा लोग अपना कैम्प लगाया करते थे और अंग्रेजों के पीरीयड में भी यहां कैम्प लगा करते थे। दुर्लभ पक्षी आज भी वहां आते हैं। परन्तु अभी तक भारत सरकार ने उस के विकास के ऊपर कोई विचार नहीं किया और न कोई कार्यवाही की। मैं माननीय मंत्री जी से टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्तर्गत पूछना चाहता हूं कि कब तक वह उस का सर्वेक्षण कराएगे और कहां वह क्या बनवाने की योजना कर रहे हैं?

श्री कार्तिक उरांव : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि यह बहुत हिस्टारिकल इम्पार्टेंस की झील है लेकिन हमारे केन्द्रीय टूरिज्म डिपार्टमेंट के अन्तर्गत दो डिवीजन्स हैं। एक का तो संबंध होता है जो नेशनल और इंटरनेशनल इंम्पार्टेंस के टूरिस्ट सेंटर होते हैं उन से और दूसरे जो केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट्स और लोकल टूरिस्ट को अट्रेक्ट कर सकते हैं उन के लिए अलग योजना है। जो लोकल और डोमेस्टिक टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं उन की जिम्मेदारी और देखभाल का काम स्टेट गवर्नमेंटस के ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट ने यह इंटीमेट किया है कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में भी इस के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना नहीं बनी थी हालांकि हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने माइग्रेटरी बर्डस जो वहां जाती हैं उन के लिए वहां कोशिश की है। डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म से ऐसा कोई प्लान नहीं है और उसके अन्तर्गत यह आता नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांण्डेय : मैं ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रश्न किया है। प्रदेशीय सरकार ने इसकी उपेक्षा की और अगर केन्द्रीय सरकार भी उपेक्षा करे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक झील है, यह मैं आपसे बार बार कह रहा हूं।

पंचवर्षीय योजना में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, यह मैंने मान लिया लेकिन केन्द्रीय सरकार खुद इसका सर्वेक्षण करवाए । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश की एक महत्वपूर्ण झील है जहां पर प्रतिवर्ष दुर्लभ पक्षी आते हैं और हजारों लोक बन्दूक लेकर जाड़े में शिकार करते हैं । बत्तख और लालसर चिड़िया केवल इसी झील में ही आपको मिल सकती हैं । इसीलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह इसको अपने हाथ में ले, इसका सर्वेक्षण करवाए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो क्वैश्चन टाइम ओवर कर दिया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

*65. **श्री सी० बी० आठरे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार द्वारा बागडोर सम्भालने के बाद से निषिद्ध माल को देश से बाहर ले जाते हुए अथवा देश के अन्दर लाते हुये कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) पकड़े गए माल का विवरण क्या है और वह कितने मूल्य का है तथा यह तस्करी द्वारा किन देशों को ले जाया जाता था, अथवा किन देशों से तस्करी द्वारा लाया गया था, और

(ग) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कड़े उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, 14 जनवरी, 1980 से 29 फरवरी, 1980 तक की अवधि में तस्करी में लगे 213 व्यक्ति, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ।

(ख) जो वस्तुएं पकड़ी गयीं उनमें मुख्यतः, घड़ियां, चांदी, सश्लिष्ट कपड़े, संगणक आदि हैं और उनका कुल मूल्य लगभग 5.65 करोड़† रुपये है। पता चला है कि ये वस्तुएं फारस की खाड़ी के देशों में चोरी-छिपे लायी गयी थी अथवा इनको तस्करी से वहां ले जाया जाना था ।

(ग) उपयुक्त कानूनी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । तस्करी में लगे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अदालतों में मुकदमे चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । सरकार, तस्करी के खिलाफ किये जा रहे उपायों को तेज करने वाली है, और इन उपायों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन कार्यवाही करना भी शामिल है ।

आयात शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध सीमेंट उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

*70. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की भारी कमी के कारण सीमेंट संयंत्रों का उत्पादन इतना घट गया है कि जिसके परिणामस्वरूप न केवल उत्पादन राजस्व की ही भारी हानि हो रही है, बल्कि सीमेंट का आयात करना भी आवश्यक हो गया है;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग ने कपटिवडीजल जेनरेटिंग सेठों पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने, जिससे संयंत्र की लागत और उर्जा की उत्पादन लागत बढ़ जाने की आशा है, के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भारी शुल्क को समाप्त करने अथवा कम करने, जिससे सीमेंट का अधिकतम उत्पादन हो सके और उद्योग सम्भावी बर्बादी से बच सके, के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†(ये आंकड़ें अनन्तिम हैं) ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) देश में सीमेंट के उत्पादन के और सीमेंट पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से वसूल हुए राजस्व के वर्ष 1979 के आंकड़ें, वर्ष 1978 के तत्तुल्य आंकड़ों के मुकाबले गिरावट दर्शाते हैं, और मांग तथा पूर्ति के अन्तर को पाटने के लिये सीमेंट का आयात किया गया था। सीमेंट के उत्पादन में कमी का कारण, केवल बिजली की कटौती ही नहीं है बल्कि कोयले और रेलवे वैगनों की कमी भी है।

(ख) और (ग) : कारखाने में ही इस्तेमाल के लिये जनित्रों पर लगने वाले 40 प्रतिशत आयत-शुल्क के खिलाफ सीमेंट उद्योग से वित्त मंत्रालय को कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण

*71. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अमरसिंह बी० राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ अनुदेश देने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : बैंक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रसार का बढ़ाने के लिए तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। हाल ही में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्य पालकों की एक बैठक आयोजित की गई थी तथा उस बैठक में किये गये मुख्य निर्णय नीचे लिखे अनुसार है:—

(1) बैंकों द्वारा फरवरी, 1977 में निर्धारित अपने कुल ऋणों का 33.3 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जो कि अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाना है। इस निर्धारित कुल लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ पाने वालों को प्रदान किया जायेगा। जो इस कार्यक्रम को फिर से सुदृढ़ बनाया जायेगा।

(2) बैंक, अपनी जिला ऋण योजनाओं के एक भाग के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष योजनाएं तयार करेंगे।

(3) विभेदी ब्याज दर योजना तथा क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम को अधिक सशक्त रूप से आगे बढाया जायेगा।

(4) 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विभिन्न बैंकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक अध्ययन (मानीटरिंग) प्रणाली तयार करेगा।

पिछले कुछ वर्षों से, बैंकों द्वारा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो कुछ अन्य कार्यक्रम लागू किये जा रहे है व नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(क) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में, काश्तकारों तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को, 9½ प्रतिशत वार्षिक की रियायती दरों पर, 25,000 रुपये तक के मिश्रित ऋण प्रदान किये जाते हैं जो कि 7–10 की अवधि में वापिस किये जा सकते हैं।

(ख) अति लघु एककों को, कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, 12½ प्रतिशत वार्षिक की दर से 25,000। रु० से 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए 11½ प्रतिशत वार्षिक की दर से सावधिक ऋण दिये जाते है निर्धारित पिछड़े जिलों के लिए ब्याज की दर 9½ प्रतिशत वार्षिक है।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भवन निर्माण के लिए, कुल लागत का 80 प्रतिशत ऋण, 4 प्रतिशत वार्षिक की दर पर दिया जाता है वशर्ते कि ऋण की राशि 2,500 रुपये से अधिक न हो।

राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा आयातित रबड़

† 72. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांग न होने के कारण राज्य व्यापार निगम के पास कई हजार टन आयातित रबड़ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक मात्रा में रबड़ पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने अपरिष्कृत रबड़ की वास्तविक आवश्यकता के बारे में गलत अनुमान लगाया था?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय लगभग 10,800 में टन आयातित रबड़ का स्टाक है।

(ख) माल इकठ्ठा होने के मुख्य कारण हैं : विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बिजली की कटौती के कारण रबड़ माल विनिर्माताओं द्वारा बहुत कम माल उठाया जाना, ऋण संकुचन तथा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर स्वदेशी रबड़ का उपलब्ध होना।

(ग) जी नहीं।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मिडलैंड बैंक, लन्दन (ब्रिटेन) में खाता खोला जाना

*73. डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई० ए० ए० आई०) ने लीबिया की घाट परियोजना के लिए मिडलैंड बैंक, लन्दन (ब्रिटेन) में खाता खोला है;

(ख) क्या उसी परियोजना के लिए लन्दन के अन्य बैंकों में भी खाते खुले हुए हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1976-77 और उसके बाद के वर्षों के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में इन खातों की सूचना दी जाती है और उनका उल्लेख किया जाता है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) जी, हां, मई, 1976 में।

(ख) जी, हां, लंदन स्थित भारतीय स्टेट बैंक में 5-10-1977 को एक खाता खोला गया था।

(ग) जी, हां।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता

*74. श्री पीयूष तिरकी :

श्री अटल विहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1980 के "पैट्रियोट" में "डियरनेस अलाउंस" (महंगाई भत्ता) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप, 1 जनवरी, 1980 से केंद्रिय सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता की एक और किस्त देय हो गई है,

(घ) यदि हां, तो केंद्रिय सरकार कर्मचारियों को उसकी अदायगी के लिये सरकार का कब आदेश जारी करने का विचार है, और

(ङ) ऐसी किस्त मंजूर करने में विलंब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) : इसका संदर्भ स्पष्टतः 25.2.80 के "पोट्रियाट" के अग्रलेख में शीर्षक महंगाई भत्ता से है। अक्तूबर, 1979 के अंत तक औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय

औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) (सामान्य) का 12 महिने का औसत 344 अंकों पर पहुंचन के परिणामस्वरूप सरकार ने 1.11.79 से केंद्रिय सरकारी कर्मचारीयों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने का निर्णय किया है। इस किस्त की अदायगी संबंधी औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। सरकार ने इस तथ्य को नोट कर लिया है कि 352 के औसत सूचकांक स्तर पर 1.12.80 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त विचार करने योग्य हो गई है।

(ङ) जहां तक 1.11.79 से महंगाई भत्ते की किस्त का संबंध है, पिछली सरकार ने इसकी अदायगी का प्रश्न विद्यमान सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि इसकी अदायगी में बहुत अधिक व्यय अंतर्ग्रस्त था। कार्यभार ग्रहण करने पर, नई सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया और इस मामले में पहले हि निर्णय ले लिया है। जहां तक 1.2.80 से किस्त दिये जाने का संबंध है, 1.11.79 से देय किस्त के संबंध में सरकार द्वारा पहले हि निर्णय दिये जाने के बाद, जनवरी 1980 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ ही दिन पहले प्राप्त होने पर विचार करने योग्य हुई है।

इंजीनियरी माल के निर्यात में गिरावट

*75. श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष 1979-80 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य में कमी हो सकती है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हो सकती है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान प्राक्कलनो के अनुसार, इंजीनियरी माल का निर्यात 650 करोड़ रु० का हो सकता है जबकि 1978-79 के दौरान अंतिम आंकड़े 685 करोड़ रु० मूल्य के थे। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 1979-80 के दौरान निर्यातो के लिए निर्धारित लक्ष्य 850 करोड़ रु० का था।

चालू वर्ष के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात में गिरावट के कारण हैं : स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, कोक, डीजल-तेल, भट्टी का तेल आदि जैसे दुर्लभ अन्तर्निविष्ठ साधनों की कमी, देश के अधिकांश भागो में बिजली की भारी कमी, पत्तनों पर भीड़-भाड़, अपर्याप्त जहाजरानी सुविधाएं, निर्यातो के लिए इंजीनियरी माल के निर्यात विनिर्माण के लगे हुए एककों में श्रमिक अशान्ति तथा औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक मंदी।

हीरों, कीमती पत्थरों और कम कीमती पत्थरों का निर्यात

*76. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान हीरों, कीमती पत्थरों और कम कीमती पत्थरों का कुल कितना निर्यात किया गया,

(ख) इन वस्तुओं के कम राशि के बीजक बनाने और इनकी तस्करी के कारण कुल कितनी हानि हुई, और

(ग) हानि को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) 1978-79 के दौरान हीरों और मूल्यवान/अर्ध मूल्यवान रत्नों के निर्यात क्रमशः 692.94 करोड़ रु० और 24.06 करोड़ रु० के रहे।

(ख) तथा (ग) : इन वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी उल्लेखनीय तस्करी अथवा कम राशि के बीजक बनाने की वजह से विदेशी मुद्रा की हानि का कोई संकेत नहीं मिला है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

*77. श्री पी० के० कोडियन :

श्री चन्द्रपाल शैलानी :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा उनके ऊंचे मूल्यों के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सर्वथा अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली विस्तृत और सुदृढ़ करने के लिये कोई योजना बनाई है, और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :(क) से (ग) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। इन पुनरीक्षाओं के दौरान इस प्रणाली में पाई जाने वाली कमियों की ओर संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिये भी सभी प्रयास कर रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए मैसर्स बिसलेरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना।

*78. श्री संजय गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 की धारा 4 (3) और धारा (5) (1) (च) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स बिसलेरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंबई और उसके निदेशकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी के निदेशकों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्य वाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) मैसर्स बिसलेरी(इंडिया)प्रा० लि० बंबई के परिसरों की और उनसे संबंधित कुछ अन्य परिसरों की 15.11.1977 को ली गयी तलाशियों के परिणामत: प्रवर्तन निदेशालन ने उक्त कंपनी और उस के निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत तफतीश शुरु की और उसके परिणाम में निम्नलिखित, कारण बताओं नोटिस जारी किये गये :

(i) मैसर्स बिसलेरी (इंडिया) प्रा० लि०, बंबई और उसके निदेशक, श्री रमेश जे० चौहान और श्री एच० एम० गोलवाला को, जिस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए सितंबर, 1971 में 14,336 पाऊंड विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4 (3) का उल्लंघन करने के कारण 2-3-1978 को नोटिस जारी किया गया।

(ii) श्री रमेश जे० चौहान ने अगस्त, 1970 में 2 लाख रुपये का कर्ज स्वीकार करके डा० सी० रोस्सी के लिए अदायगी लेने के प्रासंगिक अधिकार का सृजन किया, जिस कारण श्री रमेश जे० चौहान को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 5(i) (च) का उल्लंघन करने कारण 14-4-78 को नोटिस जारी किया गया।

(iii) श्रीमती मिनाक्षी जसदनवाला को, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना मई/जून, 1977 में संयुक्त अरब अमीरात के 500 दिरहम प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 8 (i) का उल्लंघन करने के कारण 15-12-77 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अपर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने 25-9-78 और 20-10-78 को इन मामलों का न्यायनिर्णय किया जिसके परिणामत: ऊपर उल्लिखित 'कारण बताओ नोटिस' के प्रथम मामले में, कंपनी पर 1,50,000 रु० और इसके निदेशक श्री रमेश जे०चौहान और श्री एच० एम० गोवलवाला पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऊपर उल्लिखित कारण बताओं नोटिस के दूसरे मामले में, श्री रमेश जे०चौहान के खिलाफ आरोप को समाप्त कर दिया गया। श्रीमती मीनाक्षी जसदनवाला की हवाई दूर्घटना में 1-1-1978 को मृत्यु हो गयी और इसलिए, उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई।

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1974 से पूर्व किये गये अपराधों के संबंध में, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23घ के उपबंधों के अंतर्गत यदि प्रवर्तन निदेशक की यह राय बनती है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितना जुर्माना लगाने का उन्हें अधिकार है, वह दंड पर्याप्त नहीं है तो वह अपने आप जुर्माना गद करने बजाय न्यायालय में लिखित शिकायत दायर करता है। इन मामलों का, विभागीय तौर पर पहले ही न्याय निर्णय हो चुकने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 में इस्तगासे की कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सूरत में हवाई अड्डा

79. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में हवाई अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सूरत में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने की बढ़ती हुई मांग की सरकारी को जानकारी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) : राज्य सरकार की एक हवा ईपटटी वहां पहले ही मौजूद है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिये दोहरी मूल्य प्रणाली का प्रस्ताव

*80. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाजार पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिये दोहरी मूल्य प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस समय किसी और आवश्यक वस्तु के लिये दोहरी मूल्य प्रणाली अपनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं का आयात

*81. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख): हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, सीमेंट, न्यूजप्रिंट, छपाई के सफेद कागज आदि का आयात करती रही है । इन वस्तुओं के आयात की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आयातों की मात्रा, देश में किसी खास समय पर प्रत्येक वस्तु की मांग पूर्ति स्थिति ध्यान में रख कर तय की जाती है ।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के लिये प्रस्ताव

469. **श्री आर०के०महालगी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोआ के मुख्यमंत्री ने हांगकांग तथा दक्षिण कोरिया की भांति एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के संबंध में हाल में भारत सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं । हाल हीं में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

सब्जियों के निर्यात पर रोक हटाने के लिये महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

470. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सब्जियों के निर्यात पर लगी रोक हटाने और इस प्रयोजन के लिये कोटा रिलीज करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रोक उठा ली गयी है और कोटा रिलीज कर दिया गया है जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है?

वाणिज्य, और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सब्जियों के निर्यात के लिये अनुमति मांगी थी क्योंकि उन्होंने निर्यात प्रयोजन के लिये सब्जियों के अतिरिक्त उत्पादन की एक परियोजना आरम्भ की थी।

(ख) राज्य सरकारी अभिकरण द्वारा प्रति मास 200 मे० टन कोटे को सब्जियां निर्यात करने की अनुमति दी गई है और शर्त यह है कि निर्यात की जाने वाली सब्जियों के हर परेषण का 85 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये अतिरिक्त उत्पादन से लिया गया हो और सब्जियों का कुल निर्यात अतिरिक्त उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

पश्चिम एशियाई देशों तथा ईरान को परिष्कृत मूंगफली के तेल का निर्यात

471. **श्री ओंकर फर्नांडीस :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशियाई देशों तथा ईरान को मूंगफली निर्यात की जाती है;

(ख) क्या इन देशों में परिष्कृत मूंगफली के तेल की भी कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में तेल शोधनशाला उद्योग की क्षमता का उपयोग करने के लिये मूंगफली को बजाय इन देशों को परिष्कृत मूंगफली का तेल निर्यात करने की अनुमति देने का है?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) नाफेड को अनुमति दी गई है कि वह पश्चिम एशिया तथा ईरान सहित सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली का सीमित मात्रा में निर्यात करे। हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली आम तौर पर गिरी के रूप में खाई जाती है तथा मूंगफली के तेल के स्रोत के रूप में पेरने के काम में नहीं लाई जाती।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। देश में खाद्य तेलों की कमी को देखते हुए सरकार मूंगफली के परिष्कृत तेल के निर्यात की अनुमति देने का विचार नहीं रखती। आयातित खाद्य तेलों को देश में परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जा रहा है। मूंगफली के तेल जैसी आवश्यक वस्तु की निर्यात नीति परिष्करण उद्योग की परिष्करण क्षमता पर आधारित नहीं हो सकती इसका निर्णय देश में मूंगफली के तेल की उपलब्धता और साथ ही घरेलू कीमत प्रवृत्तियों के अनुसार किया जाता है।

जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

472. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क का मूल्य बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में जापान सरकार के अधिकारियों के साथ इस बारे में कोई बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम और जापानी स्टील मिल्स के बीच हुई वार्ताओं के फलस्वरूप 1980-81 के दौरान जापान को लोह अयस्क के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चालू कीमतों की तुलना में 19.35 प्रतिशत की भारी औसत कीमत वृद्धि हासिल की है।

गोवा निर्यातकों तथा जापानी स्टील मिल्स के बीच वार्ताएं अभी चल रही हैं।

चार इस्पात संयंत्रों में लौह अयस्क की कमी

473. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि किरिबुरु, गुआ और नोआमती स्थित खानों में बिजली के वर्तमान संकट का कोई तत्काल हल नहीं निकाला गया तो निकट भविष्य में देश के बोकारों, दुर्गापुर, बर्नपुर और राउरकेला के चार इस्पात संयंत्रों में लौह-अयस्क की भारी कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान नागरिक पूर्ति (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) : बोकारों, दुर्गापुर तथा बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने लौह-अयस्क की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतया क्रमशः किरिबुरु, बोलानी तथा गुआ स्थित खानों से करते हैं। निःसंदेह बिजली की कमी से इन खानों के लौह-अयस्क के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों में लौह-अयस्क के स्टाक का स्तर प्रायः संतोषजनक है। किरिबुरु खान को अपेक्षित मात्रा में बिजली देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि इस खान से बोकारों इस्पात कारखाने को पर्याप्त मात्रा में लौह-अयस्क मिलती रहे। बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए डीजल से बिजली पैदा करने वाले सैटों को लगाने की भी अनुमति दे दी गई है।

राउरकेला स्थित इस्पात कारखाना लौह-अयस्क की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उड़ीसा में बरसुआ स्थित अपनी रक्षित खान से पूरी करता है। इस खान को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण किसी भारी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

संभवतः "नोआमती" से तात्पर्य नोआमुन्डी स्थित खान से है जो इस समय उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों में से किसी को भी लौह अयस्क की सप्लाई नहीं करती है।

सीमेंट उद्योग में उत्पादन में कमी के कारण राजस्व की हानि

474. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान पूरे देश में बिजली की असन्तोषजनक उपलब्धता के कारण उत्पादन में हुई अभूतपूर्व कमी की वजह से सीमेन्ट उद्योग से केन्द्रीय बिक्री कर और उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की कितनी हानि हुई; और

(ख) परिस्थिति से निपटने के लिए और इस बिगड़ती हुई हालत की रोकथाम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गांवों में खण्ड स्तर पर ऋण

475. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक गांवों में खण्ड स्तर पर ऋण देते हैं; और

(ख) क्या खण्ड विकास अधिकारियों की सिफारिश पर किसानों, उद्योगपतियों तथा अन्त्योदय परिवारों को ऋण के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई जांच करती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया): (क) भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को ग्राम स्तर पर उनके ऋण परिचालन के संबंध में समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है। उनमें, मूल्यांकन, मार्जिन, जमानत, ब्याज दरें, अदायगी की शर्तें आदि जैसी बैंकों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के बहुत से पहलू आ जाते हैं।

(ख) वाणिज्यिक बैंक प्रस्तावित उद्योग की अर्थक्षमता और उनकी आय उपार्जन क्षमता को अपने मूल्यांकन का आधार बना कर ही ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु, वे अपने ऋण प्रदान करने के कार्यों में खण्ड विकास अधिकारियों सहित जिला स्तरीय विकास अभिकरणों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग भी करते हैं।

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

476. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले दो वर्षों यथा 1978-79 और 1979-80 के दौरान इस्पात की मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस तेजी से हुई वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विशेष रूप से कम आय और मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लागत-मूल्य में कमी करने के लिए कोई कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति के इस्पात के मूल्यों में तीन बार वृद्धि करनी पड़ी। यह वृद्धि मुख्यतया इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण, विकास और पुनः स्थापन तथा कुछ श्रेणियों के इस्पात के, जिनका बढती हुई घरेलू मांग तथा उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता था मूल्यों को समकरण करने के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। कुछ हद तक मूल्यों में वृद्धि उत्पादन और वितरण की लागत में वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से भी की गई थी।

(ग) यद्यपि मूल्यों को घटाना संभव नहीं होगा तथापि छोटे रिहायशी मकान बनाने वालों को, जो अधिकतर निम्न तथा मध्यम आय-वर्ग के होते हैं, एक मकान के लिए 5 टन तक माल स्टाकयार्ड मूल्यों पर देकर उनकी सहायता करने की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए कुछ मात्रा विशेष रूप से अलग रख दी गई है।

विदेशी ट्रेड मार्क के उपयोग के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान

477. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च, 1976 की अपनी अधिसूचना संख्या 34/76 के संदर्भ में विदेशी ट्रेड मार्क के उपयोग के अन्तर्गत प्रतिफल राशि का प्रत्यक्ष रूप से अंकन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) विदेशी ट्रेड मार्क के उपयोग के लिए प्रतिफल राशि के भुगतान को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार ने विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए कुछ मार्गनिर्देशी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं ताकि विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोका जा सके। इन मार्गीनिर्देशी सिद्धान्तों की शर्तों के अन्तर्गत जीवन उपयोगी औषधियों तथा कीट नाशक दवाएं और पौधा संरक्षण के लिए प्रयोग में आने वाले अन्य रसायनों के निर्यात के लिए उक्त ट्रेड मार्कों के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। घरेलू बाजार में अन्य मदों के संबंध में विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के लिए अन्तर्ग्रस्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिफल के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती। इन मार्गनिर्देशी सिद्धान्तों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी अधिसूचना संख्या 34/76 में जीवन उपयोगी औषधियों तथा कीट नाशक दवाओं और पौधा संरक्षण के प्रयोग के लिए अन्य रसायनों के लिए ट्रेड मार्कों के संबंध में सामान्य अनुमति दिए जाने का पता लगाना चाहता है। चूंकि यें मामला विनियमन से संबंधित है, इसलिए अन्तर्ग्रस्त प्रतिफल राशि का ब्यौरा देना कठिन है।

केरल में बेयपुर में जहाज तोड़ने के यूनिट से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन

478. **श्री के० ए० राजन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मे बेयपुर में जहाज तोड़ने के यूनिट (शिप ब्रेकिंग यूनिट) के लिए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्र को उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिनलैंड के साथ आर्थिक सहयोग

479. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में फरवरी, 1980 में आर्थिक सहयोग के बारे में भारत-फिनलैंड के साथ वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग ने 12 से 15 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक की। संयुक्त आयोग ने यह देखा कि फिनलैंड को काफी, चाय, तम्बाकू, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं, इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रानिक की वस्तुओं के भारतीय निर्यातों में वृद्धि करने की खासी गुंजाइश है। निर्यात हित के उत्पादों की सूचियों का परस्पर आदान-प्रदना किया ग या । इस पर सहमति हुई कि भारत-फिनलैंड सहयोग के लिए तथा संयुक्त उद्यमों के लिये अच्छे आसार हैं जिनमें तीसरे देश भी शामिल हैं। उन क्षेत्रों का जिनमें फिनलैंड प्रौद्योगकिी की व्यवस्था कर सकता है और जहां पर तीसरे देश के संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं पता लगाया गया है। फिनलैंड पक्ष ने अनाज भंडारन परियोजनाओं के लिये मशीनें सप्लाई करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई और डेरी, फल साधित करने तथा पशुधन क्षेत्रों में प्रौद्योगकिी अंतरित करने में अपनी रुचि व्यक्त की। फिनलैंड पक्ष ने, भारत के लिये निर्यात हित की कुछ मदों अर्थात् भेड़/बकरी की तैयार की हुई खालों, कयर की चटाइयों तथा फर्श विछावनों और फिनलैंड अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में पटसन वस्त्र को शामिल करने के लिये भारत द्वारा किये गये सुझावों पर अनुकूल ढंग से विचार करने का वचन दिया । दोनों पक्षकार इस पर सहमत हुए कि द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिये उन्नत महासागरीय परिवहन प्रबन्ध आवश्यक हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मत्स्य पालन के लिए रियायती दरों पर ऋण

480. **श्री मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लघु उद्योगों और छोटे किसानों के रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मत्स्य पालन के लिए ऋणके मामले में भी यह रियायत उपलब्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) और (ख) : जी. हां। छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि को दिये गये विविध प्रकार के ऋणों को रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई 12.5 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर की शर्त से छूट दे दी गई है।

"मत्स्य पालन" सहित कृषि को दिये गये तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये सावधिक ऋणों के मामले में, वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर से अधिक न वसूल करें ।

विदेशी ट्रेड मार्क का उपयोग

481. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ट्रेड मार्क "ओल्ड स्पाइस" और "मैक्स फैक्टर" का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अनुमति लिये जाने के बाद उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या इसमें कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष विचार शामिल है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (51) के अन्तर्गत देश के बाजारों में "ओल्ड स्पाइस" और "मैक्स फैक्टर" ट्रेड मार्कों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक ओल्ड स्पाइस का संबंध है, ट्रेड मार्क लाइसेन्सिंग करार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिखाई देता इसलिए धारा 28 के उपबन्ध लागू नहीं होते । मैक्स फैक्टर के संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रतिफल नहीं है तथापि निर्यात से संबंधित एक प्रतिबंधात्मक खण्ड अवश्य है और भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या इसे "अप्रत्यक्ष" प्रतिफल माना जा सकता है ।

नागालैंड को स्टेनलेस स्टील का आवंटन

482. **श्री चिंगवांग कोन्यांक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1978 से जनवरी, 1980 की अवधि के दौरान नागालैंड राज्य को विभिन्न प्रयोजनों के लिए कितने मीटरी टन स्टेनलेस स्टील का आवंटन किया गया?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति तथा इस्पात मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बेदाग इस्पात की प्लेटों चादरों तथा पत्तियों के आयात के लिए माध्यम अभिकरण है, नागालैंड की एक पार्टी से अगस्त 1979 से मार्च 1980 के अवधि के लिए 80 मी० टन 26 बी०जी० बेदाग इस्पात के पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जो उस पार्टी को 10 मी० टन प्रति माह कि दर से देना था। खनिज अथा धातु व्यापार निगम को जनवरी, 1978 से जनवरी, 1980 की अवधि में नागालैंड से और कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इस आवेदन पर पार्टी को 50 मी० टन 26 बी० जी० बेदाग इस्पात की चादरों का आवंटन कर दिया गया है । परंतु पार्टी ने अक्तूबर 1979 के आवंटन में से केवल 9.973 मी० टन माल ही उठाया है । पार्टी के अन्य आवंटनों को स्वीकार नहीं किया है। स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि० को नागालैंड से जनवरी, 1978 से जनवरी, 1980 की अवधि में दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने से बेदाग इस्पात की सप्लाई अथवा आयात के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल का आयात

483. **श्री समर मुखर्जी** :
श्री कृष्ण चन्द्र हालदार :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड यह विचार व्यक्त किये जाने के बावजूद भी कि आयातित कोयला वांछित किस्म का नहीं है, सरकार कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से 5 लाख टन कोकिंग कोल का आयात करने जा रही है ;

(ख) तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद यह आयात करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मखर्जी): (क) कोकफर कोयले की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के बारे में सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के किसी विशेषज्ञ ने आयातित कोकफर कोयले की किस्म के बारे में कोई विपरित राय नहीं दी है।

(ख) से (ग):प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के जमाखोरी-विरोधी सैल द्वारा छापे

484. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने एक जमाखोरी-विरोधी सैल स्थापित किया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस सैल की सहायता प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो हाल ही में इस सैल द्वारा कितने छापे मारे गये और कितनी मात्रा में माल पकड़ा गया ;

(घ) जमाखोरी करते पकड़े गये लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ; और

(ङ) क्या सरकार ने जमाखोरों को शीघ्रता से तथा पर्याप्त रूप से दण्डित करने के उद्देश्य से वर्तमान लम्बी कानूनी प्रक्रिया को छोटा करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क), से (ग) : दिल्ली पुलिस द्वारा द्वारा एक जमाखोरी-विरोधी सैल स्थापित किया गया है, जिसमें खाद्य और आपूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह सैल दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करता है। 26 फरवरी, 1980 तक इस सैल द्वारा 114 छापे मारे गये जिन के फलस्वरूप माल की निम्नांकित मात्रा पकड़ी गई :–

1. चीनी और खाण्डसारी	956100	किलोग्राम
2. चना	141200	किलोग्राम
3. चावल	1048675	किलोग्राम
4. ज्वार	200	किलोग्राम
5. मक्का	25600	किलोग्राम
6. तिल	18600	किलोग्राम
7. मटर	2100	किलोग्राम
8. दालें	25800	किलोग्राम
9. गेहूं और आटा	24400	किलोग्राम
10. सीमेंट	313350	किलोग्राम
11. मिट्टी का तेल	11317	लीटर
12. एच०एस०डी० तेल	14716.02	लीटर
13. खाद्य तेल	30393.500	किलोग्राम

इनके अतिरिक्त उपर्युक्त मामलों में शामिल तीन टैंकर, छः ट्रक और एक टैम्पो भी पकड़ा गया।

(घ) अपराधियों के विरुद्ध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों और उसके तहत जारी किये गये आदेशों के अधीन मामले दर्ज कर दिये गये हैं तथा उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये गये हैं। अब तक कुल मिलाकर 164 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

(ङ) सरकार इस समय कानूनी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नयी अदालतों की स्थापना करें या मौजूदा अदालतों में से ही निर्धारित करें।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर

485. **श्री रामलाल राही** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश के विभिन्न भागों में प्रतिदिन काम में लाई जाने वाली कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी अन्तर है और अनुचित लाभ कमाने वाले व्यक्ति उनके मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करके लोगों का शोषण कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ही प्रकार की वस्तुओं को समान निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये निर्णय करने के प्रश्न पर विचार करने का है जिससे शोषण और अनुचित लाभ को रोका जा सके ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : देश के विभिन्न भागों में रोजमर्रा के उपयोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अंतर है, जिसका मुख्य कारण उत्पादों की किस्मों में भिन्नता होना, स्थानीय करों, ढुलाई लागत तथा मांग व आपूर्ति की स्थितियों में अंतर होना है।

चीनी के मामले में दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने से यह देश भर में उचित दर की दुकानों के माध्यम से एक समान मूल्य पर बेची जा रही है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिये चावल, गेंहूं और आयातित खाद्य तेलों के मामले में भी केंद्रीय निर्गम मूल्य एक समान हैं, हालांकि वे उपभोक्ताओं को उन मूल्यों पर बेचे जाते हैं जो अलग-अलग राज्यों में मामूली तौर पर अलग-अलग हो सकते हैं। औषधियों के मूल्य भी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और स्थानीय करों को छोड़ कर देशभर में उनके मूल्य एक समान हैं। यही सिद्धांत कमोवेश वाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम, 1977 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी लागू होता है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके संचलन में सुधार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि देश भर में वे उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक क्षेत्र, जनसंख्या व वस्तुओं को लाकर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके अनुसार देश भर में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुयें एक समान मूल्यों पर उपलब्ध की जायें।

आयात नीति का पुनरीक्षण

486. श्री जय नारायण : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में नई सरकार का देश की वर्तमान आयात नीति का पुनरीक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) तथा (ख) : आयात नीति प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के लिये घोषित की जाती है। अगले वर्ष अर्थात् अप्रैल 1980-मार्च 1981 के लिये आयात नीति तैयार की जा रही है। इस अवस्था में नई आयात नीति का विवरण देना संभव नहीं है।

भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद

487. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक का निश्चित परिणाम क्या रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद् के अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के नेता, श्री ओविल्ले एल० फ्रीमन ने उक्त बैठक में यह आशा व्यक्त की थी कि अब भारत को अमरीका से और अधिक पूंजीगत निवेश और प्रौद्योगिकी की सुविधा प्राप्त होगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस संयुक्त परिषद् के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने ऐसी ही आशा व्यक्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारत-अमेरिका संयुक्त व्यापार परिषद् का गठन यद्यपि भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग के आर्थिक और व्यापारिक उप-आयोग के अन्तर्गत किया गया है, तथापि यह पूर्णरूप से गैर-सरकारी स्तर पर कार्य करती है। इस परिषद में भारत-सरकार का न तो अपना कोई प्रतिनिधित्व होता है और न ही भारत सरकार इसके विचार विमर्श में भाग लेती है। इस संयुक्त व्यापार परिषद का उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार समुदायों के बीच परस्पर अधिक मेल-मिलाप और निकट सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाना है।

(ख) और (ग) : सरकार ने 14 तथा 15 फरवरी, 1980 को हुई संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति को देखा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण का भी जिक्र किया गया है। किन्तु इसमें ऐसी किन्हीं आशाओं का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है कि भविष्य में अमेरिका भारत में अधिक पूंजी लगाएगा। तो भी सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसे समाचार देखे हैं जिन से यह पता चलता है कि फरवरी, 1980 में हुई संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक की समाप्ति पर प्रेस सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि-मंडल के नेता ओविल्ले फ्रीमन ने ऐसी आशा प्रकट की थी।

(घ) देश में प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के आने के संबंध में सरकार की नीति बराबर चयनात्मक है। आत्म-निर्भरता पर यथा सम्भव अधिक से अधिक जोर देने की नीति के अनुरूप, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के आयात को केवल उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में ही बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमारे आन्तरिक साधनों और सामर्थ्य की अनुपूर्ति हो और इन्हें बढ़ावा मिल सके।

बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना

488. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर हवाई अड्डे के महत्व से अवगत है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार बंगलौर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर उसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) जी, हां। बंगलौर विमानक्षेत्र को एयरबस के परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 2.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है।

(ख) बंगलौर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पारादीप में पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना

489. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : इस्पात उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समग्र विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया कारखाना जिसकी अंततः क्षमता 30 लाख टन वार्षिक होगी, लगाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इस बारे में जिन सम्भाव्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें पारादीप भी एक है। नया इस्पात कारखाना लगाने के बारे में विदेशी पार्टियों के साथ बात-चीत की जा रही है जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की पेशकश की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाना

490. **श्री जेतुल बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) ने वित्त मंत्रालय से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों को उत्तर प्रदेश में ले जाये जाने हेतु अनुरोध किया था ; और

(ख) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 1974 में, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से अनुरोध किया था कि इलाहाबाद बैंक का प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया जाए। गव्हर्नर महोदय ने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि बैंक के प्रधान कार्यालय को स्थानांतरित करने के बजाए इलाहाबाद बैंक के लखनऊ स्थित संगठन को सुदृढ़ बनाया जाए तो यह कहीं अधिक प्रभावी और व्यवहारिक कदम होगा।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परंतु बैंक के लखनऊ स्थित कार्यालय को सुदृढ़ बना दिया गया है।

जब्त किया गया सोना

491. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1977-1978 और 1979 के दौरान कुल कितना सोना जब्त किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार कितना सोना नीलाम किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी निलामियों में केवल मई से अक्टूबर 1978 तक की अवधि में ही 12.956 टन सेना बेचा गया था । इससे पहले अथवा इसके बाद सरकारी स्टाक से सोने की कोई नीलामी नहीं की गयी ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

492. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1980-81 की उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित क्षेत्र को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) विकास की गति को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया जा रहा है ताकि वे उनके चालू वर्ष के परिव्यय में यथोचित वृद्धि कर के 1980-81 में सक्षम आयोजनाएं रख सकें ।

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की सही-सही मात्रा को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

तुमकुर जिले में देवराया दुर्गा पहाड़ी का विकास

493. श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि तुमकुर जिले के लोग देवराया दुर्गा पहाड़ी को पूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में तजी से विकसित करने के लिये अनुरोध कर रहे हैं ;

(ख) कार्य आरंभ न किय जाने के क्या कारण है जब कि कुछ धनराशि आबंटित की जा रही है ;

(ग) विकास किस प्रकार का होगा और इस सम्बन्ध में कार्य पूरा करने के लिये कितना समय निश्चित किया गया है; और

(घ) क्या इस मंत्रालय का विचार इस पर्यटन केन्द्र को बहुत से कार्यक्रमों सहित पर्वतीय भ्रमण-स्थल बनाने के लिये विशेषज्ञों की सलाहकार समिति बनाने का है क्योंकि यह स्थान दक्षिण भारत के सुन्दर स्थलों में से एक है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरॉव) । (क) और (घ) : चूंकि देवराया दुर्गा पहाड़ी स्थानीय महत्व का स्थान है, इसके विकास का कार्य राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अत: इस स्थान को पर्वतीय विहार-स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक सलाहकार समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक की पांच वर्ष की जमा राशियों पर ब्याज की दरें

494. श्री के० माल्लन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंक की पांच वर्ष की जमा राशियों की ब्याज दर बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सात वर्षीय कृषक बडों की ब्याज दर केवल 7.5 प्रतिशत है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बैंक की जमाओं पर ब्याज की दर, 13 सितम्बर, 1979 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई थी ।

(ख) तथा (ग) : सम्भवत: यह उल्लेख 7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडो के संदर्भ में है जिन पर कि ब्याज की दर 7-1/2 प्रतिशत वार्षिक है। यह उन व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करती है जोकि 28 फरवरी, 1979 के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर से छूट पाने की रियायत प्राप्त करने के इच्छुक हों। इस योजना के अन्तर्गत, ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्तियों की शुद्ध आय का निवेश, उनके अन्तरण पर करदाता द्वारा किये जाने वाले खर्च को घटाकर, 6 महीने की अवधि के भीतर उक्त बांडो पर किया जा सकताहै।

ये बांड, आवेदन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं तथा दी जाने वाली राशि 10 रुपये के गुणकों में होनी चाहिये। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(ठ) तथा धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अनुसार, इन बांडो पर ब्याज तथा निवेश पर कर से छूट मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों पर किये जाने वाले निवेश के लिए उपलब्ध रियायत को देखते हुए इन पर लगने वाले ब्याज की दर को अन्य बैंक जमाओं पर मिलने वाले ब्याज की दर से, पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ में कमी

495. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) महोदय, सरकारी उद्यमों के वार्षिक लेखें सामान्यत: वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। अत: 1979-80 वर्ष के लेखे अभी तैयार नहीं हैं। किन्तु सरकार को, 31 मार्च, 1979 को समाप्त वित्तीय वर्ष के यथोपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि उस वर्ष के दौरान निर्माणाधीन उद्यमों सहित मौजूदा कुल 176 में से 150 चालू उद्यमों ने 193.45 करोड़ रुपए का कर-पूर्व निवल लाभ कमाया, जबकि पिछले वर्ष 159.64 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया था।

(ख) और (ग) : पिछले वर्ष, अर्थात् 1977-78 की तुलना में 1978-79 वर्ष के दौरान सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। कुछ कठिनाइयों जैसे, बिजली की कमी, अपर्याप्त सामग्री, संतोलक उपस्कर की कमी, श्रमिक अशान्ति के कारण अधिक तीव्र गति से सुधार नहीं हो सका। सरकारी उद्यमों की लाभकारिता बढ़ाने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न सदुपाय किए है और किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं— क्षमता का बेहतर उपयोग करना, प्रचालन के विभिन्न चरणों में गतिरोध दूर करना, मौजूदा उपस्कर के बेहतर उपयोग के लिए सन्तोलक सुविधाओं की व्यवस्था करना, कुछ चुने हुए उद्यमों में ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली घरों की व्यवस्था करना, बेहतर उत्पादन योजना और नियंत्रण तकनीकें, प्रोत्साहन योजनाएं चालू करना, बजट लक्ष्यों की तुलना में कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना और मालसूची नियन्त्रण की समुन्नत पद्धतियां अपनाया आदि।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को हुई हानि

496. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ने अब कुल कितनी हानि उठाई है और उसके कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : भारत एल्यूमिनियम कंपनी को 31-3-79 तक, मूल्यह्रास और ऋण-पूंजी पर ब्याज के लिए क्रमश: 27.80 करोड़ और 20-49 करोड़ रुपये के प्रावधान के बाद, 28 करोड़ रुपए की हानि हुई। यह हानि मुख्यत: बिजली की कम पूर्ति के फलस्वरूप कम क्षमता-उपयोग के कारण हुई। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) एल्यूमिना संयंत्र में उत्पादन अप्रैल, 1973 में आरंभ हुआ जबकि प्रद्रावक की प्रथम पाटलाइन मई, 1975 में चालू हुई। उत्पादित एल्यूमिना, जिसका निर्यात भी सीमित मात्रा में किया जा सकता था, की निकासी के अभाव में एल्यूमिना संयंत्र को कम क्षमता पर चलाया गया।

(2) प्रद्रावक के चारों चरणों (पाटलाइनों) में से, प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 25,000 टन और जो मई, 75 से सितंबर, 1978 के दौरान क्रमशः बन कर परिचालन के लिए तैयार हुए थे, दो चरण मध्य प्रदेश विजली बोर्ड से बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़े हैं। शेष दो चरणों में से एक चरण को, तैयार हो जाने के बाद 18 महीनों से अधिक समय तक बिजली नहीं मिली। अभी भी इन दोनों चरणों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है। इस समय इन दोनों चरणों में 30% क्षमता से ही उत्पादन हो रहा है।

(3) उपर्युक्त के अलावा, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त बिजली सप्लाई बार-बार की रुकावटों और घट-बढ़ के कारण इतनी अनिश्चित हो गई है कि उत्पादित धातु में प्रति टन बिजली खपत काफी बढ़ गई है और जिससे प्रद्रावक सैलों में खराबी आ गई है जिनकी पूंजीगत मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

497. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**

श्री तारिक अनवर :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 के दौरान वर्ष 1978-79 की तुलना में, रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में किस सीमा तक कमी हुई और इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1979 के दौरान लगभग 350 करोड़ रु० मूल्य के रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात होने का अनुमान है जब कि अप्रैल-दिसम्बर, 1978 के दौरान लगभग 547 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। हीरों के निर्यात में कमी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तीव्र मंदी की स्थिति पैदा होने और प्रमुख खरीदार देशों में चल रही ऊंची बैंक दरों के कारण आई। तथापि आशा है कि 1979-80 के दौरान रत्नों तथा आभूषणों के कुल निर्यात 550 करोड़ रु० मूल्य के हो सकते ह।

(ग) भारतीय हीरा उद्योग, जो पूर्णतः विदेशी बाजारों पर निर्भर है, हीरों के व्यापार में विश्वव्यापी मंदी से अछूत नहीं रह सकता। यद्यपि किसी एक देश को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की इस प्रकार की स्थिति पर विजय पाना कठिन है, किन्तु रत्न तथा आभूषणों के हमारे निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रत्न तथा आभूषण सम्बन्धी कार्यदल ने अभी हाल में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें उद्योग के भावी विकास के लिये अनेक उपयोगी सुझाव तथा सिफारिशें की गई हैं और इस रिपोर्ट पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

नागरिकों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न किया जाना

498. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने का उत्तरदायित्व लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नागरिकों को सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से केवल गेहूँ और चीनी सप्लाई की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दुकानों के माध्यमों से सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया है।

(ख) जी नहीं, इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाज, चीनी, खाद्य तेलों, साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़े की आपूर्ति की जा रही है। इनके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए कुछ अन्य चुनी विनिर्मित वस्तुएं जैसे चाय, काफी, विद्यार्थियों के लिए कापियां, नहाने का साबुन और दियासलाइयां भी शामिल की गयी हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिये शामिल की जाने वाली वस्तुओं के बारे में राज्य सरकारों और विभिन्न केन्द्रिय मंत्रालय के परामर्श से निरंतर पुनरीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारें भी किसी ऐसी आवश्यक वस्तु को इसमें शामिल करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी अधिप्राप्ति की व्यवस्था वे स्थानीय रूप में कर सकती हों।

सहायक निदेशकों को विदेशों में तैनात करना

499. **श्री आर० पी० यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग के अनेक अधिकारी नियोजित रूप से विदेशों में तैनात किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी तैनाती का आधार क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में तैनात किए जाने वाले सहायक निदेशकों का एक पैनल पिछले वर्ष तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पैनल में सम्मिलित उम्मीदवारों को तत्काल तैनात करने में क्या कठिनाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) चयन के लिए अभी तक जो मानदंड अपनाया जाता रहा है, वह वरिष्ठता और गुण पर आधारित है; जिन अधिकारियों को विदेशों में पहले कभी तैनात नहीं किया गया उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में अब तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। तथापि, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बुरहानपुर को पर्यटक केन्द्र घोषित करना

500. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केन्द्र बुरहानपुर को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि स्वदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास का दायित्व प्रधान रूप से राज्य सरकार का ही है, अतः बुरहानपुर का विकास राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

काले धन के प्रसार में वृद्धि

501. **श्री चित्ता महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही के वर्षों में काले-धन के प्रसार में कई गुना वृद्धि हुई है जिसके कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : सरकार सामान्य तौर पर इस बात को जानती है कि पिछले कुछ वर्षों में काले धन का प्रचलन बढ़ गया है। तथापि, मुद्रास्फीति अनेक कारणों से होती है, जिनमें से काला धन भी एक कारण है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं। सरकार, कर कानूनों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से लागू करके काले धन की इस समस्या से भी निपटना चाहती है।

दार्जिलिंग में चाय के पौधे

502. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग में चाय के पौदे 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं ; और

(ख) सरकार ने पुराने बागान मालिकों को चाय के पौधे दुबारा लगाने के लिये बाध्य करने के बारे में यदि कोई उपाय किये हैं, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दार्जिलिंग में अधिकांश चाय की झाड़ियां 50 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

(ख) यद्यपि किसी भी चाय बागान को पुरानी झाड़ियां उखाड़ने और पुनर्रोपण का कार्य हाथ में लेने के लिये मजबूर करना सम्भव नहीं है तथापि इस प्रकार की झाड़ियों के पुनर्रोपण के लिये चाय बागानों को प्रोत्साहित करने के विचार से पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 रु० प्रति हैक्टार की ऊंची दर से उन्हें उपदान दिया जाता है। उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने पर यह देखा गया कि 50 वर्ष से अधिक की सभी झाड़ियों को उखाड़ना तथा उनका पुनर्रोपण करना आवश्यक नहीं है और कुछ मामलों में ऐसे क्षेत्रों का कायाकल्प करना अधिक बेहतर रहेगा। इस लिये चाय क्षेत्र कायाकल्प तथा समेकन उपदान योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चाय बागानों को बिना अन्त:रोपण 3,000 रु० प्रति हैक्टार का उपदान और अन्त:रोपण सहित 4,000 रु० प्रति हैक्टार का उपदान देय है।

बिहार के राजगृह पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर तोड़ने पर रोक

503. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में राजगृह पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर-खनन पर लगाई गई रोक के कारण पत्थर-खनन पर कार्यरत कई हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त श्रमिकों को काम सुनिश्चित कराने के लिए उपरोक्त प्रतिबंध को समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) : बिहार विधान परिषद् की एक विशेष समिति के आदेश के अनुसरण में नालन्दा जिले के राजगृह पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर-खनन पर लगाई गई रोक के कारण वहां पत्थर-खनन में लगे लगभग 500 श्रमिक 29-11-78 से बेरोजगार हो गए हैं। विशेष समिति का गठन विधान परिषद् में उठाए गए इस मामले की जांच करने के लिए 1-8-1978 को हुआ था कि राजगृह पहाड़ियों में विद्यमान धार्मिक और पुरातत्व महत्व की चट्टानों में से पत्थर की रोड़ियां बनाई जा रही थीं। उपर्युक्त समिति के निर्देश पर बिहार सरकार ने समिति द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक, जिसकी प्रतीक्षा है, पत्थर की रोड़ियां बनाने से संबंधित खनन कार्य को बन्द करने के अनुदेश जारी किए हैं।

अमृतसर-लन्दन विमान सेवा आरम्भ किया जाना

504. **श्री लक्ष्मण सिंह तुर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इण्डिया द्वारा उस नीति के अनुसरण में, जिसके अन्तर्गत एयर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम, मद्रास, कलकत्ता आदि से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ की गई हैं ; अमृतसर-लन्दन उड़ान कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : एयर इंडिया ने अमृतसर तथा लंदन के बीच सप्ताह में दो सेवाएं परिचालित करने की संभावना की 1979 में जांच की थी। परंतु, यह पाया गया कि अमृतसर विमानक्षेत्र बोइंग 707/747 परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं था।

विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल

505. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में विदेशों को कितने प्रतिनिधि-मंडल और शिष्टमंडल भेज थे, इनमें शामिल व्यक्तियों (गैर सरकारी और सरकारी) के नाम क्या है, इन शिष्टमंडलों तथा प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य क्या था, उस पर भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा के रूप में (अलग अलग) कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) इन शिष्टमंडलों ने विदेशों में कितना समय बिताया और इन दौरों से क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत के निर्यात में प्रतिकूल प्रवृत्ति

506. **श्री तारिक अनवर :**

श्री एन के० शेजवलकर :

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में भारत के निर्यात की प्रवृत्ति प्रतिकूल रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किन क्षेत्रों में भारत के निर्यात की प्रवृत्ति प्रतिकूल रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार न केवल रुकावटों को दूर करने और भारतीय निर्यात को बढाने अपितु एशिया और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों में नए बाजार ढूंढने के लिए क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : निर्यातों के मूल्य में वृद्धि की वार्षिक दर 1977-78 में 5.1 प्रतिशत तथा 1978-79 में 5.9 प्रतिशत रही । वृद्धि की यह दर 1972-73 से 1976-77 तक की विगत पांच वर्षों की अवधि में प्राप्त 25 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि दर की तुलना में काफी कम थी । 1977-78 के दौरान चीनी तथा चीनी से बनी वस्तुओं, लोहे तथा इस्पात, खली, चांदी, तिलहन, सूती वस्त्र, चमड़े से बनी वस्तुओं और सीमेंट के निर्यात कम हो गए । 1978-79 में जिन प्रमुख निर्यातों में कमी आई वे थे : वनस्पति तेल तथा तिलहन, लौह अयस्क, रबड़ से बनी वस्तुएं, टैक्सटाइल फैब्रिक्स, चाय तथा काफी, फल, सब्जियां तथा दालें, काजू-गिरी, पटसन से बनी वस्तुएं तथा लोहा और इस्पात । इस अवधि के दौरान निर्यातों में प्रतिकूल प्रवृत्ति का मुख्य कारण था घरेलू उत्पादन की अपर्याप्तता तथा अन्य घरेलू बाधाएं और अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन । कुछ मामलों में सरकार की नीति उत्पादन में गिरावट को देखते हुए निर्यातों को जानबूझ कर निरुत्साहित करने की रही ।

(ग) बिजली की कमी, परिवहन की कठिनाइयों, पत्तनों पर भीड़-भाड़ जैसी निर्यात उत्पादन संबंधी मौजूदा बाधाओं को दूर करने और निर्यात योग्य वस्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से अन्य अन्तर्निविष्टों की सप्लाई करने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करने की कोशिश कर रही है । विदेशों में बाजार संबंधी अपनी जानकारी में सुधार लाने और विदेशों, विशेषत: सभी निर्यातक व विकासशील देशों में बाजारों में और अधिक प्रवेश पाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

उपहार के लिये किट्स और प्रचार एल्बम

507. **डॉ० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने वर्ष 1978-79 के दौरान पर्यटन के क्षेत्रीय निदेशक को उपहार के 2,000 किट्स और प्रचार एल्बमों को तैयार करने के लिये स्विस फ्रांस में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि दी है ;

(ख) क्या किट्स और एल्बमों को तैयार करने के इस आदेश को जनेवा की एक विज्ञापन एजेंसी को दिया गया था ;

(ग) क्या इस विज्ञापन एजेन्सी और इसकी लन्दन स्थित कम्पनी ने व्यापार कार्य बन्द कर लिया है और इनका पता नहीं लग रहा है ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की छानबीन कर ली है और इस भारी हानि के लिए उत्तरदायित्व निश्चित कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वाले और निर्धारित नीति को न अपनाने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, जनेवा, ने जो "आपरेशन यूरोप" नामक प्रबंध-व्यवस्था के अधीन एयर इंडिया के सहयोग से कार्य कर रहा है, वर्ष 1978-79 के लिए अपने प्रचार संवर्धनात्मक अभियान के एक अंग के रूप में अपनी विज्ञापन एजेन्सी, मैसर्स नाइट कीले आफ जनेवा, को कुछ कार्य सौंपे थे जिनमें मीडिया विज्ञापन, एक अनुसंधान परियोजना और सेल्ज किट का उत्पादन शामिल थे । वर्ष के दौरान इस एजेन्सी को समय-समय पर कुल एस० एफ० 681,000 (लगभग 35 लाख रुपये) की अग्रिम धन-राशियां दी गई थी ताकि यह एजेन्सी इस कार्य को पूरा कर सके । एजेन्सी ने लगभग एस० एफ० 256,500 (लगभग 13 लाख रुपये) के कार्य को पूरा कर लिया बताया जाता है । शेष कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) जनेवा स्थित विज्ञापन एजेन्सी ने लन्दन स्थित कम्पनी से 1974-75 के दौरान अपने संबंध तोड़ लिए बताये जाते हैं । यह भी पता चला है कि इस विज्ञापन एजेन्सी ने जनेवा में अपना व्यवसाय बन्द कर दिया है और कहा जाता है कि श्री जिम वाकील जो इस एजेन्सी का एक-मात्र प्रोप्राइटर है, लन्दन में है ।

(घ) और (ङ) : उत्तरदायित्व नियत करने और यथा-आवश्यक कार्रवाई करने की दृष्टि से सरकार ने मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों पर विचार करने के लिये पैनल नियुक्त किया जाना

508. **श्री फारुक अब्दुला** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य मे वृद्धि होने के कारणों पर विचार करने और उसे रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक पैनल नियुक्त किया है ;

(ख) क्या इसके बावजूद मूल्यों मे वृद्धि हो रही है और आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी होने के भी समाचार मिले है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मूल्य वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति को कब तक रोक सकेंगी ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

देश में खाद्य तेलों का बिक्री मूल्य

509. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेलों के मूल्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए यह लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत कठिनाई होगी ;

(ख) देश में खाद्य तेल की अलग-अलग किस्मों का बिक्री मूल्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम सस्ता आयातित पामोलीन और आर० बी० डी० पाम तेल उपभोक्ताओं के लिए जारी नहीं कर रहा है जिन्हे अधिक मूल्य वाले देशी तेल पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(घ) क्या सरकार ने तेल का विशाल भंडार एकत्रित करने और दोहरी मूल्य पद्धति लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) व (ग) : कुछ किस्मों के खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि का रुख आया है ; कुछ चुने केन्द्रों पर 29-2-1980 को प्रमुख खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य अनुबंध में दिये गये है । तथापि, सरकार ने उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए है । राज्य सरकारों को लाइसेंस शुदा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से

उपभोक्ताओं को बेचने के लिए पामोलीन और आर० बी० डी० ताड़ के तेल सहित आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबल तथा फिर से सक्रिय बनाए । इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम भी कुछ चुने केन्द्रों में समय-समय पर खाद्य तेलों के वाणिज्यिक विक्रय के जरिए मंडियों में प्रवेश करता रहा है, ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके । वनस्पति उद्योग को इस बात की अनुमति की गई है कि वह वनस्पति के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की 95%तक मात्रा का उपयोग, राज्य व्यापार निगम से आयातित तेल खरीद कर कर सकता है, ताकि देशीय तेलों की मांग पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और सीधी खपत के लिए इनकी अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेश के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने और जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि में लिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के तहत कारवाई करने के लिए भी कहा गया है ।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने वाले तेलों के परिमाण में वह मात्रा भी शामिल होती है जो सुरक्षित भण्डार के रूप में रखी जानी होती है, जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं को इनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके । इस समय खाद्य तेलों के लिए दोहरी मूल्य-प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

29–2–80 को चुने केन्द्रों में खाद्यतेलों के खुदरा मूल्य (रु० प्रति किलोग्राम)

केन्द्र	मूंगफली का तेल	जिंजली का तेल	सरसों का तेल	नारियल का तेल	वनस्पति
हैदराबाद .	10.80	12.80	15.00	16.60	12.20
अहमदाबाद .	10.10	12.00	13.50	17.00	12.20
बंगलौर .	10.60	13.00	13.50	16.00	13.00
भोपाल .	10.50	अप्राप्य	12.00	17.00	12.50
बम्बई .	10.40	12.50	13.00	18.00	12.00
मद्रास .	10.20	13.00	15.00	17.00	13.00
कानपुर .	10.50	16.50	12.80	17.00	13.00
कलकत्ता .	18.00	15.00	14.00	22.00	14.00
दिल्ली .	11.50	12.00	12.00	17.50	11.55

नाइजीरिया में सोवियत रूस के सहयोग के साथ इस्पात संयंत्र की स्थापना करना

510. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत रूस द्वारा नाइजीरिया में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहयोग किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) : नाइजीरिया में अजकटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में सरकारी क्षेत्र के भारतीय संगठनों के लिए कुछ काम प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत और सोवियत रूस के बीच बात-चीत चल रही है ।

चीनी के निर्यात का स्थगन

511. **श्री नारायण चौबे** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू बाजारों में चीनी की कमी दूर करने के लिए इस वर्ष चीनी का निर्यात रोक देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख): अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत पहले ही जो वचनबद्धताएं की जा चुकी हैं, केवल उस सीमा तक ही चीनी का निर्यात किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम से, जिसकी मार्फत चीनी का निर्यात मार्गीकृत है, कहा गया है कि वह निर्यात के लिए खुले बाजार से चीनी की कोई खरीद न करे ।

इस्पात के लिए नई वितरण नीति

512. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात के वितरण के लिए नई नीति पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख): इस समय इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । फिर भी, ऐसी श्रेणियों के बारे में जिनकी सप्लाई कम है, वितरण नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है परिवर्तन किये जाते हैं । इन श्रेणियों के बारे में वर्ष 1980-81 के लिए नीति पर इस समय विचार किया जा रहा है । आशा है संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में फूलपूर हवाई अड्डे का विकास

513. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फूलपुर हवाई अड्डे का विकास करने और वहां से विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कालाबाजारियों और जमाखोरों से निपटने के लिए निवारक निरोध अधिनियम को लागू न करने का निर्णय

514. श्रीमती कृष्णा साही : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने संघ सरकार के इस निदेश का पालन करने से इन्कार कर दिया है कि काला बाजार से निपटने के लिए और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने के लिए निवारक कानून बनाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने संघ सरकार के निदेशों का पालन करने से इन्कार किया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर और विश्वासवार्या आयरन एण्ड स्टील प्लांट भद्रपाटी द्वारा निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उधार सुविधाओं का दिया जाना

515. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर और विश्वासवार्या आयरन एण्ड स्टील प्लांट भद्रपाटी द्वारा निजी क्षेत्र के अपने उपभोक्ताओं को उधार सुविधायें दी जा रही हैं ;

(ख) क्या विक्रय सम्बन्धी समस्याओं के कारण उपरोक्त इस्पात संयंत्रों को ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो फिर एलाय स्टील के लिए उदार आयात की अनुमति क्यों दी जा रही है ;

(ग) क्या उपरोक्त सुविधाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रव्यापी ऋण न देने सम्बन्धी नीति के उल्लंघन में दी जा रही है ; और

(घ) ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें एक लाख रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है और 1 जनवरी, 1980 को उन पर कितनी राशि बकाया रह गई थी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) उधार सुविधाएं वाणिज्यिक आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-अवगुण पर विचार करके दी जा रही हैं। आयात नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जबकि अत्यधिक आयात के कारण मिश्र-इस्पात के देशीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वास्तविक औद्योगिक उपयोक्ताओं को भी मिश्र-इस्पात जैसी आधार-भूत कच्ची सामग्री के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(ग) जी, नहीं। मिश्र इस्पात संयंत्रों द्वारा उधार पर सामग्री की बिक्री करने का अर्थ रिजर्व बैंक की नीति का उल्लंघन नहीं है।

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कारखाने का नाम	उस पार्टी का नाम जिसे एक लाख से अधिक का उधार दिया गया है	1-1-1980 को बकाया राशि (लाख रुपए)
1. मिश्र-इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	मेसर्स भारत फोर्ज कम्पनी लि०, पुणे	96.00
2. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि०, भद्रावती	पंजाब यूनाइटेड फोर्ज, चण्डीगढ़	18.53
	विष्णु फोर्ज (मैसूर), बंगलौर	9.71
	भारत फोर्ज कम्पनी लि०, पुणे	176.35

मूल्य स्थिति पर निगरानी रखने के लिए उच्चस्तरीय समिति की स्थापना

516. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य स्थिति पर निगरानी रखने के लिए हाल में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या है तथा इसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) समिति ने इस बारे में कार्यवाही करने के लिए पहिले ही क्या सुझाव दिए थे ; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख), (ग) और (घ) : प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यों के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है और इसके कार्यों में, देश के अंदर सामान्य कीमत स्थिति पर नियंत्रण रखने का कार्य भी शामिल है। जाहिर है कि माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना

517. श्री झारखंडे राय :

श्री छोटूभाई गामित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में ग्रामीण ऋणों के लिये संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिये गठित की गई समिति को अंतरिम रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने सिद्धांततः यह मान लिया है कि एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। यह समिति अब इसका ब्यौरा तैयार कर रही है।

तामिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

518. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से विधान सभा के विघटन से पहले तमिलनाडु के अराजपत्रित कर्मचारियों तथा कृषकों की समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई वित्तीय सहायता के मुख्य मुद्दे क्या हैं, वह किस प्रकार की है और कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में, धान की वसूली कीमत में वृद्धि, तकावी ऋणों और सहकारी समितियों से ऋणों के संबंध में ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की वापस अदायगी में राहत की मंजूरी तथा बिजली शुल्क में आगे और कमी करने से संबंधी कृषकों की मांगों का उल्लेख किया गया था। ज्ञापन में राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंजूर की गई रियायतों के विवरणों का भी उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार ने, तकावी और सहकारी ऋणों के संबंध में कृषकों की राहत मंजूर करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की थी।

(ग) ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों की संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पृथक पर्यटन नीति

519. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई पृथक पर्यटन नीति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अलग से कोई नीति नहीं बनाई है। तथापि, योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास का अध्ययन करने के लिए 1971 में एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। इस कार्यकारी दल ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था।

कार्यकारी दल ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 6 पर्यटक कम्पलैक्सों के विकास की सिफारिश की थी, अर्थात् नैनीताल कम्पलैक्स, कौसानी कम्पलैक्स, मसूरी कम्पलैक्स, बद्रीनाथ-केदारनाथ कम्पलैक्स, पौड़ी-गढ़वाल कम्पलैक्स, और गंगोत्री-यमुनोत्री कम्पलैक्स। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार ने अपनी पंच वर्षीय योजना 1978-83 में 525 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम कार्यकारी एजेंसियां होंगी।

गोहाटी शाखा के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा व्यापारियों का पंजीकरण

520. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने गोहाटी स्थित विक्रय कार्यालय शाखा में मेघालय राज्य के किसी व्यापारी को पंजीकृत किया है ;

(ख) क्या किसी पार्टी अथवा एजेन्सी ने इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या, आवेदन पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) और (ख) : श्रीमन् जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

521. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक माह के दौरान मूल्य सूचकांक में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं। थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71 = 100), जो 2-2-1980 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए 225.2 था, बढ़ कर 1-3-1980 को समाप्त सप्ताह के लिए 231.4 हो गया, अर्थात उस में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विशेष योजना बनाने का विचार नहीं किया है। इस समय बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो और कृषि मूल्य आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। शिफारिशें करते समय ये निकाय अर्थ व्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं और साथ ही उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का भी समुचित ध्यान रखते हैं। कृषि मूल्य आयोग को विचारार्थ सौंपे गए विषयों के अन्तर्गत उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह कृषि और कृषि भिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार सम्बन्धी निबन्धन में होने वाले परिवर्तनों का भी ध्यान रखें।

उड़ीसा में व्यापक एल्यूमिनियम समूह का विकास

522. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बाक्साइट भंडारों के उपयोग के लिए विशाल एल्यूमिनियम उद्योग समूह के विकास के लिए भारत सरकार और फ्रान्स सरकार द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : उड़ीसा में एल्यूमीना/एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स की स्थापना हेतु भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 28-1-1980 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ज्ञापन की मुख्य मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) फ्रांस सरकार भारत सरकार के साथ व्यापक वित्तीय व्यवस्था हेतु एक मुश्त सौदा करने का भरसक प्रयत्न करेगी। इस सौदे में परियोजनाओं हेतु देश से बाहर की जाने वाली खरीद-फरोक्त और अवस्थापना सुविधाओं सहित स्थानीय लागतें शामिल होंगी। सौदे में अधिमान्य शर्तों पर सरकारी ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण भी शामिल होंगे।

(2) इसके साथ-साथ भारत एल्यूमिनियम कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग की शर्तों के बारे में फ्रान्स की एल्यूमिनियम पैचीनी कम्पनी से बातचीत करेगी।

बैंक ऋण पर लगाई गई कटौती को बहाल करना

523. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उद्योग और व्यापार के सामने आये गम्भीर वित्तीय संकट को देखते हुए गत अगस्त में बैंक ऋण पर लगाई गई 20 प्रतिशत की कटौती को बहाल करे और कम से कम छः महिनों तक कम्पनी की जमा राशियों पर नये विनियमों को लागू करना स्थगित करें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) अतीत में की गयी औसत निकासियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक यह महसूस करता है कि नकद ऋणों और बिलों के लिए निर्धारित की गई सीमाएं सामान्यतः पर्याप्त है। इसके साथ ही साथ, रिजर्व बैंक ने बढ़े हुए उत्पादन और/अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाली उचित अतिरिक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक लचीलेपन का भी प्रावधान रखा है।

फेडरेशन के दूसरे सुझाव पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पोर्ट ब्लेयर तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को दैनिक विमान-सेवा

524. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पोर्ट ब्लेयर तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए दैनिक विमान-सेवा की मांग बढ़ गई है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली से भुवनेश्वर तक सीधी विमान सेवा शुरू करने की योजना बना रही है; यदि हां तो यह सेवा दैनिक होगी अथवा सप्ताह में दो बार या साप्ताहिक होगी तथा बोइंग विमान चलेंगे या कोई अन्य विमान चलेंगे ; और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली से भुवनेश्वर पोर्ट ब्लेयर और पुनः दिल्ली के लिए बोइंग सेवा शुरू करने के सुझाव पर विचार करेगी जिससे दिल्ली के साथ भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर का निकट सम्पर्क हो सकेगा, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां। विमान बेड़े का विस्तार होने पर, इण्डियन एयर लाइन्स की अपनी 1980-81 की शीतकालीन समयावली में मद्रास/पोर्ट ब्लेयर/मद्रास सेक्टर पर अपनी विमान सेवाओं की संख्या को सप्ताह में इस समय की दो बार से बढ़ाकर तीन बार करने की योजनाएं हैं तथा तीसरी सेवा का परिचालन बोइंग-737 विमान से किया जाएगा।

(ख) भुवनेश्वर/वाराणसी/दिल्ली सेक्टर पर 1 फरवरी, 1980 से एफ-27 की सप्ताह में तीन सेवाएं परिचालित की जा रही हैं।

(ग) दिल्ली/भुवनेश्वर/पोर्ट ब्लेयर मार्ग पर बोइंग सेवा के परिचालन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं है।

कलकत्ता के साल्ट लेक क्षेत्र में निर्बाध व्यापार क्षेत्र का बनाया जाना

525. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में साल्ट लेक क्षेत्र में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया था और क्या सरकार का विचार उस निर्णय पर कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) तथा (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के निकट एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने के सम्बन्ध में 1973 में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। केन्द्रीय सरकार ने मई-जून, 1976 में एक सामान्य निर्णय लिया था कि देश में और आगे किसी निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना न की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार को इस निर्णय को सूचना जून 1976 में दे दी गई थी। मई-जून 1976 में लिए गए उस सामान्य निर्णय कि आगे कोई निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित न किए जाएं, के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है और इस लिए फिलहाल, साल्ट लेक क्षेत्र में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्याज का निर्यात

526. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान प्याज का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार गत पांच वर्षों के अनुभव को देखते हुए प्याज के निर्यात के बारे में समान नीति बनाने और निर्यात का कोटा निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी विशेष वर्ष में प्याज के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) 13.65 करोड़ रुपये मूल्य का 95,541 मे टन प्याज का कुल निर्यात किया गया ।

(ख) समान निर्यात नीति उन कृषि गत मदों के सम्बन्ध में तैयार की जा सकती है जिन में उत्पादन उनकी घरेलू खपत के स्तर से ऊंचे स्तर पर स्थिर हो। प्याज का उत्पादन विगत में हर वर्ष घटता-बढ़ता रहा है इसलिए प्याज जैसी आवश्यक वस्तु के लिए हर वर्ष निर्यात नीति की समीक्षा करनी पड़ती है और फसल के आकार तथा घरेलू कीमतों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है ।

(ग) प्याज का निर्यात नाफेड की मार्फत मार्गीकृत है और उन्हें किसी खास वर्ष है निर्यात की जाने वाली प्याज की मात्रा के बारे में सलाह दी जाती है। चूंकि प्याज का निर्यात मार्गीकृत है इसलिए कोटे की सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

रिट्ज कांटीनेन्टल होटल, कलकत्ता के प्रबंध को सरकारी नियंत्रण में लेना

527. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम को रिट्ज कांटीनेन्टल होटल, कलकत्ता के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के लिए प्रस्ताव मिला है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय (पर्यटन विकास निगम) का प्रस्ताव इस मामले पर विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क), (ख) और (ग) : जी, हां। भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कलकत्ता में रिट्ज कांटीनेन्टल होटल के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। चूंकि होटल संचित हानियां उठा रहा है, सांविधिक तथा अन्य बकाया देयताओं और ऋणों पर ब्याज की भारी बकाया राशि भी उसे अदा करनी है, अतः वित्तीय सहायता सहित उसके पुनः स्थापन की एक ठोस स्कीम तैयार की जानी है और होटल कम्पनी इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ अभिकरण से सलाह ले रही है।

ब्रांड नाम वाली बीड़ी पर उत्पादन शुल्क

528. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रांड नाम वाली बिड़ी पर रुपये 3.60 पैसे प्रति हजार बीड़ी की दर से उत्पादन शुल्क का उद्योग पर विपरित प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार को बीड़ी उद्योग से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस वर्ष के बजट में इस मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) : सरकार को कई लोगों से ऐसी अनेक दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के वर्तमान भार में राहत देने के लिए कहा गया है। इन दरख्वास्तों में सामान्यतः निम्नमलिखित मांगे की गई है :—

(i) बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क-भार को कम किया जाना चाहिए ।

(ii) बीड़ियों को उत्पादन शुल्क की लेवी से छूट दी जानी चाहिए और इसके स्थान पर बीड़ी तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क पुनः लगाया जाना चाहिए ।

(iii) उत्पादन शुल्क लगाने की दृष्टि से ब्राण्डयुक्त और बिना ब्राण्ड वाली बीड़ियों में भेद की स्थिति समाप्त की जानी चाहिए और सभी प्रकार की बीड़ियों पर, चाहे वे ब्रांडयुक्त हों अथवा ब्रांड के बिना, समान दर से उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में 60 लाख बीड़ियों तक की तादाद पर उत्पादन शुल्क से वर्तमान में जो छूट, बिना ब्राण्ड वाली बीड़ियों के निर्माताओं को मिली हुई है, वह वापस ले ली जानी चाहिए।

(iv) बीड़ियों और अपेक्षाकृत सस्ती सिगरेटों के बीच उत्पादन शुल्क के अन्तर को बढ़ाकर अधिक से अधिक कर दिया जाना चाहिए, जिससे बीड़ियों को सस्ती सिगरेटों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके।

सरकार ने इन दरख्वास्तों पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। फिलहाल, सरकार यह नहीं बता सकती कि वह अगले बजट में इस सम्बन्ध में कोई फैसला करने का विचार रखती है अथवा नहीं।

अखिल भारतीय डाक तथा तार तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन

529. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अखिल भारतीय डाक तथा तार तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी पेन्शनर्स, एसोसिएशन थाना शाखा, (महाराष्ट्र) से पेंशन के बारे में दिनांक 7 जून, 1979 का अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सही-सही मांग की गई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन ने मांग की थी कि विद्यमान पेंशनभोगियों को भी पेंशन वेतन के 50% की दर पर तथा महंगाई भत्ता मिला कर मंजूर की जाए जैसा कि 31 मार्च, 1979 को अथवा उस के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में किया गया है।

(ग) सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में नये आदेशों की पूर्व प्रभाव न दिए जाने का सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। एसोसिएशन को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

इण्डिया मेट्रोलोजिकल वर्कशाप यूनियन पूना की मांगें

530. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डिया मैट्रोलोजिकल वर्कशाप यूनियन, पूना की ओर से अप्रैल, 1979 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी मांगें पेश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यूनियन द्वारा अपने पत्र में उठाए गए मुद्दों तथा उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

क्रम सं०	यूनियन द्वारा उठाया गया मुद्दा	वर्तमान स्थिति
1.	वर्गीकरण समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाये।	भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा नागर विमानन विभाग के वर्कशॉप के कर्मचारियों से सम्बन्धित सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ कार्यवाही की गई। मामला अब अन्तिम चरण में पहुंच गया है और बहुत शीघ्र आदेश जारी किए जाने की आशा है।

क्रम सं०	यूनियन द्वारा उठाया गया मुद्दा	वर्तमान स्थिति
2.	भारत मौसम विज्ञान विभाग की वर्कशॉप को उद्योगों तथा निर्माणकर्ता यूनिटों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि वर्कशॉप कर्मचारी बोनस के लिए पात्र हो सकें।	वर्कशॉप वस्तुतः भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए अपेक्षित मौसम उपकरणों का निर्माण करने के लिए ही है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं। वर्कशॉप को एक औद्योगिक तथा निर्माण-कर्ता यूनिट घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कर्मचारियों को बोनस स्वीकृत करने के प्रश्न पर उक्त विषय पर सरकार की व्यापक नीति के सन्दर्भ में विचार किया जा सकता है।
3.	वर्कशॉप के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी इस समय 15—20 वर्षों की तुलना में 7—8 वर्षों के अन्दर-अन्दर पदोन्नति पा सकें।	वर्कशॉप के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने की दृष्टि से, विभिन्न ग्रेडों में सिलेक्शन ग्रेड के पदों का सृजन करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
4.	वर्कशॉप में कार्य कर रहे व्यावसायिक सहायकों (फोरमैनों) की पदोन्नति का पृथक् कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा उनके वेतनमानों में वृद्धि की जाए क्योंकि वे फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत 8 घंटे तक कार्य करते हैं।	व्यावसायिक सहायकों (फोरमैनों) की सहायक मौसम विज्ञान विद् के पद पर पदोन्नति करने के लिए कोटा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।
5.	सभी कर्मचारी अनुपूरक नियमों तथा मूल नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित किए जाने चाहिए, विभिन्न प्रकार के नियमों द्वारा नहीं, जैसाकि इस समय हो रहा है।	छुट्टी के मामले को छोड़ कर सभी कर्मचारी एक समान नियमों के अन्तर्गत आते हैं। सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमों के दो भिन्न-भिन्न सैटों की व्यवस्था की है—एक 1961 से पूर्व के कर्मचारियों के लिए तथा दूसरा 1961 से बाद वाले कर्मचारियों के लिए। विभाग द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है।
6.	कार्पेंटर ग्रेड I के लिए एक पर्यवेक्षी पद का शीघ्र सृजन किया जाना चाहिए।	मामला विचाराधीन है।
7.	वर्कशॉप कर्मचारियों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए।	वर्कशॉप कर्मचारियों को कार्य की अपेक्षाओं तथा इस विषय में वर्तमान नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इनकमटैक्स स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, पूना की ओर से ज्ञापन

531. श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूना के इन्कमटैक्स स्टेनोग्राफर्स एसोशिएशन से फरवरी या मार्च 1979 में कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उनकी मांगों के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) इन्कम टैक्स स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, पुणे ने, जो कि एक गैर-मान्यता-प्राप्त स्थानीय संस्था है, अपने 20 फरवरी, 1979 के पत्र में अभ्यावेदन किया था कि आयकर निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के वर्तमान नियमों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।

(ग) आयकर स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, पुणे, एक गैर-मान्यता-प्राप्त संस्था है, अतः उसके 20 फरवरी, 1979 के पत्र पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

पर्यटन यातायात में कमी

532. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटन यातायात में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसक क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत में पर्यटन उद्योग में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वर्ष 1979 के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 7,64,781 थी जबकि 1978 के दौरान यह संख्या 7,47,995 थी और इस तरह 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जहां 1979 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की निरपेक्ष संख्या में वृद्धि हुई, वहां 1978 में हुई 16.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पर्यटकों की वृद्धि दर में बहुत गिरावट होने पर यह '2.2% हो गई ।

(ख) 1979 के दौरान पर्यटक आगमन की वृद्धि में हुई गिरावट के मुख्यतया निम्नलिखित कारण थे :—

(1) आन्तर्राष्ट्रीय वायुयान किराये में भारी वृद्धि ;

(2) वायुयान सम्बन्धी दुर्घटनाओं के कारण इण्डियन एयर लाइन्स की सीटों की संख्या में भारी कमी ;

(3) दिल्ली और बम्बई के मुख्य प्रदेश स्थानों पर पर्याप्त होटल आवास का अभाव ;

(4) कुछ पड़ोसी देशों में अशांत परिस्थितियां ; और

(5) कुछ परम्परागत पर्यटक सृजनकारी मार्केटों में मुद्रा-स्फिति की प्रवृत्तियां ।

(ग) देश में पर्यटक आधारिक संरचना में संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अपेक्षित स्तर के होटल आवास में वृद्धि करने के लिए होटल उपयोग में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन और वित्तीय राहत देना जारी रहा ;

(2) जनता होटलों का निर्माण करके बजट को ध्यान में रखने वाले पर्यटकों के लिए सस्ते, साफ-सुथरे और आराम दायक आवास की व्यवस्था की जा रही है । चूंकि अधिकांश पर्यटक 17–30 वर्ष के आयु वर्ग म आते हैं, इसलिए युवा यात्रा में संवर्धन करने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर कई नए युवा होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(3) बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुरातात्विक अभिरूचि के चुने हुए केन्द्रों और साथ ही कोवलम, गोंआ तथा गुलमर्ग के समुद्र तटिय और पहाड़ी क्रीड़ा स्थलों पर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर भीड़-भाड़ जिसके कारण पर्यटकों की शीघ्र निकासी में विलम्ब होता है, को दूर करने की दृष्टि से, बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए एक नई टर्मिनल बिल्डिग पहले से ही निर्माणाधीन है और 1980 के दौरान प्राचलन के लिए इसके तैयार हो जाने की आशा है । दिल्ली हवाई अड्डे पर एक नई टर्मिनल बिल्डिग के निर्माण सम्बन्धि प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(5) मनोरंजनात्मक कार्यकलापों में अभिरूचि रखने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने क लिए स्कीइंग, जल-क्रीडाओं, ट्रेकिंग' आदि के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ;

(6) इण्डियन एयर लाइन्स 1980 के मध्य तक दो एयर बसों तथा चार बोइंग 737 एयर क्राफ्टस और 1981 में चार और बोइंग 737 एयर क्राफ्ट जोड़कर अपने फ्लीट में वृद्धि करेगी ; और

(7) अनुमोदित पर्यटक परिवहन प्रचालकों को अपने परिवहन फ्लीट में वृद्धि करने के लिए पर्यटन विभाग की परिवहन ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

आवास योजनाओं के लिए धनराशि दिये जाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

533. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने आवास योजनाओं के लिए धनराशि दिये जाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा आवास के लिए धनराशि दिए जाने की बढ़ती हुई मांग और अपर्याप्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आवास कार्यों के सम्बन्ध में इन बैंकों ने क्या सक्रिय भूमिका अदा की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बताया गया है कि बैंक समग्रतः "आवास ऋणों" के लिए 75 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक राशियां प्रदान कर सकते हैं । इस राशि को पर्याप्तता की समय समय पर समीक्षा की जायेगी । इस ऋण का अधिकांश भाग आवास और शहरों विकास निगम तथा राज्य आवास बोर्डों के बोर्डों/ऋण पत्रों के अंशदान के रूप में होगा जो मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों को ऋण आवश्यकतायें पूरा करते हैं । बैंकों से कहा गया है कि आवास ऋण सामान्यतः परियोजना को कुल लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना जाहिए जिस पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक होगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों को प्रत्यक्ष ऋणों के लिए बैंक कुल लागत का 80 प्रतिशत तक ऋण दे सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं के लिए ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक होगी वशर्ते कि यह ऋण 2,500 रुपये से अधिक न हो। वापसी की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी । बैंकों से कहा गया है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्राम सहकारिताओं और स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से आवास ऋण प्रदान करें ।

कम आय वाले पर्यटकों के लिये केन्द्रीय पर्यटक सराय/धर्मशाला

534. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कम आय वाले पर्यटकों के हित के लिए केन्द्रीय पर्यटक सराय/धर्मशालायें स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह योजना किस तारीख से लागू की गयी थी ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख), और (ग) : जी, नहीं । तथापि, कम आय वाले पर्यटकों क उपयोग में आने वाली धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के निर्माण/प्रबन्ध/रख-रखाव के लिए संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को अनुदान तथा ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने हेतु सरकार ने 1860 के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन नवम्बर, 1978 में "भारतीय यात्री आवास विकास समिति" नामक एक समिति स्थापित की । यदि आवश्यक हो, तो समिति स्वयं भी इस प्रकार की स्थापनाओं का निर्माण कर सकती है । समिति सहायक अनुदान प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक दानों तथा अंशदानों के माध्यम से भी धन-राशि प्राप्त कर सकती है ।

राज्य सरकारों से धर्मशालाओं/मुसाफिरखानों/सरायों की दशा सुधारने के लिए भी कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के लिए इन स्थापनाओं में अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलगेट पाल्मोलीव, चीज वोरो पांड्स, केडवरी और हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं

535. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलगेट पाल्मोलिव, चीजवोरो पांड्स, केडवरी और हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्यात की जा रही वस्तुओं की सूची क्या है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी में इन निर्यातों की प्रतिशतता कुल बिक्री की तुलना में क्या है ; और

(ग) दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों में इन कम्पनियों द्वारा कौन-कौन ब्रांड की वस्तुएं निर्यात की गई हैं और कुल बिक्री की तुलना में इसकी मूल्य प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) तथा (ख) : 1977–78 तथा 78–79 में इन चार कम्पनियों की बिक्रियां तथा निर्यात दर्शाने वाला विवरण सलग्न है। उपलब्ध आंकड़ों से इन चार कम्पनियों द्वारा निर्यात की जा रही मदों की सूची का पता लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) उपलब्ध जानकारी से दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को इन कम्पनियों द्वारा निर्यात की गयी ब्रांड मदों के नाम देना संभव नहीं है।

विवरण

1977–78 तथा 1978–79 के दौरान कारोबार तथा निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

	बिक्री		निर्यात	
	1977–78	1978–79	1977–78	1978–79
1 कालगेट पामोलिव इंडिया लि०*	3262.87	3898.21	100.43 (3.08)	32.04 (0.83)
2 केडबरी इंडिया लि०	1665.97	2245.53	181.07 (10.87)	515.26 (22.95)
3 हिन्दुस्तान लीवर लि०	26150.73	30184.09	1673.40 (6.40)	1703.35 (5.65)
4 चीजब्रोरो पाँडस	509.14	शुन्य**	1.16 (0.23)	शुन्य**

*यह कम्पनी 30 दिसम्बर 1978 से विदेशी कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी नहीं है।

**भारतीय कम्पनी अर्थात पाँडस इण्डिया लि० ने 1978 के दौरान व्यवसाय अपने हाथ मे ले लिया है अतः बिक्री के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

कोष्टक में दिए गए आंकड़े कुल बिक्री के निर्यातों के भाग की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा निर्यात

536. श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान कोका कोला निर्यात निगम ने कितना निर्यात किया और इन्हीं वर्षों में कुल बिक्री कितनी हुई और निर्यात में यदि कोई कमी हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम द्वारा किए गए निर्यात निम्नोंक्त प्रकार थे :—

वर्ष	मात्रा (कि०ग्राम)	एफ०ओ०बी०मूल्य (रुपये)
1975	10515.0	4,86,558
1976	5852.0	2,73,025
1977	974.0	43,950

कम्पनी के बिक्री आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे गए। मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम के निर्यातों में कमी के कारणों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नही है।

उद्योगपतियों को ऋण सुविधाओं तथा ऋणों के बारे में टंडन समिति द्वारा निर्धारित सिद्धांत

537. श्री के० ए० राजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टंडन समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिद्धान्त निर्धारित किए हैं ; और

(क) क्या बैंकों द्वारा उद्योगपतियों को ऋण सुविधाएं और ऋण देते समय इन सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) । (क) बैंक ऋण के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई के मामले में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने, जिसे आम तौर पर टंडन समिति कहा जाता है, 15 बड़े उद्योगों के लिए वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) और प्राप्तव्यों (रिसीवेबल्स) के बारे में मानदण्डों की सिफारिश की थी । ये अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(ख) बैंकों से समय समय पर प्राप्त आंकड़ों की जांच करने के बाद रिजर्व बैंक का मत यह है कि अधिकतर बैंकों द्वारा मानदण्डों के कार्यान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर असन्तोषजनक नहीं है ।

विवरण

बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के मामले में मार्गदर्शी सिद्धान्त तयार करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल (टंडन समिति) की रिपोर्ट में वस्तुसूची/प्राप्तव्यों (इन्वेंटरों/रिसीवेबल्स) और ऋण के सम्बन्ध में सिफारिश किये गए मानदण्ड

1. वस्तु सूची और प्राप्तव्यों के लिए सुझाये गये मानदण्ड :

उद्योग	कच्चे माल (सामान तथा निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुओं समेत)	प्रक्रियाधीन सामान	तैयार माल	प्राप्तव्य और खरीदी तथा भुनाई गई हुंडियां
1	2	3	4	5
(1) सूती और सिंथेटिक कपड़े	रुई 2 (बम्बई और अहमदाबाद क्षेत्र) 3 (पूर्वी क्षेत्र-बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम) 2.1/2 (उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न) 2 अन्य कच्चा माल	3/4 (मिश्रित कपड़ा मिलें) 1/2 (अन्य मिलें)	(———2.1/4——)	
(2) मानव निर्मित रेशा	1.1/2	1/2	(———1 3/4——)	
(3) जूट वस्त्र	2.1/2	1/4	1 (देश के अन्दर बिक्री के लिए) और 1.1/2 (निर्यात के लिए)	1 1/2
(4) रबड़ उत्पाद	2	1/4	(———1.3/4——)	
(5) उर्वरक				
(क) नाइट्रोजनी संयंत्र	3/4 (शोधनशाला के निकट के एकक)	नगण्य	1 (जहां स्टाक्स संयंत्र स्थल पर हों)	1.1/4

1	2	3	4	5
	1.1/2 (शोधनशाला से दूर के एकक)		(1.1/2 जहां स्टाक्स ग्रामीण केन्द्रों में हों)	
(ख) फास्फेटो उर्वरक संयंत्र	2(वन्दरगाह क्षेत्रों में एकक)	नगण्य	1(जहां स्टाक्स 1.1/4 संयंत्र स्थल पर हो)	
	3(वन्दरगाह क्षेत्रों से दूर एकक)		1.1/2 (जहां स्टाक्स भी ग्रामीण केंद्रों में हो)	
(6) फार्मास्युटीकल	2.3/4	1/2	2	1.1/4
(7) डाई और डाईस्टफ्स	2.1/4	1	3/4	2.1/4
(8) मूल औद्योगिक रसायन	2.3/4	1/4	1	1.3/4
(9) वनस्पति और जमाए हुए तेल	1	नगण्य	(——3/4——)	
(10) कागज	2–6 बांस और लकड़ी (नवम्बर से मई तक विभिन्न चरणों में बढ़ाया और उसके बाद घटाया जाना है) 2.1/4 रसायन	—तदेव—	1(नियंत्रित बिक्री के लिए) और 1/4 (मुफ्त बिक्री के लिए)	3/4
(11) सीमेन्ट	2.1/4 जिवसम 1.1/4 चूना 3/4 कोयला 1.1/2 पैक करन के सामान	1/2	(——— 1———)	
(12) इंजीनियरिंग आटोमोवाइल और सहायक उद्योग	2.1/4	3/4	(—— 2.1/2——)	
(13) इंजीनियरिंग कन्ज्यूमर ड्युरेबल्स	2	3/4	(—— 2.1/2—)	
(14) इंजीनियरिंग सहायक उद्योग (आटोमोवाइल सहायक उद्योग से भिन्न) और कम्पोनेन्ट सप्लायर्स	2	3/4	(—— 2.1/2——)	
(15) इंजीनियरिंग मशीनरी विनिर्माता और अन्य पूंजीगत उपस्कर सुम्भरणकर्ता (हैवी इंजीनियरिंग से भिन्न)**	2.3/4	1.1/4	(—— 3.1/2——)	

टिप्पणी :—

(1) कच्चे माल को "अमुक महिनों की खपत" के रूप में दिखाया गया है। उनमें निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल किये जाने वाले सामान और अन्य वस्तएं शामिल हैं।

(2) प्रक्रियाधीन स्टाक को "अमूक महिनों के उत्पादन" की लागत

(क) के रूप में दिखाया गया है।

(ख) अलग अलग मामलों में यदि बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी खास एकक में उत्पादन के स्वरूप, पिछले अनुभव और प्रयुक्त प्रोद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया के लिए वास्तविक समय सुझाए गए मानदण्ड से अधिक लगता है तो वह प्रक्रियाधीन स्टाक के सम्बन्ध म इस मानदण्ड में परिवर्तन कर सकता है।

(3) तैयार माल और प्राप्तव्यों के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वह

(क) क्रमशः कितने महीनों की बिक्री लागत और बिक्री की रकमें हैं। यह आंकड़े केवल औसत स्तरों के द्योतक है। तैयार माल और प्राप्तव्यों की प्रत्येक मद अलग अलग अवधि के लिए हो सकती हैं और निर्दिष्ट मानदण्डों से अधिक हो सकती है जब तक कि तैयार माल और प्राप्तव्य का कूल औसत स्तर मानदण्ड के अनुसार निर्धारित राशियों से अधिक नहीं हो जाता।

(ख) प्राप्तव्यों के लिए विनिर्दिष्ट मानदण्ड का सम्बन्ध केवल अल्पावधिक आधार पर (अर्थात् आस्थगित अदायगी के आधार पर की गयी बिक्री और निर्यातों के सम्बन्ध में प्राप्तव्यों को छोड़ कर) देश के अन्दर की गयी बिक्री से है।

(4) चूंकि, कई उद्योगों में, वित्तीय दृष्टि से फालतू पुर्जों के स्टाक का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए उन्हें मानदण्ड में शामिल नहीं किया गया है। बैंक प्रत्येक एकक के लिए फालतू पूर्जों की आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे। परन्तु यदि फालतू पूर्जे कुल वस्तुसूची के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाये तो बैंकों को 'इस मामले में खास नजर रखनी चाहिए।

(5) हैवी इंजीनियरिंग में सम्पूर्ण अथवा बड़े बड़े संयंत्रों की सप्लाई शामिल होगी जिनकी निर्माण की अवधि लम्बी होती है, जैसे चीनी, सीमेन्ट, इस्पात और कपड़ा संयंत्र।

2. ऋण प्रदान करने का मानदण्ड

समिति ने स्वीकार्य बैंक वित्त की गणना के लिए तीन प्रणालियों की सिफारिश की थी जिनमें से निम्नलिखित दो को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है :—

(क) पहली प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत, बैंक कार्यचालन पूंजी के 75 प्रतिशत तक के अन्तर को पूरा करने के लिए अर्थात् कूल वर्तमान परिसम्पत्तियों में से बैंकों के उधारों की रकमों को छोड़कर वर्तमान देनदारियों को घटाने के बाद आने वाली राशि के बराबर ऋण दे सकते हैं। कार्यचालन पूंजी के शेष 25 प्रतिशत अन्तर की पूर्ति, ऋणकर्ताओं द्वारा अंशदान देकर की जाएगी।

(ख) दूसरी प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत, ऋणकर्ताओं का न्यूनतम अंशदान कूल चालू परिसम्पत्तियों का 25 प्रतिशत होना चाहिए।

तीसरी प्रणाली जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया है, अपनाये जाने से बैंक ऋण में और कमी होती है और चालू अनुपात में और अधिक वृद्धि।

जीवन-निर्वाह सूचकांक

538. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री नवम्बर, 1979 से अब तक प्रत्येक महीने के जीवन निर्वाह सूचकांक की 12 महीने की औसत दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : नवम्बर, 1979 से जनवरी, 1980 (अद्यतन प्राप्त आंकड़े) की अवधि के दौरान जीवन निर्वाह सूचकांक सम्बन्धी सूचना नीचे दी गई है।

अखिल भारतीय औद्योगिक मजदूर उपभोक्ता कीमत सूचकांक अंक (1960-100)

महिना	सूचक अंक	12 महिने का औसत
नवम्बर, 1979 . . .	368	346.50
दिसम्बर, 1979 . . .	374	349.75
जनवरी, 1980 . . .	371	353.00

अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

539. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने के बारे में 15 दिसम्बर 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में आदेशों में ढील दे दी है जो 1 जनवरी, 1959 को एसिस्टेन्ट ग्रेड में पदोन्नति के लिए पेनल में थे लेकिन जिन्हें 1 जुलाई 1959 के बाद और 31 दिसम्बर, 1959 के पूर्व पदोन्नत किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) । उन व्यक्तियों को, जिन्हें जनवरी, 1958 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर 1-7-1959 के बाद सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मंजूर करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सांख्यिकी विभाग के राष्ट्रीय आय अध्ययन प्रभाग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

540. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सांख्यिकी विभाग के राष्ट्रीय आय अध्ययन प्रभाग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों में प्रति व्यक्ति वार्षिक अन्तिम उपभोग व्यय का वास्तविक ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विभाग के राष्ट्रीय आय अध्ययन प्रभाग (डिविजन) द्वारा तैयार किए गए "इण्डियन इकोनामी थ्रू नेशनल स्टैटिस्टिक्स" नामक लेख का हवाला दे रहें हैं; जो कि भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के जुलाई 1979 के संस्करण में प्रकाशित हुआ था। यह लेख, योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय आय आदि के अनुमानों पर आधारित है । इसके अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान प्रति-व्यक्ति वार्षिक अन्तिम निजी उपभोग व्यय इस प्रकार था :—

वर्ष	रुपयों में राशि (1970-71 की कीमतों पर)
1975–76	554
1976–77	539
1977–78	572
1978–79	590

1980 के दौरान होटल आवास का विस्तार

541. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान होटल आवास के विस्तार के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) वर्ष 1980 के दौरान जिन होटलों के खोले जाने की संभावना है, वे कहां-कहां होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : वर्ष 1980 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) और भारतीय होटल निगम (एच०सी०आई०) के निम्नलिखित होटलों को चालू करने/विभिन्न चरणों में निर्माण करने के प्रस्ताव हैं :—

I. भारत पर्यटन विकास निगम

क्रम सं०	होटल का नाम	कमरे/बैड	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	होटल कनिष्क (3-स्टार)	300/600	500.00
2.	अशोक यात्री निवास सस्ती दरों वाला होटल	565/1250	300.00
3.	चंड़ीगढ़ में होटल (2-3 स्टार)	50/100	65.00
4.	गोहाटी में होटल (2-3 स्टार)	30/60	46.00
5.	बम्बई में होटल (3-स्टार)	250/500	470.00
6.	भोपाल में होटल (2-3 स्टार)	50/100	80.00
7.	पुरी में होटल (2-स्टार)	40/80	65.00

II. भारतीय होटल निगम

	होटल	कमरे	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	श्रीनगर	275	1099.00
2.	जुहू बीज, बम्बई	355/360	1282.00

विभिन्न वर्गों के इस्पात का आयात

542. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस वर्ष, इस्पात की मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने के प्रयोजन से विभिन्न वर्गों के 14 लाख टन इस्पात के आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 की अवधि में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने माध्यम अभिकरण तथा एजेन्ट के रुप में लगभग 10.9 लाख टन इस्पात का आयात करने के लिए आर्डर दिए थे । इसमें वफर आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.5 लाख टन के आर्डर भी शामिल है । सेल द्वारा दिए गए आर्डरों पर विदशों से लगभग 14 लाख टन इस्पात प्राप्त होने की सम्भावना है । इसमें पिछले वर्ष दिए गए आर्डरों का बकाया माल भी शामिल है । मुख्यतया प्लेटों, संरचनात्मकों/बिलेट, ठंडी बेलित/गर्म बेलित/स्वायलो/चादरों/टिन मिल ब्लैक प्लेटों तथा विद्युतीय इस्पात चादरों का आयात किया जाता है । जबकि वफर स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातित माल उपभोक्ताओं को आन्तरिक मूल्यों पर दिया जाता है, "बैक-टू-बैक" आधार पर आयातित इस्पात माध्यम अभिकरण के सेवा प्रभार लेकर बन्दरगाह पर उतरने की कीमत पर दे दिया जाता है ।

एल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी

543. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों के दौरान एल्यूमीनियम का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : देश में एल्यूमीनियम के मासिक उत्पादन में अगस्त, 1979 तक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में, लगभग 18% की वृद्धि हुई। लेकिन, सितम्बर, 1979 से उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है जो मुख्यतः एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर सम्बद्ध राज्य बिजली बोर्डों द्वारा लगाई गई भारी बिजली कटौती के कारण है। 1 अप्रैल, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक कुल उत्पादन लगभग 178,000 टन था जबकि गत वर्ष की समान अवधि में 193,954 टन उत्पादन हुआ था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े ऋण प्राप्त कर्त्ताओं के संबंध में ऋण नियमों को उदार बनाया जाना

544. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े ऋण प्राप्त कर्त्ताओं के संबंध में अपने ऋण-नियमों को उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 1979 में 25 लाख रुपये और इससे अधिक की नकद ऋण सीमाओं पर पाबन्दी लगाने वाली शर्तों में अभी तक कोई परिवर्तन नही किया गया है। परन्तु मामलों को तेजी से निपटाने और ऋण-कर्त्ताओं को सीमांकित छूट प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने, फरवरी, 1980 में, उन आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के लिए एक प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन लागू किया है जो उत्पादन में वृद्धि और/अथवा बाजार में उतार-चढ़ाव होने के कारण अतिरिक्त ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों के पास आते हैं।

रत्नागिरी में एल्यूमिनियम संयंत्र शीघ्र चालू किया जाना

545. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े हुए कोंकण प्रदेश में रत्नागिरी में सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्र को शीघ्र चालू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के काम को शीघ्र करने म क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) क्या एल्यूमिनियम परियोजना के बजाय रत्नागिरी में एल्यूमिना परियोजना आरंभ करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस वर्ष तक कारखाना चालू हो जाएगा ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान मंत्री तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : रत्नागिरी परियोजना के 1974 में मंजूर किए जाने के शीघ्र बाद यह पाया गया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इसके बाद, हाल ही में पूर्वी घाट में प्राप्त विशाल बाक्साइट भंडारों पर आधारित एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स उड़ीसा में और एक एल्यूमीना प्रोजक्ट आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए साध्यता अध्ययन किए गए। इन सभी परियोजनाओं के प्रौद्यो-आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद देश में स्थापित किए जाने वाले नए एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कारखानों बारे में पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का भारत के दौरे पर आना

546. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के दौरे पर आये विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों की वर्षवार संख्या क्या है ;

(ख) उन प्रतिनिधि मंडलों ने वर्षवार, किन नगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा किया ; और

(ग) उक्त अवधि में किए गए करारो की संख्या क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की कुल संख्या, जिन्होंने भारत का दौरा किया, वर्षवार निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	संख्या
1977	24
1978	34
1979	27

(ख) प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरा किए गए शहरों और औद्योगिक नगरों के नाम, वर्षवार, निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1977	1978	1979
दिल्ली, श्रीनगर, कलकत्ता, आगरा, जयपुर, खजुराहो, बम्बई, गोआ और मद्रास ।	दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई, सिकन्दराबाद, फरीदाबाद ।	दिल्ली, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, मसूरी, कलकत्ता, फरीदाबाद, मोदीनगर, बम्बई, बंगलौर ।

(ग) विदेशों से सरकारी प्रतिनिधिमंडल या तो द्विपक्षीय व्यापार वार्त्ताओं के लिए या व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए या संयुक्त आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे प्रतिनिधिमंडलों द्वारा संविदाएं नहीं की जाती । तथापि खरीद मिशन पर एक सरकारी अधिकारी के नेतृत्व में जो सरकारी प्रतिनिधिमंडल आया था उसने भारत में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के साथ 13 वाणिज्यिक संविदाएं की ।

पर्यटन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा

547. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की क्षेत्रवार व शहरवार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उस अवधि में, वर्षवार, पर्यटन के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान भारत में आए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या क्रमशः 640, 422; 747, 995 और 764, 781 थी ।

1976-77 के दौरान संचालित विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कुछ खास खास केन्द्रों की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है ।

(ख) 1977, 1978 और 1979 के दौरान पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 283 करोड़ रुपए, 330 करोड़ रुपए और 338 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

विवरण

पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद द्वारा संचालित "विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1976-77" के अनुसार पर्यटक अभिरुचि के विभिन्न शहरों/स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के वितरण की प्रतिशतता

क्रम संख्या	शहर	पर्यटकों की प्रतिशतता
1	दिल्ली	62.10
2	बम्बई	50.96
3	आगरा	31.20
4	मद्रास	23.34

क्रम संख्या	शहर	पर्यटकों की प्रतिशतता
5	वाराणसी	17.68
6	कलकत्ता	16.90
7	जयपुर	12.97
8	अमतसर	8.94
9	बंगलौर	8.84
10	श्रीनगर	8.65
11	गोआ	7.15
12	खजुराहो	6.02
13	तिरुचिरापल्ली	65.78
14	मदुरै	4.54
15	औरंगाबाद	3.96
16	रामेश्वरम	3.79
17	उदयपुर	3.45
18	हैदराबाद	3.10
19	पुणे	2.97
20	मैसूर	2.77
21	कोचीन	2.71
22	त्रिवेंद्रम/कोवलम	2.61
23	पटना	2.38
24	दार्जिलिंग	1.71
25	पांडिचरी	1.49
26	अहमदाबाद	1.26
27	लखनऊ	1.25
28	रक्सौल	1.24
29	जम्मू	1.24
30	उटकमंड	1.18
31	पुरी	1.16
32	चंडीगढ	1.13
33	कोयम्बटूर	1.01
34	महाबलीपुरम	0.95
35	हरिद्वार/ऋषिकेश	0.85
36	धर्मशाला	0.81
37	गया	0.80
38	भुवनेश्वर	0.77
39	मनाली	0.65
40	लद्दाख	0.62
41	नागापट्टीनम	0.50
42	लेह	0.48
43	तंजौर	0.44
44	कुल्लु	0.36

दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में कटौती किया जाना

548. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या वाणिज्य, और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को सप्लाई की जाने वाली चीनी, गेहूं और अन्य वस्तुओं की मात्रा कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की मात्रा में कितनी कटौती की गई है ; और

(ग) उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। केवल चीनी की मात्रा में मामूली सी कमी की गयी है ।

(ख) जुलाई, 1978 में (चीनी पर नियंत्रण हटाये जाने से तुरंत पहले) राशन कार्डधारियों को दिये जा रहे 950 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के कोटे की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रति मास केवल 50 ग्राम चीनी की मात्रा कम की गयी है।

(ग) उचित दर की दुकानों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में लगभग 6 लाख की वृद्धि होने और वितरण के लिए उपलब्ध लेवी चीनी की मात्रा की वजह से चीनी के कोटे में यह मामूली कमी की गई है।

केन्द्र द्वारा पूर्वी राज्यों को सीमेंट, चीनी तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

549. **श्री के० पी० सिंह देव:** या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा गत 2 महीनों में पूर्वी राज्यों को राज्यवार, सीमेंट चीनी तथा मिट्टी के तेल का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य की इन वस्तुओं की मांग क्या थी ;

(ग) क्या इनकी सप्लाई एवं वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरण में कोई रुकावट थी ; और

(घ) क्या इन आवश्यक वस्तुओं की उंची कीमतों को देखते हुए सरकार का विचार सप्लाई में वृद्धि करने का है जिससे मूल्यों को कम करने पर इसका प्रभाव पड़े ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सूचना अनुबंध में दी गई है। (ख), (ग) व (घ) : राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा, उन्हें पिछले आंशिक कन्ट्रोल की अवधि के दौरान आवंटित लेवी चीनी की मात्रा के आधार पर दिया गया है । यह मात्रा 1-4-78 की अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी मुहैया कराने के आधार पर निकाली गई थी । चीनी के लिये दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से शुरू करने में आने वाली आरम्भिक कठिनाईयों तथा ढुलाई में आने वाली बाधाओं के कारण राज्यों को लेवी चीनी की सप्लाई भेजने में देरी हुई है । तथापि, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान लेवी चीनी की ढ़ुलाई में काफी सुधार हुआ है । इसमें और सुधार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । थोक व्यापारियों द्वारा चीनी का स्टाक रखने की अधिकतम अनुमत सीमा को 50% कम कर दिया गया है ।

विभिन्न राज्यों की सीमेन्ट की मांग सामान्यत: बहुत अधिक है । चूंकि सीमेन्ट की उपलब्धता मांग को पूरी करने के लिये काफी नहीं है, अत: विभिन्न राज्यों को सीमेन्ट का आवंटन पिछली खपत के आधार पर किया जाता है । उत्पादन कम होने और ढुलाई में बाधायें आने के कारण सीमेन्ट की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है । सीमेन्ट का उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहें हैं और पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सैन्ट्रल इनलैन्ड वाटर कारपोरेशन को इन राज्यों की सीमेन्ट की ढ़ुलाई करने के कार्य में लगाया गया है ।

मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं है । इस क्षेत्र में मिट्टी के तेल का उत्पादन बंद होने से मिट्टी के तेल की उपलभ्यता में भारी कमी हुई है । यद्यपि असम में दिगबोई तथा गौहाटी तेल शोधक कारखानों ने काम करना शुरू कर दिया है, तथापि बरौनी तेल शोधक कारखाना अभी भी बंद पडा हुआ है । मिट्टी के तेल के आयात में तेजी लाई गई है ताकि इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सक और खपत स्थलों को अधिक से अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल भेजने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस बात को सुनिश्चिय करें कि मात्रा का समान वितरण हो ।

विवरण

पूर्वी राज्यों को सीमेन्ट, लेवी चीनी तथा मिट्टी के तेल का आवंटन

राज्य	सीमेन्ट* (जनवरी, 1980 से मार्च, 1980 तक की पहली तिमाही के लिए) मीटरी टनों में	लेवी चीनी** (लेवी चीनी का मासिक कोटा) मी० टनों में	मिट्टी का तेल (मी० टनों में) जनवरी, 1980	मिट्टी का तेल (मी० टनों में) फरवरी 1980
1. पश्चिम बंगाल	2,86,000	21,994	31,878	28,452
2. बिहार	2,21,600	26,929	18,424	16,967
3. उड़ीसा	77,400 + 41,200 (अतिरिक्त)	10,723	5,667	8,323
4. असम	44,000 + 10,000 (अतिरिक्त)	7,541	11,715	8,567
5. त्रिपुरा	11,000	759	987	440
6. नागालैंड	11,000	340	305	400
7. मेघालय	16,500	493	658	650
8. मणिपुर	11,000	524	576	432
9. सिक्किम	11,000	10,75	413	426
10. मिजोराम	6,600	171	185	100
11. अरूणाचल प्रदेश	13,000	228	110	286

*आवंटन प्रत्येक तिमाही के लिये किया जाता है ।

**आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है, मासिक कोटा प्रत्येक महीने के लिये एक समान है ।

कोरापुट में एल्यूमिनियम संयंत्र आरंभ करने के लिए भारत-फ्रांस समझौता

550. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापुट जिले में एल्यूमिनियम संयंत्र आरंभ करने के लिए भारत-फ्रांस समझौते को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया जाने वाला है; और

(ग) क्या उड़ीसा में सीसे और जस्त संबंधी परियोजनाओं का कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) फ्रांस सरकार ने उड़ीसा में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की लागत के लिए व्यापक वित्तीय व्यवस्था हेतु एकमुश्त सौदा करने की पेशकश की है । इस सौदे की प्रतीक्षा की जा रही है । इस संबंध में भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 28-1-1980 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं । इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी तकनीकी सहयोग की शर्तों के बारे में फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैचीनी के साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श करेगी ।

(ख) मैसर्स एल्यूमिनियम पैचीनी द्वारा परियोजना के लिए तैयार की गई सहायता रिपोर्ट इस समय विभिन्न मूल्यांकन एजेन्सियों के विचाराधीन है और इसके बाद परियोजना पूंजी-निवेश संबंधी निणय के लिए सरकार को पेश होगी ।

(ग) सरकार ने उड़ीसा में सरगीपल्ली सीसा भंडारों की खुदाई हेतु एक परियोजना 11-1-79 को मंजूर की थी । परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं । उड़ीसा में अभी तक जस्ता के किसी भंडार का पता नहीं चला है ।

निर्यात नीति का संशोधन

551. **श्री जयनारायण** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र म नई सरकार का देश की वर्तमान निर्यात नीति का संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के लिए निर्यात नीति घोषित की जाती है । अगले वर्ष अर्थात् अप्रैल 1980-मार्च, 1981 के लिए निर्यात नीति तैयार की जा रही है । इस अवस्था में निर्यात नीति का विवरण देना संभव नहीं है ।

भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी को रोकने के लिए उपाय

552. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी नियंत्रण में है ।

सरकार द्वारा जो उपाय किये गये हैं उन में ये भी शामिल हैं । गुप्त सूचना तन्त्र तथा निवारक तन्त्र को सुदृढ बनाना तस्करी निवारक कार्यों पर तैनात कर्मचारियों को वाहन, जलयान तथा अन्य उपकरण मुहैय्या करना जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें ; खुले समुद्र में तथा तट पर गश्त बढ़ाना और बेतार-तन्त्र के दायरे का विस्तार करना । तस्करी को रोकने के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा किये गये तस्करी निवारक उपायों की समीक्षा तथा समन्वय हेतु दोनों देशों के वरिष्ठ प्रवर्तन-अधिकारियों के बीच समय-समय पर सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवेश और उससे लाभ

553. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) वर्ष 1979-80 में इस पूंजी निवेश से कितना वार्षिक लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या इस लाभ को बढ़ाने के लिए उपाय करने का सरकार का विचार है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मार्च, 1979 के अन्त तक सामान्य शेयर पूंजी और ऋण के रूप में कुल 15,602 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी । इन उद्यमों की निवल अचल परिसम्पत्तियों और चालू परिसम्पत्तियों में से चालू देनदारियां घटाकर कुल लगी पूंजी 14,173 करोड़ रूपए थी ।

(ख) सरकारी उद्यमों के वार्षिक लेखों को कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है । 1979-80 वर्ष के लेखे अभी तैयार नहीं हुए ह । 1978-79 में लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत, यथा सुलभ जानकारी के अनुसार 7.59 है ।

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्यचालन की निरन्तर समीक्षा की जाती है । प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों द्वारा कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित करने के अलावा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं जैसे कोयला, बिजली, परिवहन आदि की उपलब्धि के विषय में परिवीक्षण करने के लिए मंत्रालय स्तर पर ही एक समिति भी गठित की गई है, ताकि सरकारी उद्यमों में क्षमता का बेहतर उपयोग, अधिक उत्पादन और अधिक लाभकारिता प्राप्त की जा सके

लघु बचत योजनाओं से राज्यों को धनराशि की उपलब्धता

554. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु बचत योजनाओं से होने वाली धनराशि की वापसी भुगतान के भार के बारे में पिछली सरकार के निर्णय का पुनर्विलोकन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग की इस सर्वसम्मत सिफारिश की उपेक्षा की जाती रहेगी कि विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई धनराशि का 75 प्रतिशत राज्यों को स्थायी ऋणों के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिये; और

(ग) क्या यह एक विशिष्ट मामला है जिसमें वित्त आयोग की सर्वसम्मत सिफारिश केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत नहीं की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश नही की है कि विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत वसूल की गई धनराशि का 75% राज्यो को स्थायी ऋणो के रूप में उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।

आयोग की सिफारिश यह है कि राज्यों को अल्प बचतों के लिए दिए गए ऋण, जो 31 मार्च, 1979 के अंत में बकाया हैं, उन्हें समेकित किया जाए और 'स्थायी ऋणो' के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और इस संबंध में राज्यो को केन्द्र को कोई वापिस अदायगी करने की आवश्यकता नही है। भारत सरकार ने 'स्थायी ऋण' की संकल्पना को स्वीकार नही किया तथापि, केन्द्रीय ऋणों जिनका आंकलन आयोग के द्वारा किया गया है, की वापिस अदायगी करने के संबंध में राज्यों को दी जाने वाली राहत की मात्रा में फेर बदल को रोकने के लिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1979-80 से, 5 वर्षों के दौरान, 31 मार्च, 1979 को बकाया लघु बचतों संबंधी ऋणों की वापिस अदायगी राज्यों को करने की आवश्यकता नहीं है जो आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आती हैं।

सरकार के समक्ष उपर्युक्त निर्णय में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए शिरडी का विकास

555. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए शिरडी (अहमदनगर जिले में तीर्थ स्थल) का विकास करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा प्रस्तावित विकास का ब्यौरा क्या है तथा क्या उनका विचार उस स्थान पर हवाई अड्डे का निर्माण करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगारों और अशिक्षित कारीगरों को बैंक ऋण

556. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित बेरोजगार युवकों और निजी परम्परागत व्यवसाय के लिए अशिक्षित कारीगरों को ऋण देने संबंधी बैंकों की नीति में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षित बेरोजगार युवकों और कारीगरों को सहायता के लिए सरकार की संशोधित नीति क्या है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जिनमें शिक्षित बेरोजगार युवक और अशिक्षित कारीगर भी शामिल हैं, अपने कुल ऋणों का कम से कम 33.3 प्रतिशत ऋण प्रदान करने का निर्धारित लक्ष्य बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंकों से रियायती ब्याज दर योजना का जोरदार तरीके से कार्यान्वयन करने के लिये कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकारने अब बैंकों को इजाजत दे दी है कि वे पात्र ऋणकर्ताओं को 6,500/—रुपये तक के मिश्रित ऋण प्रदान करे। इससे शिक्षित बेरोजगार युवकों और अशिक्षित कारीगरों को अपनी उत्पादक गतिविधियों में सहायता मिलेगी।

देश में आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी और जमाखोरी करने वाले पकड़े गये व्यक्ति

557. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री जयनारायण :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रत्येक राज्य में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल आदि के संबंध में चोर बाजारी और जमाखोरी करने वाले पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है ; और

(ग) इस प्रकार पकड़े गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कठोर कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कमानीज, बम्बई के ऋण को उनके साहूकारों द्वारा बट्टे खाते डाला जाना

558. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमानीज, बम्बई के 2 करोड़ रुपये के ऋण को उनके साहूकारों द्वारा बट्टेखाते डाल दिया गया है जैसा कि 23 फरवरी, 1980 के 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक में रिपोर्ट दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो मामले का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने कमानी ट्यूब को दिए गये ऋणों में से कोई भी ऋण बट्टे खाते नहीं डाला है जैसा कि 23 फरवरी, 1980 के 'साप्ताहिक ब्लिट्ज़' में आरोप लगाया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कमानी बन्धुओं द्वारा बड़ी रकमों का विदेशी खातों में कथित अन्तरण

559. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 फरवरी 1980 के 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक में छपे समाचार के अनुसार, कमानी उद्योग समूह के कमानी बन्धु बड़ी-बड़ी रकमें अपने विदेशी खातों में अन्तरित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) "कमानीज ड्रैग वर्कर्स एंड पब्लिक मनी इन द डिच" शीर्षक के अन्तर्गत 23 फरवरी, 1980 के ब्लिट्ज में छपा लेख, सरकार की जानकारी में आया ।

(ख) और (ग) : प्रवर्तन निदेशालय, कमानी परिवार की भारत से बाहर कथित गैरकानूनी परिसंपत्तियों की जांच-पड़ताल कर रहा है । जांच पूरी हो जाने पर, यदि किसी उल्लंघन का पता चलेगा, तो कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

पिछड़े जिलों में दिए गए ऋणों पर बैंक दर

560. **श्री कृष्ण चन्द पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन से जिले पिछड़े समझे जाते हैं और उनके विकास के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बस्ती आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम बैंक दर पर ऋण देकर अथवा किसी अन्य रूप में इस जिले को कोई रियायत देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), से (ग) : उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती सहित, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 246 जिलो/क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ निर्दिष्ट किया गया है। इन जिलों/क्षेत्रों में अवस्थित/अवस्थित किये जाने वाली औद्योगिक परियोजनायें अखिल भारतीय दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से 9.5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं जबकि इन संस्थाओं को सामान्य ब्याज दर 11 प्रतिशत वार्षिक है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े इलाकों में अवस्थित एककों को दी गई अन्य रियायतें, अधिक लम्बी प्रारम्भिक रियायतों अवधि, अधिक लम्बी परिशोधन अव धि, वायदा प्रभारों (कमिटमेंट चार्जिज) आदि में कटौती के रूप में हैं। बस्ती जिले के औद्योगिक एकक भी इन रियायतों के हकदार हैं ।

छोटे विमानों से तीसरी विमान सेवा आरम्भ किया जाना

561. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे विमानों से एक तीसरी विमान सेवा आरम्भ करन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सेवा किसी विशेष क्षेत्र में रहेगी अथवा समूचे देश में इसका संचालन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), से (ग) : देश में उपयुक्त छोटे विमानों से तीसरी वायु सेवा पारचालित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस संबंध में कोई निर्णय ले लिए जाने पर ही ब्यौरों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र से मशीनों तथा उपकरणों का आयात

562. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र ने वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान जर्मन जनवादी गणराज्य से कितने मूल्य की मशीनों तथा उपकरणों का आयात किया था ;

(ख) कुल कितने मूल्य की ऐसी मशीनों तथा उपकरणों का आयात किया गया जिसके बारे में सरकार को सूचना मिली है कि वे बेकार अथवा घटिया किस्म की हैं या खराब हैं ; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सुरक्षा उपाय कर रही है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र से आयातित मशीनरी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब में यथोचित स्तर की हो ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य से मशीनों तथा उपस्करों के आयात क्रमश: 978 लाख रु० तथा 950 लाख रु० के हुए।

(ख) सरकार को जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयातित मशीनरी के विषय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि काम के लायक नहीं है, घटिया अथवा दोषपूर्ण हैं ।

(ग) इस संबंध में कोई विशेष सुरक्षा उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि जो भारतीय अभिकरण जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से मशीनों का आयात करते हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वह मशीनरी क्वालिटी और कीमत की दृष्टि से अन्य सभी देशों की मशीनों की तुलना में अच्छी है ।

विमान ईंधन की कमी के कारण फ्लाइंग क्लबों का कार्यकरण ठप्प होना

564. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान-इंधन की कमी के कारण देश में फ्लाइंग क्लबों का कार्यकरण ठप्प हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विमान-ईंधन न मिलने के कारण पिछले नवम्बर से लगभग 4000 कर्मचारी और 90 विमान बेकार हो रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो देश में फ्लाइंग क्लबों का ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार यह समझती है कि इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस ढंग से बाधा पड़ी है कि इसका अर्थ यह होगा कि न केवल प्रशिक्षणार्थियों-क्लबों और सरकार को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी अपितु "सोलो" तथा प्राइवेट पाइलट लाइसेंस प्राप्त करने में अतिरिक्त घंटे भी लगेंगे, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) : जी, हां। विमानन ईंधन की कमी के कारण फ्लाइंग क्लबों का जोकि संख्या में 25 हैं, कार्यचालन नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 के प्रथम सप्ताह तक की अवधि के दौरान बिल्कुल ठप्प हो गया था। क्लबों के 63 विमान तथा 750 कर्मचारी हैं जो इस अवधि के दौरान निठल्ले रहे। फ्लाइंग क्लबें निजी विमानचालक लाइसेंस, वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस तथा उनके नवीकरण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं वहन करना पड़ेगा। परंतु, प्रशिक्षणार्थियों को अतिरिक्त उड़ान कार्य करना पड़ सकता है।

(ङ) भविष्य में ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

माल को जयपुर के गोलचा परिवार का बताया जाना

*565. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री आर० एल० पी० वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में जनेवा के सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त 'रिसीवर' के नियंत्रण में लगभग दो करोड़ रुपये का माल पड़ा है,

(ख) क्या यह सच है कि यह माल जयपुर के गोलचा परिवार का बताया गया है, और

(ग) यदि हां, तो आयकर विभाग, सीमा-शुल्क विभाग, विदेशी मुद्रा-प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसे भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : इस आशय की सूचना मिली है कि जयपुर के श्री हेमचन्द गोलेचा (गोल्चा नहीं) के रत्न, स्विट्जरलैंड के सक्षम न्यायालय के आदेश से वहां के संग्रहालयाध्यक्ष (रिसीवर) के नियंत्रण में रखे हुए हैं। इन रत्नों का वर्तमान बाजार-मूल्य लगभग 25 लाख अमरीकी डालर बताया गया है।

(ग) स्विट्जरलैंड में संग्रहालयाध्यक्ष के नियंत्रण में रखी हुई पूर्वोक्त परिसंपत्तियों के रूप में छिपायी गयी आय पर कर का निर्धारण करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अन्तर्गत श्री हेमचन्द्र गोलेचा के कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 के आय करनिर्धारणों को फिर से शुरू किया गया है। आय कर अधिकारी द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 281-ख के अन्तर्गत एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे श्री गोलेचा की भारत स्थित परिसंपत्तियों को कुर्क किया जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के सम्भावित उल्लंघनों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को दिए गए ऋण

566. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1978-79 के दौरान बैल गाड़ियां, बैल आदि खरीदने के लिये विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में उन लोगों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये जिन्हें प्रत्येक मामले में, 10,000 रुपये से कम राशि के ऋण दिये गये हैं,

(ख) यह ऋण-राशि वर्ष 1976-77 में आवेदकों को दी गई राशि से कितनी न्यूनाधिक है, और

(ग) यदि इसमें कोई कमी हुई तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में बैलगाड़ियों और बैलों की खरीद के लिये दिये गये ऋणों, अथवा 10,000 रुपये से कम के व्यक्तिगत ऋणों के अलग से आंकड़े रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष

1976-77 और 1978-79 में जुताई वाले पशुओं की खरीद के लिये वितरित सावधिक ऋणों का ब्यौरा उपलब्ध है और नीचे दिया जा रहा है।

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अखिल भारत		महाराष्ट्र	
	खातों की संख्या	वितरित राशि	खातों की संख्या	वितरित राशि
1976-77 . .	10,371	180.94	656	10.61
1978-79 . .	28,198	519.09	1,415	42.30

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

567. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री एडुआर्डो फैलीरो :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री मधु दण्डवते :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या गत कुछ महीनों में चीनी, मिट्टी के तेल, डीजल और खाद्य तेलों के मूल्यों में विशेष रूप से भारी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण क्या हैं ; और

(घ) मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :(क)फरवरी, 1980 में समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक फरवरी, 1979 की तुलना में 23.3%अधिक था। वर्ष के दौरान कई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रचुर वृद्धि हुई है।

(ख) नवंबर ,1979 और फरवरी, 1980 के बीच मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल और लो स्पीड डीजल के थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहे, जबकि चीनी के सूचकांक में 28.4%और खाद्य तेलों के सूचकांक में 1.4%की वृद्धि हुई।

(ग) सामान्य स्फीतिकारी स्थिति के बने रहने के अलावा, पिछले तीन महीनों के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि इन कारणों से हुई है—चीनी के लिये दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने में आने वाली प्रारंभिक कठिनाईयां, संचलन संबधी बाधायें, तिलहनों सहित कुछ कृषि पदार्थों के उत्पादन में संभावित गिरावट और मौसमजन्य कारण।

(घ) आधार-ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने और आवश्यक वस्तुओं के संचलन कार्य में तेजी लाने तथा उनके वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और बैंक ऋण पर नियंत्रण रखने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। गोश्त के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के सख्ती से लागू करने के लिये कहा गया है।

भारतीय वस्तुओं के निर्यात लक्ष्य

568. **श्री पी० के० कोडियन** :क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय वस्तुओं के निर्यात के क्या लक्ष्य रखे गये थे ;

(ख) क्या इन लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1979-80 में निर्यातों का लक्ष्य 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना था।

(ख) तथा (ग) : अभी तक उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1979-80 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 4372 करोड़ रु० के निर्यात हुए जिनमें पिछले वर्ष की उसी अवधि के 4105 करोड़ रु० के निर्यातों के संशोधित आंकड़ों में 6.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान संकेतों के अनुसार निर्यातों में 1979-80 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कुछ गिरावट होने की संभावना है। इसके मुख्य कारण ये हैं : निर्यात उत्पादन के लिए बिजली तथा अन्य अंतर्विनिष्ट साधनों की कमी, परिवहन कठिनाइयां, पत्तनों पर भीड़भाड़, बढ़ती हुई कीमतें, विदेशी बाजारों में मंदी की स्थिति तथा विकसित देशों में बढ़ता हुआ संरक्षणवाद।

त्रिवेंद्रम तथा दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

569. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उत्पादन में कमी

570. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में इस्पात उत्पादन में कमी होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी होगी ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष अर्थात् 1978-79 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 81.52 लाख टन तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन 65.91 लाख टन हुआ था। इसकी तुलना में 1979-80 के चालू वित्त वर्ष में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 80.65 लाख टन और विक्रेय इस्पात का उत्पादन 60.3 लाख टन होने की संभावना है। पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष में इस्पात पिण्ड के उत्पादन में लगभग 87 हजार टन और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 561 हजार टन की कमी होने की संभावना है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

571. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों के दौरान करीब-करीब सभी खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खाद्य तेलों के मूल्य नियंत्रित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : नवंबर, 1979 से फरवरी, 1980 के बीच की अवधि के दौरान सरसों, नारियल और जिंजली के तेलों के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान वनस्पति, मूंगफली के तेल और करड़ी के तेल के सूचकांकों में गिरावट का रुख देखा गया। कुछ खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि इन कारणों से हो सकती है—कुछ तिलहनों के उत्पादन में होने वाली संभावित गिरावट, संचलन संबंधी बाधाएं तथा मौसम जन्य कारण।

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा आयात की जा रही है। खाइसेंससुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच विक्रय हेतु आयातित खाद्य तेल राज्य सरकारों को सप्लाई किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

को सबल तथा फिर से सक्रिय बनाएं। इसके अतिरिक्त विगत में राज्य व्यापार निगम ने भी कुछ चुने केंद्रों में समय-समय पर खाद्य तेलों के वाणिज्यिक विक्रय के जरिय मंडियों में प्रवेश किया, ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। वनस्पति उद्योग की इस बात की अनुमति दी गई है कि वह वनस्पति के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की 9.5%तक मात्रा का उपयोग राज्य व्यापार निगम से आयातित तेल खरीद कर कर सकता है, ताकि देशीय तेलों की मांग पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और सीधी खपत के लिए इनकी अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकारों से भंडारण नियंत्रण आदेश के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने और जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि में लिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण की नीलामी

572. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री के० मालन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन के दौरान भारत के रिजर्व बैंक ने कुल कितनी मात्रा में स्वर्ण की नीलामी की ;

(ख) किन-किन लोगों को स्वर्ण बेचा गया और प्रत्येक को कितनी मात्रा में तथा किस दर पर बेचा गया ;

(ग) क्या स्वर्ण की नीलामी सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर विचार करने और आगे कार्यवाही के लिये सुझाव देने के लिये रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी ; और

(घ) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है और यदि हां, तो उसमें दिये गये सुझावों तथा/अथवा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई, 1978 से 23 अक्तूबर, 1978 तक की गई 14 नीलामियों में 12.956 टन सोना बेचा गया।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी भंडारों से मई से अक्तूबर, 1978 तक पन्द्रह-पन्द्रह दिन बाद निविदा पद्धति से नीलामी के जरिये सोने की बिक्री की। सोने की नीलामी में बोली देने की इजाजत, लाइसेंस धारी स्वर्ण व्यापारियों को, प्रमाणित स्वर्णकारों के ऐसे समूहों को जिनमें पांच से अधिक स्वर्णकार न हों तथा स्वर्णकारों की ऐसी सहकारी समितियों को दी गयी थी, जिनके पास सोने का व्यापार करने के लिए वैध लाइसेंस थे।

नीलामियों में कुल 18,316 वैध बोलियों में से 8,577 बोलियों को स्वीकार किया गया। रिजर्व बैंक ने, प्रत्येक नीलामी के अन्त में, अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस प्रकाशित किया जिसमें सफल बोली देने वालों के नाम और पते, बेचे गये सोने की मात्रा और बिक्री-दर दिये गये थे। इन सभी सूचियों की प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

(ग) और (घ): अक्तूबर, 1978 में सोने की नीलामी स्थगित कर देने के तुरन्त बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति, स्वर्ण नीति की सब पहलुओं से जांच करने के लिए नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सरकार जब समिति की सिफारिशों की जांच कर चुकेगी, तब उन्हें जाहिर किया जायगा।

उत्तर प्रदेश में लोहे के मूल्य में वृद्धि

573. **श्री राम लाल राही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लोहे के निर्धारित मूल्य की तुलना में इसके मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) तथा (ख): सम्भवतया माननीय सदस्य का संकेत कच्चे लोहे की ओर है। उत्तर प्रदेश में खुले बाजार में कच्चे लोहे के प्रवर्तमान मूल्य मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्ड मूल्यों से, जो सारे देश में एक समान हैं, प्रायः अधिक बताए जाते हैं। अधिकांश मांग की पूर्ति मुख्य उत्पादकों द्वारा निश्चित मूल्य पर की जाती है। खुले बाजार के मूल्य स्थान-स्थान तथा समय-समय पर अलग-अलग होते हैं जो कई बातों पर निर्भर करते हैं।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० अपने कारखानों में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। कोककर कोयले की मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से अपर्याप्त सप्लाई के कारण मई-सितम्बर, 1979 तथा फरवरी, 1980 में उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। कच्चे लोहे के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

ढलाई कारखानों को कच्चे माल की उपलब्धि बढ़ाने के लिए मेटल-स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन की मार्फत ढलवें लोहे का स्क्रैप भी दिया जा रहा है, जो कच्चे लोहे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को इसका आवंटन किया गया हो उनके द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके अन्ततः उपयोग पर पुनः पाबन्दी लगा दी गई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन करने पर लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकों तथा अन्य पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति

574. **श्री राम लाल राही:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं में प्रबंधकों के तथा अन्य रिक्त पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती के मामले में आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्तियों को, पदनाम-वार नियुक्त किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे सभी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण की नीति का पालन किया जा रहा है।

(ख) इस अवधि के सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	अधिकारी	लिपिक	अधीन कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीन कर्मचारी
1976 . .	125	3376	981	25	672	183
1977 . .	289	3858	1721	38	617	288
1978 . .	479	4842	1863	75	845	336
1979* . .	154	2569	1594	84	580	430

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

चीनी का खुदरा मूल्य

576. **श्री ज्योतिर्मय बसु:**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जनवरी, 1980 को चीनी का खुदरा मूल्य क्या था ; और

(ख) चीनी का वर्तमान खुदरा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) व (ख)। सूचना नीचे दी गयी है :—

चीनी के खुदरा मूल्य

नीचे दी गयी तारीखों को खुदरा मूल्य

केन्द्र	(रु० प्रति किलोग्राम)	
	10-1-1980	10-3-1980
दिल्ली	4.60	5.90
मद्रास	4.50	5.90
बंबई	4.50	6.10*
बंगलौर	4.60	6.25*
कलकत्ता	4.50	6.20*

*7-3-1980 के मूल्य।

सीमेंट और चीनी का निर्यात

577. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट, चीनी जसी कमी वाली वस्तुओं के निर्यात की अब भी अनुमति दी जा रही है; और

(ख) 1971-1979 के बीच किए गए निर्यात की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) नेपाल तथा भूटान के लिए थोड़ी मात्रा में सीमेंट के निर्यात को छोड़ कर 1977 के मध्य से सीमेंट के निर्यात को अनुमति नहीं दी गई है। पिछली अनिवार्य वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में सीमेंट के निर्यात की अनुमति दी गई थी।

चीनी को राज्य व्यापार निगम की मार्फत निर्यात करने की अनुमति दी गई है तथा निर्यात के लिए मात्रा का निर्धारण देश में चीनी की उपलब्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत दायित्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । इस वर्ष निर्यात की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) 1971-79 के बीच सीमेंट तथा चीनी का निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुआ है :—

(मात्रा हजार मे० टन में, मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	सीमेंट		चीनी	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1971-72	196.6	260	316.7	3,020
1972-73	316.8	503	101.8	1,327
1973-74	160.7	252	252.5	4,269
1974-75	301.8	858	694.8	33,901
1975-76	386.3	1,423	1201.2	47,233
1976-77	871.6	2,905	580.4	14,812
1977-78	338.7	1,233	68.7	1,947
1978-79	50.8	208	738.0	13,192

नमक का आयात

578. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-77 के दौरान कितने मूल्य के नमक का आयात किया गया ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नमक का आयात (क)

वर्ष	मूल्य (लाख रु०)
1971-72 . . .	4.17
1972-73 . . .	3.94
1973-74 . . .	10.92
1974-75 . . .	5.47
1975-76 . . .	6.80
1976-77 . . .	3.99
1977-78 (ख) . . .	13.48

टिप्पणी: (क) नमक में शामिल है: खुदरा बिक्री के लिए नमक, लवण द्रव, और समुद्री जल।

(ख) 1977-78 के आंकड़े सादा नमक (सैंधा नमक, समुद्री नमक और टेबल साल्ट), शुद्ध सोडियम क्लोराइड, लवण द्रव, समुद्री जल के सम्बन्ध में हैं।

आयात की आय में से ब्याज और ऋण कार्य पर व्यय

579. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज और ऋण-कार्य तथा अन्य सम्बन्धित लेखों (गत तीन वर्षों और इस वर्ष के आंकड़े) पर हमारी निर्यात आय का कितने प्रतिशत व्यय होता है,

(ख) अशोधित तेल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये कितनी प्रत्याशित/अनुमानित राशि की आवश्यकता है (गत तीन वर्षों और इस वर्ष के आंकड़े); और

(ग) खाद्य तेल के आयात के लिये कितनी प्रत्याशित अनुमानित राशि अपेक्षित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) भारत के निर्यात की तुलना में ऋण परिशोधन के कुल व्यय का प्रतिशत 1976-77 में 14.7, 1977-78 में 15.2 तथा 1978-79 में 15.4 था। अनुमान है कि 1979-80 में कुल निर्यात का 14.1 प्रतिशत ऋण परिशोधन पर व्यय होगा।

(ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 1976-77 में 1417.04 करोड़ रुपए, 1977-78 में 1551.54 करोड़ रुपए तथा 1978-79 में 1681.16 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अनुमान है कि 1979-80 में कच्च तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का मूल्य 3712.11 करोड़ रुपए होगा।

(ग) अनुमान है कि खाद्य तेलों के आयात पर 1979-80 में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मौसम सूचना व्यवस्था की स्थापना

580. **श्री के० प्रधानी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक विपत्तियों के सम्बन्ध में चेतावनी की सूचना देने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में और अधिक मौसम सूचना केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)। (क) और (ख) : जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसट) के मौसम वैज्ञानिक प्रयोज्यता कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके कि 1981 में चालू किए जाने की आशा है, देश के ही अंतर्गत भूमिस्थित सुदूरस्थ एवं सुदुर्गम क्षेत्रों में डेटा संकलन प्लैटफार्म (डी० सी० पीज) नाम के कई स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्य कई चरणों में किया जाएगा। ये डेटा संकलन प्लैटफार्म ऐसे क्षेत्रों में, जहां ये स्थित हैं, मौसम प्रेक्षण रिकार्ड करेंगे तथा अपने प्रेक्षणों को उपग्रह को पारेषित करेंगे और उपग्रह बदले में इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों को नयी दिल्ली स्थित डेटा उपयोक्ता केन्द्र को भेजेगा। इन स्टेशनों के आंकड़ों से मौसम वैज्ञानिकों को प्रतिकूल मौसमी तत्वों के सुदूरस्थ एवं सुदुर्गम क्षेत्रों के ऊपर से होकर संचलन पर निगरानी रखने में सहायता मिलेगी।

भूवनेश्वर–पुरी कोणार्क के स्वर्ण-त्रिकोण में पर्यटन का आधारभूत ढांचा

581. **श्री के० प्रधानी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए भुवनेश्वर-पुरी कोणार्क के स्वर्ण-त्रिकोण और देश में पर्यटन स्कूलों के अन्य समूहों में पर्यटन के आधारभूत ढांचे का विकास करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)। (क) और (ख) : भूवनेश्वर-पुरी-कोणार्क के स्वर्ण त्रिकोण में पर्यटन के आधारभूत ढाचे का विकास करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। युवा यात्रा के संवर्धन के लिए पुरी में एक 46 बैड वाले युवा होस्टल का निर्माण किया गया है; भुवनेश्वर स्थित विद्यमान यात्री गृह में 26 डबल कमरों का एक ब्लाक जोड़ कर इसका विस्तार किया गया है और इस प्रकार बैड क्षमता 76 तक बढ़ गयी है। इसका अब दोबारा नाम होटल कलिंग अशोक रखा गया है। कोणार्क की एक महा योजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की गयी है ताकि सुविधाओं का विनियमित विकास सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही स्थान की पर्यावरण संबंधी विशेषताओं को बरकरार रखा जा सके। महा योजना पर राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही महायोजना अनुमोदित कर दी

जाती है और उसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, सुविधाओं के विकास का दायित्व संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा । इसके अलावा, पर्यटन विभाग ने चिल्का झील पर पक्षियों के अवलोकन के लिए एक मोटर नांच की व्यवस्था की है।

भावी प्रस्तावों में, सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक वन गृह का निर्माण तथा कोणार्क में यात्री गृह का विस्तार और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पुरी में एक होटल का निर्माण, शामिल हैं।

पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटक केन्द्रों के जिन कुछ अन्य ग्रुपों पर विचार किया जा रहा है वे ये है :—बौद्धगया—राजगीर-नालंदा- कुशीनगर-श्रावस्ती के बौद्ध तीर्थ सर्किट, मद्रास-महाबलिपुरम्-मदुरै-त्रिवेन्द्रम । कोवलम-बंगलौर-मैसूर के दक्षिण भारत यात्रा सर्किट, आगरा-फतेहपुर सीकरी-भरतपुर, वृजभूमि, जोधपुर-बीकानेर-जैसलमर का मरुस्थल त्रिकोण, हिमालयपार क्षेत्र में, ट्रेकिंग, और बदामी-पट्टदकल-एहोली-हम्पी।

दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी में चाय बागान का बंद होना

582. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जीलिंग और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कुछ चाय बागान बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) तथा (ख) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले में अपर फाग, पनदम और माहन मशुआ नाम की तीन चाय एस्टेट फिलहाल बन्द है।

विदेशी मुद्रा कोष में कमी

583. **श्री आमर राय प्रधान :**
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री चित्ता नहाटा :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विदेशी मुद्रा कोष में कमी के क्या कारण है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में होने वाले उतार चढ़ाव अन्य देशों के साथ भारत के लेनदेनों का निवल परिणाम होते हैं । इन लेनदेनों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के आंकड़ों का संकलन कर लिए जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेगा।

किन्तु मोटे तौर पर ऐसे संकेत मिले हैं जिन से यह पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में जो थोड़ी सी कमी हुई है वह मुख्य रूप से एक ओर निर्यात व्यापार के शिथिल विकास और दूसरी ओर मध्यवर्ती उत्पादों तथा खाद्य तेलों जैसी आत्म उपभोग की कच्चे माल की मदों के बड़ी मात्रा में आयात किए जाने तथा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, अलौह धातुओं आदि के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के फलस्वरुप आयात बिल के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यापारिक घाटे में बढ़ोतरी का परिणाम है।

विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग करने के संबंध में सरकार की सुविचारित नीति यह है कि कीमतों को एक उचित स्तर तक स्थिर बनाए रखते हुए] इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। आयात बिल में भारी वृद्धि का कुछ कारण तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों आदि की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में, भारी वृद्धि होना है । कोयला, इस्पात, बिजली आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों और देश के सामान्य आधारभूत ढांचे के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। कई क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाने का प्रस्ताव है।

देश में आर्थिक असन्तुलन

584. **श्री के लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा देश में पैदा किए गए आर्थिक असन्तुलन का मूल्यों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा आर्थिक विकास के गतिरुद्ध हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) वर्तमान सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अर्थव्यवस्था में वर्तमान असंतुलन जिनके कारण कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में गतिरोध और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है, कुछ तो पिछली सरकार की अनुपयुक्त नीतियों और प्रभावहीन प्रबन्ध के कारण है और कुछ अन्य कारणों से जैसे कि देश में भयंकर सूखे का पड़ना और पेट्रोलियम और पट्रोलियम उत्पादों जैसी महत्वपूर्ण मदों की आयात कीमतों में तीव्र वृद्धि होना। इन विभिन्न तत्वों के प्रभाव का अलग-अलग मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ख) वर्तमान सरकार निम्नलिखित उपायों द्वारा कीमत स्थिति पर काबू पाने के लिए कृत संकल्प है:-

(i) उत्पादन और पूर्ति और पूर्ति में वृद्धि करके;

(ii) पूर्ति और मांग का बेहतर प्रबन्ध करके;

(iii) मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण की वृद्धि पर रोक लगाकर;

(iv) आधारभूत ढांचे की सुविधाओं को मजबूत बनाकर;

(v) वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाकर और वर्तमान कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करके।

आर्थिक अपराधियों द्वारा बनाई गई समानान्तर अर्थ व्यवस्था से बचना

585. **श्री के लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध ऐसी दाण्डिक कार्यवाही करनेपर विचार कर रहा है जिससे उन पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना भी शामिल है ताकि आर्थिक अपराधियों द्वारा देश में पिछले ढाई वर्षों के दौरान बनाई गई समानान्तर अथव्यवस्था से बचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मंत्रालय के माध्यम से लागू किये जा रहे काननों की वर्तमान प्रणाली में क्या विशेष परिवर्तन किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : सरकार का इरादा, तस्करों, विदेशी मुद्रा छलसाधकों और कर अपवंचकों जैसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का है। आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में शीघ्र मुकदमे चलाने के लिए, सरकार राज्य सरकारों के साथ इस प्रस्ताव को बड़े उत्साहपूर्वक उठा रही है कि कुछ विशिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अपराधों से ही निपटने के लिए या तो कुछ न्यायालयों को नियत किया जाय, या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाय।

तस्करी पर काबू पाने के लिए हवाई अड्डों समुद्र तटीय क्षेत्रों और भू-सीमाओं सहित तस्करों की सम्भावना वाले सभी क्षेत्रों में तस्करी निवारक उपाय बढ़ा दिए गए हैं। पश्चिमी समुद्र-तट और भारत-पाक सीमा के साथ-साथ बेतार संचार की सुविधा की व्यवथा की गयी है। बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों और बम्बई गोदी में विशेष आसूचना एककों की स्थापना की गयी है।

कर-चोरी के रोकने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत कर अपराधों के लिए मुकदमा चलाने सम्बन्धी उपबन्धों को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा सख्त कर दिया गया है, जिससे कि वे वस्तुतः निवारक सिद्ध हो सकें। आयकर आयुक्तों को इन नये उपबन्धों का और भी अधिक प्रभावपूर्व प्रयोग करनेकी सलाह दी जा रही है और यह देखने को कहा जा रहा है कि उन सभी मामलों में मुकदमें चलाये जायं जिनमें कर उपवंचन के महत्व को देखते हुए मुकदमें चलाने का औचित्य हो।

अन्य आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध भी, देश के कानूनों के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कानून के वर्तमान ढांचे में ऐसे संशोधनों को लागू किया जाएगा, जो आवश्यक होंगे।

मैसर्स मोहन मेकीन ब्रेवरीज पर कार्बन डाय-आक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए जुर्माना

586. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मोहन मेकीन ब्रेवरीज और इसकी सम्बद्ध कम्पनियों पर कार्बन-डाय-आक्साईड गैस का उत्पादन करने के संबंध मे दो करोड़ रुपये की धनराशि का जुर्माना किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या पिछली सरकार ने उक्त जुर्माना माफ कर दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(घ) इन आदेशों को जारी करने का उत्तरदायी कौन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मैसर्स मोहन मेकीन ब्रीवरीज लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का अर्थदण्ड लगाया था और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कानपुर ने उनके संयंत्र और मशीनों आदि की जब्ती के बदले, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क्यू के तहत, 50 लाख रुपय का जुर्माना निश्चित किया था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून का तथाकथित उल्लंघन करके उनके द्वारा कार्बन डाइ-आक्साइड का उत्पादन किए जाने तथा उसे विकसित किए जाने के सिलसिले में उनसे 27,79,799.87 रुपये का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी मांगा गया था।

(ख) उन्हें 1 नवम्बर, 1972 से 27 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून का उल्लंघन करके अपने कारखाने में बियर तैयार करने के लिए इस्तेमाल हेतु, 27,40,499.48 किलोग्राम से भी अधिक कार्बन डाइ-आक्साइड का अपने कारखाने में निर्माण करने और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 14-एच के तहत उस पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा किए बिना ही, उसकी निकासी करने का जिम्मेदार ठहराया गया था।

(ग) जी, नहीं । जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया, है केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कानपुर ने उक्त आरोपों को प्रमाणित करार देखकर तदनुसार आदेश पारित कर दिया । अर्थदण्ड और जुर्माना लगाने तथा शुल्क की मांग जारी करने के समाहर्ता के आदेश के खिलाफ एक अपील पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है । बोर्ड की तीन सदस्यीय बैंच ने सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया है और अपील पर शीघ्र निर्णय किए जाने की आशा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

मैसर्स खास कुजोइया कोल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विषय में संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायत

587. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय को मैसर्स खास कजोइया कोल कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता द्वारा हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड के कलकत्ता शाखा के एजेण्ट श्री जे० पी० सिंघल से सांठ गांठ करके सरकार को 2,25,000 रुपये का धोखा दिए जाने के सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों से शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का स्वरुप और मामले के पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार उक्त राशि की वसूली के लिए और अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) ऐसी लगता है कि सरकार के पास किसी भी संसद सदस्य से कोई शिकायत नहीं आई है । परन्तु हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड के हिस्सदारों और खातेदारों की ओर से की गई एक हस्ताक्षर रहित शिकायत मार्च, 1979 के अंत में जरुर आई थी । उसके बाद जुलाई 1979 में लोक सभा में प्रश्नों के नोटिस भी मिले थे।

(ख) और (ग) : इस शिकयात में आरोप लगाया गया है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से, खास कजोइया कोल कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधकों ने केंद्रीय सरकार द्वारा 31-1-73 से कील कम्पनियों का अभिग्रहण कर लेने के पश्चात् बैंक के खाते से 2.25 लाख रुपयें की राशि मैसर्स जौवलाल हरगूलाल के नये खोले गये खाते में धोखे धड़ी से अंतरित कर दी और अन्तरण के इस इंदराल को 30-1-73 को किया गया दिखा दिया गया। हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा की गई जांच पड़ताल से निश्चित रुप से यह सिद्ध नहीं हुआ कि अन्तरण के ये इंदराज 30-1-73 को कारोबार बंद होने के बाद अथवा 31-1-73 को पिछली तारीखों में किये गये थे । इसलिये, बैंक के निदेशक मंडल ने सम्बंधित अधिकारी को रिकार्ड में हेराफेरी करने के आरोप से बरी कर दिया है।

रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले की जांच की गई तो उसने यह निष्कर्ष निकला कि सरसरी तौर पर खातों में जालसाजी का शक होता है । इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भी भेजा गया था जिसने यह कहा है कि उपलब्ध सबूतों से किसी ऐसे संज्ञेय (कागनी-जेवल) अपराध का होना जाहिर नहीं होता, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरों दर्ज करके जांच के लिये स्वीकार करे ।

हालांकि आहरण (विड्राल) रोकने वाले आदेशों को बाद में सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और इसलिये बैंक को कोई हानि नहीं हुई, फिर भी बैंक कर्मचारियों द्वारा खातों में हेरा फेरी का शक अभी तक बना हुआ है । इसलिये रिजर्व बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड को सलाह दे रहा है कि वह अपने काननी सलाहकारों से परामर्श करके और बैंक के अध्यक्ष को रिपोर्ट को आधार मानकर एवं साथ ही उचित सबूतों की उपलब्धता को देखते हुए, बैंक की उप शाखा के तत्कालीन एजेंट, श्री सिंघल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने का निर्णय करे ।

आस्ट्रेलियाई मार्केट में भारतीय डीजल इंजनों की मांग

588. **श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की मार्कीट में भारतीय डीजल इंजनों की मांग है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित इंजनों के डिजाइन और किस्म का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन भी किया गया है और यदि हां, तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये अपेक्षित सुझावों और परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। भारत ने आस्ट्रेलिया को 1976-77 में 31.85 लाख रु० मूल्य के और 1977-78 में 44.85 लाख रु० मूल्य के डीजल इंजनों व पुर्जों का निर्यात किया।

(ख) आस्ट्रेलिया बाजार में जिस प्रकार के इंजनों की आवश्यकता है, वे इस प्रकार है : पम्प सैट, जेनेरटर सेट तथा सामान्य प्रयोग के लिए स्टेशनरी डीजल इंजिन, 1500 से 2800 आर० पी० एम० तक के 5 से 80 एच० पी० वाले समुद्री डीजल इंजन और धीमी गति वाले लिस्टर-टाइप स्टेशनरी इंजन ।

(ग) जी हां। व्यापार विकास प्राधिकरण ने मई, 1979 में एक अध्ययन किया था जिस में भारतीय डीजल उद्योग की तुलना म आस्ट्रेलिया में डीजल इंजनों की आवश्यकताएं और बाजार स्थितियों, का अध्ययन करना शामिल था। अध्ययन की मुख्य सिफारिश यह है कि ऐसे इंजन बनाये जाएं जो लगातार चलने के लिए उपयुक्त हों और उन में गति पर नियंत्रण रखने, आधी गति व वैकल्पिक ड्राइव, स्वयं चालू होने और स्वचालित रुप से बंद होन की व्यवस्था हो, फ्लाई व्हील हाउसिंग, जैकशाफ्ट ड्राइव व्यवस्था, फ्लैक्सीबल कपलिंग आदि हो, लगभग 50 एच० पी० और 6 एच० पी० वाले हाई स्पीड काम्पैक्ट इंजनों का उत्पादन करने के लिए क्षमता का सृजन किया जाय, इंजन विनिर्माताओं द्वारा इंजनों की बेहतर पकेंजिग की जाये और व्यापक सूचियां तथा सर्विस नियम पुस्तिकाएं तैयार की जायें ।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर अक्तूबर, 1979 में आग लगने की घटना

590. **श्री निहाल सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर अक्तूबर, 1979 में किन कारणों से आग लगी और उससे जान व माल की कितनी हानि हुई तथा उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आग के कारणों का पता लगाने के लिए स्थापित की गयी समिति ने सूचति किया है कि आग लगने का संभावित कारण विमानक्षेत्र के अंतराष्ट्रीय डिपार्चर हॉल के 'वैदर मेकिंग रुम' में किए जा रहे वैल्डिंग के कार्य से निकलती हुई चिंगारियां थीं। आग इस कमरे से वायु वाहिनियों (Air ducts) तथा कृत्रिम छतों (False Ceilins) से होती हुई अन्य प्रभावित क्षेत्रों तक फैल गयी । बम्बई पुलिस मामले की और आगे जांच कर रही है।

आग के परिणामस्वरुप निकले अत्यधिक घने धुएं के कारण दम घुट जाने से एक भारतीय राष्ट्रिकता वाली महिला तथा अमरीकी राष्ट्रिकता वाली उसकी दो छोटी (अवयस्क) लड़कियों की मृत्यु हो गयी।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सम्पत्ति को आग लगने के परिणामस्वरुप हुई अनुमानित क्षति लगभग 21 लाख रुपए है । तीसरी पार्टियों से अब तक 2.85 लाख रुपए से अधिक के 23 दावे प्राप्त हो चुके हैं और उन पर प्राधिकरण विचार कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन द्वारा "थर्ड पार्टी इंश्योरेंस" करवाया हुआ था।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड द्वारा फालतू कर्मचारियों को मध्य पूर्व में नियुक्त करना

591. **श्री समर मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कस्ट्रक्शन लिमिटेड ने मध्य पूर्व में कुछ ठेके प्राप्त किये है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के विभिन्न एककों में काफी संख्या में फालतू कर्मचारी ह;

(ग) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड इन फालतू कर्मचारियों को मध्य पूर्व में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) से (घ) : हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० में फालतू कर्मचारी मुख्यत: संरचनात्मक और उपस्करों की स्थापना करने वाले कर्मचारी हैं। यद्यपि इस समय हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० के पास मिडल-ईस्ट में केवल एक परियोजना नामत: ईराक में जल अनुसंधान केन्द्र के निर्माण का सिविल कार्य ही है, इसलिए मिडल ईस्ट में फालतू कर्मचारियों को खपाने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी, जहां तक संभव हो सकता है, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० कुछ उपस्करों के संचालन तथा उनके रख-रखाव के लिए वर्तमान श्रमिकों के पुन: अभिविन्यास तथा विभागीय श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति द्वारा उनको खपाने का प्रयत्न कर रही है।

सुपर बाजार द्वारा बेची जाने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि

592. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में सुपर बाजार तथा इस की शाखाओं द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह से बेची जा रही चीनी के मूल्य अचानक बढ़ा दिये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण ह; और

(ग) उसके मूल्य को कम करनें के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाय गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व (ख) : सुपर बाजार तथा उसकी शाखाओं द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली चीनी के खुदरा मूल्य उन थोक मूल्यों के रुख पर निर्भर करते है जिनपर उनके द्वारा लेवी मुक्त चीनी की खरीद की जाती है । फरवरी, 1980 में चिनी के थोक मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुये, सुपर बाजार को चीनी के खुदरा मूल्य बढ़ाने पड़े हैं।

(ग) आधार-ढ़ाचे संबंधी बाधाओं को दूर करने और चीनी के संचलन कार्य में तेजी लाने तथा उसके वितरण में सुधार करने के लिये प्रयत्न किय जा रहे हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को आवंटित लेवी चीन का कोटा कार्ड धारियों को नियत मूल्यों पर वितरित किया जा रहा है । जमाखोरी और चोरबाजारी के मामले का पता लगाने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा छापे भी मारे जा रहे हैं।

एक अर्थशास्त्री द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया

593. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक अर्थ-शास्त्री डा० पी० ए० ब्रह्मनन्दा द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि सरकार को मूल्यों को कम करने के लिये शक्तियों प्राप्त करने हेतु वित्तीय आपात स्थिती की घोषणा कर देनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि के संबंध में सरकार चिन्तित है और इस स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर रही है । सरकार के पास वर्तमान कानून के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा किए बिना ही अनिवार्य पूर्ति अधिनियम,—काला-बाजार विरोधी व्यवस्था और अनिवार्य वस्तु और अनिवार्य वस्तुपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम आदि के माध्यम से कीमत की स्थिति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

टेक्सटर्रिंग (क्रिम्पिग) मशीनों का आयात

594. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-निवासी भारतीय द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा की योजना के अन्तर्गत कितनी और कितने मूल्य की टेक्सटर्रिंग (क्रिगम्प्रिग) मशीनों के आयात की अनुमति दी गई थी और कितनी मशीनों का वास्तव में आयात किया गया तथा इन किन पार्टियों के द्वारा किया गया ;

(ख) क्या उक्त आयातों के विरुद्ध पहले अभ्यावेदन दिये गये थे कि इनके आयात से स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उक्त अभ्यावेदनों के बावजूद पिछली सरकार ने उक्त मशीनरी के आयात की अनुमति दी थी ;

(घ) क्या वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद उक्त सभी आयातों पर जो कि स्वदेशी उद्योग के लिए न केवल घातक हैं अपितु जिससे इस उद्योग में कार्य कर रहे हजारों श्रमिकों के बेरोजगार होने की सम्भावना हैं, प्रतिबन्ध लगाने के लिए फिर से अभ्यावेदन दिये गये ह ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1978-79 के दौरान बसने के लिए स्वदेश लौटने वाले गैर-निवासी भारतीयों को आयात की सुविधाएं देने की योजना के अंतर्गत 43.50 लाख रु० मूल्य की 22 पुरानी टेक्सटराइजिंग मशीनों के आयात के लिए 4 मामलों में लाइसेंस जारी किय गये थे । पार्टियों के नाम तथा अन्य विवरण संलग्न हैं । यह मालूम नहीं है कि क्या इन मामलों में वास्तविक आयात कर लिये गये हैं। क्योंकि फर्म-वार आयात के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं । 1979-80 के दौरान अब तक इस योजना के अंतर्गत इन मशीनों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ख) से (ङ) : जनवरी, 1980 में नई सरकार के बनने के पहले तथा बादमें इस बारे में स्वदेशी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि इन मशीनों का आयात करने से इन मशीनों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह निर्णय लिया गया है कि नीति में कोई मध्यावधि परिवर्तन न किया जाए । मामले की समीक्षा अगले वर्ष की नीति के सन्दर्भ में की जाएगी और स्वदेशी उद्योग को वैध संरक्षण देने तथा गैर-निवासी भारतीयों को बसने के लिए स्वदेश लौटने की सुविधा देने की संतुलित विवेचना करने पर निर्णय लिया जाएगा ।

विवरण

क्रमांक	लाइसेंसधारी का नाम	मात्रा	सी आई एफ मूल्य
1.	मि० गोपालदास एच० सावलानी, बम्बई	छः अदद पुरानी डबल हीटर ड्रा टेक्सटराईजिंग मशीनें ।	14,40,000 रु०
2.	मि० दीपा वी० तिवानी, बम्बई	पांच अदद पुरानी ड्रा टेक्सटरा ईजिंग मशीनें ।	9,80,000 रु०
3.	मि० लछमनदास एच० शर्मा, बम्बई	पांच अदद पुरानी यार्न टैक्सटराईजिंग मशीनें तथा मफ तथा कोनिंग मशीन सहित एक एकक पुराना यार्न डाइंग संयंत्र ।	9,50,000 रु०
4.	मि० चन्द्र एच० शर्मा, बम्बई	छः अदद पुरानी टैक्सटराईजिंग मशीनें जिनके साथ ब्वाय ड्रा टैक्सटराईजिंग उपस्कर संलग्न हैं ।	9,80,000 रु०
		योग सी आई एफ	43,50,000

इण्डियन एयरलाइन्स के सेवा-मार्गों में शामिल किये जाने वाले नये नगर

595. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश तथा विदेशों में इंडियन एयरलाइन्स के सेवा-मार्गों में शामिल किये जाने वाले नये नगरों की ब्यौरेवार संख्या कितनी है ; और

(ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान कितने नये विमान खरिदे जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इंडियन एयरलाइंस की किसी नये शहर के लिए विमान सेवा चालू करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ख) 1980-81 क दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईन्स को निम्नलिखित नये विमान डिलीवर होने हैं :–

एयर इंडिया	बोइंग-747	एक
इंडियन एयरलाईस		
	एयरबस	दो
	बोईंग-737	छः

राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को ऋण देने की योजना

596. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को ऋण देने के लिए एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उससे राज्यवार कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् विशेष नियंत्रण लागू होने से, बैंकों की कृषि संबंधी ऋणों में अंतर्ग्रस्तता हर वर्ष बढ़ ही रही है। बैंक ग्रामीण इलाकों के लोगों की भलाई क लिये सरकार कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा लघु कृपक विकास अधिकरण, सूखे वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हाल ही में शुरू किये गये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि जेसे अन्य अभिकरणों द्वारा बनाई गई योजनाओं में भाग लेते हैं और इस प्रयोजन के लिये बहुत सी योजनाएं स्वयं भी बनाते और उन्हें लागू करते हैं।

(ख) दिसम्बर, 1978 के अंत को स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों के ऋण खातों की (ताजा उपलब्ध) राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	खातों की संख्या	राज्य	खातों की संख्या
1. उत्तरी क्षेत्र . .	478159	3. पश्चिम बंगाल .	356143
1. हरियाणा . .	91628	4. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . .	461
2. हिमाचल प्रदेश .	52043		
3. जम्मू एवं कश्मीर .	14516	4. केन्द्रीय क्षेत्र . .	876177
4. पंजाब . .	155976	1. मध्य प्रदेश . .	233598
5. राजस्थान . .	151718	2. उत्तर प्रदेश . .	642579
6. चण्डीगढ़ . .	541	5. पश्चिमी क्षेत्र . .	571762
7. दिल्ली . .	11737	1. गुजरात . .	212428
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र . .	57144	2. महाराष्ट्र . .	333163
1. असम . .	27256	3. गोवा, दमन एवं दिव .	25947
2. मणिपुर . .	2948	4. दादर एवं नागर हवेली .	224
3. मेघालय . .	4991	6. दक्षिणी क्षेत्र . .	2577001
4. नागालैण्ड . .	590	1. आन्ध्र प्रदेश . .	953623
5. त्रिपुरा . .	21177	2. कर्नाटक . .	503674
6. अरुणाचल प्रदेश .	102	3. केरल . .	387490
7. मिजोरम . .	80	4. तमिलनाडु . .	894776
8. सिक्किम . .	..	5. पांडेचेरी . .	37327
3. पूर्वी क्षेत्र . . .	872914	6. लक्षद्वीप . .	111
1. बिहार . .	304284		
2. उड़ीसा . .	212026		

भारत में तीसरे पायलट की व्यवस्था का सूत्रपात

597. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों की संख्या लगभग 500 है ;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने इण्डियन एयरलाईंस से प्रशिक्षित वाणिज्यिक पायलट मांगे थे, यदि हां, तो कब और उसका परिणाम क्या रहा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया के पास जिस तरह के विमान हैं उसी तरह के विमानों का उपयोग करने वाली अधिकांश विदेशी एयरलाइनों ने तीसरा पायलट रखना भी शुरू कर दिया है, यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में भी तीसरे पायलट की व्यवस्था आरम्भ करने का इरादा है, यदि नहीं तो क्या कारण ह ; और

(घ) क्या सरकार इण्डियन एयरलाइंस के पायलट एयर इंडिया को देने के लिए तैयार है, जिससे कि बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों को अपनी जगह नियुक्ति पाने का अवसर मिल सके, यदि हां तो कब, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :(क) 1-2-1980 तक के रिकार्डों के अनुसार, चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस वाले लगभग 162 विमानचालक बेरोजगार हैं।

(ख) एयर इंडिया ने जून तथा नवम्बर, 1978 में और अप्रैल, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1979 में इंडियन एयरलाईंस से विमानचालकों की मांग की थी, परंतु इंडियन एयरलाईंस स्वयं अपने विस्तार कार्यक्रम के कारण एयर इंडिया को कोई विमानचालक नहीं दे पाये थे।

(ग) कोई भी एयरलाइन तीन उड़ान कार्मिकों अर्थात् कमांडर, को-पायलेट तथा फ्लाईट इंजीनियर के अलावा तीसरा विमानचालक नहीं ले जाती। फ्लाईट इंजीनियर एक पायलेट, प्रशिक्षित फ्लाइट इंजीनियर अथवा विशेषज्ञ फ्लाइट इंजीनियर हो सकता है। इस संबंध में पृथक-पृथक एयरलाइनों में पृथक-पृथक परिपाटी है। एयर इंडिया ने तीसरे विमानचालक की परिपाटी नहीं अपनायी है।

(घ) फिलहाल इंडियन एयरलाईंस के लिए मल्टी-फ्लीट परिचालन आवश्यकताओं के कारण अपने विमानचालकों को निर्मुक्त (release) करना कठिन है।

प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते पर खर्च किये गये बजट का प्रतिशत

598. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते आदि पर खर्च की गई राशि कुल बजट का कितने प्रतिशत है और यह राशि कितने कर्मचारियों पर खर्च की गई ; और

(ख) क्या मंत्रालय ने इस तथ्य की जांच की है कि इस संदर्भ में खर्च की गई राशि और जनशक्ति का उचित उपयोग हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार में नियमित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगभग 32 लाख है जिसमें सशस्त्र सेना के कार्मिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। प्रशासन में व्यवसायवार तकनीकी, वैज्ञानिक चिकित्सा, वर्कशाप आदि से भिन्न काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं। व्यवसायवार कर्मचारियों पर वेतन, यात्रा-भत्ते, महंगाई भत्ते आदि पर हुए व्यय के बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों क वेतन तथा भत्तों पर कुल व्यय तथा सरकार के कुल बजट में इसके प्रतिशत के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कर्मचारियों की स्वीकृति उचित छान-बीन के बाद ही की जाती है। मंत्रालयों द्वारा पदों का सृजन एकीकृत वित्तीय सलाहकारों द्वारा की जाने वाली छान-बीन के अधीन होता है और जब प्रस्ताव बड़ी संख्या के हों तो इनकी छान-बीन आंतरिक कार्य-अध्ययन एककों द्वारा भी की जाती है। वित्त मंत्रालय में कर्मचारी निरीक्षण एकक भी वार्षिक कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का अध्ययन करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त विकास क्रियाकलापों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों में निष्पादन बजट भी तैयार किए जाते हैं तथा संसद सदस्यों को वार्षिक रूप से परिचालित किए जाते हैं। निष्पादन बजट कार्यात्मक कार्यक्रमों तथा क्रिया-कलापों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के बजट प्रस्तुत करते हैं। निष्पादन बजट विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण के एक साधन के रूप में प्रबंध की सेवा करते हैं।

विदेशी ऋण पर ब्याज की अदायगी

599. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों द्वारा भारत को दिए गये ऋण पर कितनी राशि ब्याज के रूप में दी जा रही है तथा किन-किन राज्यों को और कितना-कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) केन्द्र सरकार विदेशी ऋण के अतिरिक्त जनता से कितना ऋण लिया गया है और उस पर प्रति वर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वर्ष 1978-79 में विदेशी ऋणों पर 245.65 करोड़ रुपए का ब्याज अदा किया गया। इन अदायगियों के संबंध में देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है और यह राशि समूची अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों के केन्द्रीय पूल मे शामिल हो जाती है। राज्यों को विदेशी सरकारों की कोई भी ऋण सहायता सीधे नहीं मिलती।

(ख) वर्ष 1978-79 में बाजार से 1836.76 करोड़ रुपए (सकल) के उधार लिए गए। बकाया बाजार ऋणों पर वर्ष 1978-79 में 555.60 करोड़ रुपए का ब्याज दिया गया।

विवरण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्थाएं	1978-79 में दी गई ब्याज की अदायगियां
क. द्विपक्षीय करार	
1. आस्ट्रिया	0.92
2. बेल्जियम	0.75
3. कनाडा	2.39
4. डेनमार्क	0.05
5. फ्रांस	14.78
6. जर्मन संघीय गणराज्य	35.27
7. इटली	1.18
8. जापान	42.26
9. नीदरलैंड	8.45
10. स्विट्जरलैंड	1.08

विवरण—जारी (करोड़ रुपए)

देश/संस्थाएं	1978-79 में दी गई ब्याज की अदायगियां
11. ब्रिटेन	9.79
12. संयुक्त राज्य अमेरिका	52.20
13. चेकोस्लोवाकिया	0.94
14. हंगेरी	0.29
15. पोलैंड	0.25
16. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	0.04
17. यूगोस्लाविया	शून्य
18. यूनाइटेड अरब अमीरात	1.45
19 आबू धाबी निधि	0.21
20. कुवैत निधि	1.64
21. ईराक	6.11
22. कातार	0.05
23. ईरान	19.70
ख. बहुपक्षीय करार	
24. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	23.34
25. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	22.42
26. तेल उत्पादक और निर्यातक देश विशेष निधि	0.09
जोड़	245.65

राज्यों के आपूर्ति मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चित मुद्दे

600. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च, 1980 में नई दिल्ली में राज्यों के आपूर्ति मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें बातचीत के दौरान किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे जमा की गई आवश्यक वस्तुओं को बाहर निकालने तथा ऐसी वस्तुओं को बेहतर वितरण करने के लिए निवारक नजरबंद कानून का उपयोग करें ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में राज्यों के प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) : 7 मार्च, 1980 को राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों/राज्यपालों के सलाहकारों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समग्र स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण और सांविधिक उपायों के

कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई। इस बात पर बल दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 जैसे विभिन्न सांविधिक आदेशों को लागू करने की आवश्यकता है। राज्यों को सलाह दी गई कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए। राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्रिय करना, मजबूत बनाना तथा पुनर्जीवित करना स्वीकार किया। अधिकांश राज्य सरकारों ने चोरबाजारियों तथा जमाखोरों से कारगर ढंग से निपटने के लिये सांवधिक आदेशों को कड़ाई से लागू करना स्वीकार किया।

उड़ीसा में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता

601. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये काफी काम किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अध्ययन में इस प्रस्ताव के पक्ष में मत व्यक्त किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर एक बार फिर कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) : उड़ीसा में इस्पात का एक नया कारखाना लगाने के लिए शक्यता अध्ययन के रूप में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भविष्य में लगाये जाने वाले इस्पात कारखानों के स्थानों के बारे में निर्णय तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा और जब कभी सरकार को इस्पात का नया कारखाना लगाने के बारे में निर्णय लेना होगा उस समय उड़ीसा सहित सभी सम्भाव्य स्थानों पर विचार किया जाएगा।

"एक्सपोर्ट इम्फेसिस विल वि रेस्टोर्ड" शीर्षक से समाचार

602. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1980 के "हिन्दुस्थान टाइम्स" में "एक्सपोर्ट इम्फेसिस विल वि रेस्टोर्ड : मिनिस्टर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे चीनी, जूट और जूट का सामान, इंजीनियरी सामान और अन्य सम्बन्धित सामान के मूल्यों में कमी लाने के लिए किस सीमा तक सहायता मिल सकेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 18 तथा 20 फरवरी, 1980 को कलकत्ता में पटसन, चाय तथा इंजीनियरिंग उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ क्रमिक बैठकें हुई थीं। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे निर्यात आय बढ़ाने के लिए समर्थक उपाय करें। क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता तथा उच्चतर उत्पादन में आने वाली वास्तविक रुकावटों को दूर करने की जरूरतों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। देश में आम औद्योगिक वातावरण सुधारने तथा भुगतान शेष स्थिति सुधारने की दृष्टि से निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ाने की सरकार की उत्सुकता पर भी बल दिया गया।

(ग) सरकार घरेलू आवश्यकताओं तथा निर्यातों को पूरा करने के लिए उत्पादन आधार का विस्तार करने की दिशा में प्रयास कर रही है। चीनी, पटसन, पटसन माल, इंजीनियरी माल आदि का उत्पादन आमतौर पर जितनी मात्रा में बढ़ेगा, कीमत स्तर पर उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

एयर इंडिया द्वारा "कार्गो" क्षमता में वृद्धि करना

603. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया द्वारा निकट भविष्य में अपनी "कार्गो" क्षमता में वृद्धि कि जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात दोनों के लिए क्षमता में कितनी वृद्धि की जानी है ;

(ग) एयर इंडिया द्वारा जिन 707 बोईंग विमानों का निपटान किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है और उन स्थान पर कौन से विमान खरीदे जा रहे हैं ;

(घ) नए विमानों की खरीद के परिणामस्वरूप कार्गो क्षमता के बढ़ाये जाने के बाद एयर इंडिया के बेड़े की क्षमता कितनी होगी ;

(ङ) क्या भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मालवाही विमान खरीदने के बारे में योजनाएं तैयार करने कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख): एयर इंडिया ने व विभिन्न मार्गों पर प्रदान की गयी अपनी कार्गो क्षमता की निर्यात तथा आयात दोनों ही के लिए प्रत्येक दिशा में 1979 में 30357 टन से बढ़ा कर 1980-81 में 39908 टन करने की योजना बनाई है ।

(ग) और (घ): एयर इंडिया के विमान-बेड़े में 9 बी-707 विमान तथा 9 बोईंग-747 विमान है । अप्रैल 19 में इसके विमान-बेड़े में एक और बी-747 विमान शामिल किया जाएगा । प्रारंभ में एयर इंडिया का 1980-81 में दो बी-7 विमानों को विमान-बेड़े से निकालने का प्रस्ताव है । 1980-81 में विमान-बेड़े की स्थिति निम्न प्रकार होगी :—

बोइंग 707	.	.	.	सात
बोइंग 747	.	.	.	दस

(ङ) और (च) : कारपोरेशन के मालवाही विमानों की दीर्घावधिक आवश्यकताओं की जांच करने के लिए ए इंडिया ने एक समिति गठित की है । सरकार ने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है ।

कतिपय आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक

604. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सीमेन्ट, अखबारी कागज, खाद्य तेलों और छपाई के सफेद कागजों आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

605. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा/रूपये के अवमूल्यन का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय पाउण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के मूल्य में नीचे की ओर 0.55 प्रतिशत के उस समायोजन से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 फरवरी 1980 से किया गया था, जब पाउण्ड स्टर्लिंग का मध्यवर्ती दर 1 पाउण्ड=18.15 रुपए को बदल कर 1 पाऊण्ड=18.25 रुपए कर दिया गया था। उसके बाद 5 मार्च और 11 मार्च, 1980 को इस दर में दो बार फिर परिवर्तन किए गए जब पाउण्ड स्टर्लिंग की दर क्रमशः 1 पाउण्ड=18.25 रुपए से 1 पाउण्ड=18.15 तथा 1 पाउण्ड=18.05 कर दी गयी थी। इससे पता चलता है कि प्रत्येक मौके पर पाउण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है।

2. भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा समय-समय पर रुपया-स्टर्लिंग दर में जो परिवर्तन किए जाते है वे 25 सितम्बर 1975 से सरकार द्वारा अपनाए गए विनिमय दर संबंधी उस प्रबन्ध के अनुसार है जिसके अन्तर्गत रुपए की दर भारत के व्यापार के मुख्य रूप से प्रमुख भागीदार देशों की करेंसियों की समूचित रूप से भारित डाली (बास्केट) की विनिमय दर के उतार चढ़ाव के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

3. रुपए और अन्य विदेशी करेंसियों के बीच विनिमय दरों मे प्रायः प्रतिदिन ऊपर अथवा नीचे की ओर परिवर्तन होता रहता है जो लंदन के बाजार में इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घटबढ़ पर निर्भर करता है।

4. 11 मार्च, 1980 को विभिन्न करेंसियों की विनियम दरों से पता चलता है कि 25 सितम्बर 1975 को प्रचलित दरों की स्थिति के अनुसार पाउण्ड स्टर्लिंग के मकाबले रुपए के मूल्य में 1.43 प्रतिशत की, अमेरिकी डालर के मुकाबले 10.04 प्रतिशत की और फ्रांसीसी फ्रैंक के मुकाबले 2.03 प्रतिशत की वृध्दि हुई है। परन्तु इसी अवधि में ड्यूश मार्क, जापानी येन और स्विस फ्रैंक के मुकाबले रुपए की दर क्रमशः 25.28 प्रतिशत 10.03 प्रतिशत तथा 30.39 प्रतिशत कम हो गई है।

5. ऐसे संसार में जहां प्रमुख करेंसियों को विनिमय दरें निर्धारित करने के प्रबन्ध बदलते रहते हों वहां अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन के पुराने अर्थ का कोई महत्व नहीं रह गया है और रुपया-स्टर्लिंग दर में समय-समय पर ऊपर और नीचे को ओर किए जाने वाले परिवर्तन अन्तराष्ट्रिय मुद्रा बाजार की घटती-बढ़ती विनिमय दरों में केवल समायोजन मात्र है। 'मुक्त' विनमिय दरों के ऐसे संसार में करेंसियों के मूल्य में घटबढ़ होना अपरिहार्य है और ऐसे सभी समायोजनों को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करना

606. श्री चिर महाटा :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री टी० एस० नेगी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : पर्यटन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ब्यौरे अभी तैयार किये जाने है।

हल्दिया पत्तन को विश्व बैंक से सहायता

607. श्री चिर महाटा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने हल्दिया पत्तन को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रीअल एस्टेट के संचालकों द्वारा राजकोष को करोड़ो रुपयों से ठगे जाने के बारे में समाचार

608. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को 16 अप्रैल 1979 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "एक्सचेकर डिफ्राडिड आफ कोर्स बाई रियल इस्टेट आपरेटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है ; यदि हाँ, तो इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ख) कर-चोरी को रोकने और इस वर्ग के लोगों से बकाया-कर वसूल करने के लिए कौन से निश्चित उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) हां। आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में बहु-मंजिले भवनों के कुछ उन संस्थापकों के व्यापारिक एवम् आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी जिन पर कर की चोरी में लगे होने का संदेह था। जिन समूहों की उक्त तलाशी ली गई वे निम्नलिखित हैं :-

(i) अंसल समूह
(ii) रिविएरा समूह
(iii) वडेरा समूह
(iv) मित्तल समूह।

(ख) इन वास्तविक सम्पदा संचालकों (रियल एस्टेट आपरेटर्स) के मामलों को आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल-II) दिल्ली के कार्यालय में केन्द्रित कर दिया गया है। आयकर अधिकारी इन संचालकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उपर्युक्त संचालक-समूह के कार्यों की पूरी तरह से जांच की जा रही है।

चाय का निर्यात

609. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में कितनी चाय का निर्यात किया गया और उससे सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मात्रा तथा मूल्य के रूप में भारत से चाय के निर्यातों के विगत पांच वर्षों के आंकड़ें निम्नोक्त प्रकार हैं :-

वर्ष	मात्रा (मि० कि० ग्राम)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1974-75 . .	229.5	228.06
1975-76 . .	212.3	236.81
1976-77 . .	243.6	293.14
1977-78 . .	223.6	569.69
1978-79 . .	172.4	340.45

काफी का निर्यात

610. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में कितनी काफी का निर्यात किया गया और उससे सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : विगत पांच वर्षों के दौरान काफी का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :-

वित्तीय वर्ष	मात्रा मे० टन में	मूल्य लाख रु० में
1974-75 . .	49500	5136
1975-76 . .	59400	6665
1976-77 . .	51000	12601
1977-78 . .	58000	19442
1978-79 . .	66300	14406

रबड़ का निर्यात

611. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में कितनी रबड़ का निर्यात किया गया और उससे सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): पिछले पांच वर्षों के दौरान रबड़ के निर्यात और सरकार द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के आकड़ें निम्नोक्त प्रकार हैं :-

(मात्रा मे० टन)
विदेशी मुद्रा : करोड़ रु०

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा	विदेशी मुद्रा
1974-75 . .	350	0.26
1975-76 . .	शून्य	शून्य
1976-77 . .	12296	8.31
1977-78 . .	11078	7.30
1978-79 . .	शून्य	शून्य

बेरोजगार वाणिज्यिक पाइलट

612. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऐसे बेरोजगार पाइलट बहुत अधिक हैं जिनके पास वाणिज्यिक पाइलट का लाइसेन्स है, यदि हां, तो ऐसे बेरोजगार पाइलटों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या बेरोजगार पाइलटों के गत 7 वर्षों के आंकड़े वर्षवार दिए जा सकते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन पाइलटों को प्रशिक्षण देने में सरकार का धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगता है, यदि हां, तो इन पाइलटो को बेरोजगार रखकर उन पर किए गए निवेश से सरकार किस प्रतिफल की आशा रखती है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी बेरोजगार वाणिज्यिक पाइलटों को "फ्लाइंग" रोजगार देने का है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-2-1980 की स्थिति के अनुसार चालू वाणिज्यिक विमानचालन लाइसेन्स वाले लगभग 162 विमान चालक बेरोजगार हैं ।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) विमान चालकों को केवल पी० पी० एल० स्तर तक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा फ्लाइंग क्लबों को कोई उपदान नहीं दिया जाता और विमानचालकों को सी० पी० एल० स्तर तक, जोकि वाणिज्यिक विमान चालक के लिए न्यूनतम अर्हता है, प्रशिक्षण देने के लिए भी कोई उपदान प्रदान नहीं किया जाता ।

(घ) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों से कहा गया है कि वे बेरोजगार विमान चालकों को अन्य उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने की संभावना का पता लगाएं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में वृद्धि

613. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में भवन निर्माण सामग्री, सीमेन्ट, लोहा आदि की लागत में असामान्य वृद्धि के कारण मकान के किरायों में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह वृद्धि कब तक स्वीकृत हो जाएगी और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की दरें और सरकारी क्षेत्र की यूनिटों तथा निगमों के कर्मचारियो के मकान किराया भत्ते की दरें क्या हैं ; और

(घ) मकान किराया भत्ते की दरों में असमानता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) यह सच है कि विभिन्न कारणों से हाल के वर्षों में मकान किराया बढ़ गया है ।

(ख) कर्मचारी पक्ष द्वारा राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते की दरों में ऊर्द्धमुखी संशोधन करने की मांग राष्ट्रीय परिषद् की समिति को भेज दी गई है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(घ) फिलहाल एक ओर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और दूसरी ओर उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों आदि को देय मकान किराए भत्ते की दरों में भिन्नताओं को दूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, तथापि, प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराए भत्ते की दरें निम्न प्रकार है :—

नगर/कस्बे की श्रेणी	मकान किराये भत्ते की दरें
(1) वर्गीकृत नगरों/कस्बों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी :—	
'क', 'ख'–1 और 'ख–2' श्रेणियां .	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 400 रुपये प्रति मास ।
'ग' श्रेणी . . .	वेतन का 7½ प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 रुपए प्रति मास ।
(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मकान किराए भत्ते की दरें मोटे-तौर पर निम्न प्रकार हैं :—	
दिल्ली और बम्बई . . .	वेतन का 30 प्रतिशत
अन्य 'क' श्रेणी के नगर . . .	वेतन का 25 प्रतिशत
'ख 1' और 'ख-2' श्रेणी के नगर .	वेतन का 15 प्रतिशत
ग-श्रेणी और अन्य गैर-वर्गीकृत नगर .	वेतन का 7½ प्रतिशत
(3) भारतीय जीवन बीमा निगम में मकान किराए भत्ते की दरें :—	
(i) श्रेणी I के अधिकारी . .	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 75 रुपये और अधिकतम 350 रुपये
(ii) श्रेणी II (विकास) अधिकारी :—	
(क) 750 रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु वेतन के अनुसार न्यनतम 25 रुपये से लेकर 75 रुपये तक अलग-अलग ।
(ख) 750 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए	प्रथम 750 रुपए के वेतन का 15 प्रतिशत और 750 रुपए से ऊपर वेतन का 10 प्रतिशत ।
(iii) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारी .	वेतन (विशेष वेतन सहित) का 10 प्रतिशत लेकिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 28 रुपये

नगर/कस्बे की श्रेणी	मकान किराये भत्ते की दर
	प्रतिमास और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 22 रुपये प्रतिमास किन्तु दोनों में से किसी भी मामले में अधिकतम 40 रुपये ।
(4) भारतीय सामान्य बीमा निगम में मकान किराये भत्ते की दरें :—	
(i) श्रेणी I अधिकारी . . .	(क) सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक और सहायक कम्पनियों के अध्यक्ष-एवं-प्रबन्धक निदेशक प्रतिमास 350 रुपये पाते हैं । (ख) श्रेणी I के अन्य अधिकारियों को मूल वेतन के 15 प्रति शत की दर पर किन्तु न्यूनतम 75 रुपये प्रतिमास और अधिकतम 350 रुपये प्रतिमास
(ii) श्रेणी II के विकास अधिकारी :—	
(क) 750 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए	मूल वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु वेतन के अनुसार न्यूनतम 30 रुपये से लेकर 75 रुपये तक अलग-अलग ।
(ख) 750 रुपये से ऊपर मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए	प्रथम 750 रुपये का 15 प्रतिशत तथा 750 रुपये मूल वेतन से ऊपर वेतन का 10 प्रतिशत ।
(iii) श्रेणी III और IV के कर्मचारी . .	मूल वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 22 रुपये प्रतिमास और पर्यवेक्षक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए 28 रुपये प्रतिमास किन्तु प्रत्येक मामले में अधिकतम 40 रुपये प्रतिमास ।

विन्टेज कारों और मोटर-गाड़ियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

614. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1972 से विन्टेज कारों और मोटर गाड़ियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कानून की अवहेलना करके विन्टेज कारों को छिपा कर कंटेनरों में बन्द करके मशीनरी के रूप में या पोस्टविन्टेज (1940) कारों के रूप में जहाजों में लादा जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने विन्टेज कारों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है, और

(घ) क्या इंडियन आटोमोटिव ट्रेडिंग क्लब (विन्टेज रजिस्टर) तथा अन्य संगठनों ने विन्टेज कारों के निर्यात पर आपत्ति की है और उनके बजाय भारत में विन्टेज कारों का एक संग्रहालय बनाने का सुझाव दिया है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां,। 1972 से 30-3-1979 तक विन्टेज कारों और मोटर गाड़ियों के निर्यात पर रोक लगी हुई थी।

(ख) इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ग) विन्टेज कारों के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया है और उनके निर्यात की अनुमति "गुणावगुण" के आधार पर दी जाएगी।

(घ) जी हां,। सरकार की नीति निर्यातों को गुणावगुण के आधार पर विचार करने की है।

लोहा और इस्पात के लिए कन्साइन्मेन्ट एजेन्सियों का बन्द किया जाना

615. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति निर्णय के द्वारा सरकार ने लोहे तथा इस्पात के लिए "कन्साइनमेन्ट एजेन्सियों" को बन्द कर दिया है।

(ख) क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी अमृत स्टील तथा रती स्टील आफ थाना, बम्बई तथा पूणे की पी० वी० शराफ कन्साइन्मेन्ट एजेन्सियां अभी भी चल रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच की है और उपरोक्त तीन एजेन्सियों के कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : कन्साइन्मेन्ट एजेन्टों की नियुक्ति जैसे मामले वाणिज्यिक किस्म के मामले हैं जिनके बारे में निर्णय विभिन्न सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर उत्पादक स्वयम करते हैं। सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, अतः सरकार द्वारा नीति-विषयक निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोने की नीलामी की जांच

617. **श्री फारुक अब्दुल्ला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जनता शासन के दौरान हुई सोने की निलामी में कुछ लोगों के एक समूह द्वारा सोना खरीदे जाने के बारे में जांच की जाएगी।

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अंतिम निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क), (ख) और (ग): प्रधान मंत्री के लोक सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में सरकार मामले की जांच कर रही है।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की असंतोषजनक सप्लाई

618. **श्री फारुक अब्दुल्ला** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनो के दौरान आवश्यक वस्तुओं की असंतोषजनक सप्लाई के बारे में अनेक राज्योने उन्हें शिकायत भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने शिकायत भेजी है ;

(ग) राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की असंतोषजनक सप्लाई के मुख्य कारण क्या है ;

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या उन्होने समस्या पर बातचीत करने के लिए राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों की बैठक बुलाई थी; और

(च) यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) तथा (ख) गत दो महीनो के दौरान नागरिक पूर्ति विभाग को कुछ आवश्यक वस्तुओ की कमी के बारे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोराम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, दमन और दीव तथा चण्डीगढ़ से शिकायतें मिली हैं।

(ग) कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पड़ने के मुख्य कारण इस प्रकार है : कृषि पदार्थों; जिनमे रा.दयान्न गन्ना तथा तिलहन भी शामिल हैं, के उत्पादन में संभावित गिरावट, चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली, पि.र से लागू करने में आने वाली प्रारंभिक कठिनाइयां तथा संचलन संबंधी बाधाएं।

(घ) आधार ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने और चीनी तथा खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं के संचलन कार्य में तेजी लाने तथा उनके वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और बैंक ऋण पर नियंत्रण रखने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। गोश्त के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

(ङ) तथा (च) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए 7 मार्च, 1980 को नई दिल्ली में राज्य के नागरिक पूर्ति मंत्रियों और राज्यपालों के सलाहकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया गया कि वे कम मात्रामें मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य क्षेत्र को सुदृढ़ करें। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और/या संचलन में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के सम्मुख आने वाली कुछ समस्याओं को केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों ने नोट किया है और उन्हें दूर करने के लिए कार्यवाई की जाएगी।

ईंधन के मूल्य में वृद्धि के कारण वित्तीय संकट का सामना करने के लिए इण्डियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को सहायता

619. **श्री फारुक अब्दुल्ला :**
श्री के० मालन्ना :
श्रीमती मोहसीना किदवई :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ईंधन मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण इंण्डियन एयरलाईंस और एयर इंडिया के सामने पेश आ रहे वित्तीय संकट का समाधान करने के लिए उन्हें सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईंधन की कमी का भी इन एयरलाइनों पर असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और सरकार ने उन्हें क्या सहायता देना मंजूर किया है; और

(घ) ईंधन मूल्य में वृद्धि और ईंधन की कमी का इन दो एयरलाइनों पर कितना असर पड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) सरकार ने एयर इंडिया को अतिरिक्त पूंजी देने का निर्णय ले लिया है। इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) (ग) और (घ) : जबकि एयर इंडिया पर ईंधन की कमी का काफी प्रभाव पड़ा है, इंडियन एयरलाइन्स के परिचालनों में इस कमी से बाधा नहीं आई है। वर्ष 1979–80 के दौरान समय-समय पर ईंधन की कीमत में वृद्धि होने के कारण दोनों एयरलाइनों की परिचालन लागत बढ़ गयी है। इंडियन एयरलाईंस का ईंधन का बिल वर्ष 1978–79 के दौरान 47.91 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 1979–80 के दौरान 66.50 करोड रुपए (अनुमानित) तक पहुंच गया है। एयर इंडिया का ईंधन का बिल वर्ष 1978–79 के दौरान 65.46 करोड़ रुपए के मुकाबले में वर्ष 1979–80 के दौरान 138 करोड़ रुपए (अनुमानित) तक पहुंच गया है। सरकार ने वर्ष 1980–81 के लिए एयर इंडिया को 9.60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी देने का अनुमोदन कर दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोहिनूर मिल्स को दी गई ऋण राशि

620. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और दूसरे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा कोहिनूर मिल्स को उसके आधुनिकीकरण और दूसरे उद्देश्यों के लिए बड़ी-बड़ी धनराशियां ऋण के रूप में दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मिल को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : कोहिनूर मिल्स लिमिटेड के बैंकर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपने पोषण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस मिल को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा हुआ है। इस मिल के आधुनिकीकरण के लिये, अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं सहित, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुसरण में तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले कानूनों में दिये गये प्रावधानों के मुताबिक भी बैंकों के व्यक्तिगत ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) उद्योग मंत्रालय इस मिल के भावी ढांचे पर विचार कर रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक बैंक का खोला जाना

621. श्री सतीश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के शीघ्र उथान के लिए अपना एक अलग बैंक खोलना चाहते हैं जिस पर केन्द्र का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को कोई औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के प्रस्ताव के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

622. श्री सतीश अग्रवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत आठ महीनों के दौरान इस्पात के मूल्यों में एक क्रियाबद्ध तरीके से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि के महीनेवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया ; और

(घ) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण रहे और इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम सोच जा रहा है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। 7 अप्रैल, 1979 से संयुक्त संयंत्र समिति के आधारभूत मूल्यों तथा मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्ड मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी, खुले बाजार में इस्पात के मूल्य अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय में घटते-बढ़ते रहते हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें मांग और आपूर्ति भी शामिल हैं।

(ख) कुछ खास-खास श्रेणियों के इस्पात के जुलाई, 1979 से लेकर खुले बाजार के मासिक मूल्य, जो सेल के पास उपलब्ध हैं, अनुलग्नक में दिए गये हैं।

(ग) सेल द्वारा माध्यम-अभिकरण के रूप में "बैक-टू-बैक" और "बफर" योजनाओं के अन्तर्गत परक्रामित नौ-भाण्ड दस्तावेजों के आधार पर जुलाई, 1979 से फरवरी 1980 की अवधि में कुल मिलाकर 10,36,200 टन इस्पात आयात किया गया है।

(घ) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है खुले बाजार के मूल्य अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग समय में अलग-अलग होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर मांग में तेजी से वृद्धि होने और दूसरी ओर कोयले, बिजली आदि कई दिक्कतों के कारण उत्पादन में कमी होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, राज्य विद्युत बोर्डों, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे के साथ निकट और सतत् सम्पर्क द्वारा इस्पात कारखानों के लिए अधिकाधिक बिजली और अच्छी किस्म का कोककर कोयला प्राप्त करके सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित विभिन्न कठिनाइयों और त्रुटियों

को दूर करने के लिए हाल में गठित की गई मंत्रिमंडल की एक समिति बिजली और कोयले की स्थिति का हर सप्ताह जायजा लेती है। बिलेट, छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात में भारी कमी कर दी गई है। जिन श्रेणियों की सप्लाई कम है उनका पर्याप्त मात्रा में आयात करने की भी व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को विशिष्ट कार्यों के लिए इस्पात का आवंटन किया गया है उनके द्वारा इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस्पात के अन्ततः उपयोग पर पुनःपाबन्दी लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 485-A/50]

जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश संबंधी नीति

623. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति ऐसे राज्यों की बजाय, जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, उन राज्यों के अधिक अनुकूल हो गई है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी प्रतिबद्धता का लगभग 85 प्रतिशत भाग 10 से 40 लाख तक के बड़े मामलों के लिए है, जबकि छोटे मामलों का हिस्सा केवल एक प्रतिशत है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1979 के दौरान राज्यवार निवेश के आंकड़े क्या हैं और क्या सरकार का नए और छोटे उद्योगों के लाभ क लिए उक्त नीति को सन्तुलित बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) और (ग) : जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश संबंधी नीति में यह परिकल्पना की गई है कि निगम को अपनी पूंजी और बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में प्रीमियम से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए, यथासम्भव सभी राज्यों में व्यापक रूप से लगानी चाहिए। फिर भी, पिछड़े राज्यों की ओर, जहां प्रीमियम से होने वाली आय कम है, विशेष ध्यान दिया जाता है।

2. वर्ष 1978-79 के दौरान राज्यों में लगाई गई नई पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	राशि (करोड़ रुपए)	राज्य	राशि (करोड़ रुपए)
†आन्ध्र प्रदेश	30.26	महाराष्ट्र	49.32
†आसाम	9.51	†मणिपुर	0.56
		†मेघालय	3.25
†बिहार	28.39	†नागालैंड	1.98
दिल्ली	0.32	†उड़ीसा	17.72
गोवा	2.63	पांडिचेरी	0.35
†गुजरात	39.19	†पंजाब	18.61
†हरियाणा	17.27	†राजस्थान	24.47
†हिमाचल प्रदेश	1.83	सिक्किम	0.06
†जम्मू और कश्मीर	4.72	†तमिलनाडु	33.25
कर्नाटक	19.35	†त्रिपुरा	0.78
†केरल	19.97	†उत्तर प्रदेश	49.75
†मध्य प्रदेश	19.38	पश्चिम बंगाल	32.83
		जोड़	425.75

(चिह्नित राज्यों में प्रीमियम आय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से अधिक है)

3. जहां तक सामान्य शेयरों, अधिमान्य शेयरों और ऋणपत्रों के रूप में कंपनियों के सार्वजनिक निर्गमों में पूंजी लगाने का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि जहां परियोजना की लागत 3 करोड़ रुपए तक होती है वहां आमतौर से सारा

वित्त प्रबंध राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ मिलकर किसी एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा किया जाता है और ऐसे मामले में जीवन बीमा निगम से कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता। जहां परियोजना लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक होती है वहां वित्त प्रबंध सहायता संघ के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों के सार्वजनिक निर्गमों के संबंध में जीवन बीमा निगम की वचनबद्धताओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	कंपनियों की संख्या	हामीदारी/अभिदत्त राशि
10 लाख रुपए से कम राशियों के निर्गम		शून्य
10—40 लाख रुपए की बीच की राशियों के निर्गम		शून्य
40 लाख रुपए से अधिक की राशियों के निर्गम	16	566.50 लाख रुपए

विदेशी व्यापार में कमी

624. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 के दौरान हमारे विदेश व्यापार में 2000 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1979 की अवधि के लिए उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों से भारत के विदेश व्यापार में 1256 करोड़ रु० का घाटा प्रकट होता है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 785 करोड़ रु० का घाटा था। संभव है कि 1979-80 में व्यापार घाटा 2000 करोड़ रु० हो जाये।

(ख) व्यापार घाटे में वृद्धि होने का मुख्य कारण है पेट्रोलियम, तेलों और लुब्रिकेन्टों और अन्य ऐसी चीजों की कीमतों में तीव्र वृद्धि, जिनका आयात करना घरेलू उत्पादन में कमी के कारण आवश्यक हो गया था। 1979-80 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान आयातों का मूल्य पिछले वर्ष की उसी अवधि से लगभग 20 प्रतिशत अधिक था। निर्यात उत्पादन के लिए अवस्थापना व अन्य अंतर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था जैसी घरेलू बाधाओं, पत्तनों आदि में भीड़-भाड़ तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिकूल परिवर्तनों, विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा अपनाये गये अधिक संरक्षणवादी उपायों के कारण आयातों में जो वृद्धि हुई है, उसके अनुसार निर्यात आय में वृद्धि करना संभव नहीं हो सका है।

ईरान को भेजा जाने वाला माल

625. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडिया टुडे" के जुलाई 16–31/1979 के संस्करण में 'इनसेंटिव ट्रिकरी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है ;

(ख) क्या ईरान को भेजे जाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के 15000 पैकेटों की खेप के उल्लिखित मामले के संबंध में, जिसमें सूती जुराबों के स्थान पर जिसके लिए माल भेजने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया बताया गया था, ईंट, फटे-पुराने चिथड़े तथा रद्दी कपड़ों के टुकड़े थे, जांच कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सरकार ने तब से ऐसे छलपूर्ण व्यापार तरीकों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जी नहीं। यह मामला पूरी जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और जांच चल रही है। निषिद्ध माल के सिलसिले में संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर लेने के बाद कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

(घ) इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—निर्यात खेपों की अपेक्षाकृत अधिक बारीकी से जांच करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना और विशेष गोदी आसूचना एककों की स्थापना करना।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विस्तार

626. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन के विकास और विस्तार के कार्य को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सेक्टर में केवल कुछ केन्द्रों का विकास प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, जैसे कि कारबेट नेशनल पार्क में एक वन गृह का निर्माण और प्रमुख तीर्थ मार्गों और ट्रैकिंग मार्गों के साथ-साथ सुविधाओं की व्यवस्था । तथापि, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए राज्य पंच वर्षीय योजना 1978–83 में 525.00 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को देय राशि की अदायगी

627. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को देय लगभग 200 करोड़ की धन राशि अभी दी जानी है ;

(ख) यदि हां तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रति भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह अदायगी शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख), (ग) और (घ) : केन्द्र द्वारा राज्यों को की जाने वाली अदायगियों में मुख्यतः केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में हिस्सा तथा राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और प्राकृतिक प्रकोपों के लिए राहत शामिल हैं । ये अदायगियां निश्चित कार्यविधियों तथा अदायगी की समय-सारणियों के अनुसार की जाती है । पश्चिमी बंगाल के मामले में, इन कार्य विधियों और अदायगी की समय-सारणियों के अनुसार सभी देय अदायगियां कर दी गई हैं और इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । पश्चिमी बंगाल सरकार की वित्तीय तथा अर्थोपाय स्थिति पर पड़े दबाव को ध्यान में रखते हुए, कुछ धनराशियां अदायगी की देय तिथियों से पहले ही दे दी गई थीं । पश्चिम बंगाल सरकार को कुल 60.00 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम भी अदा किए गए थे ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्टों का निपटान कर सकें, ओवर ड्राफ्टों से बच सकें । इन अग्रिमों में से 20 करोड़ रुपए अभी भी राज्य सरकार से वसूल किए जाने हैं । संशोधित अनुमानों के आधार पर, राज्य सरकार को केन्द्रीय करों और शुल्कों के हिस्से के रूप में केवल लगभग 12 करोड़ रुपए देने बकाया है । यह रकम शीघ्र ही दे दी जाएगी । राज्य सरकार, राज्य आयोजना के संबंध में केन्द्रीय सहायता और सूखा संबंधी राहत के लिए अग्रिम आयोजनागत सहायता के रूप में लगभग 29 करोड़ रुपए की अधिकतम रकम की भी हकदार होगी बशर्ते कि विभिन्न मदों पर इसका व्यय अनुमोदित आवंटनों तक हो । स्वीकार्य वास्तविक रकम का निर्धारण व्यय के विवरण पत्रों के आधार पर किया जाएगा जिस की अभी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है । इस प्रकार, जो रकमें स्वीकार्य होंगी, अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में 20 करोड़ रुपए के समायोजन करने के पश्चात् राज्य सरकार को देय होगी जिन्हें अभी पश्चिम बंगाल सरकार से वसूल किया जाना है ।

कारीपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संशोधित अनुमान

628. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के निकट कारीपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देकर मंजूरी दे दी गई है ताकि चालू बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाया जा सके ; और

(ख) भूमि के अधिग्रहण और उसकी उपलब्धता, पहुंच मार्गों के निर्माण और केरल सरकार के लगभग 15 लाख रुपये के व्यय के बावजूद हवाई अड्डा परियोजना के संबंध में पर्याप्त विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने और पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : एच० एस०-748 विमानों से परिचालनों के लिए कालीकट के निकट कारीपुर में एक विमानक्षेत्र का निर्माण करने के लिये 2.5 करोड़ रुपए के पुनरीक्षित प्राक्कलन अभी-अभी तैयार किए गये हैं। अब पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जाएगी। इस निर्माण-कार्य को इसके आरंभ होने की तारीख से लगभग चार वर्ष लगने की संभावना है।

नागालैंड को भारी भूकम्प का खतरा

629. **श्री चिमवांग कोन्याक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड ऐसे क्षेत्रों में से एक है जहां निरन्तर भूकम्प आते रहते हैं और निकट भविष्य में वहां एक भारी भूकम्प आने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या सावधानी एवम् उपचारात्मक उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) और (ख) : पूरा उत्तर पूर्वी भारत जिसमें नागालैंड भी सम्मिलित है, भूकम्पीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा इस क्षेत्र में भूकम्पों की संभावना को रोका नहीं जा सकता। मानव के ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुसार भूकम्पों की भविष्यवाणी की प्रक्रिया अभी तक एक अमोघ रूप से प्रामाणिक तकनीक नहीं कही जा सकती। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि उस क्षेत्र में कब भूकम्प आ सकता है। दीर्घावधिक उपायों के तौर पर भूकम्प निरोधक संरचनाओं के डिजाइनों को मानकित रूप प्रदान कर दिया गया है। जनता को इस बारे में शिक्षित करने जैसे अन्य कदम स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए जाने होंगे।

खाद्य तेल का आयात

630. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत में कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया ; और

(ख) अनुमानत: कितने मूल्य का तेल आयात किया गया और इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व (ख) : 1977-78 और 1978-79 के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा और उनका मूल्य नीचे दिया गया है।

मात्रा लाख/मीटरी टनों में
मूल्य करोड़ रुपयों में

1977-78		1978-79	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
12.84	709.69	10.40	535.41

उपर्युक्त आयात राज्य व्यापार निगम और निजी व्यापारियों दोनों द्वारा किये गये थे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल विभिन्न उपभोक्ताओं को सामान्यत: लाभ-अलाभ लागत पर बेचे गये। तथापि, सरकार को निजी व्यापारियों को हुए लाभ अथवा हानि की जानकारी नहीं है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

631. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि हाल के छ: महीनों में इस्पात के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस अत्याधिक वृद्धि से उद्योग और भवन निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त उद्योगों को उचित दर पर इस्पात सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) तथा (ख) : 7 अप्रैल, 1979 से लेकर इस्पात के संयुक्त समिति के मूल्यों या मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्ड मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । अन्य उत्पादकों के उत्पादों के मूल्य मांग तथा सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करते हैं । निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली छड़ों तथा गोल छड़ों का उत्पादन मुख्यतया लघु इस्पात संयंत्रों/पुनर्वेलकों द्वारा किया जाता है तथा इनके मूल्य उत्पादन की दिक्कतों तथा निर्माण कार्यों के लिए मांग में वृद्धि होने के कारण स्टाकयार्ड मूल्यों से अधिक चल रहे हैं। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतया मुख्य उत्पादकों द्वारा वास्तविक उपयोक्ताओं को निश्चित मूल्यों पर माल देकर की जाती है ।

(ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात के उत्पादन में, जिस पर मुख्यतया कोयले तथा बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, वृद्धि करने के लिए सतत् तथा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है तथा कम सप्लाई वाली श्रेणियों का आयात करने की भी व्यवस्था की गई है । इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके अन्ततः उपयोग पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं ताकि ऐसे व्यक्ति, जिनको विशिष्ट कार्यों के लिए इस्पात का आवंटन किया गया हो, इसका दुरुपयोग न करें । छोटे मकान बनाने वालों को एक मकान के लिए 5 टन तक सप्लाई स्टाकयार्ड मूल्यों पर की जा रही है और इस कार्य के लिए छड़ों और गोल छड़ों की कुछ मात्रा विशेष रुप से अलग रख दी गई है । इन सभी प्रयासों के फलस्वरुप निश्चित मूल्यों पर इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

कर्नाटक में चुंगी का समाप्त किया जाना

632. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि कर्नाटक राज्य में चुंगी-कर को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है कि चुंगी के रुप में प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य को वित्तीय सहायता देगी;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का मामले में अनुग्रहपूर्वक विचार करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें चुंगी की समाप्ति के कारण होने वाले राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई हो, यद्यपि कर्नाटक के वित्त मंत्री ने 19 मार्च, 1979 के अपने बजट भाषण में यह कहा था कि वे यह कल्पना कर रहे थे कि केन्द्र मद्य निषेध के मामले की तरह चुंगी की समाप्ति से होने वाले राजस्व की हानि के 50% की प्रतिपूर्ति करेगा ।

(घ) अगस्त, 1979 में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि संसाधनों पर दबाव के कारण यह सलाह देना उचित नहीं होगा कि राज्यों को चुंगी की समाप्ति से होने वाले राजस्व की हानि को आंशिक रुप से प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उन्हें योजना भिन्न अनुदानों की अदायगी के लिए बजट में अतिरिक्त व्यवस्था की जाए ।

कुद्रेमुख परियोजना की प्रगति

633. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कनारा की कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना की प्रगति क्या है ;

(ख) क्या ईरानी सरकार ने किये गये समझौते की शर्तों को पूरा कर लिया है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) परियोजना विशेष का निर्माण कार्य अब अन्तिम चरण में है ।

(ख) और (ग) : प्रत्यक्षतः ईरान सरकार ने इस परियोजना के लिए अक्तूबर, 1978 से ऋण की आपूर्ति इसलिए निलम्बित कर दी है कि सांद्रण के खरीददार नामतः नेशनल ईरानियन स्टील इन्डस्ट्रीज कम्पनी ने इस भुगतान के लिए सिफारिश नहीं की है, जैसा कि वित्तीय करार के अन्तर्गत आवश्यक है। ईरान सरकार द्वारा ऋण का भुगतान निलम्बित करने से परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि भारत सरकार द्वारा कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० को आवश्यक धन राशि उपलब्ध करा दी गई है।

स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क

634. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क के बारे में 18 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11442 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित स्टेनलैस स्टील की चादरों पर शूल्क कम करने तथा बढ़ाने के उस प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है जो सरकार के विचाराधीन रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। सरकार ने, सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनलैस स्टील की चद्दरों पर आयात-शुल्क में संशोधन नहीं करने का फैसला किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

संगठित और लघु क्षेत्रों में स्टील के तार का निर्माण करने वाले एककों की संख्या

635. **श्री दया राम शाक्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित और लघु क्षेत्रों में स्टील के तार का निर्माण करने वाले कितने एकक हैं और उनके नाम क्या-क्या है और वे किस-किस स्थान पर हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है, और

(ख) कपड़ा उद्योग के लिए स्टील के महीन तारों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कपड़ा उद्योग में कई साइजों और विशिष्टियों के पतले तार इस्तमाल होते हैं, जिनमें अधिकांश तारों की मांग अधिक नहीं है। देश की सभी तार बनाने वाली इकाइयों को अपने उत्पादन में विविधता लाने और 18 एस०डब्ल्यू०जी० से पतले सभी साइजों के तारों का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है। इस साइज तथा इससे मोटे तारों का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। जब पर्याप्त मांग न होने के कारण देशीय निर्माताओं के लिए किसी साइज के तार बनाना मितव्ययी नहीं होता तो उदारता-पूर्वक आयात की अनुमति दे दी जाती है।

इस्पात की छड़ों का विनिर्माण करने वाली संगठित तथा लघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या

636. **श्री दया राम शाक्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की गोल छड़े, दार इस्पात छड़ें और मुड़ी हुई इस्पात की छड़ों को बनाने वाली संगठित और लघु उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनमें से कितने एकक बन्द पडे हुए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वे एकक स्थित है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन एककों द्वारा जो माल उत्पादित किया जा रहा है वह देश में विद्यमान मांग से अधिक है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे एकक बन्द हो गये हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए विदेशों में बाजार खोजेगी ?

वाणिज्य, तथा तइस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कुद्रेमुख परियोजना के बारे में ईरान के साथ पुनः बातचीत

637. **श्री चित्त बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख परियोजना संबंधी मामले पर ईरान की वर्तमान सरकार के साथ पुनः बातचीत करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और ईरान सरकार से क्या प्रत्युत्तर मिला है?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : ईरान सरकार के साथ वित्तीय करार तथा नेशनल ईरानियन स्टील इन्डस्ट्रीज कम्पनी के साथ बिक्री तथा खरीद का करार कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने किया है न कि भारत सरकार ने मूल रूप से इस बात का फसला करना दोनों पक्षों का काम है कि क्या वे इस करार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बारे में ईरानी पक्ष द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने और भारतीय कम्पनी द्वारा उन पर विचार किए जाने के पश्चात ही भारत सरकार इस मामले में कोई दृष्टिकोण अपनाने की स्थिति में होगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विपणन कुशलता का विकास

638. **श्री चन्द्रभान आणि तिवारी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूची क्या है जिन्होंने भारत में विपणन कुशलता का विकास करने में सहायता की है और दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में ऐसे कुछ उत्पादों के उदाहरण क्या हैं जो उन्होंने विपणन कुशलता का प्रयोग करते हुए विकसित किये हैं?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-3-1978 को विदेशी कम्पनियों की 473 शाखाएं तथा विदेशीं कम्पनियों की 146 भारतीय अनुषंगी कम्पनियां थीं। उपलब्ध जानकारी व्यापक उद्योगवार वर्गीकरण जैसे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप, खनन तथा उत्खनन संसाधन तथा विनिर्माण, संरचना तथा उपयोगिताएं, वाणिज्य आदि से संबंधित है। विदेशी कम्पनियों में इन दो ग्रुपों का उद्योग-वार वर्गीकरण विवरण I तथा II में दिया गया है। उपलब्ध जानकारी से उन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के नाम बताना संभव नहीं है जिन्होंने भारत में विपणन दक्षता विकसित करने अथवा उत्पादों को अभिज्ञात करने में सहायता दी है जिसके लिए ऐसी कम्पनियों ने दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में बाजार प्रोन्वत किए हैं।

विवरण I

31-3-1978 को भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाएं

उद्योग-वार वितरण

क्रमांक	औद्योगिक वर्गीकरण	शाखाओं की संख्या
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्य	111
2	खनन एवं उत्खनन	10
3	संसाधन एवं विनिर्माण	75
4	संरचना एवं उपयोगिताएं	27
5	वाणिज्य (व्यापार एवं वित्त)	115
6	परिवहन, संचार एवं भंडारण	38
7	समुदाय एवं व्यवसाय सेवाएं	77
8	व्यक्तिगत एवं अन्य सेवाएं	13
9	सम्पर्क कार्यालय	7
	योग (मुख्य औद्योगिक वर्गीकरणों का)	473

विवरण–II

विदेशी कम्पनियों की भारतीय अनुषंगी कम्पनियां 31–3–1978 को उद्योग द्वारा वितरण

क्रमांक	उद्योग	अनुषंगी कम्पनियों की संख्या
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्य	7
2	खनन एवं उत्खनन	4
3	खाद्य पदार्थ, वस्त्र, चमड़े, धातु तथा रसायन का संसाधन एवं विनिर्माण	103
4	संरचना एवं उपयोगिताएं	2
5	वाणिज्य (व्यापार एवं वित्त)	21
6	परिवहन एवं संचार	1
7	समुदाय एवं व्यवसाएं	5
8	व्यक्तिगत एवं अन्य सेवाएं	3
	योग	146

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशकों द्वारा लिए गए व्याज मुक्त ऋण

639. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के निदेशक कम्पनी से व्याज मुक्त ऋण लेते रहे है;

(ख) यह प्रथा कब से चली आ रही है और कम्पनी को व्याज की कितनी हानि हुई है और निदेशकों को कितना लाभ हुआ है ?

(ग) क्या आयकर विभाग ने निदेशकों को ऐसे व्याज से हुए लाभ पर कर वसूल किया है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(घ) निदेशकों द्वारा उन अन्य कम्पनियों से लिए गए ऋण या अग्रिम राशियों का ब्यौरा क्या है जिनके वे निदेशक या शेयरधारी भागीदार है ?

वित्त मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

चिट फण्ड कम्पनियों में जनता की जमा राशियां

640. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिट फण्ड आदि का कार्य कर रही लगभग 1600 कम्पनियां 1978 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अधीनस्थ थी ;

(ख) क्या "प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978" बनाने के साथ इन कंपनियों पर से भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण समाप्त हो गया;

(ग) इन कम्पनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है;

(घ) क्या जब इन कम्पनियों पर रोक लगाई गई थी उस समय इनके पास जनता की अत्यधिक जमा राशियां थी; और यदि हां, तो जमा राशि के रुप मे एक लाख रुपऐ से अधिक राशि वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उनके पास कुल कितनी जमा राशियां है;

(ङ) क्या उक्त कम्पनियों ने लगभग करोड़ों रुपयों की जनता की जमा राशियों का दुर्विनियोग किया है;

(च) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं तो, इसके कारण क्या हैं; और

(छ) गरीब लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) : इनामी चिटें और धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 बनने से पहले वित्तीय और विविध गैर बैंकिंग-कम्पनियों की जमा राशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 3-ख के अधीन जारी किये गये निर्देशों द्वारा शासित होती थी । क्योंकि इनामी चिट कम्पनियां जमा राशियां स्वीकार करने वाली कम्पनियां होती हैं अतः उन्हें अपने स्वामित्व की शुद्ध राशियों के 40 प्रतिशत तक की समग्र सीमा के ऊपर और 6 मास से कम अथवा 36 मास से अधिक की अवधि के लिए जमाएं स्वीकार करने की मनाही थी । उनसे निर्धारित फार्म में अपनी जमा राशियों के विषय में छमाही विवरण देने और जनता से जमा राशियां आमंत्रित करने के किसी भी विज्ञापन में अपने प्रबंध, कार्य परिणामों आदि के विषय में विस्तृत सूचना प्रकट करने की अपेक्षा की जाती थी ।

इनामी चिटें और धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के पास हो जाने के बाद राज्य सरकारों को इस अधिनियम के उपबंधों के शासन और इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार दिया गया है ।

रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1978 को देश के सभी भागों में 961 इनामी चिट कम्पनियां कार्य कर रही थी और 31 मार्च, 1978 को उनकी जमा राशियों का कुल जोड़ 58.3 करोड़ रुपये था । इनमें से 87 कम्पनियों की जमा राशियां 1 लाख रुपये से अधिक की थी और 31 मार्च, 1978 को ऐसी कम्पनियों के पास जमा राशियों का कुल जोड़ 51.60 करोड़ रुपये था ।

इनामी चिटें और धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अधीन इनामी चिट कम्पनियों के प्रायोजनों को अपनी वर्तमान योजनाओं को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक 2 वर्ष का समय दिया गया है । इस प्रयोजन के लिए इन प्रायोजनों को सम्बन्ध राज्य सरकारों के अनुमोदन के लिए अपनी योजनाओं के विवरण और उनके समापन की योजनाएं प्रस्तुत करनी है । इस अधिनियम और उसके अधीन बने हुई नियमों के उपबंधों का पालन न कर पाने पर इस अधिनियम के अधीन निर्धारित दण्ड दिया जा सकता है । इस प्रकार की किसी कम्पनी द्वारा जनता की जमा राशियों के खुर्द बुर्द किये जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है । इस प्रकार की जमा राशियों जमाकर्त्ता और कम्पनियों के बीच एक संविदा है और इस संविदा की शर्तें पूरी न होने पर जमाकर्त्ता कानूनी अदालत की शरण लें सकता है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये ऋण

641. **श्री के० सी० पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये कम ब्याज पर ऋण देने के मामले पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ब्याज की दरों के बीच अन्तर क्या है; और

(ग) यदि ब्याज की दरो में कोई अन्तर नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) और (ग) : अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याजकी रियायती दर (9-1/2 प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण प्रदान किया जा रहा है जबकि ब्याज को सामान्य दर 11 प्रतिशत है । पिछड़े जिलों में शहरों और ग्रामीण इलाकों के बारे में वसूल की जाने वाली ब्याज की दरों में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि सभी पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को एक सी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चाहे वे इन जिलों के शहरी इलाकों में हों अथवा ग्रामीण इलाकों में ।

"आर० बी० आई० आफिसियल्स कन्नाइव कालोसल लूट आफ चिट फण्डस" शीर्षक का समाचार

643. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** :

श्री आर० एल० पी० वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 मार्च, 1980 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में आर०बी०आई० आफिसियल्स कन्नाइव कालोसल लूट आफ चिट फण्ड्स शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि छोटे-छोट दुकानदारों, छोटे कारीगरों, श्रमिकों, विधवाओं तथा थोड़ी मजूरी पाने वाले लोगों ने इन चिट फण्ड योजनाओं में अपने जीवन की कमाई लगाई हुई है जिन्हें इन चिटों तथा धन परिचालन योजनाओं को चलाने वाले गिरोहों क व्यक्तियों ने धोखेबाजी से ठग लिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताये किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) रिजव बैंक के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध किन कारणों से कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की; और

(ङ) सरकार का विचार इन चिट फण्ड योजनाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ङ) । सरकार ने इनामी चिट और धन परिचालन योजनाओं को चलाने वाली कम्पनियों की गतिविधियों के बारे में 1 मार्च, 1980 के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" में छपा लेख पढ़ा है ।

इनामी चिट और धन परिचालन योजना(प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 बनन से पहले वित्तीय और विविध गर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदशों से शासित होता था, जिनमें इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशियों की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी गयी थी और इन कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे जनता से जमा राशियां आमंत्रित करने के अपने विज्ञापनों में अपने प्रबंध,कार्यकारी परिणामों आदि के बारे में सभी सम्बद्ध विवरण प्रकट करे।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रिजर्व बैंक को ऐसी सांविधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं कि वह इस प्रकार की कम्पनियों के या उनके प्रायोजक के विरुद्ध अपने निर्देशों के उल्लंघन के अलावा किन्हीं अपराधों के लिए कार्रवाई कर सकें या उन्हें जमा राशियां और/अथवा उन पर ब्याज वापस अदा करने के लिए उन्हें बाध्य कर सके । जमा राशियां स्वीकार करने, जमाकर्त्ता और सम्बद्ध कम्पनी के बीच एक संविदा है और इस संविदा के भंग के विषय में शिकायत किसी कानून अदालत से ही रफा कराई जा सकती है ।

अपने निर्देशों के उल्लंघन के लिए रिजर्व बैंक ने अपराधी कम्पनियों और उनके निदेशकों के विरुद्ध मुकदमें चलाकर तथा ऐसी कम्पनियों पर और जमा राशियां स्वीकार करने के विषय में रोक लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की।

इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए और भोली जनता के हितों की रक्षा के लिए संसद ने इनामी चिट्ट और धन परिचालन योजनाएं(प्रतिबंध) अधिनियम पास किया और 12 दिसम्बर, 1978 से उसे लागू किया गया । इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रशासन का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रिजर्व बैंक के परामर्श से नियम बनाएंगे । इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर इनामी चिटों और धन परिचालन योजनाओं के प्रयोजकों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दण्ड की कार्रवाई की जा सकती है ।

रिजर्व बैंक की राय में उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्ड की कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है ।

रेजर ब्लेडों पर विदेशी ब्रान्ड नाम "एरास्मिक" का प्रयोग किया जाना

644. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेजर ब्लेडों पर विदेशी छाप नाम 'एरास्मिक' का प्रयोग करने के संबंध में सरकार द्वारा मना किये जाने के बावजूद भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उसका प्रयोग किया जाना जारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा सरकारी निर्देशों का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व (ख), केन्द्रीय सरकार ने इग्लैंड के मैसर्स यूनीलीवर लिमिटेड के नाम पंजीकृत 'इरास्मिक' व्यापार चिन्ह के पंजीकृत प्रयोक्ता के रूप में मेसर्स शारपेज लिमिटेड, नई दिल्ली के पंजीकरण की अवधि 26 फरवरी, 1978 के पश्चात् बढ़ाने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है । इस पार्टी ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और मामला न्यायाधीन है ।

एयर इण्डिया में कदाचार

645. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० सी० ए०क्यू० प्रकाशन के अनुसार वाणिज्यिक कर्मचारियों पर समूचे कर्मचारियों पर की जाने वाली लागत का 50 प्रतिशत है जबकि अन्य एयरलाइनों के लिए यह लाभ 25 प्रतिशत से भी कहीं कम, अर्थात्, "कन्टास" के लिए 7 प्रतिशत, "लुफ्थांसा" के लिए 25 प्रतिशत से कम, "पेन-एम" के लिए 5 प्रतिशत है और यह एयर इण्डिया के उन लोगों के वेतन बिल का 55 प्रतिशत बनता है जो विदेशों में जाते है तथा कुल कर्मचारियों पर की जाने वाली लागत 1/6 लागत बनती है । एयर इंडिया के किसी एक ऐसे कर्मचारी जो विदेशों में रहता है उसका औसत वेतन भारत में रहन वाले कर्मचारी के वेतन से लगभग 5 गुना अधिक होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इण्डिया के लिए टिकटों की बिक्री और प्रोत्साहन के लिए किये जानवाले लाभ की प्रतिशतता 25.2 प्रतिशत थी जबकि यह प्रतिशतता "लुफ्थांसा", के लिए 18.5 प्रतिशत, "एयर फ्रांस" के लिए 20 प्रतिशत, "गरुड़" के लिए 14.29 प्रतिशत, "ईरान-इण्डिया" के लिए 12 प्रतिशत, "अल इटालिया" के लिए 18.6 प्रतिशत, "जाल" के लिए 16.5 प्रतिशत, "कुवतएयरवेज" के लिए 10.8 प्रतिशत, "के०एल०एम०" के लिए 17.70 प्रतिशत, "पी०आई०ए०" के लिए 12 प्रतिशत थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख) और (ग) । ये मसले सार्वजनिक उद्यमों संबंधी समिति (1978–79) (छठी लोक सभा) की 53वीं रिपोर्ट में सम्मिलित हैं जोकि सरकार के विचाराधीन है । 53वीं रिपोर्ट पर सरकार के उत्तर को अंतिम रूप प्रदान करते ही समिति के समक्ष रख दिया जाएगा।

देश के निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्मिलित किया जाना

646. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व विपणन कांग्रेस में देश के निर्यात बाजार को बढ़ाने हेतु देश में और अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सम्मिलित किये जाने के विचार व्यक्त किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) क्या देश में कार्य कर रही वर्तमान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से यह दर्शित होता है कि उन्होंने देश के निर्यात में सहयोग किया है और क्या उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रोद्यौगिकी सचमुच में प्राप्त नहीं की जा सकती है अथवा देश के अन्दर ही विकसित नही की जा सकती ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख); विपणन तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, के तत्वावधान में 10 फरवरी, 1980 को आयोजित विश्व विपणन कांग्रेस में कुछ वक्ताओं ने बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा निभाई गई उपयोगी भूमिका के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए । बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा नियन्त्रित होती है, जिसके अनुसार जटिल प्रोद्यौगिकी तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों में विदेशी भागीदारी को उदार व्यवहार प्रदान किया जाता है ।

सोने की नीलामी का समाप्त करना

647. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की नीलामी को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : सोने की निलामियां 26 अक्तूबर 1978 को रोक दी गयी थीं । सोने की नीलामी फिर से आरम्भ करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

भूतपूर्व मंत्री, श्री चांदराम के निवास की तलाशी

648. **श्री झारखंडे राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री, श्री चांदराम के निवास की तलाशी के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त तलाशी के दौरान उनके मकान से कुछ सोना और अन्य सामग्री तथा भारी नकद धन-राशि तथा जांच पड़ताल से सम्बद्ध कुछ कागजात पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मामले की जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ख तथा (ग)। दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को छः विभिन्न स्थानों पर तलाशियां ली गई थीं। इन स्थानों में 3 आवासीय परिसर, 2 डेयरी फार्म तथा श्री चांदराम अथवा उनके परिवार के अन्य सदस्यों से सम्बन्धित लाकर शामिल हैं। तलाशियों में 1,31,000 रुपये की कीमत के सोने और चांदी के जवाहिरात तथा 7895 रुपये की नकद रकम पाई गई। जांच-पड़ताल के लिए प्रासंगिक कुछ कागजात भी पाये गये, जिनसे रोहतक जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान 1,24,330 रुपये मूल्य की ऐसी कृषि भूमि की खरीद का पता चला जो श्री चांदराम द्वारा या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अथवा बेनामी सौदों में खरीदी गई थी। तलाशियों में ऐसे कागजात भी बरामद हुए जिनसे पिछले दो वर्षों में 2 मोटर कारें, 1 ट्रैक्टर तथा कुछ अन्य घरेलू सामग्री की खरीद जाहिर होती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वायदा बाजार आयोग का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय रसायन और फर्मास्युटिकल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, तथा निर्यात ऋण और गारंटी निगम लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन; खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज छूट (संशोधन) नियम, 1980 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1976–79 के वार्षिक लेखे तथा सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य, और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड़० आर० अंसारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायदा बाजार आयोग के वर्ष 1978 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 413/80]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय रसायन और फर्मास्युटिकल्स निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रसायन पर फर्मास्युटिकल्स निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 414/80]**

(ख) निर्यात ऋण और गारंटी निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 415/80]**

(ग) (एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की समीक्षा

(दो) भारतीय खनिज तथा धात्र व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 416/80]

(3) खान और खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।—

(एक) भारत के राजपत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित सां० आ० 4069 जिसके द्वारा भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण को अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यापक जांच करने के अधिकार दिये गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 417/80]

(दो) खनिज छूट (संशोधन) नियम, 1980 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 फरवरी, 1980 में सा० सां० नि० 146 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 418/80]

(4) (एक) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखे सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 419/80]

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलंब के कारण बताने वाला विवरण

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 420/80]

मध्य प्रदेश विधान मण्डल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अध्यादेश, 1980

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :—मैं मध्य प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) चार के साथ पठित संविदान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत दिनांक 7 फरवरी, 1980 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित मध्य प्रदेश विधान मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 421/80]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों का संशोधन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, जमा राशि बीमा और ऋण गारन्टी निगम के वर्ष 1977 और 1978 के कार्यकरण की समीक्षा, 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रतिवेदन भारतीय सामान्य बीमा निगम का 31 दिसम्बर 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) संशोधन नियम, 1980 तथा डाक घर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, 1980

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पात्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कृष्णा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 13 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2112 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 422/80]

(दो) कच्छ ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2113 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 423/80]

(तीन) जाम नगर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 2114 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 424/80]

(चार) मरूर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोर्ड की बैठकें नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 2115 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 425/80]

(पांच) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2116 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 426/80]

(छः) नालन्दा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2117 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 427/80]

(सात) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2118 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 428/80]

(आठ) शारदा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1979 जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2119 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गए। संख्या संख्या एल०टी० 429/80]

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 14(2)(क) (दो) के संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 430/80]

(3) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा परीक्षित लेखों की एक प्रति। [ग्रंथालय रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 431/80]

(4) जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम के वर्ष 1977 और 1978 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 432/80]

(5) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेख और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 433/80]

(दो) जयपुर, नागपुर, आंचलिक ग्रामीण बैंक जयपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेख और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 434/80]

(तीन) गोरखपुर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर, (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गए। देखिए संख्या एल०टी० 435/80]

(चार) गौड़ ग्रामीण बैंक मालदा, (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 436/80]

(पांच) प्रथमा बैंक मुरादाबाद (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 437/80]

(छः) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 438/80]

(सात) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजमगढ़ (उ०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, तथा लेख और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 439/80]

(आठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 439क/80]

(नौ) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक बेलारी (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 440/80]

(दस) पुरी ग्राम्य बैंक पिपली (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 441/80]

(ग्यारह) जम्मू, ग्रामीण बैंक (जम्मू और कश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 442/80]

(बारह) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 443/80]

(तेरह) बाराबंकी ग्रामीण बैंक बाराबंकी (उ०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन [ग्रंथालय में रखा गया [देखिए संख्या एल० टी० 444/80]

(चौदह) गुडगांव ग्रामीण बैंक गुड़गांव (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 445/80]

(पन्द्रह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बक रायबरेली (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 446/80]

(सोलह) फरुक्काबाद ग्रामीण बैंक फरुक्काबाद (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 447/80]

(सत्रह) मलभम ग्रामीण बैंक धांकुरा (पश्चिम बंगाल का) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 448/80]

(अठारह) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक बोलंगीर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 449/80]

(उन्नीस) नागर्जुन ग्रामीण बैंक सम्माम (आं० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 450/80]

(बीस) प्राग ज्योतिष गावलियां बैंक (नालबाड़ी) (आसाम) का 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 451/80]

(इक्कीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक कुड़प्पा (आ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 452/80]

(बाईस) मयूरकाशी ग्रामीण बैंक सूरी (जिला बीरभमा (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 453/80]

(तेईस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक धारवाड़ (कर्णाटक) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 454/80]

(चौबीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नादेड़ (महाराष्ट्र) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 455/80]

(पच्चीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 456/80)

(छब्बीस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 का समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 457/80]

(सत्ताईस) श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 458/80]

(अठाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 459/80]

(उन्तीस) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सिकर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 460/80]

(तीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 461/80]

(इक्कतीस) विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विलासपुर, (म०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 462/80]

(बत्तीस) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 463/80]

(तैंतीस) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जपोर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 464/80]

(चौंतीस) दक्षिण मालावार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 465/80]

(पैंतीस) उत्तर मालावार ग्रामीण बैंक, कन्नानौर (केरल) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 466/80]

(छत्तीस) रीवा-सिधि ग्रामीण बैंक, रीवा (म०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 467/80]

(सैंतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अगरतला (त्रिपुरा) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 468/80]

(अड़तीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 469/80]

(उनतालीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक मण्डी (हि०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 470/80]

(चालीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 471/80]

(इक्तालीस) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर, (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 472/80]

(बयालीस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 473/80]

(तैंतालीस) पाण्डेय, ग्रामीण बैंक, सत्तार (तमिलनाडु) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 474/80]

(चवालीस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, (बिहार) का वर्ष 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 475/80]

(पैंतालीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुंगेर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978, को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 476/80]

(छियालीस) बुंदेलखड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 477/80]

(सैंतालीस) संथाल परगाना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 478/80]

(अड़तालीस) हरदोई उन्नाव, ग्रामीण बैंक, हरदोई, (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 479/80]

(उनचास) कृष्ण ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 480/80]

(पचास) कूच ग्रामीण बैंक, भुज (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 481/80]

(इक्यावन) जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 482/80]

(6) भारतीय सामान्य बीमा निगम के कार्यकरण और मामलों तथा उसके सहयोगियों का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य बीमा कार्य (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 के नियम 6 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 483/80]

(7) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 28 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 65 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 484/80]

(दो) डाक घर प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 28 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 66(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 485/80]

समितियों के लिये निर्वाचन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : मैं श्री वीरेन्द्र सिंह राव की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड़० आर० अन्सारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं : "कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3)(ग) के अनुसरण में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो निर्वाचित सदस्य करें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड़० आर० अन्सारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"तम्बाकू बोर्ड के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, तम्बाकू बोर्ड के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सदस्यों के रुप में कार्य करने लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"तम्बाकू बोर्ड के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाक बौर्ड के अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य, ऐसी रीती से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, तम्बाकू बोर्ड के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें" ।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम काफी अरसे से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें कई व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों का बाहुल्य है। परिणामस्वरुप किसानों के हितों की उपेक्षा हो रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करे ताकि तम्बाकू उत्पादकों को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी नही उठाया जा सकता । प्रश्न यह है : "तम्बाकू बोर्ड के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, तम्बाकू बोर्ड के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्यमंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 13 मार्च, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैं कुछ निवेदन करना चाहता ...

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोभानी) : मैंने इस संबंध में आपको एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में कल प्रश्न उठाए। अब प्रश्न यह है।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 13 मार्च, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगे

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (आसाम), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं 1979-80 के लिए आसाम राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगो का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (विहार), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए विहार राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (गुजरात), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए गुजरात राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (मध्य प्रदेश), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (महाराष्ट्र), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उड़ीसा), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए उड़ीसा राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पंजाब), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये पंजाब राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगो का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (राजस्थान), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये राजस्थान राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश), 1979–80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

आसाम बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए आसाम राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

विहार बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये विहार राज्य को अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

गुजरात बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये गुजरात राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

मध्य प्रदेश बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये मध्य प्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

महाराष्ट्र बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये महाराष्ट्र राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

उड़ीसा बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये उड़ीसा राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

पंजाब बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये पंजाब राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राजस्थान बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये राजस्थान राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

तमिलनाडु बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये तमिलनाडु राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश बजट, 1980–81

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हल्दिया में पेट्रो रसायन परियोजना के लिये लायसेंस देने में विलम्ब

श्री निरेन घोष (दमदम) : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

स्वर्गीय श्री हुमायू कबीर जब पट्रोलियम और रसायन मंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान हल्दिया में एक पैट्रो रसायन कोम्पलैक्स की स्थापना की बात मंत्रालय स्तर तक स्वीकार कर ली गई थी लेकिन बाद में इसें अस्वीकार कर दिया गया। पैट्रो रसायन काम्पलैक्स के लिए कुछ वर्गों ने विरोध किया और बाद में हल्दिया शोधनशाला के विस्तार का काम खटाई में पड़ गया। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक आशय पत्र जारी किया गया और राज्य सरकार से परियोजना की रूपरेखा देने के लिए कहा गया। रूपरखा स्वीकार कर ली गई है और हल्दिया पैट्रो रसायन कोम्पलेक्स को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा चुके है और यह काम्पलैक्स शीघ्र ही पूरा होने वाला है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि परियोजना के लिए लाइसेंस देने में असाधारण विलंब किया जा रहा है। लाइसेंस न देने पर राज्य की जनता में असंतोष उत्पन्न होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पैट्रो रसायन परियोजना के लिये लाइसेंस तत्काल दिया जाए।

(दो) दक्षिणी राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में अनुशासन हीनता

श्री एस० ए० दोराई सेनस्तियान (करुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोकमहत्व का निम्न मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं। भारतीय स्टेट बैंक का जनता की, विशेष रुप से कमजोर वर्गों को अच्छी सेवा का रिकार्ड काफी समय से चला आ रहा है, परन्तु अभी कुछ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, हुल्लड़बाजी तथा उपद्रव आदि के परिणामस्वरुप यह दुर्मिल हो गया है तथा ऐसा विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों में हुआ है।

यह समाचार प्राप्त हुआ है कि ब्रांच मैनेजरों तथा अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से घेराव किया गया, उन्हें रोका गया तथा उन्हें पीटा गया और बैंक की सम्पत्ति को नष्ट किया गया, बैंक के फर्नीचर को क्षति पहुंचायी गई तथा बैंक की नकदी तथा रिकार्ड के साथ छेड़खानी की गई है। वहां कानून को कोई नहीं मानता, अधिकारियों तथा व्यवस्था का प्रकिया का कोई सम्मान नहीं करता है। त्रिवेन्द्रम, कालिकट, ओटापाम, नागरकोईल, तरिनेंलवेली, पलायम-कोट्टई, अरुपकोट्टई, कोडाईकनाल, मयूरम, नागपट्टिनम, कृष्णगिरी, पोन्नीयरी, आरुपुरम, हवयल होस्पेट आदि तथा ऐसी ब्रांचे है, जहां विशेष रूप से यह सब कुछ हुआ है।

मद्रास सर्किल के प्रबन्धकों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और कई मामलों में तो पुलिस द्वारा फौजदारी मामले दायर कर दिये गये है।

फिर भी स्टेट बैंक के उच्च प्रबंधक वर्ग पर कर्मचारी संघ द्वारा दबाव डाला जा रहा है और वह उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले समाप्त करने पर विचार कर रही है।

ब्रांच मैनेजरों तथा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से गंभीर खतरा हुआ है और सम्पूर्ण प्रशासन के समाप्त हो जाने की आशंका बनी हुई है। यदि 5,000 अधिकारियों द्वारा प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा स्टेट बैंक के चेयरमैन को दिये गये ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इससे उनका नैतिक बल पूर्णतया समाप्त हो जायेगा।

क्या वित्त मंत्री, स्टेट बैंक के चेयरमैन को इस प्रकार से कार्यवाही करने के लिए कहेंगे जिससे कि अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके तथा इस प्रमुख बैंकिंग संस्थान में अनुशासनहीनता तथा अव्यवस्था को बढ़ने से रोका जा सके।

(तीन) बम्बई की एक मिल से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी के भंडार में से चीनी का कोटा न उठाया जाना

श्री भाऊसाहिब थोरट (पंढरपुर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महाराष्ट्र राज्य शेखरी शक्कर कारखाना संघ लिमिटड, बम्बई ने बताया है कि लेवी की चीनी का लगभग 3.33 लाख टन स्टाक भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक उठाया नहीं गया है। लेवी चीनी को कारखाने से उठा कर उसे वितरण केन्द्रों तक पहुंचाने के कार्य की गति बहुत धीमी है। यह कार्यभार भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा आबंटित कोटे को उठाने में रुचि नहीं ले रहा है। आबंटित किये गये पूरे कोटे को नहीं उठाया गया है, उस में केवल 50 प्रतिशत को ही उठाया गया है। यह समझ में नहीं आता कि भारतीय खाद्य निगम को चीनी का कोटा उठाने में क्या कठिनाई है जबकि खुले बाजार की चीनी के परिवहन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेवी चीनी को उठाने में क्या कठिनाई है? इसे खुले बाजार की चीनी की तरह ही उठाया जा सकता है। मुझे संदेह है कि जमाखोरों, खाद्य निगम के अधिकारियों तथा चीनी उद्योगपतियों के बीच कोई सांठगांठ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाये तथा इस काय के लिए विशेषज्ञों का दल वहां भेजा जाये क्योंकि दिसम्बर 1979 से बाद का कोटा नहीं उठाया गया है। कांग्रेस (आई) की सरकार (श्रीमती इन्दिरा गांधी) के बारे में भ्रामक धारणा फैलाने के उद्देश्यों से ही सभी निकायों द्वारा मिल कर यह सब किया गया है। अतः इसकी पूर्ण जांच करवाई जानी चाहिये।

(चार) उत्तर प्रदेश के पहाडी जिले में पीलिया का प्रकोप

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व की बातों की ओर माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पीलिया नाम का रोग भयंकर रुप से फैला हुआ है। रानीखेत व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में इस रोग से कई लोगों की मौत हो चुकी है । इस महामारी को रोकने में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल असफल रहा है । इस रोग का पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर रुप से फैलने का कारण स्पष्ट रुप से ज्ञात नहीं हो पा रहा है । क्षेत्रीय जनता को शंका है कि इस रोग का कारण विगत वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में हुए कुछ विस्फोटों से सम्बन्धित है । ये विस्फोट उस समय हुए जबकि कुछ विदेशी नागरिक इस सीमान्त क्षेत्र में शंकास्पद रुप से घूमते हुए पाये गये हैं।

क्षेत्रीय जनता के स्वस्थ्य के साथ साथ देश के सीमान्त की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। अतः केन्द्रीय सरकार अपनी किसी एजेन्सी द्वारा इस बात की तत्परता से जांच करवाये ।

(पांच) बिहार और मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हुए बलात्कार के समाचार

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं भी नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाना चाहती हूं। 13 मार्च, के "पैट्रयट" में राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत आने वाले दो राज्यों अर्थात् बिहार तथा मध्य प्रदेश में हुई दो बलात्कार की घटनाओं की खबर छपी है। बिहार में पश्चिम चम्पारण के चम्पतिया ब्लाक के बिजवानियां गांव में एक हरिजन युवती पर एक सहयोगी ग्रामीण द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में दो युवतियों के जिनमें से एक विवाहित थी, चाकू दिखा कर उन के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें लगभग 1 दर्जन शराबी लोगों के लिए खाना बनाने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने कि 11 मार्च को उनके घर को घेर लिया जो कि कम आबादी वाली स्थान पर था ।

आजकल समाचार पत्रों में इस प्रकार की बलात्कार की घटनायें प्रायः छपती रहती है। इनके अलावा और भी घटनाये घटती रहती है जोकि प्रकाशित नहीं हो पाती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि बलात्कार को मानवता के विरुद्ध बलात्कार माना जाये, मैं सरकार का ध्यान इन दोनों मामलों की ओर आकृष्ट करते हुये उससे निवेदन करती हूं कि वह दोषियों को पकडने तथा उन्हें दण्ड देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करे तथा इसके साथ ही देश के सभी भागों में इस बुराई को समाप्त करने के लिए कानूनी, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सरकार कदम उठाये।

श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़) : सदन का ध्यान नियम 377 के अन्तर्गत इस प्रकार के मामलों की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस प्रकार के गंभीर मामलों के सम्पूर्ण राष्ट्र चिंतित है। अतः क्या आप मंत्री महोदय से सदन को यह बताने के लिए कहेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे है ताकि हमें उनकी जानकारी हो सके।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दिया जाता है।

श्री चन्द्रजीत : मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए पहले उन्ही को करना चाहिये।

सामान्य बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, लेखानुदान 1980-81 और अनुदानों की अनुपुरक मांगे 1979-80--जारी

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी वर्गों द्वारा चर्चा में जो योगदान किया गया है उसे मैंने काफी रूचिपूर्वक तथा ध्यान से सुना है। मैंने अपने भाषण के अन्तिम भाग में सदन से ऐसे रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया था जिन्हें दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1980–81 के आम बजट को तैयार किया जा सके। सदन में अनेक सुझाव दिये गये है जैसे कि सिंचाई, उद्योग, ग्रामीण विकास, आदि परियोजनाओं पर अधिक व्यय करना तथा गांवों में ग्रामीण उद्योगों आदि को सहायता देना आदि। सभी सदस्यों द्वारा जो विभिन्न सुझाव दिये गये है उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं वर्ष के दौरान जो नियमित बजट प्रस्तुत किया जायेगा उस में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जायेगा।

मुझे यही आशा थी कि करो में वृद्धि करने की दृष्टि से कोई सुझाव नहीं दिया जायेगा। इसलिए मुझे इस पर किसी प्रकार की निराशा नहीं है। फिर भी मुझे यह आशा थी कि करों को कम करने के बारे में कुछ सुझाव दिये जायेंगे परन्तु इसके लिए एक भी सुझाव नहीं दिया गया। परन्तु इससे मैं यह अनुमान नहीं लगाऊंगा कि सदन करो में कमी करने के पक्ष में नहीं है। अतः मैं इस आधार पर यह अनुमान नहीं लगाउंगा कि . . . **(व्यवधान)**

श्री आर० वेंकटरामन : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मैं इससे यह अनुमान नहीं लगाऊंगा कि सदन करों में कमी करने के पक्ष में नहीं है। सरकार जब नियमित बजट प्रस्तुत करेगी तो उस समय करों में राहत देने का उद्देश्य भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

मेरा विचार पहली आलोचना की वर्गोंका कम करने के बाद फिर एक एक करके उसका उत्तर देने का है।

चर्चा के दौरान अधिकांश समय तक मुख्य रूप से अब विवादास्पद विषय यही रहा कि क्या कांग्रेस सरकार ने अपने 30 वर्ष के शासन काल में देश की अच्छी सेवा की या जनता सरकार द्वारा अपने 33 महीनों के शासनकाल के दौरान अच्छी सेवा की गई। मेरे विचार से यह चर्चा निष्फल सी रही है। तथ्य तो यह है कि इस चर्चा में यह बात उभर कर सामने आई है कि लोगों ने कांग्रेस को भरपूर बहुमत दिया और अब कम से कम 5 वर्ष तक के लिए तो यह बात स्वीकार कर ली गई है। लोगों ने कांग्रेस (आई) की नीतियों तथा कार्यक्रमों का अनुमोदन कर दिया है और इसलिए.....

श्री विरेन घोष (दमदम) : बहुत बड़े समर्थन के बावजूद कांग्रेस को केवल 45 प्रतिशत मत मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न करें। कोई चर्चा न करें।

श्री आर० वेंकटरामन : बातें स्वयं स्पष्ट हैं। हमारे 352 सदस्य हैं जो इस ओर बैठे हैं। यही एक उत्तर है जिसके बारे में वे बढ़बढ़ाते हैं। मैं जो बात कह रहा था वह यह है कि जीस समय इस सरकार को प्रशासन का कार्यभार संभालने को कहा गया तो उस समय इसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें अधिकांशतः स्थिरता थी और इस पर किसी ने विवाद नहीं किया क्योंकि 2700 करोड़ का बड़ा भारी घाटा स्थिर औद्योगिक उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पादन घटकर 1 से 2 प्रतिशत होना और इन सबके अलावा मूल्यवृद्धि जिसे पिछली सरकार ने शुरू किया था। अतः जब मैंने सभा के समक्ष यह बात रखी तो मैंने कहा था कि मैं यह इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं किन्तु सभा को तथा देश को इस समस्या की व्यापकता से अवगत करा रहा हूं जिसका हमें सामना करना है। अतः सभा के समक्ष मेरा यह निवेदन है कि यह वादविवाद करना निरर्थक है कि जनता सरकार ने गत 33 महीनो में यह नही किया वह नहीं किया अथवा कांग्रेस ने 30 वर्षों में नहीं किया। हमें यह काम अपने कंधों पर लेना है और यह सुनिश्चित करना है कि अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़े। इस सम्बन्ध में मैं एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। आंकड़ों को उद्धरित करना तथा उनका गलत उद्धरण करना सम्भव है। आंकड़ों का सही और गलत प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में श्री अग्रवाल ने कहा है कि उनके शासन काल में—1978–79 में—मूल्य सूचकांक में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। मैं दूसरे आंकड़े भी उद्धरित कर सकता हूं। श्रीमती गांधी जब प्रधान मंत्री थीं तो 1974–76 में मूल्य सूचकांक में 11.6 प्रतिशत की कमी हुई थी। इन आंकड़ों को उद्धरित करने का क्या लाभ है? **(व्यवधान)**। मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूं और तैयार भाषण नहीं पढ़ रहा हूं। यदि आप व्यवधान करेंगे तो मेरे विचार टूट जायेंगे। यदि आप यह करना चाहें तो करें किन्तु यदि आप मुझे सुनना चाहें तो कृपया व्यवधान न करें। मैंने सारे वाद-विवाद के दौरान अपना मुह नहीं खोला। यद्यपि उस समय बहुत सी बातें कही गई जो मुझे बुरी लगी—फिर भी— मैंने कुछ नहीं कहा। अबभी वही खेल है मेरे साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जैसा मैंने आपके साथ किया। मैं कह रहा था कि यह अवधि एक स्वर्णयुग था और दूसरी अवधि वह युग है जिसमें हमने कठिनाई उठाई थी। मैंने केवल यही कहा कि यह आंकड़ों का चयन उद्धरण करना है और इन आंकड़ों का उद्धरण करना उचित नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे सकता हूं। फरवरी के अन्तिम सप्ताह मूल्यों में वृद्धी हुई थी और इसका प्रश्न काल के दौरान आज उल्लेख हुआ था। उन्होंने कहा कि इसमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। किन्तु अगले हप्ते इसमें केवल 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इन आंकड़ों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसमें बात ध्यान देने की यह है कि इस अवधि में प्रवृति क्या थी। जिस पर आपने ध्यान देना है कि मूल्यों की क्या प्रवृत्ति है। अर्थ-व्यवस्था की क्यां प्रवृति है और देश का कैसे विकास होता है। अतः मेरा विचार यह नहीं है कि मैं दुसरे पक्ष ने जो आंकड़े दिये हैं उनपर विवाद करने में अपना समय व्यय करूं। जैसा कि मैंने कहा इन आंकड़ों पर विवाद हो सकता है किन्तु इससे आप अथवा मैं या देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

सरकार के विरूद्ध दूसरा जो आरोप लगाया गया है वह है कि कोई निदेश नही है। नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं है और इसका कोई संकेत नहीं है कि सरकार विभिन्न बातों के बारे में क्या करना चाहती है। मैंने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा था कि बजट विवरणों में वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है। यह अन्तरिम बजट है जिसमें अगले दो या तीन महीनों के लिए प्रशासन चलाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस बीच हम नियमित बजट प्रस्तुत करेंगे जिसमें हमारे नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्राथमिकताएं आदि होंगी। अन्तरिम बजट में नीतियों के बारे में तबतक कोई संकेत नहीं दे सकते जब तक तत्सम्बन्धी प्रस्ताव न हो और इन नीतियों का क्रियान्वयन

करने के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था न हो। यदि मैं नीतियों का केवल उल्लेख कर यह कहूं कि हम यह करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष के लोगों के लिए यह कहना आसान हो जाएगा कि आपने कहा था कि ये सब बातें हो जायेंगी किन्तु बजट में इसके लिए व्यवस्था कहां है ? अतः अन्तरिम बजट में हम कभी भी नीतियां नहीं देते हैं। यह सिर्फ वर्तमान प्रशासन को तब तक चलाने के लिए है जब तक कि हम अपने आशय और कार्यक्रमों का एक नियमित विवरण नहीं दे देते हैं।

मुझे खेद है कि मैं उस समय यहां नहीं था जब श्री सतीश अग्रवाल बोले थे। मैं दूसरे सदन में व्यस्त था। मुझे उनकी योग्यता के प्रति बड़ी श्रद्धा है और मैं उनको सुनना चाहता था। मैंने उनका भाषण नहीं सुना है किन्तु उनका भाषण शब्दशः मेरे पास है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत नहीं की है जो बजट से पहले पेश की जानी चाहिए थी। वास्तव में उन्होंने कुछ कठोर शब्द प्रयुक्त किये हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि जब तक उन्होंने 1977 में अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था तो उनकी सरकार ने भी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत नहीं की थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः (बसिहार) : सभी की एकसी स्थिति है।

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें दोनों में समानता है। कम से कम हमारा उभय स्तर होना चाहिए। फिर भी हमने स्थूल रूप से बजट भाषण में कुछ प्राथमिकताओं का संकेत दिया है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि हम 20-सूत्रीय कार्यक्रम पर जोर देंगे और विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों पर जोर देंगे। सौभाग्य से मेरी राष्ट्रीयकृत बैंकों से बैठक हुई और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण में 33.1/3 प्रतिशत से वृद्धि कर 40 प्रतिशत करने के लिए उनकी स्वीकृति ली है। हमने यह भी उल्लेख किया है कि हमारा एक शीर्ष कृषि बैंक होगा जो कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जैसे कि आई०डी०बी०आई० उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

तीसरी बात जो वास्तव में हम सभी को विक्षुब्ध कर रही है वह है मूल्य स्थिति। अधिकांश सभी सदस्यों ने चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, देश में मूल्य वृद्धि की स्थिति का उल्लेख किया है। मैं यह बहाना नहीं बनाता कि जब से सरकार बनी है मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि की प्रवृत्ति है परन्तु इसकी गति 1979 के अथवा 4 महीने पहले सी धीमी है। हमें मूल्यों को रोकने के लिए ठोस प्रयत्न करने चाहिए। हम इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने का विचार रखते हैं। इनमें से कुछ उपाय जो हम मूल्य स्थिति के बारे में करना चाहते हैं उनका उल्लेख करने में सभा का समय लगेगा। पहली बात यह है कि जहां तक मुद्रा सप्लाई का सम्बन्ध है, हम निर्बन्धात्मक ऋण नीति अपनाना चाहते हैं जिससे मुद्रा सप्लाई के विस्तार को रोका जा सके। यह हमारे हाथ में एक महत्वपूर्ण हथियार है। साथ ही मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऋण नियंत्रण बहुत ही भेद-भाव पूर्ण होगा। इसका प्रयोग केवल उनके विरुद्ध किया जायेगा। जो स्टोर बनाने, जमाखोरी और चोर बाजारी करते हैं। यह किसी भी तरह से उत्पादक उद्यमों और उत्पादक प्रयत्नों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। रिजर्व बैंक पहले ही ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जाये कि उत्पादक प्रयत्नों पर इसका किसी भी प्रकार प्रभाव न पड़े और वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऋण पर जो रोक लगाई जा रही है तथा जो इन परिस्थितियों में अति आवश्यक है उसका देश के उत्पादन के विस्तार पर प्रभाव न पड़े।

साथ ही सप्लाई सम्बन्धी प्रबन्ध को जहां तक सम्बन्ध है हम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि किसी प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जिसमें नियंत्रित वस्तुएं और कमी वाली वस्तुएं सहकारी समितियों, उचित मूल्य की दुकानों, सुपर बाजारों आदि के माध्यम से सप्लाई की जायें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : ग्राम पंचायतें।

श्री आर० वेंकटरामन : इस सुझाव को नोट किया जायगा।

जब तक दो तरफ से आक्रमण नहीं किया जाता अर्थात् एक ओर जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों पर तथा दूसरी ओर कुशल वितरण व्यवस्था कर, तब तक इससे देश के लोगों की सहायता न हो सकेगी। अतः हम जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध निवारक विरोध अधिनियम का सख्ती से और कठोरता से प्रयोग करने जा रहे हैं। इसमें, मुझे आशा है कि हमें सभा के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा क्योंकि एक बार हम निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं तो अनेक ओर से शोर मचेगा विशेषरूप से विहितस्वार्थ वालों की ओर से यह कहते हुए शोर होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ रहा है। यह आवश्यक है कि हम याद रखें कि जब तक हम इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही नहीं करते तब तक हम कमी वाली वस्तुओं को जो देश में उपलब्ध हैं निकाल बाहर नहीं कर सकते और बाजार में नहीं ला सकते।

[श्री आर० वैंकट रामन]

साथ ही हम यह महसूस करतें है कि देश में सप्लाई काफी नहीं है । अतः कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम निसन्देह आयात कर सप्लाई में वृद्धि करेंगे । हम लगभग 20 लाख टन सीमेंट का आयात करना चाहते हैं । हमने खाद्य तेल का आयात करने के लिए पहले ही कार्यवाही की है । हमने 1980-81 की सारी अवधि के लिए देश की तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए उपाय किये हैं और यह सरकार के सत्ता में आने के बाद किया गया । कुछ तेल उत्पादक देशों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है उनका लाभ उठाते हुए हमने उनक साथ तेल की सप्लाई करने की व्यवस्था की है ताकि हमें यह विश्वास हो जाये कि तेल की हमें सप्लाई होगी और हमें तेल का अकाल नहीं रहेगा । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे समस्या हल हो जायगी । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि तल की कीमत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस का मूल्य हम निश्चित नहीं करत हैं किन्तु यह तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन द्वारा निश्चित किया जाता है । इस मूल्य वृद्धि का देश के साधनों पर भारी बोझ पड़ेगा । किन्तु, फिर भी, जहां तक सप्लाई का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि हमने देश की जरूरत को पूरा करने की व्यवस्था की है और हमें आवश्यक सप्लाई का आश्वासन मिला है ।

चौथी बात जो बहुत से सदस्यों ने उठाई है और जिससे सभा में काफी चिन्ता व्यक्त की गई है, वह है योजना के बारे में । कई सदस्यों ने कहा है कि हम योजना अवकाश के दूसरे युग में पदार्पण कर रहे हैं । मैं किसी भी ऐसे संशय को तुरन्त दूर करना चाहता हूं । यह सरकार योजना के सिद्धान्त के प्रति वचनवद्ध है । इसने आवर्ती योजना के विचार को कभी नहीं माना है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका समायोजन किया जाता है । हम लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं जिन्हें हम प्राप्त करेंगे और यदि हम असफल रहे तो हम आगे आयेंगे और अपनी असफलता को स्वीकार करेंगे हम धोका नहीं देगे और यह नहीं कहेंगे कि लक्ष्यों का देश की आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविकरूप से समायोजन किया गया है ।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, यद्यपि यह अन्तरीम बजट है, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है कि योजना प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े । इस वक्तव्य के समर्थन में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । जहां तक केन्द्रीय योजना का सम्बन्ध है, गत योजना के लिए 6,015 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । इसके मुकाबले हमने अन्तरिम बजट में ही 6,573 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । हम महसूस करते हैं कि इसमें और वृद्धि करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता है ये है कोयला परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र । इन सभी क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है और हमें इसमें वृद्धि करनी है । किन्तु जितनी भी यह की गई है और जो यह 10 प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था है उससे यह स्पष्ट हो जाता है तथा यह आशंका दूर हो जाती है कि योजना को छोड़ा नहीं गया है अथवा योजना अवकाश होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : दस प्रतिशत किस मूल्य स्तर पर, क्योंकि मूल्य बढ़ रहे है । इस 10 प्रतिशत का कोई अर्थ नहीं है ।

श्री आर वेंकटरामन : यदि इसी प्रतिशत से कर भी बढ़ाये जायेंगे तो क्या माननीय मित्र इसका समर्थन करेंग? आडिवरकर योजना संसाननों के अनुसार है । यदि आप कहते हैं कि जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक बढ़ गया और इसलिए योजना में अधिक धन की जरूरत है तो उसी प्रकार से करों का सूचकांक बनाना होगा और यदि सूचकांक बनाकर इसकी वसूली की जायगी तो क्या सदस्य इसका समर्थन करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके पास और कोई विकल्प नहीं है ।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए हमें मानदंड के हिसाब से चलना होगा और हमारे कार्य करने का मानदण्ड धन ही है । वर्तमान मानदण्ड, अर्थात् धन के अनुसार हम कह रहे हैं कि हमने केन्द्रीय योजना परिव्यय 10 प्रतिशत पहले ही बढ़ा दिया है और हम इसे और बढ़ाने जा रहे हैं ।

जहां तक राज्यों के बजटों का सम्बन्ध है, इस अन्तरिम बजट में ही 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1979-80 में 5,738 करोड़ रुपये के मकाबले में प्रस्तावित परिव्यय 6,723 करोड़ रुपये है और इससे किसी के मन की यह शंका दूर हो जाएगी कि या तो योजना की गतिमन्द पड़ रही है या कोई योजना ही नहीं होगी ।

मैं इस समय इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि चालू वर्ष की योजना 1980-85 वर्षों के लिये बनायी जानेवाली कुल योजना में बैठा दी जाएगी और यह कुल योजना एक अभिन्न अंग बनेगी । यह स्वाभाविक है कि हमारी प्राथमिकतायें भिन्न-भिन्न हैं और अब जो योजना बनायी गयी है उसमें वे प्राथमिकतायें नहीं हैं जो हमारे समक्ष हैं या इसमें वे कार्यक्रम नहीं हैं जो हमने चुनाव घोषणापत्र मे लोगों क समक्ष रखे थे । अतः हमें ऐसी योजना नए सिरे से बनानी होगी जो हमारी प्राथमिकताओं और हमारे चुनाव घोषणापत्र के अनुकूल होगी और जब यह काम हो जाएगा तब हम बनायी जानेवाली पंचवर्षीय योजना में 1980–81 की योजना को बैठा देंगे । मैं लोगों का यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि योजना या तो त्याग दी जाएगी या कोई योजना होगी ही नहीं ।

मैं अब एक या दो बातों को लेता हूं। श्री अगरवाल ने अपने भाषण में कहा है—वास्तव में उन्होंने मेरे प्रति व्यंग कसा है कि :

"आपने वही सीमाशुल्क राजस्व स्वीकृत किया है, आपने वही उत्पाद शुल्क राजस्व स्वीकार किया है । आपने दूसरे पक्ष से एक सदस्य के रूप में बोलते हुए आयकर पर अधिभार और उत्पाद शुल्क की भी आलोचना की थी । आपने वही चीज अपनायी है और इसलिए इससे पता चलता है कि आपने जनता बजट अपनाया है ।"

अच्छा, मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि जब तक मैं नियमित बजट पेश करूंगा तब तक यदि उन्हें संतुष्टि होती है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा । परन्तु इस आलोचना से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब वह चाहते हैं कि उत्पाद शुल्क कम किया जाना चाहिए । यह वही बजट है जो उन्होंने स्वयं सभा में हमारे विरोध करने पर पेश किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका रवैया क्या है, क्योंकि उस समय श्री अगरवाल ने इन उत्पाद शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों का बड़े जोर से समर्थन किया था और दूसरे पक्ष द्वारा कड़ी आलोचना किए जाने के बावजूद उन्होंने इसे पास करा दिया । अब वह ऐसा कहते हैं कि यह गलत है । यदि वह इस पर पुनर्विचार करत हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं ।

अब, वास्तव में मैं यह नहीं कह सकता कि कराधान का स्वरूप क्या होगा । परन्तु श्री अगरवाल भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं । हो सकता है उन्होंने मेरा उपहास करने को सोचा हो । उन्होंने मेरा यह कहकर उपहास किया, "अरे, आपने वही चीज स्वीकार कर ली है । अब आप नए प्रस्ताव लाइये ।" यदि वह यह समझते हैं कि चूंकि उन्होंने मेरा उपहास किया है इसलिए मैं नियमित बजट पेश करने से पहले अपने विचार उन्हें बता दूंगा तो उनकी यह बड़ी भूल है । ऐसा तो नियमित बजट बनने तथा इसके सदन में पेश होने तक नहीं होगा । अतः मैं इस तरह के बयान को अधिक महत्व नहीं देता हूं ।

उन्होंने सोने की नीलामी का भी समर्थन किया । मुझे खेद है कि उन्होंने यह ठीक नहीं किया है । मैं सदा से ही यह कह रहा हूं कि यह नीति अलाभकर है कि हम राष्ट्रीय परिसम्पत्ति को बहा रहे हैं । जब हम विपक्ष में थे तब हमारा यही विचार था । और मेरा यही विचार अभीभी है और हमने कहा है कि सोने की नीलामी नहीं की जाएगी । इसके बजाय श्री अगरवाल ने सोने की नीलामी का समर्थन किया । परन्तु चूंकि उन्होंने स्वयं इसकी नीलामी बन्द कर दी, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें जल्दी नहीं तो थोड़ी देर से समझ तो आई । परन्तु मैं सभा को यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सोने की नीलामी के बारे में हसोंरी नीति यह है कि हम इसकी नीलामी नहीं करेंगे । हम सोना कतई नहीं बेचेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त, बड़े राजनेता श्री चरणसिह सहित अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने एक बात कही है कि इस देश में एकाधिकार गृह बढ़ रहे हैं । धनी और धनी बन गए हैं । यहां मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि वे बढ़े, विकास करें परन्तु इस सभा और देश का ध्यान कतिपय बातों की ओर दिलाया जाना चाहिए । परिसम्पत्तियों में यह तथाकथित वृद्धि का अधिकांशतः देश में मुद्रा विस्तार, मूल्य वृद्धि के कारण है । यदि 1956 में किसी के पास 258 करोड़ रुपए थे और अब 1,000 करोड़ रुपये हैं, तो यह इसी कारण से है ।

दूसरे, इन परिसम्पत्तियों का एक बड़ा अंश आई०डी०वी०आई०,आई०एफ०सी०, आदि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इन कम्पनियों में शेयरपूंजी के रूप में है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए मैंने कहा कि वे इन्हें वित्तपोषित कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अतः जब आप यह कहते हैं कि उन्होंने अपनी परिसम्पत्तियां बढ़ा ली हैं तो वास्तव में ये आई०डी०वी०आई०, आई०एफ०सी० और सरकारी क्षेत्र की अन्य संस्थायें हैं जिन्होंने अपनी परिसंपत्तियां बढ़ायी हैं । मैं यह नहीं कहूंगा कि आप स्वभावतः वर्ग विशेष के विरोधी हैं परन्तु आपका दल अवश्य ही है । हम इससे सहमत नहीं हैं और हम विस्तार में नहीं जा सकते कि आप जायें या आप चाहे कि हम जाये ।

श्री बीजू पटनायक :(केन्द्रपाड़ा) : क्या इतना ही विश्वास है ?

श्री आर० वेंकटरामन : विश्वास हो या अविश्वास । लोगों ने निर्णय दे दिया है कि विश्वास किसमें है । हम जो है वहीं कह रहे हैं । यह आपको और देश को निर्णय करना है और उन्होंने निर्णय कर दिया है । हमने वही कहा है जो हम हैं और अब भी यही कहता हूं कि परिसम्पत्तियों का अधिकांश भाग सरकार के पास, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पास है । अतः इसे हर बात के लिए यह कहकर आलोचना का विषय न बनायें कि इस देश में कुछ लोगों की परिसम्पत्तियां बढ़ गई हैं, आदि ।

श्री इन्द्रजित गुप्त : क्या ये धनराशियां आपके द्वारा नियंत्रित होती हैं । उन्हें धन दिया जाता है परन्तु आप उस पर नियंत्रण नहीं रखते ।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां धन आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी० आदि द्वारा दिया गया है, हम निदेशक बोर्ड में उनके द्वारा बताये गए निदेशक रखते हैं और इसलिए आप नहीं कह सकते कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । अतः यह दलील लोगों को धोखा देने और यह धारणा बनाने के लिए दी जाती है कि टाटा और बिड़ला धनी बन गए हैं। दूसरी ओर, वह निगम धनी हो गया है जिसमें सरकार की सबसे अधिक दिलचस्पी है । वह कम्पनी धनी बन गयी है जिसमें आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी० और सरकारी क्षेत्र की इन सभी संस्थाओं ने उसका निवेश और परिसंपत्तिया बढ़ा दी हैं । इसलिए कृपया यह गलत धारणा मत बनाइये कि लोग धनी हो गए हैं । निगम आंशिक रूप से धनी हो गए हैं—मैं पूर्ण रूप से नहीं कहूंगा—क्योंकि हमने निवेश किया है, वित्तीय संस्थाओं ने इन संस्थाओं में निवेश किया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :(कलकत्ता दक्षिण) : आप गलत धारणा पैदा कर रहे हैं । मैं चुनौती देता हूं । मैं सिद्ध कर सकता हूं कि टाटा और बिड़ला ने अपनी आस्तियां बढ़ा ली हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं शांतिप्रिय व्यक्ति हूं । मै चुनौतियां कभी भी स्वीकार नहीं करता हूं । मैं लड़ नहीं सकता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह तो एक बौद्धिक चुनौती है ।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : हमारे वरिष्ठ राजनता श्री चरण सिंह ने कुछ उचित बातें कही हैं । उन्होंने यह कहा कि गांवों में गरीबी दूर की जानी चाहिए । हां, यह बात सही है । परंतु हम यह कहते हैं कि गांवों में ही नहीं, शहरों में भी गरीबी दूर की जानी चाहिए । गरीबी चाहे गांवों में हो या शहरों में—दूर की जानी चाहिए । शहरों में उतनी ही गरीबी है जितनी कि गांवों में और शहर के मध्यम वर्ग उतनी ही कठिनाई में है जितना कि गांवों में । अतः हम जो भी नीति बनाना चाहें, वह गांवों और शहरों में निम्न और मध्यम श्रेणी के लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए होनी चाहिए । इसमें कोई विवाद नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर बल दिया जाना चाहिए । हमने यह नहीं कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाने के पक्ष मे नहीं हैं । दूसरी ओर, 20 सूत्री कार्यक्रम का अधिकांश भाग गांवों के गरीब लोगों की भलाई के लिए है । अतः मुझे मालूम नहीं कि वह इस सरकार पर यह आरोप क्यों लगाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है। दूसरी ओर, हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर समान रूप से जोर देना चाहते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : एक में 80% हैं और दूसरों में 20% ।

श्री आर० वेंकटरामन : चूंकि वहां 20% है इसलिए आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । आप नहीं कह सकते कि ये 20% हैं और इसलिए शहरों में जो गरीबी है उसकी उपेक्षा की जाये ।

उन्होंने एक और बात मेरे अपने बजट भाषण में दिए गए बयान के बारे में कही है, अर्थात्—हमने काफी खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा छोड़ी थी जिससे जनता सरकार को मदद मिली जबकि 1980 में मेरे साथ ऐसा नहीं रहा । मैंने एक तुलनात्मक विवरण बनाया । उन दिनों मैंने जो कुछ किया, उसका श्रेय म नहीं लेना चाहता । यह तो उस स्थिति का एक तुलनात्मक विवरण है, जब कि वे सत्ता में आये और जब हम सत्तारूढ़ हुए । श्री चरण सिंह ने कहा कि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार जो हमने छोड़ा था वह हमारे द्वारा आयात किए गए खाद्यान्न के कारण है । हां, इससे कोई इन्कार नही करता है। तथ्य तो तथ्य हीं है। अतीत में हमने खाद्यान्न का आयात किया और उसे सुरक्षित रखा । परन्तु उस अवधि में उस सरकार ने केवल आयातित खाद्यान्न को सुरक्षित रखा और यह देखा कि इसका बड़ा सुरक्षित भंडार बनाया जाये जिससे अगली सरकार 180 लाख टन के अच्छे सुरक्षित भंडार से काम चला सके । मैं यही कह रहा था और इस तथ्य से कि हमने इसका आयात किया, हमारी कार्यकुशलता में कमी नहीं आती है और यह तथ्य कि हमने इसे भलीभांति सुरक्षित रखा तथा इसे एक देन के रूप मे छोड़ा जिसका हमें कम से कम कुछ श्रेय ही मिलना चाहिए । मैं यही कह रहा हूं ।

अन्तिम बात मैं एशियाई खेलों के बारे में कहूंगा। चौधरी साहब तो नाराज है कि हम एशियाई खेलों पर 33 करोड़ रुपये खर्च करें। मुझे मालूम नहीं है कि क्या सभा में सभी इस विचार से सहमत है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जनता सरकार ने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि एशियाई खेल दिल्ली मे हों और फिर वह इससे मुकरना चाहते हैं। इस सरकार ने यह समझा कि एक बार यह स्वीकार करने पर कि एशियाई खेल यहां हो, उससे मुकरना अनुचित बात होगी, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी स्थिति खराब होगी। अतः हमने यह सोचा कि हमें दिल्ली में एशियाई खेल आयोजित करने चाहिए।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई सभी बातों को नहीं लिया है। परन्तु जब नियमित बजट पेश किया जाएगा तब मुझे इसके लिए पूरा मौका मिलेगा और उस समय आपको इस समय की अपेक्षा आलोचना करने की अधिक सामग्री मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1980-81 के लिये लेखानुदानों की मांगों में कटौती के सभी प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिये एक साथ रखुंगा, यदि कोई सदस्य यह नहीं चाहता कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं चाहता हूँ कि मेरे दो कट-मोशन्ज सं० 100 तथा 107 अलग से रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग से रखना चाहता है? नहीं तो मैं अब श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 100 तथा 107 सदन में मतदान के लिये रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1980-81 क लिये लेखानुदानों की मांगो को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है।

"कि मांग संख्या 1 से 106 के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशी	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,17,53,000	..
2.	कृषि	24,82,92,000	299,80,23,000
3.	मीस उद्योग	6,55,35,000	6,16,65,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	40,05,15,000	6,18,97,000
5.	वन	4,58,18,000	24,50,000
6.	सहकारिता	8,72,16,000	17,25,69,000
7.	खाद्य विभाग	205,36,60,000	15,67,69,000
8.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	6,60,000	..
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	30,20,30,000	..
10.	सिंचाई विभाग	11,35,93,000	1,93,61,000
	वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
11.	वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	72,81,000	..
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	136,52,12,000	21,73,66,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
13.	नागरिक पूर्ति	2,94,20,000	1,79,08,000
	संचार मंत्रालय		
14.	संचार मंत्रालय	83,25,000	3,32,00,000
15.	विदेश संचार सेवा	5,52,70,000	10,30,44,000
16.	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	264,49,51,000	..
17.	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	79,81,94,000	..
18.	डाक तार पर पूंजी परिव्यय	..	148,52,91,000
	रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा मंत्रालय	40,02,15,000	31,30,93,000
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	748,70,54,000	..
21.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	76,88,15,000	..
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	287,57,66,000	..
23.	रक्षा सेवाएं—पेंशनें	67,08,33,000	..
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	87,84,02,000
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	81,23,000	..
26.	शिक्षा	75,32,00,000	1,78,47,000
27.	संस्कृति विभाग	3,93,45,000	..
28.	पुरातत्व विज्ञान	2,29,33,000	..
	ऊर्जा मंत्रालय		
29.	ऊर्जा मंत्रालय	21,88,71,000	169,52,68,000
	विदेश मंत्रालय		
30.	विदेश मंत्रालय	45,88,82,000	6,45,72,000
	वित्त मंत्रालय		
31.	वित्त मंत्रालय	15,17,83,000	47,13,000
32.	सीमा शुल्क	16,36,89,000	2,08,33,000
33.	संघ उत्पाद शुल्क	20,53,33,000	..
34.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	21,79,60,000	..
35.	स्टाम्प	6,93,40,000	31,14,000
36.	लेखा परीक्षा	27,36,46,000	..
37.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	15,76,32,000	8,11,91,000
38.	पेंशनें	21,51,39,000	..
39.	अफीम और एल्कलाइड के कारखाने	23,63,54,000	29,03,000
40.	राज्य सरकारों को अंतरण	448,21,05,000	..
41.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	421,84,55,000	322,66,93,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशी	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
42.	सरकारी सेवकों, आदि को उधार . .	..	31,33,60,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
43.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय .	40,62,000	..
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . .	57,82,45,000	24,37,86,000
45.	परिवार कल्याण . . .	51,87,22,000	..
	गृह मंत्रालय		
46.	गृह मंत्रालय	1,06,37,000	..
47	मंत्रिमंडल	41,71,000	..
48.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग .	3,37,68,000	..
49.	पुलिस	87,18,87,000	3,29,67,000
50.	जनगणना	6,47,40,000	..
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	76,63,60,000	37,83,54,000
52.	दिल्ली	56,61,64,000	32,94,83,000
53.	चंडीगढ़	9,41,77,000	5,25,68,000
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . .	10,20,68,000	6,39,25,000
55.	दादरा और नागर हवेली . . .	1,01,22,000	1,20,91,000
56.	लक्षद्वीप	2,18,47,000	59,78,000
	उद्योग मंत्रालय		
57.	उद्योग मंत्रालय . . .	1,27,91,000	..
58.	उद्योग	14,43,48,000	89,31,64,000
59.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग . .	9,84,39,000	71,33,000
60.	वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प . .	37,05,20,000	20,59,47,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	35,10,000	..
62.	सूचना और प्रचार . . .	8,09,87,000	36,82,000
63.	प्रसारण	26,03,29,000	5,46,79,000
	श्रम मंत्रालय		
64.	श्रम मंत्रालय	33,63,000	..
65.	श्रम और रोजगार . . .	21,04,26,000	5,25,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
66	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय .	9,20,22,000	33,000
67.	न्याय प्रशासन . . .	16,07,000	..
	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय		
68.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय .	41,29,000	..
69.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . .	44,46,04,000	32,04,57,000
70.	रसायन और उर्वरक उद्योग . .	1,22,78,30,000	1,10,28,03,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2		
		राजस्व रुपए/	पूंजी रुपए/
	योजना मंत्रालय		
71.	योजना मंत्रालय	1,30,000	..
72.	सांख्यिकी	5,49,59,000	..
73.	योजना आयोग	1,61,44,000	..
	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय		
74.	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	1,40,00,00,000	28,32,23,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,35,54,000	..
76.	सड़कें	38,39,49,000	34,97,53,000
77.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	27,97,63,000	69,45,51,000
78.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	50,43,000	13,58,48,000
	समाज कल्याण मंत्रालय		
79.	समाज कल्याण मंत्रालय	18,62,40,000	1,00,000
	इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय		
80.	इस्पात विभाग	5,45,93,000	1,30,76,00,000
81.	खान विभाग	21,51,71,000	26,21,00,000
82.	कोयला विभाग	37,46,58,000	1,78,52,63,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
83.	पूर्ति विभाग	9,90,000	..
84.	पूर्ति और निपटान	3,11,48,000	..
85.	पुनर्वास विभाग	8,47,41,000	3,46,37,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
86.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	20,55,000	..
87.	मौसम विज्ञान	5,86,46,000	2,76,24,000
88.	विमानन	10,10,95,000	14,71,17,000
89.	पर्यटन	1,69,09,000	2,51,58,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
90.	निर्माण और आवास मंत्रालय	51,44,000	..
91.	लोक निर्माण	38,08,46,000	9,70,95,000
92.	जलपूर्ति और जल मल निकासी	22,16,30,000	..
93.	आवास और नगर विकास	7,46,96,000	17,97,42,000
94.	लेखन सामग्री और मुद्रण	15,86,94,000	..
	परमाणु, ऊर्जा विभाग		
95.	परमाणु ऊर्जा विभाग	20,84,000	..
96.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	32,00,45,000	22,44,66,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2		
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
97.	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	19,64,86,000	19,62,72,000
	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग		
98.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	3,78,00,000	2,16,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
99.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	11,82,02,000	35,00,000
100.	भारतीय सर्वेक्षण	9,95,75,000	..
101.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	19,16,69,000	..
	अन्तरिक्ष विभाग		
102.	अंतरिक्ष विभाग	14,66,84,000	12,23,49,000
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
103.	लोक सभा	2,15,17,000	..
104.	राज्य सभा	73,05,000	..
105.	संसदीय कार्य विभाग	8,18,000	..
106.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	2,10,000	..

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1979-80 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कटौती के लिए प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए एक साथ रखूंगा, यदि कोई सदस्य यह नहीं चाहता कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये ।

कोई सदस्य ऐसा करना चाहता है? नहीं, तो मैं 1979-80 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कटौती के लिए प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान हेतु एक साथ रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान हेतु रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1979-80 के लिये अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान हेतु रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

मांग संख्या—14 से 16, 18 से 20, 22, 42, 53, 56, 59 तथा 67

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए/Rs.	पूंजी रुपए/Rs.
	संचार मंत्रालय		
14	संचार मंत्रालय	1,000	..
15	विदेश संचार सेवा	1,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए/Rs.	पूंजी रुपए/Rs.
16	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	13,53,75,000	..
18	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	..	1,000
	रक्षा मंत्रालय		
19	रक्षा मंत्रालय	7,31,25,000	..
20	रक्षा सेवाएं—स्थल सेना	13,00,00,000	..
22	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	10,00,00,000	..
	वित्त मंत्रालय		
42	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	35,00,00,000	..
	गृह मंत्रालय		
53	दिल्ली	8,34,31,000	..
56	दादरा और नागर हवेली	..	32,00,000
	उद्योग मंत्रालय		
59	उद्योग	..	1,000
	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
67	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	11,53,00,000	..

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980 पुरस्थापित

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री निरेन घोष (दम दम) : अभी अभी वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह बात वह पिछले 30 वर्षों से कहते चले आ रहे हैं किन्तु गरीब लोगों की गरीबी बढ़ी ही है--अब लगभग 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और बड़े व्यापारियों की धनदौलत में वृद्धि होती जा रही है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि आप किसके हितों का पोषण कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप गरीब जनता के सेवक नहीं है ,आप बड़े व्यापारियों के सेवक हैं और उस दृष्टि से आप जनता विरोधी हैं, भारत–विरोधी हैं । मेरी पहली बात यह है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बजट में केन्द्र और राज्यों के वित्तीय अधिकारों का प्रतिपादन इस तरह किया गया है कि सभी अधिकार केन्द्र के हाथ में दे दिए गए हैं । राज्य को जनकल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है किन्तु समूची शक्ति केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीकृत कर दी गई है । यह बात भारत की अखण्डता के सामाजिक स्वरूप के विरूद्ध है और इससे असन्तोष उत्पन्न होता है और विपदाओं के समय विभिन्न राज्यों में उथल-पुथल होने लगती है । देश की अखण्डता के लिए तथा भारत के राज्यों के विकास के लिए वित्तीय शक्तियों का

न्यायोचित और समान बंटवारा किया जाना चाहिए और राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। कोई व्यक्ति यह कह कर आपत्ति कर सकता है कि जब तक केन्द्र के हाथ में शक्तियां है, तब तक गरीब राज्यों का विकास कैसे हो सकता है ?

इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के पश्चात भी हम बिहार को सबसे अधिक गरीब हो देखते हैं। उड़ीसा भी बहुत गरीब है और यही स्थिति आसाम की है। ऐसा क्यों है? पिछड़े राज्यों में से अब भी 90 प्रतिशत राज्य पिछड़े हुए हैं। पश्चिमी तट के कुछ राज्य ही कुछ सीमा तक औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो सके हैं अतः मैं उनकी ओर से अपील करता हूं।

मैं एक अन्य मामले लाइसेंस जारी करने के मामले पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। लाइसेन्स जारी करने में मनमानी बरती जाती है। मैंने यह सुना है कि यदि कोई उद्योगपति औद्योगिक एकक स्थापित करना चाहते हैं, केन्द्र तथा नौकर शाह उनको कहते हैं, यदि आप पुणे अथवा मद्रास अथवा अहमदाबाद या बम्बई जाये तो आपको लाइसेन्स मिल जायेगा अन्यथा आपको लाइसेन्स नहीं मिलेगा। यह नीति अपनाई जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नीति में परिवर्तन किया जाये।

कराधान के प्रश्न को ही लीजिये। यदि आप इस अवधि के दौरान के कराधान को देखें तो पता चलेगा कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है और प्रत्यक्ष करों का कहीं कोई अन्त नहीं है और हर वर्ष कोई 4000 करोड़ रुपये की कर राशि की चोरी की जा रही है। आपने नजर बन्दी कानून बनाया है। मैं अब यह जानना चाहता हूं कि कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस कानून के अन्तर्गत नजर बन्द किया गया है, अब तो 9 राज्य आपके सीफोर नियंत्रण में हैं और दो राज्यों की सरकारें आपकी ही हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व में कहीं भी इस्पात की कीमतें एक समान नहीं है। कोयले के मामले में भी हेरफेर करके कीमतें समान कर दी गई हैं। यह सब कुछ क्यों किया गया है? आप या तो इसे वापस लें अथवा कपास, तेल उत्पाद सहित सभी मूल औद्योगिक कच्चेमाल की कीमतें सारे देश में एक समान निर्धारित करें। आप भेद भाव की नीति अपना रहे हैं और अधिकांश राज्यों में असन्तोष पैदा कर रहे हैं।

अन्त में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति आपकी नीति का उल्लेख करना चाहूंगा आपकी सरकार खुले रूप से इन विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित कर रही है। अभी तक हमें यह बताया जाता रहा कि इनको कम से कम लाभ कमा दिया जा रहा है। पर ये कम्पनियां हर वर्ष अधिकाधिक धन विदेशों को भेज रही हैं और इस देश में पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं। लगभग 200–300 करोड़ रुपये की राशि हर वर्ष बाहर जी जा रही है। यह एक अवैध धन्धा बन गया है। आप इनको आमंत्रित करते हैं। देश की सूक्ष्मतम और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोद्योगिकी को आप उनके पास गिरवी रख रहे हैं।

दवाइयों के मूल्यों के सम्बन्ध में हाथि समिति ने कहा है कि आधारभूत दवाओं के उत्पादन पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व है। उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आप इस्तेमाल की दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं और ऐसे समाचार छपे हैं कि इनके मूल्य और बढ़ाए जाएंगे क्योंकि आदानों की कीमतें बढ़ गई हैं। ये ही कम्पनियां कच्चा माल और सामग्री सप्लाई करते हैं और ये ही औषधियां बनाते हैं। यह एक दूसरा खतरा है।

ये ही कुछ बातें मुझे कहनी हैं। अच्छा होगा यदि आप आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास करें, अन्यथा सारे देश में 1974 की तरह देर-सवेर गड़बड़ी हो सकती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी मैं तीन सवाल उठाने की इजाजत चाहता हूं और इन सवालों को उठाने की मैंने आपसे इजाजत ली भी है। पहली बात तो यह है कि बिहार में अमन और कानून की व्यवस्था बिल्कुल ही गतिरेखुत स्थिति में है। उस में से एक की चर्चा कल पिपराकांड के रूप में हमने की।

अध्यक्ष महोदय : वह सारा कुछ कल आ गया।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, धनबाद, पटना, गया और औरंगाबाद जिलों की स्थिति सबसे दयनीय है। बेगूसराय में कामदेव सिंह का एक बड़ा गिरोह है जो तस्करी भी करता है और लोगों की हत्याएं भी करता है और 15 सालों से बिहार में यह गिरोह सक्रिय है। इसके बारे में 1973 में राज्य सभा

[श्री रामावतार शास्त्री]

के माननीय सदस्य श्री जोगेन्द्र शर्मा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन आज तक वह गिरोह घूम रहा है, आधुनिक अस्त्रशस्त्रों से लेस है, और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी जान खतरे में चली जाती है। इसलिए अगर आप बिहार में अपने चैन बनाए रखना चाहते हैं तो इस तस्कर गिरोह की लुटेरे और हत्यारे गिरोह का सफ़ाया कीजिये वरना बहुतों की जान खतरे में है। और जो भी सरकार आती है वह सरकार उस तस्कर गिरोह को अपने साथ ले लेती है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती है। अगर यही सिलसिला रहा.....

अध्यक्ष महोदय : इर्रलेवेंट है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसका सम्बन्ध गृह मंत्रालय की डिमाण्ड से है। मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण और सनसनीखेज मामले की जांच सी० बी० आई० से कराइये क्योंकि बिहार सरकार की पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। इस सवाल पर विधान सभा में बहस हुई। अभी आप का वहां शासन है। वहां की असेम्बली, आई० जी० और मंत्री कुछ नहीं कर सके। इस लिए कि कुछ न कुछ लोग उनके पीछे हैं। तो सी० बी० आई० से इस की जांच करायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें तथा उनको फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाला जाय। एक बार वह गिरफ्तार हो गये थे नेपाल में, लेकिन अपने बदले दूसरे को जेल में रखवा दिया और लाखों रुपया खर्च करके बाहर चले आये। वह भी तस्करी का गिरोह है। इसलिए अगर आप ला एण्ड आर्डर को ठीक करना चाहते हैं तो इस गिरोह का सफ़ाया करना होगा। अभी लेटेस्ट बात है, आज के अखबार पेट्रिएट में पटना की 13 मार्च की खबर निकली है :

बलीराम भगत कालेज (भूतपूर्व अध्यक्ष का नाम), समस्तीपुर, के 19 वर्षीय छात्र राम दुलार राय की 10 मार्च को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। श्री राय को कुछ व्यक्ति सनीमा दिखाने ले गए थे। शो खत्म होने पर उन्हें उनके ससूर के घर जाने को बाध्य किया गया। जब वह रास्ते में ही थे कि कुछ अपराधियों ने किसी तेज हथियार से उनका गला काट दिया।

अध्यक्ष महोदय : इसका बजट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है आप व्यर्थ ही विस्तार में जा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों नहीं ? यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण खत्म करें। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : इसी तरह से गया जिले के जहानाबाद सब-डीवीजन के पारसबीघा में जमींदारों ने 12 हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को जला दिया। यह पिपरा कांड के पहले की बात है। उसमें जमीन की समस्या है। 42 एकड़ जमीन पर जमीनदारों ने कब्जा कर रखा है। उसमें से बहुत सारी जमीन बटाईदारों के नाम से लिखी गयी हैं। फिर भी ऐसी घटना घटी। यह दो-तीन बातें मैंने आपको बताई, इससे आपको वहां की गंभीरता का पता लगना चाहिए।

एज्यूकेशन के क्षेत्र में अनार्की है। हाल में ही वहां के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक हड़ताल पर चले गए। नान-गवर्नमेन्ट स्कूलों को वहां सरकार ने अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन लिया नहीं है, वह इसको अमल में नहीं ला रही है। सब की तनख्वाहें बिहार सरकार देती है पर अभी भी प्राइवेट प्रबन्ध समितियां फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि उनका वैस्टेड इन्ट्रस्ट है। उसी के विरोध में ये लोग हड़ताल पर गये हैं। उसी प्रकार कालेज के लेक्चरार्स भी हड़ताल पर गये हैं। उनकी मांग है कि नान-कांस्टीटुएन्ट कालेजेस को कांस्टीटुएन्ट कालेज बनाया जाए। उन्हों ने यह भी मांग की है कि पांचवीं योजना की बकाया राशि का भुगतान वि० वि० अ० आ० के वेतनमान पेन्शन और ग्रेच्युटी योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार की दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान तथा कुछ और मामले। यह सब मान लिया सरकार ने, पर इम्प्लीमेन्ट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेन्ट कराया जाए।

पटना युनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है। यह सब से पुरानी युनिवर्सिटी है हिन्दुस्तान में, पर उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। 20 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हो चुका है, काफी मकान नहीं हैं, एक्सपेरिमेन्ट करने के लिए एपरेटस नहीं है। सैलरीज वहां के टीचर्स को नहीं मिल रही है। उसके लिए भी उनको आन्दोलन करना पड़ रहा है। मार्च की

सैलरी भी उनको मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारन्टी नहीं है। मेरा सुझाव है कि पटना यूनिवर्सिटी को टेक-ओवर कर लीजिये और उसे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाइये। हर स्टेट में कम-से-कम एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बने ताकि एक आदर्श शिक्षण संस्था स्थापित हो सके। मैं चाहूंगा कि इन बातों की तरफ आपका ध्यान जाये।

स्लम क्लीयरेन्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे आवास मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा था कि हम गन्दी बस्तियों के बारे में एक नई स्कीम बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह स्कीम क्या है? तमाम गन्दे शहरों को ठीक करने के लिए उनके पुनर्निर्माण के लिए आप जल्द से जल्द कदम उठाइए और खास तौर से जितनी स्टेट कैपिटल्स हैं, उनको सहायता दीजिए, तभी स्टेट कैपिटल्स की हालत सुधरेगी।

मैं स्टेट कैपिटल पटना से आता हूं, उसकी हालत बहुत खराब है। आप पटना चलिए और देखिए कि पटना शहर में गन्दगी का अम्बार लगा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां गन्दगी न मिले। तमाम गलियां सड़कें बिल्कुल गन्दी हैं, वहां की सफाई नहीं होती। कारपोरेशन कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है। उकी आमदनी 80 लाख की है और वेतन आदि पर खर्चा 1 करोड़ का है। कर्मचारियों के पे बिल ही एक करोड़ के हैं। तो उनको पैसे की जरूरत है। जब पैसा उनको मिलेगा तभी वह नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।

वहां पानी नहीं है, रोशनी नहीं है। चिराइयां टोर के पुल पर रोशनी के अभाव में मर्डर होते हैं। इस तरह की और भी जगहें हैं समय की कमी के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन स्थिति बहुत गम्भीर है। पटना के विकास के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। तमाम स्टेट कैपिटल्स के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। तमाम शहरों का विकास हो, स्लम क्लीयरेन्स हो, गन्दी बस्तियों की सफाई की जाये और पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार अकाल के चंगुल में है। सरकारी रिपोर्ट है कि 25 हजार गांवों में पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। उन गांवों के बाशिंदों को बगल के गांवों में जाकर पानी लाना पड़ता है। क्या यह जिन्दगी है? हम और आप तो यहां बड़े-बड़े मकानों में रहते हैं, जहां पानी है और हर एक सुविधा है। जरा हमारे साथ देहात में चलिए। अगर आप देहात से आते होंगे, तो आप जानते होंगे। पूरे बिहार में वाटर फैमिन होने वाला है। गर्मियोंके दिन आ रहे हैं। हाउसिंग मिनिस्ट्रि का यह काम है कि वह पानी का इन्तजाम करे।

अध्यक्ष महोदय : गांव वाला ही गांव की बात जान सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप जानते हैं। एक बार हम आपको अपने यहां ले जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारा सूबा तो बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहती है कि बिहार फिर बहुत भयंकर संकट में न फसे तो वह फौरन पीने के पानी की व्यवस्था करे, वर्ना स्थिति बहुत नाजुक हो जायेगी।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें से कुछ पर चर्चा हो चुकी है। पर एक मुद्दा केन्द्र-राज्य वित्तीय समायोजन सम्बन्धित था। बहस के दौर श्री चित्त बसु ने भी यह बात उठाई। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि हम वर्तमान संविधान के अन्तर्गत काम कर रहे है और केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय प्रबन्धों का नियम भी इसी संविधान के अन्तर्गत होता है। अगर माननीय सदस्य चाहते कि इसमें संशोधन हो तो दूसरी बात है और मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप वित्त मंत्री है और सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भी काफी संसाधन केन्द्र से राज्यों को आन्तरित किए गए हैं।

श्री निरेन घोष : यह नाम मात्र का हुआ है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता अगर आप इन्हें नगण्य मानते हैं तो मैं इसे जनता के निर्णय के लिए छोड़ता हूं।

आज थोड़ी देर बाद में एक विधेयक पेश करने वाला हूं जिसके द्वारा बिजली शुल्क की मद में एकत्रित की गई सारी राशि राज्यों को अन्तरित हो जाएगी। यह सिफारिश 7 वें वित्त आयोग ने की है और आगामी पांच सालों में यह रकम 1,140 करोड़ रुपये होगी। इस आयोग की सिफारिश के अनुसार अगले पांच वर्षों में 2,00,000 करोड़ रु० की रकम राज्यों को अन्तरित की जानी है। अगर आप अब भी इस रकम को मामूली मानते हैं तो मैं इसे जनता के फैसले पर छोड़ता हूं।

[श्री आर० वेंकटरामन]

दूसरी बात बिहार के बारे में कही गई। वस्तुतः मैं बिहार समस्या के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इनकी भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचा दूंगा और उस पर आवश्यक और उचित कार्यवाही सुनिश्चित करूंगा। वहां बहुत सी अप्रिय घटनाएं घटी हैं। ....

श्री रामावतार शास्त्री : केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के बारे में आपका क्या विचार है? यह आपकी ताकत में है।

श्री आर० वेंकटरामन : दुर्भाग्य से सदस्य मंत्री को भगवान की तरह समझने लगते है जो वरदान देने में समर्थ है। हमें समस्त वित्तीय सम्बन्धों पर विचार करना होता है। खर्च का हिसाब लगाना पडता है और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। केवल सर्व शक्तिमान ईश्वर ही वरदान दे सकता है न कि कोई मंत्री। हम भी सदस्य की भांति कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, शान्ति चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2–4 और अनूसुची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2–4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए"।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या 2) विधेयक

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्त वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं :

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त विधेयक–1980

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1979–81 के लिए चालू रखने के लिए आय-कर से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा सहायक सीमा-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित उपबन्धों को उक्त वर्ष में चालू रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने पृष्ठ आठ, पैरा 36, में अपने भाषण में कहा है, "मैं वित्त विधेयक, जिसमें वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए आयकर की विद्यमान दरों को चालू रखने के लिए उपबन्ध किया गया है, पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।" तथापि आय-कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए विवाद, रहित मेरे भी तीन प्रस्ताव हैं। अब मैं संक्षेप में इन प्रस्ताओं को बताऊंगा।" साथही पैरा 37 में वह कहते है, "कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सामाजिक–आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संविधिक निगम स्थापित किये हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि के लिए स्थापित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित संविधिक निगमों अथवा निकायों, संगमों या संस्थाओं की आय को आयकर से छूट देने जिसे आप अब छुट देने का प्रस्ताव कर रहे हैं—का प्रस्ताव करता हूं।" पैरा 36 और 37 के विवरण को पढ़ने से यह धारणा बनती है कि आप अबसे सभी ऐसे निगमों को आयकर से छूट देने तथा अन्य प्रस्ताओं को चालू रखने जा रहे हैं। अब वित्त विधेयक के अन्त में उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखिए। यह पैरा संख्या 6 है। उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण संख्या 6 में कहा गया है :

> "विधेयक का खण्ड 3 लद्दाख के निवासियों को आगे तीन वर्ष की और अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के लिए है। इसी में निर्धन, दुर्बल और ऋण व्यक्तियों का दूख कम करने की सेवा के लिए मिले पुरस्कारों को और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हित की अभिवृद्धि के लिए स्थापित निगमों या अन्यनिकायों, संगमों या संस्थाओं की आय को छूट देने के लिए उपबन्ध है।"

आपके भाषण तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 6 को सीधे-सीधे पढ़ने से यह धारणा बनती है कि आप आगे से निगमों को आय-कर से छूट देने जा रहे है। किन्तु विधेयक में खण्ड 3, पृष्ठ 12, –34 खण्ड (ग) में जो उपबन्ध जोड़ने जा रहे हैं उसे देखिए :

> "खण्ड (26क) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1972 से अन्तःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात ..."

मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्व तिथि, 1972 से यह उपबन्ध क्यों कर रहे हैं? आपके भाषण तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह संभाव्य है। मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि आपने "1 अप्रैल, 1972 से अन्तः-स्थापित समझा जाएगा" क्यों जोड़ा है। आपने न तो अपने भाषण में और न उद्देशों और कारण के कथन में यह दिया है। यह उपबन्ध आपने अपने भाषण में जो कुछ कहा है तथा जो कुछ उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिया हुआ है उसका उल्लंघन करता है तथा उसके विपरित है। क्या अप इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। क्या यह सरासर गल्ती है?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने आदरणीय मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले की ओर ध्यान दिलाया है। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि इन निगमों को उस तारिख से जब वे शुरु किये गये थे आयकर से छुट देने का अभिप्राय है और 'मैं प्रस्ताव करता हूं' शब्दों का अर्थ केवल यही है कि मैं इस इस उपबन्ध का अब प्रस्ताव करता हूं और यह नहीं कि मैं भविष्य मे छुट देने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक मेरे वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया स्पष्ट है किसी भी स्थिति में यह सम्भावना शामिल नहीं है कि इसे पिछली तारीख से दिया जाये। उद्देश्यों और कारणों के कथन का जहां तक सम्बन्ध है, इन दो वाक्यों अर्थात लद्दाख के निवासियों को छुट देने तथा दूसरे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सम्बन्ध में को आपस में जोड़ने से यह धारणा बनती है जिसका मेरे माननीय मित्र ने संकेत किया है। मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि उद्देश्यों और कारणों को कथन और अच्छा हो सकता है किन्तु इसमें तथ्य या कानून की दृष्टि से कोई गलती नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल: इन निगमों को आयकर से छुट देने के सम्बन्ध मे मूलत: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वे 1972 को ही क्यों चुन रहे हे ।

श्री आर० वेंकटरामन : उस तारीख से जिससे वे निगमित हुए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या इस का अर्थ यह है कि उनके आयकर का 1972 से मूल्यांकन नहीं किया गया है। यदि आपके पास उत्तर यहां नहीं है तो आप जांच कर सकते है और पुष्टि कर सकते है। मैंने सभा का ध्यान आकर्षित किया है । आपके भाषण में पिछली तारीख का कोई उल्लेख नहीं है । यदि सरकार पिछली तारीख से दिये जाने का उपबन्ध करती है तो उसका भाषण में अथवा उद्देश्यों और कारणों के कथन में विशिष्ट रुप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्यथा सभा को इस पर आश्चर्य होगा। आप कहते है आप छुट देना चाहते है और सभा कहेगी ठीक है। किन्तु सभा को कभी यह मालूम नहीं पड़ेगा कि आप 1972 की पिछली तारीख से दे रहे है । क्या आप इन सब मूल्यांकनों के सम्बन्ध में फिर से कार्यवाही करना चाहते है ? कृपया इसकी जांच किजिए और हमें बताइए।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरी सूचना यह है कि ये निगम 1971 में स्थापित हुए थे अत: उनको 1972 से ही आयकर देना है और यही कारण है कि वर्ष 1972 निश्चित किया गया था। जहां तक दुसरी बात का सम्बन्ध है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मै जांच करूंगा और इस बारे में आपको लिखूंगा। मूझे आशा है कि आपको छूट दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या आप मूल्यांकन पर फिरसे कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको लिखूंगां ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : माननीय वित्त मंत्री श्री वेंकटरमन साधु के भेष में रावण है जिनके बजट और वित्त विधेयक पेश करने के सभा साथ-साथ सीता अर्थात आगामी चुनाव में 9 राज्यों की शक्ति छीनी गई। चुनाव समाप्त होने के बाद असली रावण प्रकट होगा। किन्तु अन्तत: हनुमान आपकी स्वर्ण लंका को भविष्य में समाप्त करेगा (यद्यपि सभा में नही होगा)।

वित्त यंत्री ने कहा है कि वह कुछ सप्ताह में पूरे बजट के साथ जिसमें बजट के घाठे को कम करने के क़राधान प्रस्ताव होंगे फिर सभा के समक्ष आयेंगे। इसका अर्थ यह है कि कुछ सप्ताह के बाद जब वह पूरा बजट पेश किया जायेगा भारी कर लगेगे। ।

वित्त मंत्रीने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों को जारी रखने के लिए कुछ आयकर में कुछ विवादहीन परिवर्तन करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित सरकारी संगठनों को रियायत देने की दृष्टि प्रस्तुत किया। ऐसे निकायों को आयकर से छुट मिलेगी।

13.37 (श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए):

आयकर अधिनियम में दूसरा परिवर्तन संसद के चुनाव को ध्यान में रखकर लद्दाख के निवासियों को और तीन वर्षो के लिए कर से छूट को जारी रखना है।

वित्त मंत्री 1980-81 के अंन्तीम बजट को पेश करते हुए नई सरकार की आर्थिक नीति को देश के समक्ष स्पष्ट करने के लिए मिले इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहे हैं। अगले वर्ष के बजट की रुपरेखा में अगामी वर्षों के नियोजन स्तर और ढ़ांचे का संकेत नहीं मिलता है। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक नियुक्त किया जाने वाला योजना आयोग वर्ष 1980-81 के लिए प्राथमिकताओं का और योजना व्यय का निर्धारण नहीं कर लेता। देश की अर्थव्यवस्था कैसी है न केवल औद्योगिक विकास की गति स्थिर है अपितु आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी अत्यधिक बढ़ रही हैं—पिछले एक सप्ताह में ही इनमें 1.2% की वृद्धि हुई। यदि यही स्थिति

रही तो एक वर्ष में यह वृद्धि 60% तक हो सकती है। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि शहरी इलाकों में 200 लाख और ग्रामीण इलाके में 10 करोड़ तक लोग बेकार हैं। इससे भी बढ़कर बात तो यह है कि हमारी आबादी का 70% भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। हमारी जनसंख्या के 75% भाग की तो क्रयशक्ति ही नहीं है। यह निराशाजनक स्थिति केवल जनता, लोकदल शासन के कारण नहीं है बल्कि कांग्रेस शासन के 30 वर्षों के गलत शासन के कारण है, जिसमें श्रीमती गांधी का 11 वर्षों का शासन और आपातकाल का समय भी सम्मिलित है। कांग्रेस पार्टी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और सभी पूंजीवादी देशों में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में भी यही हो रहा है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि समाजवादी व्यवस्था के समाज का निर्माण करेंगे और 1971 में तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा भी लगाया था परन्तु गरीबों का क्या हुआ, यह आप सब भली-भांति जानते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

जैसे-जैसे आर्थिक संकट गहरा होता जा रहा है श्रीमती गांधी की सरकार राज्यों की शक्तियों को कम करती जा रही है और केन्द्र की आय में से उन्हें उनके उचित लाभ से वंचित रखा जा रहा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़कों का निर्माण, पीने के पानी की सप्लाई आदि सभी कार्य राज्य के हाथ में हैं परन्तु पर्याप्त धन के अभाव में वे अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं विकास हेतु और देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा करने की मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय बजट के आवंटन का 75% राज्य सरकारों को दिया जाए। इस संदर्भ में मैं देश की एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केन्द्र राज्य संबंधों की पुनरीक्षा की मांग करता हूँ। मैं यह भी मांग करता हूँ कि केन्द्रीय बजट के 75% आवंटन राज्य सरकारों में वितरित किए जाएं।

महंगाई को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर केन्द्र का नियन्त्रण अत्यावश्यक है और इन सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाए।

सरकार आत्म-निर्भरता की बात करती है। परन्तु हमारा विदेशी कर्ज 10 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ गया है तथा हमें कई सौ करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देने हैं। इस वर्ष सरकार मुख्यतः विदेशी सहायता पर निर्भर है, इसका अर्थ हुआ विदेशों पर निर्भरता। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पहले ही देश का शोषण कर रही है। हमारा देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारी पूंजीपतियों का आखेट स्थल बन गया है। और यह भविष्य में भी बना रहेगा।

इस प्रकार हमारा देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह संकट हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में गम्भीर हो गया है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हो। एक दिन यह ज्वालामुखी फूट सकता है, तब स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तब हम इस संकट से बाहर कैसे आएं? हमें साहसिक और प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। अतः मैं मांग करता हूँ कि विदेशों की पूंजी का राष्ट्रीयकरण करना होगा। हमें एकाधिकारी पूंजीपतियों के नियन्त्रण में चल रहे सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। प्रगतिशील भूमि सुधार किए जाने चाहिए और भूमि जोतने वाले को दी जानी चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण किया जाना चाहिए। हमें साहसिक कदम उठाने हैं। यदि हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे को नहीं बदलते हैं तो यह पूंजीवादी समाज हमारे राष्ट्र और लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। हमें धीरे-धीरे समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। यदि हम इस प्रकार चल सकें तो हम अपनी समस्याओं को हल कर सकेंगे और देश को निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा सकेंगे तब निर्धनता को समाप्त कर सकेंगे बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेंगे और सभी समस्याओं को हल कर सकेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची): महोदय, मैं वित्त मंत्री का कमजोर वर्ग के लोगों के हित में कुछ ठोस प्रस्ताव रखने के लिए आभारी हूँ। पिछले दो वर्षों से लगातार घाटे का बजट लाया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि स्वयं घाटा अर्थव्यवस्था या राष्ट्र को नुकसान पहुँचाएगा। यदि घाटे को विकास कार्यों में लगाया जाए। अन्यथा, यदि घाटे का किन्हीं अन्य उद्देशों के लिए प्रयोग किया जाता है तब यह निश्चय ही राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के लिए अहितकर है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि इस धन को देश के विकास कार्यों में लगाया जाए।

इस सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। जहां तक महंगाई का संबंध है, सभी राजनीतिक दलों को जनता द्वारा किसी न किसी स्थान पर कोसा जा रहा है क्योंकि वे सभी कांग्रेस, जनता, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, सी०पी०एम०, लोकदल, यहां तक कि मेरा दल डी० एम० के० विभिन्न राज्यों में शासक दल रहा है। अतः मूल्यों में वृद्धि के लिए सभी राजनीतिक दल जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री ने इस समय

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

कुछ प्रस्ताव रखकर एक अच्छा काम किया है। मंत्री महोदय, ने आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, चीनी आदि की उचित तथा प्रभावी सप्लाई के लिए कुछ कार्यक्रम रखे हैं। जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है। उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने को कहा है तथा काम के बदले अन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। मैं मंत्री महोदय की यहां यह कहना चाहता हूँ कि राज्यों को वितरित किए जाने वाले धन पर निगाह रखी जानी चाहिए ताकि राज्य धन का उपयोग उन्हीं उद्देशों के लिए करे जिसके लिए धन दिया जाता है। उदाहरणार्थ अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम के 2½ वर्ष के शासन में केन्द्र में जनता सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन आबंटित किया था परन्तु उन्होंने इसका उचित उपयोग नहीं किया। धन का एक भाग दो मंत्रियों अर्थात् श्री पोन्नियान, परिवहन मंत्री और श्री कोलानडईवेल्लू, कृषि मंत्री द्वारा हड़प कर लिया गया। यह धन उन निर्धन लोगों के पास नहीं पहुँचा जिसके लिए यह दिया गया था। अतः इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों आदि के लिए पुरस्कार की घोषणा की है जोकि शिक्षित वर्ग के लिए काफी उत्साहवर्धक है।

इस समय जबकि कई राज्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण वित्तीय संकट में फंसे हुए हैं मैं वित्त मंत्री का उन्हें 194 करोड़ रुपया आबंटित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने उन निगमों या संस्थाओं को कर मुक्त कर दिया है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित विकास व अन्य गतिविधियों से संलग्न हैं। तमिल नाडु में एक हरिजन आवास निगम है। मैं एक समय उनके निदेशकों में एक था। डी० एम० के० शासन के दौरान हमने 35,000 मकान बनवाएं और प्रत्येक मकान की लागत 4500 रुपए आई। सरकार ने इन मकानों पर लगभग 13 करोड़ रुपए व्यय किए थे और इन्हें हरिजनों को मुफ्त दे दिया गया था। उनसे पैसा नहीं लिया गया था। यह योजना डा० के० करुणानिधि द्वारा आरम्भ की गई थी।

मैं बैंकों अर्थात् कृषि विकास बैंक और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उनके गठन के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आशंका है कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा नहीं कर सकेंगे। इसकी बजाए इस धन को सीधा राज्य सरकारों में या राज्यों के सहकारी बैंकों में वितरित किया जा सकता था क्योंकि ये स्वयं निर्धनतम वर्गों और कृषि श्रमिकों में धन वितरित कर सकते हैं। बाद में वे इसे बड़ी आसानी से वसूल कर सकते हैं। जहां तक बैंकिंग प्रणाली का संबंध है इसमें अदायगी नहीं अपितु इसकी वापसी की समस्या बड़ी है। कल्पना करो कोई बैंक एक गांव में किसी कृषक को ऋण देता है, अब बैंक के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है कि वह वहां जाकर धन वसूल करे। कोई अधिकारी या कर्मचारी गांव में जाकर ऋण की वसूली नहीं करेगा। यदि वह जाता भी है तो वह 300—400 रुपया यात्रा भत्ते के रूप में वसूल कर लेगा। इस प्रकार बैंक ऋण की वसूली में सारा ब्याज खो देगा और उससे भी अधिक खर्चा हो जाएगा। यदि, दूसरी ओर, यह धन राज्य सरकार को दिया जाता है तो राजस्व निरीक्षक या ग्राम मुन्सिफ गांव में जाकर धन ले भी आएगा और दे भी आएगा चूंकि वे लोग ग्रामीणों की गतिविधियों और आदतों को भली-भांति जानते हैं इसलिए वे आसानी से ऋण वसूल कर सकेंगे। अतः मेरा यह सुझाव है कि इतना अधिक धन व्यय करने की अपेक्षा, जिससे अन्त में हानि ही होनी है, अच्छा तो यही है कि धन सीधा राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और वही इसको वितरित करें।

मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने राज्यों को कुछ धनराशि दी है। पर इसका आबंटन उस ग्राय समायोजित कुल जनसंख्या सूत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कुछ वर्ष पहले तैयार किया गया था। अगर इस सूत्र को अमल में लाया गया तो निस्सन्देह कम जनसंख्या वाले राज्यों पर असर पड़ेगा। अतः इसमें संशोधन करना होगा। धन राज्यों की जरूरत और आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अ० भा० अ० द्रमुक शासन के दौरान मुख्य मंत्री श्री जी० रामचन्द्रन ने केन्द्र से धन की मांग नहीं की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के लिए जो केन्द्रीय योजना गत आबंटन किया गया है वह काफी नहीं है। अतः उन्होंने विरोधी दल के नेता श्री करुणानिधि से अपने राज्य के लिए अधिक धन राशि दिलवाने हेतु केन्द्र से अनुरोध करने का आग्रह किया। विचित्र बात है सत्ता में होते हुए उन्होंने सीधे केन्द्र से अनुरोध न कर श्री करुणानिधि के माध्यम से यह बात कहलाई।

एक माननीय सदस्य : अपना स्पष्टीकरण देने के लिए श्री रामचन्द्रन यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : किन्तु सी पी एम जो उनके सहयोगी थे यहां उपस्थित हैं ।

सभापति महोदय : सामान्यत: हम उन लोगों के नाम यहां नहीं लेते जो अपना बचाव पक्ष पेश करने के लिए यहां उपस्थित नहीं होते ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं इसका उल्लेख इस लिए कर रहा हूं कि इसका कुछ सन्दर्भ है । वह हमारे से चाहते थे कि हम केन्द्र से बातचीत करें और धन मांगें ।

श्री आर० वेंकटरामन : अगर आप मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता सम्बोधित करें तो ठीक होगा ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अत: धन का नियतन किसी ठोस सूत्र और राज्यों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री जी ने यह बजट खुले दिमाग से पेश किया है । मैं उनका आभारी हूं । श्री चरणसिंह गृह मंत्री रहे । वे कीमतों पर अंकुश लगा सकते थे । जब वे वित्त मंत्री थे तब बेहतर वित्तीय नीतियां ला सकते थे । वे प्रधान मंत्री भी रहे जब सारी अर्थव्यवस्था पर वे नियंत्रण रख सकते थे । पर उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिससे सारे देश को नुकसान हुआ । ये मेरे विचार नहीं हैं बल्कि उनके नेता श्री मोरारजी देसाई के विचार हैं । उन्होंने बम्बई में जो कहा था उसका उद्धरण पेश करना चाहता हूं । "गुरुवार को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने आरोप लगाया कि श्री चरणसिंह ने जब वह मेरे मंत्रि मण्डल में वित्त मंत्री थे तब जो बजट पेश किया वह जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का एक षड़यंत्र था ।"

यहां लोक सेवा समिति का, जो एक स्वयंसेवी सामाजिक संगठन है, उद्घाटन करते हुए श्री देसाई ने कहा 'जब श्री चरण सिंह ने मुझ से बजट के बारे में मशविरा किया तो मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि इससे जनता नाराज होगी और जनता सरकार और जनता पार्टी बदनाम होगी ।

षड़यंत्र की पुष्टि श्री राजनारायण के इस कथन से होती है कि 'मैं (श्री राजनारायण) सरकार को गिराने के लिए बाहर से काम करूंगा और श्री चरणसिंह सरकार के अन्दर से ।'

श्री देसाई ने देश में आज जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके लिए उन महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों को दोषी ठहराया जिन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी है और कहा कि श्री चरण सिंह की कामचलाऊ सरकार "चोरों की सरकार है" और जो उसे सहयोग दे रहे हैं वे भी चोर हैं ।

मेरा अभिप्राय सी० पी० आई० (एम) से नहीं है । मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और कुप्रशासन के कारण ही कीमतें बढ़ी हैं । देश में आर्थिक विकास दर को श्री चरण सिंह भी चर्चा कर रहे थे । उनका कहना था कि 1977-78 में वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत और 1978-79 में 4.1 प्रतिशत रही । पर वह पिछले वर्ष के आंकड़े देना भूल गए । जनता के एक वर्ष के शासन में यह दर घट कर 4.1 प्रतिशत रह गई । मैं मानता हूं कि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई । मैं कृषि उत्पादन के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । 1976-77 में दालों का 114 लाख टन उत्पादन हुआ और 1978-79 में 121 लाख टन । अनाज का 1976-77 में 998 लाख टन और 1978-79 में 1192 लाख टन उत्पादन हुआ ।

मैं लोक दल और उनके समर्थकों से यह पूछना चाहता हूं कि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ी । मैं फिर आंकड़े पेश करता हूं :—

	मूल्य		
	1976–77	1978–79	
दालें	145.7	247.1	यानि कुल मिलाकर 47.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
अनाज	152.7	172.6	यानि 11.6 प्रतिशत
फल और सब्जियां	148	161	,, 19 3 प्रतिशत
अण्डे, मछली और मांस	176.2	217.1	,, 11.6 प्रतिशत
तिलहन	125.8	159	,, 21.7 प्रतिशत
खाद्य तेल	142.8	158.6	,, 23.2 प्रतिशत
सूती कपड़ा	157.5	181.4	,, 12.7 प्रतिशत

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

मैं यह आकड़े इसलिए दे रहा हूं कि श्री चरण सिंह और उनके साथी यह दावा कर रहे है कि उत्पादन बढ़ा है। पर जब कीमतें क्यों बढ़ी है ? इसका मतलब है प्रशासन और प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ी रही है ; कुछ लोगों ने इस वस्तुओं को अवश्य जमाखोरी की होगी और पिछली सलकार ने उन्हें यह करने दिया होगा।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह बेरोजगारों विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था करें। कोइम्बटूर, नीलगिरि, उटकमंड और वलपराई के बागान मजदरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अन्य निगमों की भांति बागान मजदूरों के लिए भी एक निगम बनाया जाय वलपराई पहाड़ी स्थल है और वहां के बागान मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है । उनके तथा उनके परिवार के कल्याणार्थ कुछ योजनाएं लागू की जाएं ।

कई कामगार बोनस का दावा करते है पर मैं कहना चाहता हूं कि इसे आस्थगित मजदूर माना जाना चाहिए और मजदूरी या आय को ध्यान में रखे बिना सभी सरकारी कर्मचारीयों को बोनस दिया जाना चाहिए। हमारे हिन्दू समाज में हमारी अनेक अप्रत्याशिक जरुरतें होती है और ये कब पूरी करनी पड़े हम नहीं जानते । इनकी पूर्ति के लिए हमें जेवरे खर्च करना पड़ता है । 2,000 रु० तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी अपने परिवार का और इस प्रकार का अप्रत्याशित खर्चा पूरा नहीं कर पाता । ऐसे कामों के लिए उसे रुपया उधार लेना पड़ता है। अतः मेरा सुझाव है कि सभी सरकारी कर्मचारीयों और अधिकारीयों को बोनस दिया जाना चाहिए ।

मुद्रास्फीति के कारण वर्तमान आयकर छुट सीमा पर्याप्त नहीं है। आज 2,000 रु० की आय बड़ी आय नहीं रह गई है । अतः इस सीमा को बढ़ा कर कम से कम 24,000 रु० कर दिया जाना चाहिए । यह सीमा न केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी अपितु सभी पर लागू होगी । बड़े-बड़े उद्योग पति आयकर से बच सकते है पर सरकारी कर्मचारी जो बिलों पर हस्ताक्षर करते है, स्टाम्प लगाते है, इससे बच नहीं सकते । उद्योगपति दोहरें-तिहरे खाते दीखा सकते है । सरकारी कर्मचारी नहीं दिखा सकता उसका एक ही खाता होता है—श्वेत खाता । अतः मैं आग्रह करुंगा कि आयकर छुट सीमा को बढ़ा कर 24,000 रु० कर दिया जाए ।

यह आन्तरिम बजट है । इसमें किसानों और बुनकरों की बाबत कुछ नहीं कहा गया है । सूत की कीमतें बढ़ती जा रही है और बुनकर इसे अदा करने में असमर्थ है । सूत मिलों से खरीदने और उसे बुनकरों को बेचने के लिए कोई आधारभूत व्यवस्था कायम की जानी चाहिए ताकि उन्हें उचित दामों पर सूत मिल सके और व अपना माल भी उचित कीमत पर बेच सकें। इस समय स्थिति बहुत खराब होने के कारण उन्हें सूत नहीं मिल रहा है । और वे अपना काम नहीं कर पा रहे है। इस सम्बन्ध कुछ व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए । किसानों को ऋण देने के लिए बैंक स्थापित किए जा रहे है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। तामिलनाडु में बिजली की स्थिति भी अच्छी नहीं है । 60 प्रतिशत कटौती लगा रखी है। कारखाने बन्द हो रहे है । किसानों को भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है ।

सभापति महोदय : हम वित्त विधेयक पर विचार कर रहे हैं । इसका दायरा सिमित है ।

श्री० सी० टी० दण्डपाणि : कृषि ऋण तुरन्त समाप्त किए जाने चाहिए । हमने चुनावों के दौरान इस सम्बन्ध में आश्वासन दिए हैं । उन्हें तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए । किसानों को ऋण देने के विषय में कोई नया सूत्र तैयार किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ बजट में जो प्रस्ताव दिए गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं धन्यवाद ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान जो संक्षिप्त टिप्पणी की थी उस का वित्त मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया । इसीलिए मैं अपनी बात कहने पुनः खड़ा हुआ हूं । यह मुद्रा ग्रामीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने के बारे में था । वित्त मंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंक की अगले पांच वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत ऋण देने को सहमत हो गए हैं । उनका मत है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता की काफी हद तक पूर्ति हो सकेगी । छोटे और मार्जिनल किसानों और भूमिहीन मजदूरों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । ऐसा लगता है कि दो प्रस्ताव हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्गों को मदद देना है । एक प्रस्ताव ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का है और दूसरा इस क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंको को सहमत कराने का है ।

मैं यह जानना चाहता था । जहां तक ग्राम्य क्षेत्र के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण का सम्बन्ध है उसके बारे यही पता चला है और देश के सभी अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी पत्रों ने लिखा है कि बैंक ऋणों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के दरिद्रतम वर्ग तक नही पहुंचता, भूमिहीन लोगों की तो बात ही छोड़िये । मैंने मद प्रकट किया है कि यह तथा प्रस्तावित बैंक केवल समृद्ध वर्ग, अमीर किसानों तथा बड़े बड़े जमिनदारों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा । इसलिये मैंने अपने भाषण में पूछा था कि सरकार इस विधेयक द्वारा और क्या नई बातें लागू करना चाहती है ।

इस समय भी हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धकों का दृष्टिकोण पुराना ही है और पहले ही की तरह अपनी इच्छानुसार ग्राहकों को ऋण देते हैं । शहरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि छोट व्यापारियों, छोटे परिवहन संचालकों आदि आदि की सहायता में बैंक नहीं करते । मैंने कई बैंक प्रबन्धकों से बात की है । वे कहते हैं कि ये सब निदेश हमें दिल्ली से आये है । दिल्ली के लोगों को बैंक चलाने सम्बन्धी कठिनाईयों की कोई जानकारी नही है । यदि हम सभी छोटे कर्जदारों को ऋण देने जायें तो ये सब ऋण बट्टेखाते में डालने पड़ेंगे । बुरे अथवा जोखिम भरे ऋण और प्रतिपूर्ति न देने वाले कर्जदारों को ऋण न देने सम्बन्धी विचारधारा अब भी बैंक प्रबन्धकों के नीचे व्याप्त है और जब तक यह पुरानी मनोवृत्ति जारी रहेगी, उस समय तक दिल्ली से जारी किये गये निदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता ।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि अब जब कि छोटे और सिमांत किसानों को लाभ पहुंचाने का वायदा किया जा रहा है तो इस बारे वास्तविक स्थिति क्या है । मैं तो यही कहूंगा कि हमे या तो गुमराह किया गया है या हमें धोखा दिया जा रहा है । सरकार हमें बताये तथा स्पष्ट करे कि वह ऐसी व्यवस्था किस प्रकार करेगी जिससे ऋण संस्थाओं के लाभ ऐसे सही जरुरत मंद लोगों तक पहुंच सके, जिनकी संख्या प्रति वर्ष लाखों मे बढ़ रही है अर्थात् भूमिहिन, गरिब तथा छोटे किसान जब तक सरकार इस पर रोशनी न डाले, तो यह प्रस्तावित तथा बैंकों कुलकों का ही बैंक बन कर रह जायेगा और सरकारी कोष से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग को ही लाभ लाभ पहुंचेगा । मैं यह नहीं कहता कि उन्हें कोई लाभ न पहुंचे । उन्हें भी ऋण मिलना चाहिये क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो लेकिन यदि ऋणों का अधिकांश भाग समृद्ध वर्ग को जाता है और गरीब वर्ग इससे इस लिये वंचित हो कि उनके पास कोई प्रतिपूर्ति नहीं और उन्हें दिये गये ऋण को संदिग्ध ऋण माना जाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब बातों का समाधान कैसे होगा । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर फिर से प्रकाश डाले अन्यथा यह कहते जाना निरर्थक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रो का कुल ऋण का 40 प्रतिशत भाग दे रहे हैं । वास्तव में उन्हें यह कभी नहीं दिया जायेगा । उन्हें यह नही दिया जाता । यदि आप प्रजातंत्र तथा सामाजिक विकल्प की बात करते हैं तो आपको प्राचीन ऋणपात्रता के दर्शन और विचार को एक ओर करना होगा । सरकार को हमें इस बारे में स्थिति और अधिक स्पष्ट करनी चाहिये । अन्यथा हम नहीं समझते कि हम गांवों के केवल समृद्ध वर्ग की सहायतार्थ अतिरिक्त संस्थायें स्थापित करने के लिये राशि आवंटित करने हेतु क्यों मतधन दें ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी अभी किसी कार्य से गए हैं और वित्त राज्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इसीलिए मैं ने उचित उमझा कि मैं हिन्दी में अपने विचार प्रकट कर दूं ।

जहां तक इस वर्तमान वित्त विधेयक का सम्बन्ध है इस वित्त विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि सन् 1979-80 में जिस प्रकार करों की व्यवस्था थी, मामूली संशोधनों के साथ उस व्यवस्था को अभी लागू रखा जाए । 1979-80 में जो करों की व्यवस्था थी, जो पिछली सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत की थी और जिसके सम्बन्ध में वर्तमान वित्त मंत्री, श्री वेंकटरमण ने घोर आपत्ति इस सदन में प्रस्तुत की थी और जिसके सम्बन्ध में उस समय कर्तव्यपालना की दृष्टि से, जब मैं उधर बैठा था और वित्त विधेयक को पायलट कर रहा था तो उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से जिन आपत्तियों के सम्बन्ध में मेरी स्वयं की सहमति थी उनके सम्बन्ध में विशेष तौर से उत्तर न देते हुए बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर

[श्री सतीश अग्रवाल]

मैं ने दिए थे—शायद इस बात का स्मरण आपको होगा । लेकिन यहां पर जो बातें मैं रखना चाहता हूं वह बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में आप से अपेक्षा नहीं करता कि वित्त मंत्री या वित्त राज्य मंत्री अभी इस सदन में सभी बातों का जवाब दें । मैं उत्तर प्राप्त करने के लिए बिन्दु नहीं रख रहा हूं, मैं विचार के लिए बिन्दु रख रहा हूं । यदि उनको सुविधा हो तो उत्तर दें और यदि सुविधाजनक न हो तो उत्तर न दें ।

एक मौलिक प्रश्न को मैं आपको सामने रखना चाहता हूं । हमारे देश में जो करों की व्यवस्था है, जो कर-प्रणाली है वह इतनी जटिल है कि जबतक इसका सरलीकरण नहीं किया जायेगा, कराधान की व्यवस्था जबतक व्यावहारिक नहीं बनाई जायेगी, करारोपण जबतक व्यावहारिक नहीं होगा, तबतक इस देश में करों की चोरी होती रहेगी तथा काला धन पैदा होता रहेगा ।

आज आपके सामने काले धन की समस्या है । वांचू कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई । आज कीमतें बढ़ रही हैं । आज इस सदन में सम्मानित सदस्यों ने इस बात के बारे में जोर देकर कहा है कि सीमेन्ट निर्धारित कीमत पर नहीं मिलती लेकिन काले बाजार में 40, 50 या 60 रुपए बोरी मिल जाती है । इसका अर्थ यह है कि काले बाजार में खरीदने के लिए लोगों के पास मुद्रा है । आज हमारे शासन की व्यवस्थायें इस प्रकार की हैं जिनके कारण काला धन बन रहा है, निरन्तर बनता जा रहा है । सरकार इसको रोक नहीं पाई । हमारी सरकार भी इसको रोक नहीं पाई थी परन्तु हम दो वर्ष के लिए थे और आपकी सरकार 28 वर्षों से थी । क्या हम गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि इस काले धन के जेनरेशन को किस प्रकार से रोका जाए ? इसको तभी रोका जा सकता है जब हम इस देश में व्यावहारिक कराधान प्रणाली का निर्माण करेंगे । अभी जो प्रत्यक्ष कर है उनके सम्बन्ध में बड़े अव्यावहारिक कानून बने हुए है। प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध मे वांचू कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, चोकसी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है । मैं पुछता हूं चोकसी कमेटी ने जो सिफारिशें दी है उनके सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं लेती ? इस सम्बन्ध में सरकार को कठोर निर्णय लेना होगा कि हम किस प्रकार से सारी प्रक्रिया को बदलें । हो सकता है कि पहले साल में आपको बड़ा भारी घाटा हो लेकिन मैं स्वंय ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो एक लाख रुपया कमाता है वह 70 हजार टैक्स में नहीं देगा क्योंकि 30 हजार जो उसके पास बचेगा वह उसके बाकी खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं होगा और उसके बारे में इनकम टैक्स ऐक्ट में कोई एलाउन्स नहीं है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में व्यावहारिक आधार दिया जाए जैसे कि चोकसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि 50 परसेन्ट से अधिक कराधान नहीं होना चाहिए जैसे कोई पांच लाख कमाता है तो उससे आप ढ़ाई लाख से ज्यादा मत लें । इस प्रकार का कठोर निर्णय लेना बड़ा मुश्किल काम होगा । ऐसा निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है लेकिन इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए । क्या इस प्रकार का सरलीकरण नहीं किया जा सकता है ?

दूसरी बात यह है कि टैक्सेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है । मेरे जैसा व्यक्ति जो तीस साल से वकालत करता है, ढ़ाई साल मंत्री रहा और अनेक वर्षों तक संसद और विधान सभा का सदस्य रहा और मुझ से आप कहें या मैं पहाड़िया जी तथा भीष्म नारायण सिंह जी से कहूं कि आप अपना इकम टेक्स रिटर्न भर दीजिए तो आप उसको नहीं भर सकते है ।

आप नहीं भार सकते है, क्योंकि उसका परिपत्र बहुत ही जटिल है । मेरा सीधा संबंध उनसे न होने की वजह से, अधिकारियों से कहने पर भी मैं कुछ नहीं करा सका, लेकिन इस बारे में आपको विचार करना होगा कि आज इस प्रकार का इतना लम्बा परिपत्र होना क्या यह कागज की, स्टेशनरी की बरबादी नहीं है । उस परिपत्र में अनेक कालम ऐसे है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । मुझे सी०डी०एस० जमा कराना है । अब मैं चेक-बुक लिए फिर रहा हूं और अगर मैं चाहूं कि किसी आदमी को चैक काट कर या कैश भी दे दूं, सी०डी०एस० जमा कराने के लिए तो वह सी० डी० एस० जमा नहीं होगा चाहे वह कैश लेकर जाए, चैक लेकर जाए और चाहे पार्लियामेंट की मैन ब्रांच में जाए तो भी वह सी० डी० एस० जमा नहीं होगा । मैं जब किसी आदमी को इन्स्ट्रक्शन देकर सी० डी० एस० जमा कराने के लिए भेजता हूं तो कह दिया जाता है कि उन्हीं को भेजिए ।

मैं पिछली बार जब सरकारी दौरे के संबंध में अमरीका और इंग्लैण्ड गया, तो मैंने वहां सारी टैक्सेशन की व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की थी । वहां मुझे अनेक लोगों ने बताया कि हमको 15-15 साल हो गए इनकम टैक्स आफिस गए हुए ।

न जाने की आवश्यकता है और न हमे कोई बुलाता है। लेकिन यहां तो व्यवस्था अजीब है और वह इसलिए है कि मौलिक रूप से हम और आप आदमी को बेईमान समझकर चलते है और इसलिए हमने इस प्रकार की जटिल प्रणाली बना रखी है और हम उसके कारण किसी प्रकार का सरलीकरण करने के लिए तैयार नहीं होते है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि चोकसी कमेटी ने जिस प्रकार की सिफारिशें दी है जो सरकार को मान्य है, उनके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाए। पिछली सरकार ने उस पर विचार किया और कुछ निर्णय भी लिए लेकिन वे अधूरे पड़े रहे, पूरे नहीं हो पाए। जब सरकार एक समिति बनाती है पहले तो वह समिति बनाती ही क्यों है और बनाती है तो उसकी सिफारिशें लेना, उस पर पैसा खर्च करना, उस पर निर्णय नहीं लेना, यह कोई उचित चीज नहीं है।

मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष करों के संबंध में चोकसी कमेटी ने जो सिफारिशें की है कि 50 परसेंट टैक्सेशन का मैक्सिमम लेवल रखा जाए, इससे उपर न रखा जाए, सरकार इसका प्रयोग करके देखे। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि कोई भी सरकार खास तौर से अविकसित देशों के संबंध में, बिना कराधान के नहीं चल सकती है और इसलिए रिसोर्सिस का मोबिलाइजेशन आवश्यक है और आप इस संबंध में विचार कीजिए !

दूसरी बात इसी संबंध में यह है कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में एक लाख रुपए से ज्यादा टैक्स देने वालों की संख्या लगभग सौ है। क्या मंत्री जी आप यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान भर में एक लाख से ज्यादा आमदनी वाले व्यक्ति केवल सौ हैं। ऐसे व्यक्ति तो केवल बम्बई शहर में मिल जायेंगे और दिल्ली में भी मिल जायेंगे लेकिन मुझे यह कहना है कि यह सारा एक व्यावहारिक पहलू बना रखा है और उसी के कारण ये सारी चीजें चल रही हैं। इसलिए आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्वे तथा इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कम से कम जो आदमी गाड़ी रखता है, उसको तो इनकम टैक्स पेयर होना ही चाहिए क्योंकि कार मेन्टेन करने में 500 या 600 रु० लगता है और वह आदमी चाहता है कि 50 रु० भी टैक्स का न देना पड़े, क्योंकि कानूनी जटिलताओं के कारण आदमी में एक मनोवृत्ति बनी हुई है और इसीलिए ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। हर आदमी ईमानदारी से जब टैक्स देगा, जब आपके कानून व्यावहारिक होंगे, उनका हैरासमेंट नहीं होगा, करप्शन उसमें नहीं होगा, परेशानियां उसमें नहीं होंगी। इसलिए इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए आप विचार कीजिए कि लोगों को हम कैसे इन्सेंटिव दें ताकि लोग ईमानदारी के साथ प्रामाणिकता से अपने टैक्स को अदा करें।

उसी प्रकार से इन-डायरेक्ट टैक्सेशन, अप्रत्यक्ष-कर, भारत सरकार की कुल आमदनी का लगभग तीन-चौथाई है, लेकिन इसके बारे में आपको "झा कमेटी" की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं, उन सिफारिशों को आप या तो रिजेक्ट कर दीजिए या लागू कीजिए। इस संबंध में पिछली बार भी भूतपूर्व वित्त मंत्री ने, जब वे विरोध पक्ष में थे, इस बात की मांग की थी कि "झा-कमेटी" की रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको लागू किया जाए। मैं समझता हूं कि अब उनको समय मिला है और वे इस संबंध में निर्णय भी करेंगे।

कमोडिटी टैक्सेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें एक परम्परा बन गई है कि हर वर्ष जब बजट बनाने के लिए बैठते हैं तो यह सोचते हैं कि दो हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है, दो हजार करोड़ रुपया हम को चाहिए। यह रुपया हमें इन-डायरेक्ट-टैक्सेशन से इतना मिल जाएगा और डायरेक्ट टैक्सेशन से इतना मिल जाएगा और कमी की पूर्ति के लिए इन-डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका इतना आसान है कि इसके जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है।

उत्पादन पर कर लगाना सब से आसान तरीका है। मैं समझता हूं यह कोई उचित कारण नहीं है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री वापिस आ गये हैं। मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता और न ही इस प्रस्ताव के बारे में मंत्री महोदय की आलोचना करना चाहता हूं। मैं तो केवल अपने विचार प्रकट करना चाहता था जिससे आपको अपनी योजना को बनाने के लिये सहायता मिलती। मैं अभी आपके उत्तर का इच्छुक नहीं हूं। आप उत्तर बेशक न दें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि देश का समूचा कर ढांचा इतना पेचीदा है और कर का इतना अपवंचन होता है कि इसमें पूरा परिवर्तन लाना आवश्यक है और समूचे कर ढांचे को बदला जाना आवश्यक है। आप इसे कैसे करेंगे ? यदि आप इसे करें तो मैं

[श्री सतीश अग्रवाल]

आपकी प्रशंसा करूंगा । जहां तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, ये भारत सरकार की समूची कर आय का एक भाग है—जिनमें से तीन चौथाई अप्रत्यक्ष कर तथा एक चौथाई प्रत्यक्ष कर द्वारा प्राप्त होती है । क्या इसे उलटा नहीं किया जा सकता ताकि तीन चौथायी अप्रत्यक्ष कर तथा एक चौथायी प्रत्यक्ष कर द्वारा प्राप्त किया जा सके । क्या इसे उलटा नहीं किया जा सकता ? इसे नहीं किया जा सकता । प्रत्यक्ष कर हमेशा अप्रत्यक्ष करों से अच्छे रहते हैं । मैं समझता हूं कि सरकार इसे नहीं कर सकती । आप कम से कम झा समिति तथा चौकसी समिति के प्रतिवेदनों का अध्ययन करें और इस बात का ध्यान रखें कि इनकी सिफारिशों को आगामी बजट अधिवेशन में कार्यान्वित किया जाये ताकि लोगों को इन सिफारिशों के अनुसार राहत दी जा सके ।

इसी तरह प्रक्रिया को भी सरल बनाना है और कर अपवंचन को रोका जाता है । यदि हम अथवा संसद कर अपवंचन को रोक सकें तो बढ़ती हुई घाटे की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिये अतिरिक्त कराधान की विशेष आवश्यकता नहीं होगी । हमने पूरे प्रयास किये हैं। उदाहरण के लिये हमने कर-अपवंचन विरोधी निदेशालय भी स्थापित किया है । इसे सरकार को और मजबूत करना चाहिये और निर्धारितियों से सांठगांठ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये । इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जानी चाहिये । जब तक वैसा न करें, उस समय तक हम कर अपवंचन को नहीं रोक सकते (वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट प्रस्तावों की आलोचना करते समय यह जोरदार तर्क दिया था कि चूंकि 15 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या 60 प्रतिशत भूमि को नियंत्रित करती है तो इन 15 प्रतिशत लोगों को, जो समृद्ध वर्ग में आते हैं इस प्रकार के लाभ क्यों दिये जायें । ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास ही 60 प्रतिशत भूमि है।

वित्त मंत्री इस बात को देखें की इन 15 प्रतिशत लोगों जिनके पास 60 प्रतिशत भूमि है, पर कैसे कर लगाये जायें ग्रामिण अर्थ-व्यवस्था के नाम पर, ग्रामिण क्षेत्र के नाम पर और कृषि अर्थ व्यवस्था के नाम पर मैं यह वकालत करता रहा कि हमारे देश के अंदर ग्राम्य पूंजिवाद है। मान लीजिये वे एक लाख हैं। मैं नहीं समझता कि वे कर क्यों न दे यदि ये लोग एक हज़ार भी हों, तो उन्हें वित्त विधेयक के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जाता, जिसे आपने पेश किया है। आप पहले वर्षों के घाटे के लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार आप इस घाटे को और बढ़ा रहे हैं। मैं एक पेशेवर वकील हूं और मान लीजिये कि मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ। और मान लीजिये मुझे कृषि से 10,000 रुपये की आय हो रही है । आप इन 10,000 रुपयों को भी कर के लिये शामिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि उस पर भी कर क्यों न लगाया जाये। यदि मुझे किसी अन्य व्यवसाय से आय हो रही है और मुझे कृषि से भी आय हो रही है, यदि आप कर के लिये उसे भी शामिल करें तो उससे जमाने का बोझ कम होगा और आप के पास ग़रीबों के बीच बांटने के लिये और अधिक ज़मीन उपलब्ध होगी । यदि मुझे ज़मीन से प्रतिवर्ष 50,000 रुपये की आय होती है जिस पर मैं आयकर दे रहा हूं तो मैं कुछ आय कृषि से दिखाकर कालेधन को सफेद धन में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा हूँ । यह कर से बचने का गलत तरीका है। आपको इसे रोकना चाहिये । यदि मुझे कृषि से 50,000 रुपये की आय होती है तो इसे केवल कर के लिये क्यों शामिल किया जाये । इस प्रथा को समाप्त करने के लिये संशोधन लाना ज़रुरी है । यदि आपको इस या उस स्रोत से आय हो रही है तो कर के लिये कृषि आय के शामिल करने मात्र से आप कर नहीं दे रहे । हमारे ध्यान में कवल बंगले, कार आदि वाले ही रहते हैं। इस का अर्थ यह नहीं है कि गांवों में वे बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। श्री बिरदी चंद जैन जानते हैं कि बाड़मेर तथा जेसलमेर की 90 प्रतिशत जन संख्या ग़रीब है। जो लोग गांवों में ऐश्वर्यमयी जीवन व्यतित कर रहे हैं, उन्हें यह सब नहीं मिलना चाहिये । यह एक बहुत बड़ा ढांचा है । हम कुछ साधन जुटा सकते है। राज्य सरकारों को भी इस विशेष क्षेत्र से साधन जुटाने के लिय कहा जा सकता है। आप इसको जांच करें । इसे किस सीमा तक लगाया जाय, यह मैं आपको नहीं बताउंगा । आपने पिछले वर्ष जोरदार तर्क दिया था। आपको इस बात का भी पूरा विश्वास है कि यदि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 15,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाये तो हमें कुछ आय मिल सकती है। यदि हमें इस पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत का भी लाभ होता है तो अतिरिक्त करों की कोई भी आवश्यकता नहीं है । आपका वह विचार था। आपने पिछले वर्ष इसकी वाकालत की थी। मुझे आशा है कि आप इस वर्ष भी इस पर कायम रहेंगे और उन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने का प्रयास करेंगे । मुझे भय है कि आप इस सम्बन्ध में

कुछ अधिक न कर पावेंगे क्योंकि विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न मंत्रालयों के अधीन है और क्योंकि वे समझते हैं कि ये उपक्रम उनके ही नियंत्रण में हैं और वित्त मंत्री का काम केवल घाटा पूरा करने के लिये साधन जुटाना है । वे उनसे किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन तथा हस्ताक्षप नही चाहते । अभी तक ऐसा ही दृष्टिकोण रहा है । यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक साधन जुटा सकते हैं तो आप अच्छी अर्थव्यवस्था बताने के लिये अच्छा योगदान दे सकते हैं ।

अतः मेरा वित्त मंत्री से यही कहना है कि समूचे कर ढांचे को नया रुप दिया जाना है ।

अप्रत्यक्ष कर के मामले में आपको कुछ अन्य काम भी करने हैं ।

पिछली बार भी मैं इस बारे में बोला था । मैं आपके अन्य दो विधेयकों के बारे में नहीं बोलूंगा । आपने पिछली बार मुझे गलत समझा । इसी लिये मैं इसे दोहरा रहा हूँ । प्रशासनिक व्यय 2.5 प्रतिशत है जबकि उनसे भारत सरकार के कुल राजस्व का $\frac{1}{4}$ भाग मिलता है और जबकि अप्रत्यक्ष करों द्वारा 3/4 भाग मिलता है और इसका व्यय केवल 0.8 प्रतिशत पड़ता है । यह मांग कई बार की गयी है कि किसी विभाग के कार्यकरण में सुधार किया जाय । इस हेतु आपको कुछ काम करने है । प्रशासन में कुछ योग्य अधिकारी हैं । उन पर बहुत भार है और उनकी सेवा में स्थिरता इतनी बढ़ गयी है कि अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा । आप इस सेवा, काडर के लिए कुछ अधिक व्यवस्था करें जैसा कि आयकर विभाग में किया गया है । यदि आप अप्रत्यक्ष कर विभाग में भी असिस्टंटों के पद बना दें तो इसस पदोन्नतिरोध समाप्त होगा और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और फलस्वरुप अधिक राजस्व एकत्रित होगा । राज्य सरकारों के काडर में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रट हैं, तहसीलदार है, जिन्हें 500 रु० मिलते हैं सरकारी आवास मिलते हैं फिर कलेक्टर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं । ये किराये के मकानों में रहते हैं । कृपया कोई व्यापक आवास योजना तैयार करें । सन्तुष्ट सेवा ही विभाग के लिए वरदान होती है । हमारी सारी विभागीय नीति अधिकाधिक साधन जुटाने पर निर्भर है । राजस्व का अधिकांश भाग निर्यात राजस्व से प्राप्त होता है और वह भी अप्रत्यक्ष करों से । अतः आप इस पहलू पर भी विचार करें ।

उत्पाद-शुल्क कानून में कुछ कमियां हैं । पिछली सरकार के इस बारें में, कुछ करने का वचन दिया था । आप भी एक व्यापक विधयक लाएं जिससे उत्पाद-शुल्क प्रशासन में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके । आप तदर्थ नीति को त्याग दें । सीमा-शुल्क नियमों के अधीन तदर्थ छुट देने की शक्तियों का 1977 से पहले दुरुपयोग किया जाता रहा । जहाँ तक संभव हो धारा 25(1) के अन्तर्गत की छूटों का साधारणीकरण करने का प्रयास करें और धारा 25 (2) का कम से कम इस्तेमाल करें । हमने यह प्रयास किया था । धारा 25(1) के अन्तर्गत छूटों का हमने साधारणीकरण किया और 25 (2) के अन्तर्गत अधिकारियों या मंत्रालय को कम-से कम स्वैच्छिक शक्तियों दी । पर ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें धारा 25(2) के अन्तर्गत छुट देनी पड़े । मैं इससे इन्कार नहीं करता । पर इसके बारे में सावधानी बरतें । आयात शुल्क या अन्य मदों के सम्बन्ध में प्रशासक मंत्रालय सिफारिशें दे सकती है। आप के वित्त विधेयक में विस्तृत उपबन्ध है और आयात-शुल्क से अधिक आवंटन किया गया है। इसका अर्थ है आयात उदारीकरण नीति जारी रहेगी क्योंकि आपने इस मद में लगभग 156 करोड़ रुपये की वृद्धि की है । मुझे सही आंकड़े याद नहीं हैं। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ और मैंने फाइलों में भी लिखा है कि देश में ऐसे तत्वों का बोलबाला है जो शुल्क में छूट पाने के लिए प्रशासक मंत्रालयों से अपने पक्ष में सिफारिशें करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप देश के विकास के हित में इन तत्वों से सावधान रहें ।

श्री के० लकप्पा : (टुमकुर) : हमें गरीब लोगों स समर्थन मिला है न कि जमाखोरों और चोरबाजारियों से ।

श्री सतीश अग्रवाल : कृपया सभी बातों को राजनीतिक रंग न दें । मैंने एक मामले की जांच करवाई और उसमें 1 करोड़ रुपये की राशि कर अन्तर पाया गया। सिफारिश 14 करोड़ रु० की गई, पर जब मैं दुबारा जांच करवाई तो यह राशि 7 करोड़ रु० रह गई ; अतः बारीकी से जांच करने पर हम एक ही मामले में सरकार क 7 करोड़ रु० बचा सके । अतः मंत्रालयों से निर्यात या आपात शुल्क में छूट के बारे में प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप सावधानी बरतें और इनकी बारीकी से जांच करवाएं ।

[श्री सतीश अग्रवाल]

ये ही कुछ बातें और मेरे सुझाव हैं जिन पर मैं अभी कोई उत्तर नहीं चाहता । आशा है कि वित्त मंत्री चौकसी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, या समिति की रिपोर्ट, व्यापक उत्पाद-शुल्क विधेयक, कर की चोरी को रोकने सम्बन्धी विरोधक निदेशालय आदि के संदर्भ में मेरे सुझावों पर विचार करेंगे । बाकी बातें और सुझाव मैं तब रखूंगा जब सभा के समक्ष अन्तिम वित्त विधेयक पश किया जाएगा ।

सभापति महोदय : सूची में जिन अन्य सदस्यों के नाम है वे सभा में हाजिर नहीं हैं। अतः मैं वित्त मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूँगा । मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं श्री अग्रवाल को कुछ और समय देता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : हमारे पास पहले ही समय कम रह गया है। अगली जो दो मदें हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 4.30 बजे तक पूरी की जानी हैं। इन्हीं के लिए मैंने खाना भी नहीं खाया है ।

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं मैं उनके लिए उनका आभारी हूं । मैं संक्षिप्त में उनमें से कुछ मुद्दों का उत्तर दूंगा ।

श्री हाल्दर ने अपने भाषण के दौरान सभी उद्योगों और सभी विदेशी निवेशों का राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया तथा भूमि सुधारों को ऐसे लागू करने की बात कही कि उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण हो सके । मेरे लिए यह एक महती कार्य है जिसे करना सम्भव नहीं होगा । पर इस सरकार का प्रयास संसाधनों का इस प्रकार नियंत्रण करने का होगा कि इससे कमजोर वर्गों और देश के आर्थिक विकास को नुकसान ना पहुँचे । हम जो भी करें, हम चाहते हैं कि दश का आर्थिक विकास हो। पर यह सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं किया जाएगा । हम आर्थिक विकास इस प्रकार करेंग कि इसका असर सामाजिक न्याय पर न पड़े ॥ यही हमारे संविधान की और हमारी पार्टी की नीतियों की भावना है।

श्री दण्डपाणि ने इस विधेयक पर बोलत हुए कहा कि कुल जनसंख्या के अनुपात में आय का समायोजना करने सम्बन्धी सूत्र का कम जनसंख्या वाले राज्यों को फायदा नहीं होगा । मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। केन्द्रीय सहायता का वितरण गाडगिल फार्मूला के आधार पर किया जाता है। कुल जनसंख्या के अनुपात में आप का समायोजन सूत्र केन्द्र समर्थित योजनाओं पर लागू होता है । राष्ट्रीय विकास परिषद में कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं उनके लिए नियत धन सात राज्यों को अन्तरित की गई हैं। इन योजनाओं के अन्तरण में उक्त सूत्र का अनुसरण किया गया था । सामान्य केन्द्रीय सहायता का वितरण गाडगिल फार्मूला क अन्तर्गत किया जाता है । वितरण के उचित या समान न होने के बारे में हमें राज्यों में से कोई शिकायत नहीं मिली है । एक सदस्य ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मास के वेतन के बराबर बोनस देने का सुझाव दिया है । हम यह नहीं कर सकते । हमने उत्पादकता के आधार पर बोनस देने का फार्मूला अब शुरु किया है । यह संतोषजनक फार्मूला है।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा कि बैंक उत्पादक केन्द्र नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : बैंक सेवा बैंकों और कर्मचारियों के बीच हुए एक पृथक समझौते के अन्तर्गत आती है । उन पर यह फार्मूला लागू नहीं होता । यह रेलवे, डाक-तार, रक्षा-उत्पादन विभागों जैसे सरकारी विभागीय संगठनों पर लागू होता है । यह कर्मचारियों की यूनियनों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उन्होंने इसें स्वीकार किया है । आय-कर छूट सीमा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है।

श्री निरेन घोष (दम-दम) : क्या सभी केन्द्रीय मजदूर यूनियनों ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : हमारी जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी इसे स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने इसे स्वीकार किया है या नहीं यह प्रश्न संगत नहीं है । मामला रक्षा प्रतिष्ठान, रेल प्रतिष्ठान और सरकार के मध्य है। उन्होंने इसे स्वीकार किया है । आयकर-छूट सीमा के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अभी कोई वचन नहीं दे सकता । मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस सभा के प्रत्येक अच्छे सुझाव पर पूरी तरह विचार किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ग्रामीण विकास के लिए नए बैंको की बात कही है । बंगाल के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने मुझ से विचार-विमर्श किया है । उनकी शिकायत है कि अन्य राज्यों की भांति उनके राज्य में बैंक अपने कुल ऋण का 33 प्रतिशत ऋण ग्रामीण विकास के लिए नहीं दे रहे है । उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए बैंकों को कहा जाए । हमने इसे नोट किया है और इस पर पूरी तरह विचार होगा । मैं जानता हूँ वहाँ ऋण की राशि गरीब जनता तक नहीं पहुँचती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा अभिप्राय था कि ऋण देने की पुरानी शर्तों, रुढ़िवादी शर्तों के चलते इस दिशा में सुधार नहीं लाया जा सकता। बैंकों का कहना है कि इन लोगों को दिया गया ऋण कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें ऋण क्यों दिया जाए। आप इस समस्या को कैसे हल करना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : हम प्रत्येक बैंक की प्रशासनिक समस्या हल नहीं कर सकते। मैं बैंको को यह कह सकता हूँ कि वे अपने कुल ऋण का 33½ प्रतिशत, जो अब 40 प्रतिशत किया जा रहा है, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को दें। अगर वे यह नहीं करेंगे तो मैं उनसे उसके कारण पूछूंगा वे निश्चित ही अपनी कठिनाई बताएंगे। जब वे अन्य राज्यों में वह लक्ष पूरा कर रहे तो पश्चिम बंगाल में भी पूरा किया जा सकता है। अतः मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ी समस्या खड़ी होगी। चूंकी अब हम बैंको से यह आग्रह कर रहे हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक ऋण दें, इसलिए इस लक्ष को पूरा करने में उनके सामने जो कठिनाई आएगी उसे दूर करना भी हमारा उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा मैं और कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : केवल प्रतिभूति की कठिनाई है।

श्री आर० वेंकटरामन : बिना थोड़ीबहुत जमानत दि कोई भी बैंकों से ऋण नहीं मांग सकता। कुछ तो जमानत देनी ही पड़ेगी। जरुरी नहीं है कि भूमि की मलकियत ही हो। पट्टेदारी पर ही जमानत दी जा सकती है। कुछ लचचीलापन तो बरता जा सकता है। पर यदि आप कहें कि वित्त मंत्रालय यह आदेश जारी कर दे कि बिना किसी जमानत के ही बैंक ऋण दे दें तो शायद बैंकों का दिवालिया ही निकल जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भूमिहिन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलेगा।

श्री आर० वेंकटरामन:भमिहिनों को भूमि प्रयोजन के लिए भलेही ऋण न मिल पाए पर वे लघु उद्योग, कु टिर उद्योग आदि के लिए ऋण ले सकते है। बैंककारी संस्थाएं बडी नाजुक संस्थाए हैं। अगर उनका धन वापस नहीं किया गया तो उनका दिवालिया ही निकलेगा। हम बैंकों के कार्यकरण के अंतर्गत ही किसी उदारीकरण पर विचार कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल ने कई सुझाव दिए हैं। उन्हें इस विभाग का पिछला अनुभव है। उनकी इस क्षमता का मैं काफी मान करता हूं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में वचनवद्ध नहीं हो सकता। मैं मंत्रालय में संभावित कार्य-रेखा का संकेत कर सकता हूँ। मैंने झा रिपोर्ट पढ़ी है। श्री झा जब साक्ष लेने मद्रास आए थे तब मैने उनसे लंबी चर्चा की थी। उत्पाद-शुल्क के सभी पहलुओं पर विचार किया था। मैं मानता हूँ कि अप्रत्यक्ष करों की बाढ़ से कीमतें बढ़ रही हैं। मै झा समिति के प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करुंगा और तब उत्पाद शुल्क प्रशासन में सुधार के लिए ठोस और उचित प्रस्ताव लाऊंगा।

मैं चोकसी समिति की रिपोर्ट भी पढ़ चुका हूँ। पर इस समिति की सिफारिशों के बारे में मैं वही आश्वासन नहीं दे सकता जो मैंने झा समिति के मामले में दिया है। मेरे विचारानुसार इस का और अध्ययन किया जाना चाहिये और इसका अध्ययन करने हेतु मुझे कुछ समय चाहिये ताकि मैं चोकसी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करके इसके बारे में उपयुक्त विधान प्रस्तुत कर सकूं। इस बात के साथ मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि आयकर अधिनियम में सुधार किया जाना चाहिये तथा इसे अधिक साधारण तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाया जाना चाहिये। आज इतने अधिक संशोधन हो जाने के बाद यह अधिनियम इतना जटिल हो गया है कि साधारण नागरीक इसे स्वयं समझ नहीं पाता है। हम इस मामले का अध्ययन कर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इसके लिए अच्छे से अच्छा क्या सुधार किया जा सकता है। वास्तव में हमारी एक सब से बडी कठिनाई यह है कि हमारा राष्ट्र पूर्णतया नैतिक है। ज्यों ही उसमें से कोई बच निकलता है, कडी प्रवंचन हो जाता है, हम उस रास्ते को बंद करने के लिए तुरन्त कार्य करते है तथा नियम की त्रुटियों को इधर उधर से रोकने के लिए संशोधन ले आते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अधिनियम आज संशोधनों तथा नियमों से भरा पड़ा है। 2000 मील के लम्बी चौड़े देश में कहीं न कहीं किसी त्रुटी कर रह जाना स्वाभाविक ही है। इसके लिए आप केवल यही कर सकते है कि जब कभी कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करते हुये पकड़ा जाता है, उसें ऐसी कड़ी सजा की जानी चाहिये जिससे कि दूसरे लोग उस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके। परन्तु हम प्रत्येक त्रुटि तथा जो कुछ भी घटता है, उसके परिपेक्ष में कानून में संशोधन करते चले जाते है। इस प्रकार से तो हम झमेले में ही फंसे रहेंगे। इसलिए मेरा यह विचार है कि हमें इस मामले के प्रति अपने रवैये में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। हम यहां जो भी नियम या अधिनियम बनाते है उन्हें हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि हम एक प्रवंचन को रोकने हेतु या एक चीज से बचने के लिए, हम नियम को ऐसा न बना दे कि नियमों तथा विनियमों की भूलभूलैया में सम्पूर्ण समुदाय को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[श्री आर० वेंकटरामन]

श्री अग्रवाल ने यह भी कहा था कि कर देने के लिए लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। इस विषय पर विचार करने के लिए मैं उनके साथ अलग से बातचीत करना चाहूंगा। प्रायः कोई भी व्यक्ति उस समय कर देना चाहता है जब वह समझता है कि कर युक्तीसंगत आधार पर लिया जा रहा है करादान का मुख्य आधार यही होता है कि कर को देना, कर के प्रवंलन से सस्ता पड़े। हमें अन्ततः इसी सिद्धांत को आपनाना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति के लिए कर को बचाने की अपेक्षा कर का देना सस्ता मालूम पड़े। अगर उनके मस्तिष्क में यही विचार था, तो हम निश्चय ही इसे ध्यान में रखेंगे।

इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर के बारे में उन्होंने इसके पूर्ण पुनरीक्षण का सुझाव किया है और मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि हम ऐसा ही करेंगे।

श्री अग्रवाल ने एक और प्रश्न भी उठाया था। मुझे आशा है कि धनी किसानों पर कराधान सम्बन्धी जब उनके प्रस्ताव को हम विवेचन के रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो उनका दल उसका समर्थन करेगा। मैं जानता हूं कि मामलों के बारे में लोगों के विचार भिन्न-भिन्न होगें। मैं जानता हूँ कि इस ओर के सभी सदस्य या उस ओर के सभी सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे। परन्तु कर केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जाना चाहिये जो इसे अदा कर सकने की क्षमता रखते हो। यह कर का आधारभूत सिद्धांत है। कराधान सम्बन्धी सिद्धांतों में से यह एक है कि कर ऐसे ही लोगों पर लगाया जाना चाहिये जो कर देने के समर्थ हो। जहां कर देने की क्षमता हो, जिनकी परिस्थिति या सम्पत्ति या आय सर्वविदित हो, ऐसे लोगों पर कर लगाने का प्रावधान अभी नहीं है जैसे कि अन्य आय या सम्पत्ति के बारे में है।

मुझे यह मालूम नहीं है कि सम्पुर्ण सदन इस रवैये के साथ सहमत होगा। परन्तु मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने केवल विषय के गुण-दोषों को सामने रखा है। हम इन पर विचार करेंगे। एक माननीय सदस्य ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा था कि देश की भूमि के 60 प्रतिशत भाग पर केवल 15 प्रतिशत लोगों का प्रभुत्व बना हुआ है। ऐसे लोगों को छूट जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं कभी भी अपनी नीतियों या सिद्धांतों मे केवल इसलिए परिवर्तन नहीं कर लेता कि मैं सदन की दुसरी ओर बैठने लग गया हुं हमे इस मामले का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि उनका कार्यकरण अच्छे ढंग से चलाया जाये। इस क्षेत्र में यदि शीघ्र अच्छे परिणाम सामने न आये परन्तु उनमें जो पूंजीनिवेश किया गया है, उन्हें उसे न्याय संगत प्रमाणित करना होगा और आज हमें उनमें 15,000 करोड़ से अधिक धन राशि लगा चुके है। हमें यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न करेंगे कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र से इतना लाभ तो प्राप्त हो जो उस क्षेत्र में किये गये पूंजीनिवेश के अनुरूप हो। हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मुझे मालूम है कि श्री अग्रवाल ने जब इसे करने का प्रयत्न किया था तो उन्हें इसके बारे में कुछ कटु अनुभव हुआ था। परन्तु मुझे आशा है कि मुझे ऐसा करने में उसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं अपने साथियों के सहयोग से इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहता हूं। सदन में जो भी सुझाव किये गये हैं, मैं उनके लिए सदस्ययों का धन्यवाद करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए चालू रखने के लिये, आयकर से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा सहायक सीमा शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क से संबंधित उपबंधों को उक्त वर्ष में चालू रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। इनक बारे में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है, "कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।" "खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

सभापति महोदय : अब तीसरा वेश किया जायेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री निरेन घोष (डम डम) : मैं संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं । पहली बात ओवरड्राफ्ट के बारे में है । । यदि केन्द्र को ओवरड्राफ्ट का अधिकार है तो उसका उतना ही अधिकार राज्य सरकारों को भी होना चाहिये या फिर केन्द्र सरकार का ओवरड्राफ्ट का अधिकार की समाप्त किया जाना चाहिये । इससे मुद्रा स्फिति बढ़ती है जिससे कि देश की हानि हो रही है ! अतः ओवरड्राफ्ट की प्रणाली पूर्णतया समाप्त कर दी जानी चाहिये । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि उसे यह अधिकार होना चाहिये तो इसका समान अधिकार राज्य सरकारों को भी होना चाहिये । केन्द्र को राज्यों से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह ओवरड्राफ्ट न करे ।

इसके अतिरिक्त लाभ कर जसी कोई चीज भी होनी चाहिये जैसी कि युद्ध काल के समय थी । इसे पुनः लागू किया जाना चाहिये । अधिक लाभों पर इसी पद्धति पर आधारित कर पुनः लगाया जाना चाहिये ।

लाभों को भारत से विदेश भेजने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये । लाभ को पुनः देश में ही लगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये ।

डीजल तथा मिट्टी के तेल पर लगाये गये करों में भारी कमी की जानी चाहिये क्योंकि सार्वजनिक परिवहन आदि जिनका प्रयोग जन साधारण द्वारा किया जाता है, उस की 70 से 75 प्रतिशत दरें करों की कारण दी है । इसके लिए सब से अच्छा तरीका यही है कि उपभोक्ताओं से केवल गृह-मूल्य या स्वदेशी उत्पादन मूल्य ही लिया जाना चाहिये । उत्पाद-शुल्क की उच्च दर के कारण समाज के गरीब वर्गों पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः मेरा विचार है कि इस कर में कम से कम 50 प्रतिशत की कटौती शीघ्र ही कर दी जानी चाहिये ताकि डीजल से चलने वाला सार्वजनिक परिवहन और सस्ता बनाया जा सके ।

आप औद्योगिक-गृहों को लगभग 3000 करोड़ रुपये की राजकीय सहायता प्रत्येक वर्ष देते हैं । यह एक प्रकार से भारतीय लोगों द्वारा व्यापार-गृहों को दिया गया चंदा ही है । ऐसा नहीं चल सकता । आप सिविल-पूर्ति निगम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप उसे 500 से 800 करोड़ रुपये की राजकीय सहायता नहीं दे सकते । फिर आपको 3000 करोड़ रुपया इस प्रकार से लेकर फिर उसे विभिन्न प्रकार से उद्योगों को देने का क्या अधिकार है ? यह भी समाप्त किया जाना चाहिये ।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सावजनिक क्षेत्र की अकुशलता का मूल कारण नौकरशाही द्वारा प्रबंध व्यवस्था का चलाया जाना है । वह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते है । वह वहां अपने लाभ के लिए आते हैं । वह पूंजीपतियों के घनिष्ठ दोस्त बन जाते है तथा फिर वह पद छोड़ जाते है । यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र को क्षति होती है । अतः संयंत्रों पर निर्याचित कर्मचारियों का नियंत्रण ही होना चाहिय ।

यही कुछ बातें मैं कहना चाहता था ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हैंसियन कपड़े और बोरियों पर निर्यात शुल्क बढाने की अधिसूचना के बारे में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटारामन) : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधि-सूचना संख्या सा० सा० नि० 54(ड), दिनांक 18 फरवरी, 1980 का अनुमोदन करती है जिस के द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना की तिथि से हैसियन कपड़ और बोरियों के (कालीन के अस्तर के अतिरिक्त) निर्यात पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढाकर 1000 रुपये प्रति टन किया गया है ।"

इससे पूर्व पटसन की बनी सभी वस्तुओं को निर्यात शुल्क से छूट थी । यह छूट 1975 तथा 1976 में संशिलिष्ट वस्तुओं के क्षेत्र में चल रही प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुये दी गई थी । पटसन निर्माताओं को द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं पर अप्रैल 1979 से नकद मुआवजा सहायता भी दी गई थी । परन्तु चूकि 1979 के मध्य से संशिलिष्ट

[श्री आर० वेंकटरामन]

सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा बहुत घट गई है क्योंकि कच्चे पेट्रोलियम के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हो गई है। तथा इसके परिणाम-स्वरूप पटसन की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पटसन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी काफी वृद्धि हुई है। पटसन के प्रमुख उत्पादन हैसियन के मूल्य में तो विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये हैसियन के उत्पादन हेतु पहले दी जा रही 6 प्रतिशत की राजकीय सहायता को अगस्त, 1979 को बंद कर दिया गया। इसके उपरान्त नवम्बर 1979 में दरियों के बारे में दी जा रही नगद मुआवजा सहायता को भी वापिस ले लिया गया। निर्यात शुल्क को फिर से आरम्भ करने के प्रश्न की भी समीक्षा की गई। इस सम्बन्ध में स्थिति की जांच बाद में इस तथ्य के आधार पर करने का निश्चय किया गया कि गत कुछ वर्षों में इस उद्योग का कार्य ठीक नहीं रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मूल्यों में वृद्धि अस्थाई है।

फरवरी, 1980 में की गई समीक्षा के समय यह देखा गया कि हैसियन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अभी भी ऊंचे हैं यद्यपि अक्तूबर/नवम्बर, 1979 में ये मूल्य जिस स्तर तक पहुंच गये थे उससे कम आ गये हैं। 5,800 रुपये प्रति टन की लागत के मुकाबले बिक्री मूल्य 8,780 रु० प्रति टन रहा है। इस प्रकार जूट उद्योग हैसियन के निर्यात से लगभग 3,000 रुपये प्रति टन की दर से लाभ कमा रहा है। ऊंचे मूल्यों के बावजूद हैसियन के बने माल की लगातार मांग इस तथ्य का द्योतक है कि यह माल निर्यात शुल्क के बोझ को वहन कर सकता है।

उपर्युक्त आधार पर सरकार ने हैसियन के कपड़े और बोरियों पर, जिन पर कारपेट बैकिंग न हो, 1000 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से फिर से निर्यात शुल्क लगाया है ताकि सरकार को भी हैसियन के बढ़े मूल्यों का लाभ हो। तथापि दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए जूट निर्मित अन्य माल के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क से छूट जारी रखी गई है।

अतः मैं इस संकल्प पर सभा द्वारा विचार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय वसूने इस संकल्प में एक संशोधन की सूचना दी है। अतः इसे पेश किया हुआ न समझा जाये।

श्री निरेन घोष (दम दम) : महोदय, इस संकल्प को जनता को धोखा देने के लिए लाया गया है। सम्भवतः जूट के बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ एक समझौता हुआ है। इसके सम्पूर्ण इतिहास के दौरान, विशेष-रूप से स्वतंत्रता के बाद, प्रत्येक बार हमने देखा है कि केन्द्रीय सरकार जूट के बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ समझौता करती रही है और उन्हें विभिन्न रिहायतें देती रही है तथा साथ-साथ उनसे सत्ताधारी दल के लिए करोड़ों रुपये इकट्ठा करती रही है। वाणिज्य मंत्री सत्ताधारी दल कांग्रेस (ई) के लिए रुपया इकट्ठा करने का काम करते हैं। अबतक यही प्रणाली रही है।

अब आप सरकार को भी लाभ का अंश देने की बात कर रहे हैं। किन्तु आपने मजदूरों को उनकी बकाया राशि दिये जाने के लिए कभी भी अंगूली नहीं उठाई है। यह केवल तब उन्हें कुछ लाभ मिला है जब मजदूरों ने काफी लम्बे समय तक संघर्ष किया। किन्तु जूट के व्यापारियों को जो लाभ हुआ उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। सरकार का रवैया हमेशा जूट के बड़े-बड़े व्यापारियों के पक्ष में और मजदूर वर्ग के विरोध में रहा है।

वे कहते थे कि जूट मिलों का कोई भविष्य नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है? जैसा कि वित्त मंत्री जानते हैं जब एक मिल दूसरे के हाथों में जाती है तो शेयर मूल्य में 100 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह जूट उद्योग में एक विशेष बात है। मैंने जूट के बड़े-बड़े व्यापारियों से भी यह प्रश्न पूछा है। वे इसका उत्तर नहीं दे पाये। वास्तव में उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वे अवाक थे। इसका अर्थ यह है कि उनके लिए यह हमेशा एक दुधारु गाय रही है। वे इसे पूरी तरह से चूस लेते हैं फिर कुछ मामलों में वे मिलों को छोड़ देते हैं। उन रुग्ण मिलों को अब सरकार द्वारा चलाया जाता है।

यद्यपि वे असाधारण लाभ कमा रहे हैं किन्तु वित्त मंत्री कहते हैं कि वे 1000 रुपये प्रति टन का लाभ कमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि वे हैसियन पर 4000 रुपये प्रति टन और कारपेट बैकिंग पर 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब से लाभ कमा रहे हैं। यह आन्तरिक सूचना है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जूट के बड़े-बड़े व्यापारियों ने इस उद्योग का लाभ उठा कर समस्त भारत में कई उद्योग स्थापित किये हैं। कम बीजक बनाकर उन्होंने सम्भवतः 1000 अथवा 2000 करोड़ रुपये जेनेवा बैंक में जमा किये हैं और स्विट्जरलैण्ड में एक मजाक है कि "हमने तुम्हारे देश का तुम्हारे रुपये से औद्योगिकीकरण किया है।"

यह सब केन्द्र सरकार की सांठ-गांठ से किया गया है। यही नहीं किन्तु इस उद्योग को ठोस आधार पर रखने के लिए तथा इसका अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्होंने कच्चे माल का अधिग्रहण किया है जिसका भारत के पांच राज्यों पर प्रभाव पड़ा है। अब तक ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे जूट उत्पादकों से सीधे 100 प्रतिशत कच्चे माल का अधिग्रहण किया जाये। बिरला, सिंघानियां, बंगुर, कनोरिया, बजोरिया, आदि सहित सभी जूट व्यापारी सट्टे के धंधे में प्रवीण हैं और आपको मालूम होगा कि सिंघानिया रंगे हाथ पकड़े गये थे। वह भारतीय जूट मिल संघ के प्रधान थे और एक गोपनीय रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कांग्रेस(ई) को 50 लाख रुपया देने के बाद उस मामले को दबाया गया। अतः वे अब तक असाधारण लाभ कमाते रहे हैं और आपने जूट उत्पादकों और मजदूरों को उनका मूल्य नहीं दिया है। वे विविधीकरण के पक्ष में नहीं हैं वे केवल तत्काल लाभ के पक्ष में हैं और अब वे 3000 रुपया प्रति टन के हिसाब से लाभ कमा रहे हैं। आपने उन सभी को छूट दी है। हैसियन के निर्यात शुल्क में थोड़ी सीमान्तिक वृद्धि से वे 4000 रुपये प्रति टन तथा इससे अधिक का लाभ कमा रहे हैं। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसे आन्तरिक सूचना से सिद्ध कर सकता हूं। अतः वे इस प्रकार लाभ कमा रहे हैं और इसे जनता में शोर मचा हुआ है। मैं नहीं जानता किन्तु सम्भवतः इस उद्योग का भविष्य अब उज्वल है क्योंकि संश्लिष्ट रेशे की कीमत बढ़ गई है। कुछ प्रतियोगिता थी किन्तु संश्लिष्ट रेशें में ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी जिससे यह उद्योग समाप्त हो जाये। अब उनके लिए यह एक अतिरिक्त समृद्धि हो गई है। इस प्रकार यह सब चल रहा है और वे बड़े उद्योग गृह हैं तथा सट्टेबाज हैं और उन्होंने लगभग एक सौ बिर्ला उत्पादक कम्पनियां स्थापित की हैं। यह किस लिए? सिमेंट फैक्ट्री, इंजीनियरिंग फैक्ट्री, कारबाइड फैक्ट्री और लिनोलियम फैक्ट्री है और क्या नहीं स्थापित की है? वे सब एक ही फर्म के नाम पर हैं। सारे भारत में और भी एकक हैं और वे रुपया कमा रहे है। यही कारण है कि मैंने कहा है कि यह केवल देश को धोखा देना है। इस सारी अवधि में मजदूरों की उत्पादकता बढ़ी है। उनकी मजदूरी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। उनके पास नकदी फसल से सट्टे के रूप में सोने की गाय है। प्रति वर्ष वे 30 से 40 करोड़ रुपये कमाते हैं किन्तु यह उद्योग मजदूरों को कम मजदूरी देता है। उत्पादन को गलत तरीके से बाजार में भेजा जाता है और वे थोर बाजारी से लाभ कमाते है। उत्पादन कम दिखाया जाता है। सरकार इन सब बातों को जानती है और उन्हें इसका पूरा ध्यान है। अब वे इतना लाभ कमा रहे हैं कि वे उसे छिपा भी नहीं सकते। अतः सरकार ने जनता को धोका देने के लिए हैसियन पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। अतः मैं कहता हूं कि आपने जूट उद्योग के साथ एक समझौता किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जूट उद्योग से आपको कितना करोड़ रुपया आगामी राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मिला है। यही खास मुद्दा है। इस थोड़ी सी वृद्धि के लिए उन्होंने शोर मचाया है किन्तु यह केवल जनता को धोका देने के लिए है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपने समझौता किया है। सभी वाणिज्य मंत्रियों ने यह किया है। यह हमें गोपनीय एवं आन्तरिक सूचना से मालूम हुआ है। इन व्यापारियों ने भी स्वयं निजी रूप से कई सदस्यों को बताया कि उन्होंने गत चुनाव में किस प्रकार रुपया दिया है। अतः इस प्रकार आप बड़े व्यापार का लाभ उठा रहे हैं। अतः सभी मदों पर निर्यात शुल्क में काफ वृद्धि की जानी चाहिए। यह सारा लाभ जनता को और मजदूरों को जाना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह निर्यात शुल्क मिल मालिकों की जेब से नहीं आयेगा। यह उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा ताकि यह सीमित और छोटा कदम भी जो सरकार हैसियन और हैसियन कपडे पर शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1000 रुपये टन कर रही है, जहां तक जूट मिल मालिकों का सम्बन्ध है, एक छोटी चुभन भी नहीं होगा। केन्द्र में जो भी सरकार रही है उसने कभी भी इस उद्योग के मालिकों के विरुद्ध दृढ़ कदम उठाने का साहस नहीं किया है जो वर्षों तक हमारा सबसे बड़ा विदेश मुद्रा अर्जक रहा है।

मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। कारपेट बैकिंग को क्यों छूट दी गई है? जो आंकड़ें उपलब्ध हैं उनसे यह दिखाई देता है कि जूट के माल के बाजार मूल्य में जो यह अत्यधिक वृद्धि हुई है उसमें कारपेट बैकिंग का भी हिस्सा है। कारपेट बैकिंग, जिसकी गत वर्ष 5260 रुपये प्रति टन कीमत थी, अब 12,000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा है। हैसियन, जो लगभग 6000 रुपये प्रति टन के हिसाब से गत वर्ष

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बिक रहा था अब 9000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिक रहा है। गत वर्ष पश्चिम बंगाल में जूट मिलों में 40 दिन की हड़ताल रही और उस समय मुझे याद है, बातचीत हुई और एक समझौता हुआ था, इसके बारे में हम सभी को बहुत चिन्ता थी। जूट मिलों ने फिर कहा कि मजदूरों को थोड़ी ऊंची मजदूरी आवास भत्ता तथा अन्य लाभ जो हमने इस हड़ताल से उन्हें दिलाये थे देने के बोझ को वे वहन करने में समर्थ नहीं हैं। इन सब पर प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा अतः इससे उद्योग की बुरी दशा हो जायेगी, और इसकी पीठ टूट जायेगी यह सब कहा गया जो कि सभी मिल मालिक जब भी उन्हें एक भी पैसा अधिक देना पड़ता है हमेशा ही कहते हैं। हड़ताल के बाद गत वर्ष छः महीने में मजदूरों को अधिक मजदूरी देने के बावजूद इन मिलों ने 99 करोड़ रूपये का लाभ कमाया।

इस का कारण, वास्तव में, अंशतः मंत्री महोदय ने बताया है। एक कहावत है कि बुरे कदम से भी कुछ लोगों को लाभ होता है। यह जो तेल का संकट है, पैट्रोलियम का संकट है, इंधन का विश्वव्यापी संकट है जिसका हम सामना कर रहे हैं, इससे जूट उद्योग को एक भिन्न तरीके से बहुत बड़ा लाभ हुआ है क्योंकि उनका मुख्य प्रतियोगी संश्लिष्ट रेशा है जिसका आधार नेफ्था क्रूड और पोलीप्रोपेलीन है जो सभी तेल और पैट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। अब एक ही झटके में संश्लिष्ट रेशा उद्योग का निकास बाहर किया गया है। मूल्यों में इतनी वृद्धि हुई है कि जूट, हैसियन कपड़े, हैसियन बोरियों और कारपेट बैकिंग के लिए उनकी मांग फिर बढ गई और वे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जूट उत्पादों को कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें प्रति वर्ष लूटा जाता है। गत दो-तीन दिनों में किसानों के लिए बहुत आंसू बहाये जा रहे थे। कृपया निर्धन जूट उत्पादकों पर भी ध्यान दीजिए। आपने भारतीय जूट निगम बनाया है जिसका काम उन्हें बिक्री में तथा कच्चे जूट की खरीद में जब भी उनकी कीमतें बहुत घट जायें, मदद करना है। कच्चे जूट के लिए दिल्ली से हर वर्ष न्यूनतम आधार मूल्य की घोषणा भी की जाती है, ये जूट उत्पादक गरीब और सीमान्तिक किसान हैं और जूट के कोई बड़े फर्म नहीं हैं। पूर्वी भारत में आसाम, बंगाल, उड़ीसा और आन्ध्र में इसका उत्पादन करने वाले, सभी छोटे-छोटे किसान हैं, उन्हें लाभप्रद मूल्य तो अलग रहा, आधार मूल्य भी, जिसकी प्रतिवर्ष घोषणा की जाती है, नहीं मिलता है। जूट निगम एक बड़ी असफलता रही है। उनके लिए कच्चे जूट की खरीद के लक्ष्य रखे जाते हैं जिन्हें वे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि उन्हें खरीद के लक्ष्य दिये जाते हैं किन्तु पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती है। उनके पास पर्याप्त क्रय केन्द्र नहीं है, गोदाम नहीं हैं और वह उन सहकारी समितियों को भी भुगतान नहीं करते जिन्हें वह अपने ऐजेंट बनाते हैं। एक ओर तो जूट उत्पादकों का शोषण हो रहा है और दूसरी ओर कुछ मिल मालिकों द्वारा, जो कि मात्र] सट्टेबाज हैं, इस उद्योग का शोषण किया जा रहा है॥ जरुरी नहीं है आप मेरी बात को माने लेकिन कई व्यापार पत्रिकाओं द्वारा आपको स्थिति का पता चल जाएगा कई आर्थिक पत्रकारों, जो इस संबंध में लिखते रहते हैं, ने कहा है कि यह उद्योग कुछ असरवाली लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो अल्प समय में अधिक मुनाफा कमाने हेतु अपने दीर्घावधि हितों तथा व्यापार के नियमों तक की परवाह नहीं करते। कुछ सट्टेबाजों ने इस उद्योग को आघात पहुंचाया है हाल ही में तीन बार इन मिल मालिकों ने भारी मुनाफा कमाया है पहले कोरिया युद्ध के दौरान दूसरी बार पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में जब बंगलादेश की सभी पटसन मिलें बन्द हो गई थी और वह पटसन की वस्तुएं नहीं बना रहीं थी और अब तीसरी बार जबकि तेल संकट के कारण संश्लिष्ट उत्पाद नहीं बन रहे है। पटसन मिल मालिक इस अवसर का लाभ उठा कर अधिकाधिक मुनाफा कमाने की कोशिश में है चाहे विदेशी मंडी में उनकी ख्याति कम क्यों न होती हो उन्हें इसकी परवाह नहीं उसका ध्येय तो अधिकतम मुनाफा कमाना है। यह उद्योग देश की सबसे बड़े आस्ति है, इसे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे विचार में माननीय सदस्य के सन्देह बिल्कुल ठीक है। देश में नौ विधान सभाओं के चुनाव होने वाले है। यह पटसन मिल मालिक काला धन इकट्ठा करने में सिद्धहस्त हैं। यह सब जानते है कि पटसन की वस्तुओं के कम मूल्य के बीजक बनाए जाते हैं और एक बड़े व्यापार गृह को ऐसा करते हुए पकड़ा भी गया जिसने कम मूल्य के अथवा अधिक मूल्य के बीजक बनाकर राजकोष को करोड़ों रूपये की क्षति पहुंचाई। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमने कई बार कहा है यदि आप इस उद्योग को बचाना

चाहते हो और इसे देश की अर्थव्यवस्था की अस्तिके रू में रखना चाहते हो तो सरकार को इन मिलों को अपने अधिकार मे लेना होगा। हम जब भी ऐसी सुझाव देते है तो श्री वेंकटरामन जैसे लोग यह कहते हैं कि हमारे दल ने इस सनध में पहले से ही कुछ निर्धारण कर रखे हैं और यदि ऐसी बात है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना । लेकिन यह लोग इस उद्योग को तबाह कर रहे हैं उन्होंने भारी मुनाफा कमाया है और ऐसे समय मे काफी अरसे बाद सरकार ने डरकर हैसियन पर निर्यात शुल्क 600 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये किया है जिससे उन्हें केवल 20 करोड़ रुपये के राजस्व की आय होगी ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। गत फरवरी से इन लोगों ने जो भारी मुनाफा कमाया है क्यों न उसका एक भाग वह राजकोष में अदा करें। जहां तक मुझे जानकारी है यह भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू किया जा रहा। अधिसूचना की तिथि से इसे लागू किया जाएगा।

अब भी यह निर्यात शुल्क मिल मालिकों की जेब से नहीं जाएगा इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा । निर्यात शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अर्थ यह होगा कि वह इस शुल्क को अपने मुनाफे से देंगे। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री अथवा सरकार में यह कार्यवाही करने का साहस नहीं है ।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि कारपेठ बैंकिंग को क्यों छूट दी गई है जोकि अब 12000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा है क्या ऐसा कुछ मिल मालिकों के पक्ष में किया गया है जिन्होंने कारपेट बकिंग बनाने के लिए कई लूम लगाए है। उनकी शक्तिशाली लाबी है। मैं उन ग्रुपों के नाम ले सकता हूं। हम उन्हें जानते है वह सरकार पर दबाव डालने की स्थिति है। अभी किसी सदस्य ने शक्तिशाली लाबी का उल्लेख किया था जूट लाबी को भी संबद्ध लोग अच्छी तरह जानते है अतः मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान विशिष्ट रूप से किया जाए। जब मूल्यों में कमी होती है तो आप राजसहायता देते है और जब मूल्यों में वृद्धि होगी है तो आप थोड़ा अधिक शुल्क लगा देते हैं। इस उद्योग पर सरकार का मात्र यही नियंत्रण है ।

मुझे बताया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय और एक दो अन्य मंत्रालय जूट निगम को समाप्त करने की योजना बना रहे है बजाय इसके कि वह इस बात की जांच करें कि यह उचित ढंग से क्यों वही कार्य कर रहा और इसे सुदृढ़ करने तथा इसके वसूली के काम में विस्तार करने और इसे समुचित धन देने तथा इसका आधार भूत ढांचा बनाने के कार्य में सहायता करने, ताकि पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में यह लोकप्रिय हो, के बजाय निगम समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। जूट निगम के रिकार्ड से पता चलता है कि यह दर वर्ष बुरी तरह असफल हुआ है और अब इसे समाप्त करने की जो बात चल रही है इसका अर्थ यह होगा कि यह कार्य व्यापार बिल्कुल मिल मालिकों के रहम पर ही छोड़ दिया जाएगा ।

अतः यह उपाय जिसे आप लागू करने जा रहे है बिल्कुल बेतका है। इससे राजकोष को करोड़ों रुपये की आय हो सकती है मैंन यहाँ बैठे बैठे अभी हिसाब लगाया है कि 400 रुपये प्रति टन अतिरिक्त शुल्क लगाने से उन्हें 20 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन 4,98,000 टन अथवा 5 लाख टन प्रति वर्ष के लगभग होगा जिन पर यह शुल्क लगाया जाएगा। शेष उत्पादन पर जसे कि टाटा इत्यादि पर बल नहीं दे रहा क्योंकि टाट इत्यादि स्वदेशी मंडी के लिए हैं अतः उन पर निर्यात शुल्क लगाने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन कारपेट बैंकिंग और हेसियन कपड़े तथा इन जिलों में बनने वाले विशेष किस्म के कपड़ों पर क्यों न यह शुल्क लगाया जाए। संश्लिष्ट वस्तुओं के अभाव के कारण यह लोग फिर से एकाधिकारी बन गए हैं। इसलिए सरकार को साहस से काम लेकर उद्योग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और यह नियंत्रण तीनों अवस्थाओं पर, कच्चे पटसन की काश्त पर, मिलों के अन्दर निर्माण पर और विदेशी मण्डियों में बिक्री पर, होना चाहिए। इस प्रकार के नियंत्रण या निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

इस उद्योग में जो कदाचार व्याप्त है उसे हम सब जानते हैं। मेर पास उन्हें गिनाने का समय नहीं है। आपको जूट उत्पादकों की रक्षा करनी है । आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिलों में उत्पादन के समय घटिया किस्म के तेलों तथा घटिया धागों का प्रयोग न किया जाए और इन सबका निरीक्षण होना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

चाहिए । आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी व्यापार में कम राशि के अथवा अधिक राशि के बीजन बनाने की कुरीति समाप्त हो और यह तभी संभव है जब सरकार इस उद्योग को स्वयं चलाए और उसी दशा में कर्मचारी सरकार को सहयोग देंगे। एक दो मिलों को सरकार को अपने अधिकार में लेना होगा क्योंकि यह मिलें बन्द कर दी गई हैं ।

श्री एन० जी० रंगा(गुंटूर) : क्यों ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि कुछ पैसा नहीं बचा था इसलिए मिलें बन्द करनी पड़ी । उनको लूटा गया और उनके साथ बेइमानी की गई ।

मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस संबंध में विवरण दे कि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा इन मिलों को कितना धन दिया गया है । स्टेट बैंक ने बिना जांच किए केवल मिल मालिक के यह कहने पर कि गोदाम में इतना कच्चा पटसन है उन्हें पैसा दे दिया और बाद में पता चला कि स्टाक था ही नहीं । कुछ मिल मालिकों को सरकार पर इतना दबदबा है कि वह आसानी से इन बातों से छूट जाते हैं कुछ पटसन मिलों पर बड़े व्यापार गृहों का नियंत्रण है । प्रत्येक व्यापार गृह की 2, 3, 4, 5 जूट मिलें हैं और उनकी लाबी दिल्ली में भी है जोकि सरकार का हाथ रोके हुए हैं और सरकार ऐसी कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहती जो उन्हें रुष्ट करे । अतः श्री नीरेन घोष ने जो कहा है वह कोई असाधारण बात नहीं है इस समय जबकि 9 राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव होने वाले हैं श्री वेंकटरामन यह उन्हें नाराज करेंगे तो शायद उन्हें अपेक्षित चन्दा न प्राप्त हो सके और सत्तारुढ़ दल का कोष इससे बुरी तरह प्रभावित होगा ।

अतः इस आदेश को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इससे समस्या तनिक भी हल नहीं होगी मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में इतना संकोच क्यों करते है यह उद्योग जो इतना भारी मुनाफा कमा रहा है उसके एक भाग को राजकोष में क्यों नहीं डालते।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जूट उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु जो जूट निगम स्थापित किया गया है उसके बारे में मैं सावधान करना चाहता हूँ । यदि निगम को नुकसान हो रहा है, मुझे बताया गया है, निगम की पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष भारी क्षति हुई, तो सरकार को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए और उसे कह देना चाहिए कि निगम को समाप्त किया जाएगा कपड़ा उद्योग के संबंध में क्या हुआ । एक लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने हेतु 100 से अधिक मिलें सरकार ने अपने अधिकार में ले ली क्योंकि जब यह मिल प्राइवट उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही थी तो उन्हें क्षति हो रही थी इसलिए सरकार ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया । अब मान लीजिए यदि जूट निगम को समाप्त कर दिया जाता है तो सभी पटसन उत्पादक इन मिल मालिकों के रहम पर होंगे और उनकी दशा दयनीय होगी । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इन करोड़ों लोगों की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि पटसन का न्यूनतम मूल्य बनाए रखा जाए । ऐसा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके ही किया जा सकता है ।

जूट निगम का दोष क्या है जैसाकि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत ने अभी कहा कि निगम को जूट खरीदने के लिए न तो कभी पर्याप्त धन दिया गया और नही उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । कई बार मिल मालिकों ने निगम को पटसन नहीं खरीदने दिया और पटसन की खरीद के संबंध में निगम को कभी एकाधिकार नहीं दिया गया । यदि पटसन मिल मालिकों और निगम के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा हो तो पटसन मिल मालिक अधिक दाम चुका सकते हैं।

वैसी प्रतियोगिता उसमें नहीं है, प्रतिद्विन्द्वता उसमें नहीं है । इसी के साथ-साथ, पटसन निगम को धन न जुटाकर, जब कभी भी उन्हें उपयुक्त लगा सदैव मिल-मालिकों का ही पक्ष लिया गया है ।

अतः, इस बारे में मैं सम्पूर्ण गम्भीरता से बात कर रहा हूं कि कैसी भी परिस्थितियां में पटसन निगम को समाप्त न किया जाए । सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि यह निगम उस संतोषजनक ढंग से कार्य क्यों नहीं कर रहा जैसा कि इसे करना चाहिये । क्या ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि इसको पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया है ? क्या इसका कारण यह है कि क्योंकि कुछ मिल मालिक इसकी कार्यान्विती में थोड़ा अटका रहे हैं । अथवा इसकी यह हालत इस लिए है कि क्योंकि निगम स्वयं स्थिति से निपटने की अपनी आन्तरिक

अकुशलता और अक्षमता के समक्ष झुक गया । उन्हें इस बात का अध्ययन करना और ढंग और उन संसाधनों में सुधार करना चाहिये जिन्हें पटसन निगम को सौंपा जाना है और यह देखना चाहिये कि पटसन निगम का अनुरक्षण वहां पर इस ढंग से करना है जिससे कि वह उत्पादकों को संरक्षण प्रदान कर सके ।

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरी ओर से बोलने वाले दोनों ही सदस्यों ने अप्रत्यक्षतः सभा के समक्ष विचारार्थ आए हुए संकल्प का समर्थन किया है । वे तो केवल यह चाहते थे कि कुछ भारी निर्यात सीमाशुल्क लगाये जाए । वे कोई निर्यात शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध थोड़े ही थे ।

मित्रवर इन्द्रजीत गुप्त ने एक मूद्दा यह उठाया था कि ऐसा क्यों कर है कि कार्पेट-बेकिंग को तो हमने छूट प्रदान कर दी है ? इसका कारण यह है कि आज कार्पेट बेकिंग पर होने वाला मुनाफा निर्यात शुल्क लागू करने की अनुमति नहीं देता .....।

श्री निरेन घोष (डमडम) : आपके मतानुसार यह लाभ कितना है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप मुझपर यह विश्वास कर सकते है कि मेरे आंकड़े बिल्कुल सही होंगे ।

श्री निरेन घोष : मैंने बताया है कि यह 3000 रुपये है ।

श्री आर० वेंकटरामन : यह तो प्रशंसा और सम्मान करना है जो कि मैं भी आपका कर सकता हूं परन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहता । जैसा कि श्री गुप्त ने बताया है नवम्बर, 1979 में कार्पेट-बेकिंग का मूल्य 12,000 रुपये प्रति टन था । फरवरी, 1980 में यह 8,538 रुपये हो गया और मार्च में यह 7,722 रुपये था इसका परिणाम यह है कि अब कार्पेट बेकिंग का उत्पादन मूल्य 7,200 रुपये है और मुनाफा केवल 500 रुपये है ।

श्री निरेन घोष : यह तो है श्री वेंकटरामन महोदय का सहज निर्धारण ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं भाषण के बीच की जाने वाली सभी टिप्पणियों का उत्तर नहीं दे सकता । मेरा निवेदन है कि हैसियन के मामले में तो मैं आंकड़े पेश कर चुका हूं जिसका मुनाफा लगभग 3,000 रुपये है और इसलिए हमने 1000 रुपये का निर्यात शुल्क लगा दिया है. . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : 600 रुपये तो पहले ही था ।

श्री आर० वेंकटरामन : अब तो शुल्क 1000 रुपये है। चाहे यह 600 रुपये से 1000 हो गया हो या 500 रुपये से 1000 रुपये इसका कोई अर्थ नहीं है । आज शुल्क 1000 रुपये है । अतः इसका केवल यही एक कारण है कि क्यों हम कार्पेट-बेकिंग पर निर्यात शुल्क नहीं लगा सके । इसका दूसरा कारण कि हम क्यों कार्पेट बेकिंग पर निर्यात शुल्क नहीं लगा सके यह है कि बंगलादेश के साथ हमारी कडी प्रतियोगिता है। बंगलादेश में तो प्रतियोगी कीमतें हैं और हम मण्डी खो बैठेंगे। हमारी चिन्ता यह है कि कुछ तथा-कथित स्वार्थी लोगों को नुकसान पहुचाने के नाम पर हमें स्वयं देश को ही हानि नहीं पहुचानी चाहिए । हमें नहाने के पाणी के साथ बच्चे को भी नहीं फेंक देना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : "तथाकथित स्वार्थी लोग"

श्री आर० वेंकटरामन : यही तो आपने कहा है । मैंने तो आपकी ही बात दोहराई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : "तथाकथित" तो मैंने कभी कहा ही नहीं । 'तथाकथित' तो आपका जोड़ा हुआ है ।

श्री आर० वेंकटरामन : इस प्रकार के अप्रत्यक्ष आरोप लगाये जा रहे है कि सरकार चंदा अथवा पैसा इकट्ठा कर रही है । यदि ऐसी ही बात है तो फिर उन्हें निर्यात शुल्क क्यों लगाना चाहिये ? उन्हें चाहिये था कि निर्यात शुल्क तो 600 रुपये ही रहने देते और धन अधिक इकट्ठा कर लेते । इस प्रकार आपने अपनी ही बात काट डाली है। इस सच्चाई से कि सरकार वह कुछ करने को आगे आई है जो कि इस उद्योग को अप्रिय है और उसने निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है यह पता चलता है कि उनके लगाए अभियोग या आरोप निराधार हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 54(ङ) दिनांक 18 फरवरी, 1980 का अनुमोदन करती है जिस के द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना की तिथि से हेसियन कपड़े और बोरियों के (कालीन के अन्तर के अतिरिक्त) निर्यात पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढ़कर 1000 रुपये प्रति टन किया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमी के समतुल्य राशि संदत्त करने तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जैसा कि स्वयं प्रस्ताव में बताया गया हैं यह विधेयक सातवें वित्त आयोग की शिफारिसों को जिन्हें कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है लागू करने के लिये लाया गया हैं । संविधान के अनुच्छेद 272 में प्रावधान है कि यदि संसद विधि द्वारा उत्पाद शुल्क की कुल आय की राशि को या टुकड़े टुकड़े के रूप में उसके समान राशि का इस प्रकार प्रावधान करती है कि उन्हें इस प्रकार के कानून में दिए गये नियमों के अनुसार राज्यों को भुगतान कर दिया जाए अथवा उनमें वितरित कर दिया जाए । सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की (i) विद्युत को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर लगे उत्पाद शुल्क का 40 प्रतिशत और (ii) राज्यों को देय विद्युत पर लगे शुल्क से कुल एकत्रित राशि को उनको 1979–84 की अवधि में भुगतान कर दिया जाना चाहिये । छठे आयोग की सिफारिशों के आधार पर गत वर्ष तक जिसे राज्यों को भी दिया जा रहा था, यह उस सभी वस्तुओं पर लगाए गए 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के विरुद्ध है । विद्युत को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर लगे उत्पाद शुल्क के बटवारे से सम्बद्ध आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए एक विधेयक को मई 1979 में संसद ने अधिनियमित किया था । विद्यमान विधेयक विद्युत पर लगे उत्पाद शुल्क के बटवारें के सम्बन्ध में की गई आयोग की सिफारिशों से सम्बद्ध है । प्रथम मार्च, 1978 से 2 पैसे प्रति किलो वाट की दर से विद्युत पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था । 1978–79 में राज्यों को इस शुल्क से हुई कुल आय के 20 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया था । इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद और दक्षिणी क्षेत्र परिषद को मिलाकर विभिन्न मंचों से राज्यों द्वारा अभिव्यक्त किए गये विचारों के प्रकाश में, सरकार ने 1-4-1979 से शुल्क से हुई कुल आय को राज्यों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया । सातवें वित्त आयोग को यह निर्णय सूचित किया गया जिससे कि, 1979–84 की अवधि में राज्यों को हस्तान्तरण की अपनी योजना में आने वाली अड़चनों पर वे ध्यान दे सकें । आयोग ने सरकार के इस कदम से पूर्ण सहमति प्रकट की और जैसा कि ऊपर कहा गया है उत्पाद शुल्क से होने वाली कुल आय की समस्त राशि को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की। तथापि आयोग ने विद्युत उत्पाद शुल्क से हुई कुल आय को राज्यों में किये जाने वाले परस्पर वितरण के लिए विशेषरूप से को प्रतिशत निर्धारित नहीं किया था, परन्तु उन्हें यह बताया कि 1979–84 की अवधि में मिलने वाली ऊर्जा की उपलब्धता से सम्बद्ध सूचना को उन्होंने ध्यान में धर लिया है । विधेयक में प्रस्तुत की गई प्रतिशतों को समान आधार प्रदान किया गया है । 1979–84 की अवधि में विद्युत पर लगे उत्पाद शुल्क से हुई कुल आय के आधार पर किए जाने वाले अनुमानित हस्तान्तरणों की कुल 1145.88 करोड रुपये की राशि का अनुमान किया गया है ।

सभापति महोदय, बहस के समय मैंने यह बात कही थी और मैंने यह बताया था कि सारे शुल्क को हस्तान्तरित किया जा रहा है और यह भी कि यह राशि सातवें वित्त आयोग के अनुसार अन्य हस्तान्तरणों के साथ-साथ 23,000 करोड़ रुपये की होगी ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमी के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री टी० आर० शामन्ना (बंगलोर दक्षिण) : सभापति महोदय, हमारे समक्ष प्रस्तुत वह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

एकत्र की गई उत्पाद-शुल्क की राशि के अनुसार विभिन्न राज्यों के आगामी पांच वर्षों के लिए जो विभाजन किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के किए जाने वाले आवंटन का आधार एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क है ।

श्रीमान, यह मामला हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में औद्योगिक विकास और कृषि विकास कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए इस मामले का मित्र रूप से देखा जाना चाहिए । विवरण में दिखाये गये चार्ट से पता चलता है कि महाराष्ट्र का 13% तथा आन्ध्र प्रदेश का 7½ प्रतिशत आवंटन किया गया। कर्नाटक राज्य को 7 प्रतिशत आवंटन किया गया। निःसन्देह कई ऐसे राज्य है जिनकी बिजली के विकास की कोई सम्भावना नहीं है अथवा किसी अन्य कारण से अविकसित हैं। मुझे कागजात से पता चलता है कि उन्हें बहुत कम आवंटन किया गया है । कई मामलों में यह एक प्रतिशत से कम है। भारत सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिन राज्यों ने विकास करना (जिनमें बिजली के विकास की सम्भावना है) उन्हें पूरे रूप से सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु प्राथमिक अवस्था में उन्हें आवश्यक सहायता पूरे रूप में दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास किया जा सके। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है। भारत सरकार के योजना तथा गैर-योजना कार्यों के लिए राज्य सरकारों को भारी धन दिया है। यह कहते हुए मुझे खेद है। बेशक कई राज्यों के पास फालतू बिजली है फिर भी वे पड़ोसी राज्यों को बिजली देने में संकोचशील है। उदाहरणार्थ कर्नाटक राज्य को बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है जबकि केरल के पास फालतू बिजली है। परन्तु दोनों राज्यों में विवाद के कारण केरल के मुख्य मंत्री कहते है कि जब तक उनके विवाद समाप्त नहीं होते, वह बिजली नहीं देंगे ।

एक माननीय सदस्य : केरल कर्नाटक को भी बिजली सप्लाई करता रहा है ।

श्री टी० आर० शामन्ना : कासर गोड के मामले में तथा रोजगार के पहलू पर विवाद है इसलिए उन्होंने कहा कि वह बिजली नहीं देंगे । जबकि केन्द्रीय सरकार भारी वित्तीय सहायता देती है, तब उनके पास राज्य सरकारों से आग्रह करने का हक है कि वे पड़ोसी राज्यों को बिजली की भारी मात्रा में मदद दें। आपात स्थिति में पिछड़े राज्यों की मदद का केन्द्र को अधिकार होना चाहिए । अच्छा हो यदि आपातकाल के लिए केन्द्र के पास कुछ प्रतिशत धन आरक्षित रहना चाहिए जिसका उपयोग अविकसित राज्यों के लिए किया जा सके ।

श्रीमान्, औद्योगिक विकास तथा खाद्य उत्पादन के कार्य में बिजली की कमी के कारण पिछे रहे हैं। 12 महीने ही बिजली की सप्लाई में कटौति होती है जोकि 20 से 80 प्रतिशत तक रहती है। विभिन्न राज्य में बिजली की कटौति की है, आपको पता लगाना चाहिए कि यहां पर जल-बिजली नहीं हैं वहां पर बिजली उत्पादन के लिए ताप बिजली अथवा कोई और माध्यम अपनाया जाय। अच्छा हो यदि आप कोयले की बचत करके उसका जल बिजली के विफल होने के हालात में उपयोग किया जाये। बिजली की खेती कार्यों के लिए तथा उद्योगों के विकास के लिए आवश्यकता है। इसलिए बिजली के उत्पादन को परम अग्रता दी जानी चाहिए। यदि बिजली में कटौति होती है तो सरकार को करों के रूप में मिलने वाली राशि कमी होती है। बिजली कम होगी तो उत्पादन कम होगा जब, उत्पादन कम होगा तो कर भी कम होंगे। सरकार को बहुत हानि होगी। इसलिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि बिजली की कटौति के कारण उद्योगों को हानि न उठानी पड़े। बिजली की कमी के कारण खाद्य उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में भी कार्यवाही की जानी चाहिए कि बिजली की कमी के कारण हमारे उद्योगों और कृषि की प्रगति में हानि न पहुंचे। बिजली के उत्पादन के बारे में हमारी नीति न पश्चिमी है और न गांधीवादी। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि उन्हें कुछ बिजली रिजर्व रखनी चाहिए जिसे आपातकाल में आवश्यकता वाले राज्यों में वितरित किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को उन राज्यों को जिन्हें बिजली की कमी है बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।

मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले का गहराई से अध्ययन करेगी और हमारे बिजली के संसाधनों का देश के हित में विकास किया जा सके।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक, जिसका उद्देश्य देश में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करना है, का स्वागत करता हूं । इसे 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाया गया है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गये अतिरिक्त अनुदान विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होंगे ।

हमारे पास मुख्य रूप से तापबिजली है । पन बिजली सीमित है तथा वैज्ञानिकों का कहना है कि अण्विक शक्ति में बहुत सी बाधाएं है। बिजली का मुख्य स्रोत ताप-बिजली केन्द्र है । 1977 में 90.9 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० बिजली का उत्पादन हुआ । 1978 में उत्पादन 100.9 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० बिजली का उत्पादन हुआ। इसका अर्थ है बिजली के उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई। परन्तु यह वृद्धि 1978 में बिजली में 27.3% वृद्धि के कारण हुई । स्पष्ट ही यह प्रगति असंतोषजनक है। थर्मल बिजली के उत्पादन में केवल 1.5% वृद्धि हुई है। इसके अलावा हमें अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे रख-रखाव तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली असंतोषजनक सेवाएं। विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड शिकायत करते हैं कि यह इसलिए होता है कि नये संयंत्र तुरन्त चालू नहीं हो पाते । आगे उनका कहना है कि काफी बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। आम तौर पर इन विद्युत केन्द्रों को कोयला कम मिलता है । तीसरा कारण है रख रखाव ठीक रूप से न हो पाना। चौथा कारण है बढते हुई बिजली की हानियां। हम 32–35% बिजली की प्रेषण के दौरान खो देते है। मैंने बिजली इंजीनियरों से बात की है, उनका कहना है कि यदि तकनीकी उपकरणों को सुधारा जाता है तो हानियां काफी कम हो सकती है, परन्तु ऐसा धन के आभाव के कारण नहीं किया जा सकता। बिजली की कमी के कारण उद्योग क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। किसानों को बिजली केवल रात को मिलती है। अतः उन्हें भी हानि उठानी पड़ती है। यह विचित्र बात है कि हर कोई दिन में कार्य करता है जबकि किसानों को रात में कार्य करना पड़ता है। उन्हें बिजली के सहसा बन्द हो जाने के कारण और भी कष्ट उठाना पड़ता है। जहां तक उद्योगों का संबन्ध है कुछ क्षेत्रों में कटौति लगभग 60 प्रतिशत हो जाती। इस प्रकार उद्योग के पूंजी संसाधनों को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है । मुझे खुशी है कि राज्य बिजली बोर्डों के संसाधन बढाने के लिए यह विधेयक लाया गया है । परन्तु मेरा मंत्री महोदय से सुझाव है कि उनके द्वारा रखा गया प्रस्ताव अपर्याप्त है। उन्हें बिजली उद्योग के विस्तार के लिए अधिक संसाधन जुटाने होंगे ताकि इससे उद्योग तथा कृषि की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मात्र इस विधेयक को लाकर संतुष्ट नहीं हो जायेंगे अपितु इस बारे में और उपाय भी करेंगे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बिजली के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भाग तथा बिजली के समान वितरण की व्यवस्था करना है । परन्तु समस्या यह है कि उत्पन्न हुई बिजली की पूरी क्षमता का समान वितरण नहीं हो पाता । वास्तव में मेरे पूर्वी क्षेत्र में जोकि औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित है और उसके खेती कार्यों में भी बिजली का काफी उपयोग होने लगा है। बिजली के उत्पादन के मामले में हमारे साथ भेदभाव बरता गया है। यदि आप दूसरे क्षेत्रों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो आपको अंतर नजर आ जायेगा। 1-7-78 को क्षेत्र-वार कुल प्रस्थापित क्षमता इस प्रकार है : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 6595 के० डब्ल्यू एच०, दक्षिणी क्षेत्र में 6100 के० डब्ल्यू० एच०, पश्चिमी क्षेत्र में 5993 के० डब्ल्यू० एच० जबकि पूर्वी क्षेत्र में यह 4395 के० डब्ल्यू० एच० है। परन्तु देश में उद्योगों का वितरण उसी अनुपात में नहीं है। इसके अनुसार हमें अन्य क्षेत्रों से कम उपलब्धि होगी। पूर्वी क्षेत्र में बिजली की अत्यन्त कमी के कारण मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करें। हमारी मांग तो दढ़ रही है परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ रहा। इस बारे में यह निवेदन करते समय कि नये बिजलीके उत्पादन केन्द्र पूर्वी क्षेत्र में विशेषतः पश्चिम बंगाल में खोले जायें, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि केवल पन बिजली केन्द्रों पर ही निर्भर न कर दोनों स्रोतों का उपयोग करें, भले ही जल-स्रोत बहुत कम है ।

इसके अलावा मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जोकि अधिक गम्भीर है। पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में छपा है कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली पश्चिम बंगाल के उत्पादन तथा वितरण कार्य को हाथ में लेने की स्वीकृति व्यक्त की है। मैं यह नहीं जानती कि क्या यह सच है ? पहली बात तो यह है कि यह राज्य का विषय है। इस प्रकार का वक्तव्य देना आपका काम नहीं है। दूसरे यदि ये समझते हैं कि राज्यों को केन्द्रीय शासन के अधीन लाने से हम सभी बुराईयों से मुक्त हों जायेंगे तो वे पहले अपने ही कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाये और केन्द्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के अधीन चल रही दामोदर घाटी परियोजना का विशेष ध्यान रखें। इन्हें दामोदर घाटी निगम की सभी समस्याओं की जांच करनी चाहिये क्योंकि यदि हम दामोदर घाटी परियोजना की अच्छी देखरेख करें तो समूचे पूर्वी क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। उनके हस्तक्षेप से यदि पश्चिम बंगाल के विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो सकती है तो उन्हें अवश्य ही

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हस्तक्षेप करना चाहिये। मैं जानती हूं कि हमारी राज्य सरकार को विद्युत उत्पादन के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ेगा केन्द्र की मुख्य जिम्मेवारी उपेक्षित पूर्वी क्षेत्र की ओर ध्यान देने तथा अधिक उत्पादन संयंत्र स्वीकृत करने की है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : सब से पहले मैं संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक 1980 के बारे में अपने सुझाव दूंगा। भारत की संचित निधि में से कुछ राशि निकलने का प्रावधान किया गया है। सातव वित्त आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि वित्त निगम वित्तीय आवंटन के बारे अनेक सिफारिशें करते आये हैं। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं और अपनी सुविधा के अनुसार ही सिफारिशों को स्वीकार करती आयी है। मंत्री महोदय स्वयं भी बिजली बोर्डों का कार्यकरण तथा शर्तों सम्बन्धी एक समिति के सभापति रहे हैं। भारत में कुल 18 बोर्डों में से पांच को छोड़ कर सभी बोर्डों में घाटा हो रहा है। बिजली बोर्डों के घाटों को राज्य सरकारों को पूरा करना पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि शुरू शुरू में केन्द्रीय सरकार ने तापीय अथवा पनबिजली स्टेशन स्थापित करने के लिये धन लगाया था। लेकिन जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, केवल बोर्ड तथा राज्य सरकारें ही इसके लिये जिम्मेवार हैं। सातवां वित्त आयोग इस बारे एकमत नहीं था। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस प्रकार कहा था :—

"मैं समझता हूं कि बिजली के लिये लगाये गये धन को ध्यान में रखत हुये लाभान्वीत होने वालों से अंशदान मांगना औचित्यपूर्ण होगा। अतः मैं बिजली उत्पादन पर दो पैसे प्रति किलोवाट प्रतिघंटा शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूं"।

उनका दावा है कि उन्होंने कुछ अंशदान दिया है। वे पूंजी निवेश के लाभों से कुछ अंशदान चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों को कोई लाभ नहीं हुआ है। उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार बिजली बोर्ड अथवा राज्य सरकार से कुछ प्राप्त करने की आशा कैसे रख सकती है। लेकिन साथ साथ लोगों के कंधों के उपर इस अतिरिक्त शुल्क का भार डाला गया है। अतः इसे लोगों पर लगाया जा रहा है। स्थानीय बोर्ड अथवा बिजली बोर्ड लोगों से अनावश्यक रूप से उत्पादन शुल्क एकत्र करना चाहते हैं।

वित्त आयोग के सदस्य श्री एच० एन० राय ने कहा था कि वित्त आयोग में कोई एकमत नहीं था :—

"हमारी सूचना में यह बात आयी है कि अधिकांश राज्यों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार को उपभोक्ताओं पर डालने के लिये कदम उठाये हैं। विद्युत शुल्क (जो राज्य सरकारों को मिलता है) को हटाने का कोई औचित्य हो या नहीं, कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार को बिजली उपक्रमों में पूंजी निवेश से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को हटाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।"

वे राज्य सरकारें जिनकी दशा बिजली उत्पादन के मामले बहुत खराब है, इससे वंचित होंगी और जिन राज्यों की स्थिति बिजली उत्पादन के मामले में अच्छी है, उन्हें इससे लाभ पहुंचेगा। दूसरे, राज्य सरकारों को इसे एकत्र करने की अनुमति दी जाये। मेरी समझ में यह नही आता कि राज्य सरकार रास्ते में क्यों आये। संविधान में समाविष्ट राज्य सूची की मद संख्या 53 के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड अथवा राज्य सरकारें स्वयं लोगों से राशि एकत्र कर सकती हैं और चाहे तो उन पर कर भी लगा सकती हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार धन इकठ्ठा करती है और राज्यों को बांटती है। मुझे कहना चाहियें कि केन्द्रीय सरकार का यह कार्य अनावश्यक है।

समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां दिये गये वक्तव्य के अनुसार और सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कहा गया है कि राज्यों को आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्यों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय इस पर रोशनी डालें। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1979–80 में 7.82 प्रतिशत से शुरु किया जाता है और 1983 में 8.58 प्रतिशत पर समाप्त होता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र 13.26 प्रतिशत से शुरू करके 14.48 प्रतिशत पर समाप्त करता है। तमिलनाडु 7.25 प्रतिशत से शुरु करके 6.38 प्रतिशत पर समाप्त करता है। इन सब बातों के लिये क्या मापदंड है? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे हमें जानकारी देंगे। यद्यपि यह इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं, फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस राशि, जो राज्यों को दी जा रही है, को ऋण के रुप में किसानों को दिया जाये ताकि कम से कम समाज का एक वर्ग, अर्थात कृषक, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, तो लाभान्वित हो सके।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे बहुत सी बातें कहनी है। समय कम होने के कारण मैं अपनी बात संक्षेप से ही कहूंगा। श्रीमती गीता मुखर्जी ने मेरा काम सरल कर दिया है। सारे पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी है। बिजली उत्पादन में कमी हुई है। पूर्वी क्षेत्र ही नहीं बल्कि सारे देश

[श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती]

में बिजली की कमी है। इसका कारण उचित आयोजन का अभाव है । कांग्रेस के 30 वर्ष तथा जनता के 2½ वर्ष के शासन के दौरान भी हमारे आयोजक तथा हमारी सरकार बिजली उत्पादन के लिए आधार तैयार नहीं कर सकी । पश्चिमी बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है । मैं सरकार से अपिल करुंगा कि इस दिशा में उचित कदम उठाये जायें और राज्य सरकारों को राशि उपलब्ध की जाये यद्यपि यह राज्य सरकार का काम है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की शक्तियों पर अतिक्रमण किया है और अधिकांश राज्य अब वित्तीय संसाधनों की मांग कर रहे हैं क्योंकि आय के अधिकांश स्रोतों का उपयोग केन्द्रीय सरकार करती है । राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन और राज्य में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि पूल विभाजन प्रणाली में परिवर्तन किया जाये और केन्द्र द्वारा राज्यों को अधिक राशि उपलब्ध की जाये । मैं अपने राज्य के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि साधनों की कमी तथा केन्द्रीय सरकार के हिचकिचाहट वाले रवैये के कारण वे अपने कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते। अतः इस विधेयक पर चर्चा करते समय मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार के शेयर में वृद्धि होनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकार चलाने और योजना को सफल बनाने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज पावर की क्या हालत है? राजस्थान में 100 परसेंट पावर कट है । हमारे राजस्थान की हालत यह हो रही है कि पावर कट के कारण 360 इंडस्ट्रीज आज बन्द हैं और उनके अन्दर लगे हुए 4 लाख मजदूरों का ले आफ है, और न प्रोडक्शन हो रहा है । राजस्थान में कोटा में धर्मल पावर स्टेशन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के सामने हम लोग कई बार गये और कहा कि हमको रुपया मिलना चाहिये । हमारा कोई पावर स्टेशन चम्बल एरिया का ऐसा नहीं है जो पूरी क्षमता पर चल रहा हो । कोटा में जो हमारा एटमिक पावर स्टेशन बना हुआ है जिसकी क्षमता 200 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, वह मुश्किल से 20 प्रतिशत बिजली आज तक दे सका है । और साल में 69 डेज केवल काम करता है। उसका एवरेज 200 मेगावाट है कोटा थर्मल पावर स्टेशन का। हम अपने यहां प्लाना में एक धर्मल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं, जहां कि कोयला है। हमने योजना विभाग से उसके लिये मांग की है और आज मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के लिये जो धनराशि एलाट की जा रही है वह केवल 3.97, 3.62, 3.55 और 3.46 है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रीजन्स हैं इसके पीछे?

सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की है कि राजस्थान बिजली के मामले में पिछड़ा हुआ है, वहा पर कोई बिजली स्टेशन नहीं है। हम धर्मल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं। उसके लिये इस तरह से कम रुपया रखा गया है, क्या आप रीजनल इम्बैलेन्स करना चाहते हैं? क्या राजस्थान बिछड़ा हुआ ही रहेगा? एक तरफ तो कहते हैं कि पावर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये और सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने इसका क्या क्राइटेरिया रखा है । आप आज हमारे सामने यह बिल लाकर इसे एप्रूव कराना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं । इसमें विभिन्न राज्यों को बिजली के लिये कुल आवंटन शामिल नहीं है । विधेयक का उद्देश्य दो पैसे प्रति किलोवाट की दर से एकत्र उत्पाद शुल्क की राशि को अनुपात से राज्यों के बीच बांटना है । अतः यदि कोई सदस्य यह कहते हैं कि उनके राज्यों को विधेयक के अन्तर्गत किये जाने वाला आवंटन पर्याप्त नही तो इस बारे में मेरा कहना यही है कि इस विधेयक का उद्देश्य हर राज्य को बिजली के लिये कुल आवंटन निश्चित करना नहीं है । कुल आवंटन योजना आयोग करता है और योजना आयोग विभिन्न राज्यों की जरुरतों का ध्यान रखेगा ।

अब मैं अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर आऊंगा । श्री शमन्नाने कहा कि केन्द्र को सारी राशि का आवंटन नहीं करना चाहिये । इसे राशि के कुछ भाग को अपनी इच्छानुसार बांटे जाने के लिए अपने पास रखना चाहिये । शायद केन्द्र ऐसा नहीं कर सकता। इस शुल्क के लगाये जाने के समय मैं दूसरे पक्ष में था और मैंने कहा था कि यह शुल्क राज्यों का है और यह सारे का सारा राज्यों को

जाना चाहिए। इस मामले को विभिन्न राज्यों के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा अन्य मंचों पर भी उठाया गया और भारत सरकार ने इस सिद्धान्त को अपनाया है कि सारी की सारी राशि उन्हें आवंटित की जायेगी। अतः इसे अपनी इच्छा के अनुसार बांटने के लिये नहीं रखा जा सकता।

श्रीमती मुखर्जी ने पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के मामले में विषमता का प्रश्न उठाया है। इस मामले को भी उन्हें योजना आयोग के साथ उठाना चाहिये और देखना चाहिये कि क्षेत्र के लिये पर्याप्त प्रावधान किया जाये।

श्री निरेन घोष : योजना आयोग ने भारत में बहुत बखेड़ा फैलाया है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने आपको जवाब देना बंद कर दिया है। दूसरा प्रश्न जो श्री दंडपाणि ने उठाया है, यह है कि केन्द्रीय सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों को अधिनिर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है और हम साधारणतः इसका उल्लंघन नहीं करते। यह एक अधिनिर्णय है।

इन्होंने सब से महत्वपूर्ण बात यह कही कि किन कारणों से कुछ राज्यों में 1979-80 के आंकड़े 1983-84 में बढ़ गये जबकि अन्य राज्यों के 1979-80 के आंकड़े भिन्न थे और 1983-84 में ये आंकड़े घट जायेंगे। राशि का वितरण हर राज्य में प्रतिवर्ष उपलब्ध बिजली के आधार पर विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार किया जाता है। दुर्भाग्यवश तमिलनाडु में, जहां के माननीय सदस्य निवासी है; अन्य राज्यों की तुलना में बिजली उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। अतः इसका अनुपात कम हो जायेगा। यह राशि इस अवधि के दौरान हर राज्य द्वारा पैदा बिजली की मात्रा के आधार पर वितरित की जाती है। आन्ध्र प्रदेश में यह 7.82 से बढ़कर 8.58 हो जायेगी क्योंकि 1983-84 में आन्ध्र प्रदेश में बिजली का उत्पादन 1979-80 से अधिक होगा। इस राशि को प्रत्येक राज्य में अनुपात के अनुसार उपलब्ध बिजली के आधार वितरित किया जाता है। योजना आयोग तथा ऊर्जा मंत्रालय भार सर्वेक्षण तथा बिजली उत्पादन सर्वेक्षण करते हैं जिसके आधार पर ऐसे वितरण का निर्णय किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधिका विस्तार है विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगामी के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान् जी, हम पक्ष में (आई) नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसे गलती से कांग्रेस (आई) का समर्थन समझा जायेगा।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : आप इस भावना से मुक्ति नहीं पा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है कि आप इसे स्वीकार न करें, किन्तु भारत के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है।

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक पारित किया जाये"।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : श्रीमान् जी, इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन देने के साथ साथ मुझे केवल एक सुझाव देना है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। अन्ततः हम लगभग 1,150 करोड़ रुपये की अदायगी करने जा रहे है। जब इस उपकर को लगाया गया तो विशिष्ट रूप से यह बात समझ में लायी गयी थी कि यह उपकर किसी विशेष अवधि के लिये लगाया जायेगा और इसलिये हम इसे राज्य सरकार को अदा करने जा रहे हैं।

हम सब जानते हैं कि ग्रामीण विकास में सब से बड़ी त्रुटि संभवतया कमी तथा हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में बहुत धीमी प्रगति का होना है। अतः मेरा सुझाव है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को इस राशि की अदायगी करते समय एक ऐसे शर्त लगायी जानी चाहिये कि इस अदा की गयी राशि में से एक निश्चित राशि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर खर्च की जाये, जिस के द्वारा हमारे गांवों में जो अधिकांशतया बिजली से वंचित हैं, अधिक तेजी से बिजली पहुंचाई जा सके।

श्री पी० के० थुंगोन (अरुणाचल पश्चिम) : श्रीमान् जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में यह कहना चाहूंगा कि हमारी शासन पद्धति एकात्मक के साथ साथ संघात्मक भी है। मैंने विरोधी पक्ष के मित्रों, विशेषकर कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), की बात सुनी है, हालांकि उनकी बात अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों पर आधारित थीं। उनकी मांग यह रही है कि राज्यों को, जिन्होंने अधिक बिजली के एकक लगाये हैं, उनका उचित हिस्सा दिया जाये, जिसका अर्थ यह है कि यह हिस्सा अधिक एवं बढा हुआ हो। श्रीमान् जी, जैसा कि मैंने बताया है, इस महान देश में हमें यह बात समझनी होगी कि कुछ भाई अधिक कमाते हैं तथा कुछ भाई कम कमाते हैं, फिर भी हम एक परिवार में हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि पर्याप्त संसाधानों के होते हुए भी आसाम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों तथा अन्य पिछड़े हुये तथा विशेष वर्ग के राज्यों में निवेश के लिये धन को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है संसाधनों के उपयोग के लिये हमें धन की आवश्यकता है। इसके साथ ही यदि हम केन्द्र को समुचित शक्तियां तथा अधिक धन के लिये केन्द्र को उचित सुविधायें प्रदान न करें, तो राष्ट्र के हित में इस निवेश के लिये धन कहां से मिलेगा? अतः मैं इस तथ्य को देखते हुए इस विधयक का पूर्ण समर्थन करता हूं कि अरुणचल प्रदेश, आसाम, मेघालय जैसे पिछड़े राज्यों तथा अन्य पर्वतीय राज्यों में जल विद्युत की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। हमें एक अर्थपूर्ण ढंग से अभी इनका उपयोग करना है और ये हमारे राष्ट्र की बड़ी मूल्यवान परिसम्पत्तियां है जिनका उपयोग करना अभी शेष है।

श्रीमान् जी, समय के अभाव के कारण इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता और मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी, मैं इस विधेयक के मिले सर्वसम्मत समर्थन के लिये सभा का कृतज्ञ हूं। मैं विभिन्न राज्यों के सदस्यों पर इस बात के लिये बल देना चाहूंगा कि जो कुछ भी उनका प्रभाव अपनी राज्य सरकारों पर हो, उसका उपयोग करके उन्हे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि बिजली उत्पादन पर विशेष बल दिया जाये। इस समय हमारी अर्थ व्यवस्था की सब से बड़ी कमजोरी बिजली उत्पादन में कमी है और इससे असंख्य समस्यायें पैदा हो गई हैं। वास्तव में बिजली के उत्पादन में कमी हो जाने से हमारे औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। निस्संदेह, कुछ सीमा तक इस दृष्टि से मानसून द्वारा हमारी यह समस्या और विकट हुई है कि जल विद्युत का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, किन्तु इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहना चाहिये कि वह जल विद्युत तथा तापीय विद्युत में संतुलन प्राप्त कर ले ताकि यदि इन में से एक विफल हो जाये तो उत्पादन के किसी एक स्तर को बनाये रखने के लिये यथासम्भव अधिक से अधिक दूसरी को उपयोग में लाया जा सके। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं और मैं समर्थन के लिये सभा का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

डाक-तार कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में वक्तव्य

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : सरकार ने डाक-तार विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान करने का निश्चय किया है। स्टाफ ने उत्पादकता से बोनस को जोड़ने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इसलिए उनके प्रति सद्भावना के रूप में वर्ष 1979-80 में उन्हें तदर्थ आधार पर 15 दिन के पारिश्रमिक की अदायगी की जाएगी। डाक-तार और टेलीफोन शाखाओं में उत्पादकता का निश्चय करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसे 1980-81 से आगे के वर्षों में भुगतानों के लिए लागू किया जाएगा।

इस स्कीम में डाक-तार विभाग के नियमित कर्मचारियों, जिनमें डाक-तार बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं, और संचार मंत्रालय के विदेश संचार सेवा और बेतार मानीटरिंग संगठन के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। जो विभागीय कर्मचारी अधिकतम 1600 रुपये मासिक पारिश्रमिक पाते हैं वे इसके हकदार होंगे। पारिश्रमिक में वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता शामिल माना जाएगा। जो कर्मचारी 750 रुपये से अधिक, किंतु 1600 रुपये से अधिक नहीं, पारिश्रमिक पाते हैं उनके लिए 750 रुपये के पारिश्रमिक पर बोनस दिया जाएगा।

उन आकस्मिक मजदूरों को भी जिन्होंने तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है उन्हें विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के समान ही अनुकम्पा (एक्सग्रेशिया) भुगतान किया जाएगा। इसके बारे में भुगतान यह मान कर किया जायगा कि इनका मासिक पारिश्रमिक 150 रुपये है। इनको भी 1979-80 के वर्ष में सद्भावना के तौर पर 15 दिनों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने विभागेतर (ई० डी०) कर्मचारियों को भी उत्पादकता से जुड़ा अनुकम्पा (एक्सग्रेशिया) भुगतान करने का निश्चय किया है। इन्हें यह मानकर भुगतान किया जायेगा कि ये एक मुश्त 75 रुपये मासिक पारिश्रमिक पाते हैं। वर्ष 1979-80 में इन्हें भी सद्भावना के तौर पर 15 दिनों के पारिश्रमिक की तदर्थ अदायगी की जायेगी।

1979-80 वर्ष में इस मद में कुल व्यय लगभग 13.60 करोड़ रुपये होगा। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

सरकार की पूरी आशा है कि उत्पादकता से जुड़े बोनस देने के फलस्वरूप कर्मचारियों को ज्यादा काम करने और सेवा की किस्म में सुधार लाने के रूप में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रेरणा मिलेगी। स्टाफ के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के इस निश्चय पर सहमति प्रकट की है और इसका स्वागत किया है।

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कोई चर्चा न की जाये।

श्री निरेन घोष : मुझे प्रसन्नता है कि कर्मचारियों को कुछ लाभ हुआ है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादकता से सम्बद्ध करके किस प्रकार आदरणीय मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रवक्ता बन गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डाक-तार और रेल कर्मचारी पहले ही इसका स्वागत कर चुके हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह उत्पादकता चाहते हैं। हमारी सब से अधिक उत्पादन करने वाली टीम होगी, उस जैसी पहले आपने कभी नहीं देखी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ समय के लिये डाक-तार कर्मचारी के रूप में काम किया है और मैं जब इस महान सभा का संचालन कर रहा हूं, तो हमारे संचार मंत्री श्री स्टीफन ने बोनस की घोषणा कर दी है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

प्रो० मधू दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि जब डाक-तार विभाग संबंधी अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाये, तो आप पीठासीन हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस के बारे में प्रसन्न हूं। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं।

———

पेश किये गये विधेयक

अवैध सम्पत्ति अर्जन निवारण विधेयक

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अवैध रूप से सम्पत्ति के अर्जन का निवारण और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अवैध रूप से सम्पत्ति के अर्जन का निवारण और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

दयाभूत जीवन अंत विधेयक

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन व्यक्तियों का जो पूर्णतया अशक्त और शैय्याग्रस्त हो चुके हों या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, दयाभूत जीवन अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन व्यक्तियों का जो पूर्णतया अशक्त और शैय्याग्रस्त हो चुके हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, दयाभूत जीवन अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 102 इत्यादि का संशोधन

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० के० महालगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 और 27 का संशोधन)

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जो० एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानोंका (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सूरज भान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा लघु कृषकों और कृषि कर्मकारो की दुर्घटना जन्य क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकार द्वारा लघु कृषकों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटनाजन्य क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

दल बदल निवारण विधेयक

श्री राम जेठमलाणी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजनैतिक दल बदल की बुराई रोकने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनैतिक दल बदल की बुराई रोकने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राम जेठमलाणी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 19 और 41 का संशोधन)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनच्छद 311 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि श्री चित्त बसु विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखें हमें इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय नियत करना होगा । मेरे विचार में दो घंटे का समय पर्याप्त होगा ।

माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री चित बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए मैं उन मुख्य उद्देश्यों को बताना चाहता हूं जिनके कारण मैंने यह विधेयक पेश किया है । इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों जिनकी संख्या आज लगभग 70 लाख है, वे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है । उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि आज जब हम केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारो की सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप पीठासन हैं, क्योंकि आपको उनकी समस्याओं और उनके आन्दोलनों की काफी जानकारी है । इस विधेयक को प्रस्तुत करने का दूसरा उद्देश्य संविधान से उन धब्बों को हटाना है जोकि केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियो को सहज न्याय के अधिकार से वंचित करते हैं मेरा उद्देश्य उन अड़चनों को भी दूर करना है जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के उचित कार्मिक संघ आन्दोलनों में भाग लेने में बाधक बनती हैं । संविधान के एक विशिष्ट उपलब्ध के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी उचित, वैध तथा लोकतांत्रिक कार्मिक संघ के आन्दोलनों में भाग नहीं ले सकते ।

मैं इस उद्देश्य को संविधान के अनुच्छेद 311 के परन्तुक 2(ग) को हटाकर पूरा करना चाहता हूं । मैंने अनुच्छेद 311 के इस विशिष्ट परन्तुक को क्यों चुना है पहले मैं यह बताना चाहता हूं । वस्तुतः समूचा अनुच्छेद 311 ही इन कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना करता है । यह उन्हें सहज न्याय से वंचित करता है । कर्मचारियों को हमेशा यह भय रहता है कि कार्मिक संघ आंदोलन में भाग लेने पर कहीं उन्हें नौकरी से बर्खास्त न कर दिया जाए । यह परन्तुक हमारे देश के संविधान, जिससे हमें मूल अधिकार दिए हैं, संघ बनाने का अधिकार दिया है और भाषण देने का अधिकार दिया है, पर कलंक के समान है । इसलिए इसे शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाए ।

अब प्रश्न यह है कि जब समूचे अनुच्छेद 311 का ही प्रयोग केन्द्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध किया जा सकता है तो मैंने इस विशिष्ट परन्तुक अर्थात् (2)(ग) को ही क्यों चुना है । इसका मुख्य कारण यह है कि यह परन्तुक सबसे अधिक खतरनाक है इसलिए सबसे पहले इसे हटाया जाए । लेकिन मेरा प्रयास केवल परन्तुक (2)(ग) के लोप से हल नहीं होगा । मेरा उद्देश्य संविधान को लोकतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना और संविधान के कुछ कलंको को दूर करना है, विशेषकर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है । समूचे अनुच्छेद 311 में परन्तुक (2)(ग) सबसे खतरनाक है । इसीलिए मेरा पहला प्रहार इस विशिष्ट परन्तुक को लोप कराने का है और इसलिए मैंने इस विशेष परन्तुक को चुना है ।

मैं इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हूं कि अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 कुछ हद तक परस्पर संबंधित है । अनुच्छेद 310 को पृष्ठभूमि जाने बिना हम अनुच्छेद 311 पर विचार नहीं कर सकते । अनुच्छद 310 भारत सरकार

अधिनियम 1935, की प्रतिकृति है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1935 का यह अधिनियम अंग्रेजी परिपाटी के आधार पर बना था जिसे प्राय: "रायल प्लेजर" के सिद्धांत के रूप में समझा जाता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के कुछ उपबंध यथावत हमारे संविधान, अर्थात् अनुच्छेद 310 में रख दिए गए हैं। विरासत में जो यह उपनिवेशवादी रवैया हमारे संविधान के कुछ उपबंधों में अपनाया गया है वह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है।

इस समय मैं अनुच्छेद 310 के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि "रायल प्लेजर" के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी कर्मचारी राजा अथवा रानी के सबसे निष्ठावान कर्मचारी हैं। दूसरे सम्राट या सम्राज्ञी और सरकारी कर्मचारियों का आपस में कोई करार नहीं हो सकता। तीसरे, सरकारी कर्मचारियों को रोजगार सम्राट या साम्राज्ञी की खुशी पर निर्भर है। इसलिए यह नौकर-मालिक का संबंध, जैसाकि अंग्रेजी-उपनिवेशवादी शासन में था, हमारे लोकतांत्रिक संविधान में भी ठूंस दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन में चाहे जो स्थिति हो वह स्थिति हमारे देश में नहीं है। 'रायल प्लेजर' की धारणा लोकतंत्र के विपरीत है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी भी हमारे देश के नागरिक हैं। अतः उनकी सेवाएं राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। केन्द्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के प्रति इस रवैये की मैं भर्त्सना करता हूं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुच्छेद 311 कुछ हद तक "रायल प्लेजर" के इस सिद्धांत पर नियंत्रण करता है। उस हद तक तो ठीक है। मैं अनुच्छेद 311 (एक) (दो) का उल्लेख करता हूं।

"311 (1) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य के अधीन असैनिक पद धारण करता है वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा अथवा पद से हटाया नहीं जाएगा।

(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो।"

यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 310 "राय प्लेजर" के सिद्धान्त पर एक किस्म का नियंत्रण है और नियंत्रण यह है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों के स्तर से कमस्तर के प्राधिकारी द्वारा किसी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। दूसरे अवरोध यह है कि उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए, उसे आरोप पत्र दिया जाना चाहिए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा सुनने का मौका दिया जाना चाहिए।

दिये जाने वाले दण्ड पर एक और सीमा है कि यदि यह व्यवस्था हो कि दण्ड के बारे में सुनवाई का एक और अवसर दिया जाये। दुर्भाग्य से 42 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सुनवाई के दूसरे अवसर को समाप्त कर दिया गया है।

परन्तु अनुच्छेद 311 का अत्यन्त अलोकतंत्रीय पहलू यह है कि इसमें कुछ हालात में जांच और सुनवाई का अवसर नहीं मिलता। उनका उल्लेख 2 (क), (ख) और (ग) में है, जिसमें से, शुरू में ही मैं परन्तुक (ग) को निकालना चाहता हूं। परन्तुक (क) से (2) क्या निहित है?

परन्तु यह खण्ड वहां लागू न होगा :

"जब कोई व्यक्ति ऐसे आधार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिस के लिए दंडदोषारोप पर वह सिद्ध दोष हुआ है।"

मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूँ। यहां सुनवाई का एक अवसर है। न्यायालय उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दे सकता है। इसमें न्यायिक अवधारणा का प्रश्न है। परन्तु उपबन्ध (ख) में निहित है:

"जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, पर युक्तियुक्त रूप से, व्यवहार्य नहीं है।"

इसका अर्थ यह है कि यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवहार्य रूप से जांच करना संभव नहीं है। इसका निर्धारण कौन करेगा कि क्या सुनवाई अथवा जांच करने का व्यवहार्य अवसर है अथवा नहीं? यह कोई भिन्न एजेंसी नहीं है जोकि सका निर्धारण करेगी। निःसंदेह यह व्यवस्था है कि इसे लेखबद्ध किया जाये कि किन व्यवहार्य कारणों से सुनवाई अथवा

[श्री चित्त बसु]

जांच का अवसर दिया जाना व्यवहार्य नहीं है। कारण बताये अथवा लेख बद्ध किये जायेंगे। परन्तु यदि यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या उस अधिकार का युक्तियुक्त उपयोग किया गया है अथवा मनमाने ढंग से किया गया है अथवा पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया है तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा ? इससे स्वाभाविक न्यायिक सिद्धान्तों का हनन होता है। उसी अधिकारी को अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए व्यवहारिक अवसर दिये जा चुके है? अनुच्छेद 311 (3) में उल्लेख है :

"यदि प्रश्न पैदा होता है कि क्या खण्ड (2) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति प्राप्त अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

इसका अर्थ है कि जिस प्राधिकारी ने उसे सुनवाई के अवसर से वंचित किया है उसीको ऐसा अवसर न दिये जाने से मना करने के औचित्य को सिद्ध करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यह अलोकतंत्रीय नहीं है। यह स्वेच्छाचारिता है। इसके द्वारा अधिकारीतंत्र को अधिक शक्ति दी गई है अर्थात सेवा में रत ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें वे नहीं चाहते मनचाहा व्यवहार करें, उन्होंने इस उपबन्ध का ऐसे व्यक्तियो को सेवा से पृथक करने के लिए बार बार उपयोग किया, जिन्हें वे सेवा में नहीं रखना चाहते।

2(ग) के बारे में जिसे मैं बाद में उद्धृत करूंगा—जांच का अवसर बिलकुल नहीं दिया गया आप इसे देखिए :

"जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टवर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।"

इसका अभिप्राय है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच कराना इष्टकर नहीं है, तो उसे जांच का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। तथा उसे पदच्युत करके घर भेज दिया जायेगा।

श्रीमान, खण्ड (2) (ग) में प्रदत शक्ति का काफी दुरुपयोग किया गया है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए कुछ उल्लेख कर रहा हूं। मेरे पास लम्बी सूची है। परन्तु ये उदाहरण बताकर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। 1969–70 में पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार को पदच्युत करने के बाद उन्हें अनुच्छेद 311(2) (ग) के अंतर्गत पदच्युत होना पड़ा। कारण यह था कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय प्रशासन में सत्तारूढ़ दल को संतुष्ट करने वाला राज्यपाल था। केन्द्र में शासक दल के लोकतंत्रीय आन्दोलन का दमन करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारियो को दबाया। इसलिए उन्होंने सेवा से 13 कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया यदि मैं भूल में नहीं हूं तो अनुच्छेद 311 के खण्ड 2 (ग) के अंतर्गत उन्हें पदच्युत किया गया था।

1972 में श्री सिद्धार्थ शंकर राय मुख्य मंत्री बने तथा बाद में उन्होंने आंतक का राज्य शुरू किया और राज्य सरकार के कर्मचारियों के 1972 में पदच्युत करा दिया।

1975 में आपातकाल के दौरान केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संघो तथा ऐसोसियेशनों के नेताओं को सरसारी तौर पर पदच्युत करा दिया गया। कलकत्ता में कर्मचारी संघों के नेताओं को दबाया गया तथा उन्हें "मिसा" के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। उन्हें सेवा से निलम्बित किया गया तथा2(ग) का उपयोग करते हुए उनसे छुट कारा पाया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 311 के खण्ड 2(ग) का केन्द्रीय तथा राज्यों के कर्मचारी संघों के लोक तंत्रीय कानूनी अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोग में लाया गया।

श्रीमान 2(ग) का क्षेत्र बहुत व्यापक है और यह केन्द्रीय अथवा राज्य सेवा में रत किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है। कई मामलों में...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप पर 311(2) (ग) लागू नहीं करना चाहता।

श्री चित्त बसु : मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप यहां पर केवल हमारे अधिकारो की रक्षा करने के लिए हैं। इसलिए आप उसे मुझपर लागू नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री चित्त बसु : अनेक मामले उच्च न्यायालय में गये थे। अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अंतर्गत पदच्युत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई भी प्रमाण नहीं दिखा सकती। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्री निर्मल कान्ति दाम बर्मन के मामले में

निर्णय दिया कि सरकार को परिभाषित करना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा का क्या अर्थ है। मैं संक्षेप में 1974 के चित्तापरि मामलें में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की चर्चा करूंगा। निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय नें निर्णय दिया था कि जब अनुच्छेद 311 का, किसी व्यक्ति का दोंष सिद्ध करने के लिए सहारा लिया जाता है परन्तु दिये जाने वाले दण्ड के बारे में उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए, अभिप्राय यह है कि उसे सख्त सजा अर्थात पदच्युत नहीं किया जाना चाहिए। अब जबकि 42 वें संशोधन द्वारा उपबन्ध को हटा दिया गया है इसलिए छोडे जाने के मामलों पर यह लागू नहीं होता। किसी भी स्तर पर सुनवाई का प्रश्न नहीं उठता। इस अधिकार के उपयोग किए जाने पर बहुत कुछ करा जा चुका है। अनुच्छेद 311(2) (ग) के अंतर्गत शक्तियां राज्य के प्रमुख अर्थात देश के स्तर पर राष्ट्रपति को तथा राज्य के स्तर पर राज्यपाल को दी गई हैं। इसलिए आम तौर पर यह माना जाता है उच्चतम पदाधिकारी द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इनका दुरुपयोग नहीं हो सकता। परन्तु इस बारे में मेरा निवेदन है कि 1971 में सरदारी लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उच्चतम पदाधिकारी को मामले के गुण-दोषों पर स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। श्रीमान शमशेर सिंह के मामले में बाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के बड़ी पीठ ने उस निर्णय को बदल दिया तथा निर्णय लिया गया कि निर्णय मंत्री मंडल द्वारा लिए जाने होते है जोकि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के स्वामी होते हैं। अन्ततः राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को मामलों की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं होती जिससे कि वह अंतिम निर्णय ले सके।

प्रो० मधु दण्डवते : उस प्रकार मंत्री भी पदच्युत किए गये हैं।

श्री चित्त बसु : अंततः शक्ति का ही महत्व है। पुलिस की रिपोर्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलो पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। आप यह कैसे कह सकते है कि 'राज्य की सुरक्षा' इस प्रकार की कठोर कार्यवाही किये बिना बनी नहीं रह सकती ? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास देश की सुरक्षा तथा एकता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। यदि किन्हीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अथवा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को किसी आरोप पर पदच्युत अथवा निलम्बित किया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए पेश किया जा सकता है। परन्तु यहां पर "राज्य की सुरक्षा" के नाम पर किसी को भी दण्ड दिया जा सकता है। सरकार को यह बताना नहीं पड़ता कि कैसे और किस प्रकार इस में राज्य की सुरक्षा संबद्ध है।

अनुभव से पता चलता है कि इस शक्ति का सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन के विरुद्ध खुले रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए 'राज्य की सुरक्षा' का मामला वैध नहीं जबतक कि उन पर विशेष आरोप न हो तथा न्यायालय में उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दिया जाये।

अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 1978 में हुए 64 वें सत्र में स्वीकार की गई घोषणा उद्धृत करता हूं :

> "कर्मचारी संघो को सरकारी अधिकारियों से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। कर्मचारी संघो के पास उनकी स्थापना कार्यकरण एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है।"

परन्तु संविधान का अनुच्छेद 311(2)(ग) उक्त घोषणा का उल्लंघन करता है। इसलिए मैं सभा से नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र पर से इस धब्बे को शीघ्र दूर कर दें। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह मामला एक बड़े वर्ग को लोकतंत्रीय अधिकार देने का है नागरिकों को स्वाभाविक न्याय सुनिश्चित करने का है अतः इस बारे में दलीय रूख नही अपनाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभा के सभी वर्गों से इसे समर्थन मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष सिफारिश सहित पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक का 1 जुलाई 1980 तक सार्वजनकि राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक का विरोध करते हुए दुख हो रहा है और इससे पहले की मैं ऐसा करूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वकील के रूप में मुझे कुछ सरकारी कर्मचारियों विशेषरूप से संविधान के अनुच्छेद 311 में अपने अधिकारों का दावा करने वालों का, बचाव करने का अनुभव है। अतः उन मामलों के अपने थोड़े-बहुत अनुभव और अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के थोड़े बहुत अनुभव तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के अपने थोड़-बहुत ज्ञान के आधार पर, मैं माननीय

[श्री मगन भाई वरोट]

सदस्य ने अपने विधेयक के पक्ष में जो कुछ कहा है, उसक विरोध में सम्मानित सभा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं :

सर्वप्रथम, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान माननीय सदस्य द्वारा रखे गए विधेयक में एक दोष की ओर खींचना चाहता हूं। मैं इस सभा का ध्यान अनुच्छेद 311 के उपबन्धों की ओर तथा उस खण्ड विशेष की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे उन्हों ने संविधान से हटाने की मांग की है। अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) में तीन परन्तुक हैं जो कि निम्नलिखित है ;

(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड-दोषारोप पर वह सिद्ध दोष हुआ है; ....."

इसमें विभागीय जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय सदस्य नें इसे हटाने की मांग भी नहीं की है। इसी प्रकार,

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाए;

ऐसा प्रतित होता है कि ऐसे मामले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है (व्यवधान) ... में स्वयं को उसी विधेयक तक सीमित रख रहा हूं जो माननीय सदस्य द्वारा पेश किया गया है। उन्हें उन उपबन्धों पर कोई आपत्ति नहीं है जिनमे विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन उपबन्धों पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे चाहते हैं कि इसे न हटाया जाए। (व्यवधान) .... । मैं प्रस्तुत किए गएं विधेयक का उल्लेख कर रहा हूं। अतः मेरे विचार में मैं यह टिप्पणी ठीक ही कर रहा हूं कि आपको उसी उप खण्ड की उसी धारा के उसी अनुच्छेद में दिए गए उपाबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें तो केवल एक खण्ड और एक उपखण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति है। (व्यवधान) ... माननीय सदस्य के विधेयक पर मुझे यह आपत्ति है कि उनका यह सामान्यीकरण की विधेयक का यह उपाबन्ध 70 लाख कर्मचारियों को प्रभावित करता है: आधारहीन है। मैं जानना चाहता हूं कि इस उपधारा (2)ग के अन्तर्गत कितने मामले आते हैं? संभवतः यह संख्या तीन आंकड़ों को या दो आंकड़ों को भी पार न करें। सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि खण्ड 3 का उपबन्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके पीछे सांविधानिक इतिहास क्या है? मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1978 में भी एक इसी प्रकार का विधेयक लाया गया था जो इससे कुछ व्यापक था। इस पर उन लोगों के समय चर्चा हुई जो उस समय शासन कर रहे थे और यह कह रहे थे कि इस देश में दूसरी आजादी आई है। दूसरी आजादी के समय में, 1977 के पश्चात् इसी प्रकार का विधेयक लाया गया था और इस सभा ने अपने विवेकानुसार उसे अस्वीकृत कर किया था। इससे पहले कि मैं इसके गुण-दोषों की चर्चा करूं मैं दो बातें कहना चाहता हूं। (1) संविधान में यह संशोधन 1963 में विशेष परिस्थितियों के आधार पर किया गया। हमें चीन के साथ युद्ध का अनुभव हुआ था। हमें पहली बार अनुभव हुआ था कि देश के शत्रु न केवल देश से बाहर हैं, बल्कि अन्दर भी हैं। हमने तब पहली बार अनुभव किया कि जासूसी गतिविधियां देश में चल रही थी जिनसे देश की और राज्यों की रक्षा की जानी थी। 1962 के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके हमने संविधान में संशोधन करना आवश्यक समझा। इस संशोधन को उस समय इसी सभा में चुनौती दी गई थी परन्त 1978 में उसे अस्वीकृत कर दिया गया। हमें अपने पूर्वाधिकारियों के विवेक का सन्मान करना चाहिए। ऐसा करना क्यों आवश्यक था? 1978 में वे सब जगह यह क्यों दावा करते घूम रह थे कि उन्हें स्वतन्त्रता मिल गई थी, इस अधिनायक वाद को समाप्त किया जाना चाहिए और इस देश में नई रोशनी आई है। मेरे विचार में सरकार ने जो कुछ उस समय किया उसे माननीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। सभी माननीय सदस्य जिन्हों ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था सरकार को इसे स्वीकार करने के लिए सन्तुष्ट नहीं कर सके थे। अतः बहुमत इसके विरुद्ध था, वे सब जो आज देश पर शासन कर रहे हैं।

मैं अपने माननीय मित्र से इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं। कि कुछ मामलों में राष्ट्रीय हित का प्रश्न जुड़ा है और ये राजनीतिक मामले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कैसे कार्य करती है।

या जब यह कार्यवाही नहीं करती तो इस मामले में न्यायालय इसमें दखल दे सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि कोई अपनी सनक में निर्णय ले लेता है, तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाए और उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। मैं अपने सरकार और राज्य के अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान) ... मैं सोचता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक और तजरबा किया जा रहा है। मैं अपने राज्य गुजरात की बात कर रहा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि कार्यान्वयन की स्थिति इतनी डरावनी नहीं है। जो कुछ किया जा रहा है, वह यही है और मुझे विश्वास है कि केन्द्र में भी ऐसा किया जा रहा है और राज्य में भी अर्थात सम्बन्धित विभाग का सचिव एक प्रत्यक्ष मामला बना लेता है। प्रत्यक्ष मामला तैयार करने के पश्चात, इसे सलाहकार बोर्ड (एडवाइजरी बोर्ड) के पास भेजा जाता है। तब गृह सचिव इसकी अध्यक्षता करता है। सचिव (कार्मिक) भी वहीं उपस्थित रहता है और विधि सचिव तथा सम्बन्धित विभाग का सचिव भी उपस्थित रहता है। इन चार सचिवों के साथ सचिवालय के उच्चाधिकारी इस मामले पर विचार करते हैं। इसके पश्चात राज्यपाल या राष्ट्रपति को सम्बन्धित मामले में सलाह दी जाती है। आप इस उपबन्ध को चुनौती दे सकते हैं। मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल ने कभी इसका विरोध किया है। मेरे विचार में नहीं किया। इस पर वे कार्रवाई कर सकते हैं। यह एक ठीक उपाय है, यह उपाय तब गलत साबित हो जाता है जब अन्य राज्यों में लागू किया जाता है। (व्यवधान) ... एक फौजदारी मामले में, जिसकी मैंने परवी की, मुझे यही अनुभव हुआ। गुजरात में 1975 में चुनाव के दिन भावनगर जिले में सौराष्ट्र के एक गांव चामारी में 4 हत्यायें की गई। हत्यायें लगभग एक ही अनुपात में हुई, दो इस तरफ और दो दूसरी तरफ। यह घटना 1 बजे हुई। शव लगभग 2–00 बजे भावनगर अस्पताल में पहुंचे और इतने ही समय में यह समाचार बी० बी० सी० को मिला और इसने इसे प्रसारित किया। समाचार को सुनकर इंग्लैण्ड में कार्यरत एक सज्जन व्यक्ति ने बम्बई में टेलीफोन किया और पूछताछ की, क्योंकि बताया गया था कि मरने वाले राजपत थे। वे सज्जन व्यक्ति राजपूत थे और वहां सेवारत थे। उन्हों ने पूछताछ करने के लिए बम्बई वापस टेलीफोन किया। बम्बई तो दूर रहा, भावनगर में भी पता नहीं था कि क्या घटना हो चुकी है। हमें जानना चाहिए कि हमारे चुनावों के दौरान (व्यवधान) ....। मैं केवल उनको संबोधित कर रहा हूं जिनमें कुछ राष्ट्रभावना है। जो देश के शत्रु हैं ..... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मूखर्जी (पंसकुरा) : यह आपत्ति जनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका यहां किसी से मतलब नहीं था। यह अशिष्टता नहीं है। यदि मैंने उन्हें सही-सही सुना है तो मेरे विचार में उन्हों ने यही कहा है कि केवल देश के शत्रु ही इसका विरोध करेंगे, उनका मतलब आप से नहीं था। उन्हों ने कहा देश के शत्रू इसका विरोध करेंगे। आप देश के शत्रु नहीं है। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापूर) : मुझे एक निवेदन करना है। यदि आप रिकार्ड की पड़ताल करें कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है तो उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि उनका अर्थ इस सभा से बाहर किसी से नहीं था। इस सभा में बोलते हुए उन्हों ने कहा कि मैं केवल उनसे बात कर रहा हूं जिनमें राष्ट्रीय भावना है न कि देश के शत्रूओं के साथ। उनका निश्चय ही इस सभा के कुछ सदस्यों से मतलब था और यह आपत्ति जनक है। आप रिकार्ड देखें (व्यवधान) .... मुझे पीठासीन अधिकारी की अनुमति से प्रश्न उठाने का अधिकार है और मैं प्रश्न उठा रहा हूं। मैं प्रक्रिया को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप रिकार्ड देखें और यदि आप पाएं कि कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि उसे कार्यवृत्तान्त से निकाल दें।

श्री मगन भाई बरोट : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने न तो किसी दल और न ही किसी सदस्य का उल्लेख किया था। परन्तु मैं तो राष्ट्रीय भावना रखने वाले व्यक्तियों और सभा के सदस्य का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि किस प्रकार की जासूसी चल रही है ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रख सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ अभी कहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ किसी सदस्य के प्रति दुर्भावना नहीं था अतः वह जारी रख सकते हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उन्हों ने कहा है 'इस सभा में', 'इस सभा के अन्दर'।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसने ?

श्री चित्त बसु : उन्हों ने कहा है कि वह राष्ट्रवादी को सम्बोधित कर रहे थे (व्यवधान) .... सभा के अन्दर ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने सुझाव दिया है कि यदि उन्हों ने यह कहा है कि इस सभा में जिनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं है; यदि उन्हों ने "इस सभा में" कहा है तो मैं कार्यवाही को देखूंगा और इसका सम्पादन करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : मैं घटना को फिर से दोहराऊंगा । मैं कह रहा था कि इस देश में ताकत है, मैं बता रहा हूं कि इस देश में जब यह घटना घटी तो एक घण्टे के अन्दर ही यह समाचार इस देश की सीमाओं के पार पहुंच गया । देश में तो किसी को कानो खबर नहीं थी, परन्तु यह बात बी०बी०सी० को पता थी तथा बी०बी०सी० रेडियों ने इसे प्रसारित करके सारी दुनिया में फैला दिया । अब मैं बताता हूं कि किसने कहा और कहां से कहा ।

मान लो इस तरह के किसी मामलों में सरकार के किसी विभाग या अनुभाग प्राधिकरण या सचिव को यह पता चल जाता है कि उसकी सरकार, उसके राज्य के किसी अधिकारी या कर्मचारी से होकर यह सूचना गई है और इस देश में कार्यरत किसी जासूसी अभिकरण को दी गई है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता होती है, परन्तु हम देखते क्या हैं कि वह सज्जन भी किसी इमानदार या सीधे और सच्चे आदमी की तरह समाज में इसी तरह बना रहता है । मैं कुछ और भी प्रश्न उठाता हूं ।

हम एक उदाहरण लते है । सहज न्याय के सिद्धान्त का प्रश्न । वकील होने के नाते मैं स्वयं को संबोधित कर सकता हूं, इस से जुड़ा हुआ है । उस सिद्धान्त को मैं भलीभांति जानता हूं । अतः प्रश्न यह है कि इस पर बहस हो । यह न्यायसंगत और तर्कसंगत है, इस पर बहस हो । यह कहा जा सकता है कि जब आप सहज न्याय के सिद्धान्त को हर किसी पर लागू करते हैं तो किसी व्यक्ति विषेश पर लागू क्यों नहीं करते । इस वक्तव्य या विधि के उपबन्ध को जारी रखने के हक में जो उत्तर दिया जाना है वह है—किसी विशेष मामले में ही क्यों जो कि लाखों में एक होता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वे उस से अधिक भी हैं—मुश्किल से ही लाखों में एक पर अभियोग चल सकता है अथवा इस तरह से उसको निकाल जाता है या हटाया जाता है अथवा सेवा मुक्त किया जाता है ।

हम एक दूतावास की जासूसी का मामला लें सकते हैं । मैं जानकारी क आधार पर कह रहा हूं । कोई बाहरी देश किसी सेना अधिकारी के माध्यम से या उस से, जिसकी पहुंच सरकार की गुप्त फाइलों तक हो, कोई गुप्त सूचना प्राप्त करना चाहता है और वहां उसका कोई साथी होता है । अथवा इसके विपरित भी हो सकता है । अब यहां सहज न्याय के सिद्धान्त पर जोर दिया जा सकता है । सम्बन्धित कर्मचारी यह पूछ सकता है कि मेरे विरुद्ध यह साक्ष्य देने वाले साक्षी को प्रस्तुत किया जाए कि मैं ने उसको सूचना जुटाई है । यह हमारे किसी कार्यक्षेत्र में आता है ? मैं इस सदन से पूछता हूं कि इस में हमारा क्षेत्राधिकार क्या है ? यदि कोई दूसरा देश हमारे देशकी गतिविधियों की जासूसी करना चाहता हैं और हममें से ही कोई–कोई कर्मचारी उस देश को अपने साथी को सूचना भेजता है और वह अपनी ही उपस्थिति में साक्ष्य की जांच करने पर जोर देता है, अन्यथा यह सहज न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा तो आप उसको क्या कहेंगे ? यह कैसे सम्भव है, मैं उसी का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री मगनभाई बरोट : कभी कभी यह वांछनीय नहीं होता, जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होता । तो क्या होता है ? मैं वकील होने के नाते अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि किसी विभागीय जांच में कुछ साक्षियों पूछताछ को जाती है और उनके साथ निरह की जाती है? उस हद तक तो यह बिल्कुल ठीक हैं । परन्तु वही व्यक्ति जब न्यायालय में जाता हैं तो उसी साक्ष्य को न्यायालय में पेश करता है । यह सरकारी अभिलेख का अंग बन जाता है । क्या हम यह कहेंगे कि हम अपने द्वार खोलकर इतने खुले रखते हैं कि कोई भी शत्रु जो हमारे देश के हितों के विरुद्ध सक्रिय हो, हमारे एक या दो कर्मचारी खरीद कर रखे और सूचना प्राप्त करता रहे । उसके बाद अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत वह आदमी मूल अधिकार का दावा करे और न्यायालय में अपना रिकार्ड सिद्ध करे, और वह बात न्यायालय का रिकार्ड बनकर देश के बाहर चला जाए । यह असम्भव बात है । इस प्रकार कोई भी राष्ट्र नहीं रह सकता । राष्ट्र की सुरक्षा को तो सुरक्षित रखना ही होगा । न्यायालयों ने इसका स्वागत किया हैं और हमारा संविधान इस बारे में स्पष्ट है ।

दुराशय के आरोप सदैव न्यायालय में ही लगाए जा सकते हैं । इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मैं अपने मित्र के लाभ के लिए अमरीका; जो कि बड़ा ही स्वतन्त्रता प्रिय देश है, के संवैधानिक उपबन्ध को उद्धृत करना चाहूंगा : इसमें कहा गया है :

"किसी अन्य विधि के उपबन्धों के रहते हुए भी सेक्रेटरी आफ स्टेट अपनी पूर्ण विवेक से और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह आवश्यक समझकर किसी भी असैनिक कर्मचारी को बिना वेतन दिये निलम्बित कर सकता है । सम्बधित अभिकरणाध्यक्ष, आवश्यक जांच और समीक्षा के बाद इस प्रकार निलम्बित असैनिक कर्मचारी को नौकरीसे हटा सकता है; जब कभी भी वह यह निश्चय कर लेगा कि ऐसी पदच्युति अनिवार्य है अथवा अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित हैं तथा ऐसा निश्चय निर्णायक और अन्तिम होगा ।"

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह न्यायिक समीक्षा के अपराधीन है ।

श्री मगनभाई वरोट : नहीं, यह निर्णायक और अन्तिम है । मैंने अमरीकी संविधान के उपबन्ध पढ़े हैं । वह मेरा नाम लेकर यह कह सकते हैं कि मेरा उद्धरण सही नहीं है ।

महोदय, यह कह कर कि सरकार के पास आजादी आदि को छीनने की शक्ति नही है । मेनका गांधी के मामले को उद्धृत किया जाता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने भी उस मामले में कही है और ठीक वही बात इस मामले पर भी लागू होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बस इतने पर ही, मुझे आशा है कि आप अपनी बात समाप्त कर देंगे ।

श्री मगनभाई वरोट : जी हां, महोदय, यदि उच्चतम न्यायालय का निर्णय मेरे मित्र को सन्तुष्ट नहीं कर सकता तो मेरे विचार में मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है । उच्चतम न्यायालय का कहना है :

"राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याण के ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जो व्यक्ति के जहां वह जाना चाहता है या जाना चाहती हैं के वह अधिकार के महत्व भी बढ़ कर होते हैं ।"

ऐसा ही पारपत्र के मामले में भी है । यदि किसी व्यक्ति के सह अधिकारों से राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ कर है तो क्या हम यह कहेंगे कि जासूसी के मामले में, इस देश के हितों को दूसरों को बेचने में किसी व्यक्ति इस देश के नागरिकों से अधिक ऊंचे अधिकार रखता है । क्या हम उनके लिए अपनी सुरक्षा के द्वार खुले छोड़ देंगे? क्या हम उन लोगों को साक्ष्य के रूप में बुलायेंगे? हम किसकी सुरक्षा के लिए यह मांगकर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र को 1962 की चीन की लड़ाई आदि उसी के साथ साथ 1965 के पाकिस्तान के युद्ध और इसी प्रकार के अन्य युद्धों से शिक्षा मिल चुकी है । अतः जिस हद तक देश की सुरक्षा की आवश्यकता है, आपको कठिनाइयां उठानी होंगी । जिससे कि राष्ट्र जीवित रहे ।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे विद्वान मित्र यहां क्या कुछ कह चुके हैं अपितु अपने राज्य जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूं । जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एक ओर तो पाकिस्तान है और चीन के हाथ में अभी भी हमारा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग है । हमारे राज्य में जासूसी की समस्याएं सदैव बनी रहती हैं । मुझे विश्वास है यहां उपस्थित मेरे मित्र हाल ही के थल सेना के गुप्तचरी के मामले के बारे में जानते होंगे । हमारी समस्या यह है कि इस लोगों जो सरकारी सेवा में हैं, के पास वह जानकारी होती है । जिसकी हमें कतई जानकारी नहीं है । कुछ सूचना तो हमारे अस्तित्व के लिये बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य के लिये । यदि मेरे मित्र का यह विचार है कि जासूसी करना तो मजदूर संघों का मूल अधिकार है तो तब तो स्वाभाविक है कि हमें उन मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिये जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य पर भविष्य में आ सकती हैं । मैं यह बात पुर्णतयां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस राज्य में ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जिनका रुख-झुकाव अभी भी इस या उस पक्ष की ओर है और वे सरकारी कार्यालयों में सेवारत हैं । मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं । परन्तु मैं जानता हूं कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में इस अनुच्छेद के कारण बहुत कड़ी नजर रखी जाती है और ये अधिकारी निश्चितरूप से जानते हैं तथा जो बात हम सदस्य लोग भूल जाते हैं कि इन लोगों में बन्धुत्व बहुत गहरा होता है । गृह-सचिव, कार्मिक विभाग सचिव, विधि-सचिव एक दूसरे के मित्र होते हैं और अपने भाइयों में गहरी रूचि रखते हैं तथा उन्हे कोई हानि नहीं पहुचायेंगे यदि वे बातें जो उनको सूचित की गई है सही नहीं हैं । इसलिये, मेरा निवेदन है, इससे पहले कि आप इस उपबन्ध विशेष को संशोधित

[डॉ० फारुक अब्दुल्ला]

करने का इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लें तो कृपया याद रखें कि हमारे जम्मू और कश्मीर के साथ आप आगे से खेल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास वह सूचना होती है जो महान विनाश का कारण बन सकती है। वे शत्रु को सेना की गतिविधियां, हमारे टैंक कहां पर हैं, कहां हमारे महान लड़ाकू हैं ये सब बातें बता सकते हैं जिससे कि वे सही रूप से यह जान सकें उन्हें अपनी गोलियां कहां दागनी हैं। आज की दुनियां में, आपकी सीमा में शत्रु के आने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवलमात्र एक बटन दबाइयें और इन प्रक्षेपणास्त्रों को उन क्षेत्रों की ओर भेजिए जहां कहीं ऐसी स्थिति है। मेरा कहना है कि इस उपबन्ध का संशोधन करने से पहले आप कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा का अवश्य ध्यान रखें। मैं सदन को केवल यही बताना चाहता था। मुझे आशा है कि हम सभी जो यहां बैठे हैं राष्ट्र को दलों से सदैव ऊपर मानेंगे।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री चित्त बसु द्वारा पुरःस्थापित किए गये विधेयक के समर्थन में बोलूंगा। महोदय मैं ही केवल इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, अपितु मुझे पक्का विश्वास है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के 80 लाख कर्मचारी भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। सरकारी कर्मचारी संविधान के इस कठोर उपबन्ध का वास्तविक अर्थ जानते हैं, क्योंकि इस उपबन्ध का उनपर सीधा प्रभाव पड़ता है। गत दो दशाब्दियों से केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस उपबन्ध के विरूद्ध आन्दोलन करते रहे हैं। राज्य सरकारों के कर्मचारी 1968 और 1973 में सहस्रों की संख्या में सरकार को यह बताने के लिए दिल्ली आए थे कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाए। इस उपबन्ध के विरूद्ध राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने 1974 में सांकेतिक हड़ताल भी की थी। अतः मुझे विश्वास है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी इस उपबन्ध के विरूद्ध हैं। आखिर क्यों? क्या आप यह कहेंगे कि सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी राष्ट्र-विरोधी हैं?

महोदय, राज्यों और केन्द्र सरकार के कर्मचारी तो पहले ही देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन कर चुके हैं क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के ही कर्मचारियों के नेताओं के विरूद्ध उनकी मजदूर संघ गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अनेक बार अनुच्छेद 311 का प्रयोग किया गया है। मैं इसे भली भांति जानता हूं, क्यों कि मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं जहां अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों के 27 नेताओं को या तो पदच्युत कर दिया गया था या नौकरी से निकाल दिया गया था। सभी के सभी पदच्युत कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के माने हुए नेता थे। उनमें से 10 को तो आंसुका के अधीन गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। यह बड़ी ही अमानवीय बात थी कि पदच्युत करने के आदेश उन्हें जेल में थमाये गये। जब कर्मचारियों के नेता जेल से बाहर थे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से निकाले जाने के आदेश थमाए। पुलिस कर्मचारियों के तीन दक्षते कर्मचारियों के नेताओं को पदच्युति के आदेश थमाने के लिए रात्रि के पिछले पहरा में उनके घरों में गए। क्या आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी नेताओं ने देश की सुरक्षा के विरूद्ध काम किया? निश्चित रूप से नहीं।

पश्चिम बंगाल में 1972 और 1975 में यही तरीका अपनाया गया था। अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत राज्य सरकार कर्मचारियों के 29 नेताओं को पदच्युत कर दिया गया। इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत असम और आन्ध्र प्रदेश में भी कर्मचारियों को सताया गया। जबकि एक हत्यारे को तो आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, सरकारी कर्मचारियों को तो वह अधिकार भी नहीं दिया जाता। वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को द्वितीय दर्जे का नागरिक, गुलाम समझा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को सभी राजनीतिक एवं मजदूर संघों के अधिकारण से वंचित कर दिया गया है। यह स्थिति स्वतंत्रता के 32 वर्ष पश्चात भी बनी हुई है। मेरा प्रश्न है कि क्या यह स्थिति लोकतांत्रिय सिद्धांतों के अनुरूप है। यह केवल तानाशाही शासन के अनुरूप है तथा आप उसी की स्थापना करना चाहते हैं। इसी कारण माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। यदि कोई कर्मचारी दोषी है तो उसके विरुद्ध वर्तमान कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। पूंजीवादी देशों में भी कर्मचारियों को राजनीतिक तथा मजदूर संघ के अधिकार प्राप्त हैं। क्या आप उनका अनुसरण करने को तैयार हैं। आप उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप ब्रिटिश शासन का अनुसरण कर रहे हैं। अंग्रेज इस देश का शोषण करने को आये थे मैटर उन्होंने ऐसे काले कानूनों के उपबन्धों का पालन किया। यदि आप पूंजीवादियों तथा दमनकारियों का अनुसरण करना चाहते हैं तो आपको ऐसे काले कानूनों की आवश्यकता है। पिछले 32 वर्ष से अनुच्छेद 311(2)(ग) केन्द्रीय श्रमिक संघों के नेताओं के वि द्ध उपयोग में लाया गया है। मैं सरकार से तथा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संविधान से ऐसे कठोर उपबन्धों को निकालने का प्रयास करें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विल हमारे सामने है उसके सम्बन्ध में मैं दो बातें मुख्यतः कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय चित्ता वसु ने जो विल यहां रखा है उसकी मंशा कुछ और है । उनके दिमाग में शायद यह बात घूम रही है कि कहीं फिर कोई ऐसी नौबत न आ जाय जिसके माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी हैं, और खास कर के जो राजपत्रित अफसर है वह सरकार के हाथ की कठपुतली न बन जायें । मैं देख रहा था जिस समय कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली बैठी थी और उस समय जो डिस्कशन हुआ था उसमें यह स्पष्ट मान्यता थी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो सरकारी कर्मचारी हों उनको इतना अधिकार दिया जाय, सेक्योरिटी दी जाय कि वह सरकार के गलत काम में भागीदार न बनें । इसके दो पक्ष हैं । मैं देहात की बात कहता हूं कि एक सरकारी कर्मचारी है गजटेड अफसर उसको यह पावर है कि यदि कोई हरिजन है, गरीब है और वह जिस जमीन पर बसा हुआ है, मकान है उसको तुम प्रिवलेज्ड पर्सन्स होम टेनेंसी ऐक्ट के मुताबीक परचा दे दे । देहात में यह होता है कि रात तक वह घर है और ज्यों ही परचा के लिये हरिजन एप्लाई करता है तो वह घर न रह कर जमीन हो जाती है । यदि कोई अफसर गरीब का हितैषी है तब तो वह जा कर कहेगा कि नहीं गरीब का घर था इसको परचा दे दो । और यदि कोई अफसर गरीब का विरोधी है तो वह कह देगा कि नहीं इस जगह घर था ही नहीं खेत था । इस प्रकार उसको परचा से वंचित कर दिया जाता है ।

जहां तक नेशनल सेक्योरिटी की बात है चाहे किसी पक्ष के माननीय सदस्य हों, किसी भी पार्टी से संबंधित हों कोई नहीं चाहता कि हम भारत की आजादी को खतरे में डाल दें । और जब कभी मौका आया है तो ट्रैजरी बैंचेज में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने सुरक्षा को खतरा में डालने की कोशिश की है, कम से कम अपोजीशन वालों ने नहीं । 1962 के पहले आप देखिए कि हिन्दुस्तान कहां था । यही हिन्दुस्तान था जो मि० चाऊ-एन-लाई को वर्ल्ड में इन्ट्रोड्यूस कराता था कि मीट मि० चाऊ-एन-लाई, प्राइम मिनिस्टर आफ चाइना । 1962 के बाद की स्थिति क्या हुई कि आपको दूसरे के मार्फत विदेशों में इन्ट्रोड्यूस होना पड़ता था । इसीलिये मैंने कल भी कहा था कि देश के लियें तीन चीजों की आवश्यकता है, देश में नेता भी हो, नीति भी हो और नियत भी हो । जब तक यह तीनों साथ नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा ।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का मामला है, मेरा जैसा आदमी शुरू से ही अफसरशाही की खिलाफत में रहा है । हम जानते हैं कि अफसर को ज्यादा पावर देने का मतलब है कि वह कल हम ही लोगों को जेल में बन्द करेंगे । जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा जेल में रहा हूं । हम अफसर को कुछ कहेंगे तो वही अफसर कहेंगे कि जेल में बन्द करो ।

हरिजन एट्रोसिटीज की बात कही गई कि डी० एम० और एस० पी० इसके रिस्पौंसिबिल होंगे और उनके सस्पैंड और डिस्चार्ज किया जायगा । पूरे हिन्दुस्तान में एक जगह भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी डी० एम० या एस० पी० डिस्चार्ज किया गया हो । क्योंकि आई० ए० एस० अफसरों का एक गिरोह बना हुआ है पूरे हिन्दुस्तान में । फाइल हाइएस्ट अफसर के पास जायेगी और हाइएस्ट अफसर आई०ए०एस० ही होता है । एक आई०ए०एस० अफसर के खिलाफ दूसरा आई०ए०एस० अफसर कभी कुछ नहीं लिखेगा । कोई भी अफसर किसी भी करप्ट, बेईमान और घुसखोरी करने वाले अफसर के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं लिख सकता क्योंकि उन सब का एक गिरोह बना हुआ है । इसलिये मैं इस मत का हूं कि अफसरों के ऊपर लगाम लगनी चाहिये । अफसर तो अरबी घोड़ा होता है । हम पार्लियामेंट के मेम्बर यहां लम्बा चौड़ा भाषण देते हैं, मालूम होता है कि हम ही सबसे बड़े तीस मारखां बन गये हैं, लेकिन जब यहां से बाहर आइये तो बस में भी आपके लिये कोई जगह नहीं मिलती है । अपने-अपने फ्लैटों में चलकर जाना पड़ता है । जब अफसर यहां से निकलते होंगे तो उनके लिये एम्पाला कार खड़ी मिलती है और वह उसमें फुर्र कर के निकल जाते हैं । यहां बैठकर हम लोक अफसरशाही के खिलाफ बोलें, उनको गालियां दें, कुछ करें, लेकिन जब हम व्यावहारिकता में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि अफसर की हस्ती क्या है और हमारी हस्ती क्या है ।

यदि मेम्बर आफ पार्लियामेंट या स्टेट असेम्बली के मेम्बर की प्रतिष्ठा को बचाना है तो निश्चित रूप से चाहे जितने भी अधिकार अफसरों को हों, लेकिन उन्हें मेम्बर आफ पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बली के मेम्बरों के नीचे रहना चाहिये । तभी मेम्बरों की प्रतिष्ठा बन सकेगी । सिर्फ अफसर को गाली देने से और उसको क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा ।

मैंने आपसे कहा कि अफसरशाही के खिलाफ हम हैं, जमकर खिलाफत करते हैं लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो करप्ट होता है, बेईमान होता है, तो चाहे कोई मंत्री भी हो, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह अफसर को कुछ कह सके । चाहे इस पक्ष के लोग हों या उधर के पक्ष के लोग हों । हम भी कल तक ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे थे, और फिर ट्रेजरी बैन्चेज पर चले जायेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान कानून और विधान के तहत हम किसी अफसर को कभी भी सजा नहीं दे सकते हैं ।

इसलिये एक प्वाइन्ट है जिसका यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिये और जैसा चित्त बसु जी ने कहा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस पर हमें ईमानदारी से बहस चलानी चाहिये, जमकर बहस चलानी चाहिये । गजेटेड अफसर ही क्यों, नान-गजेटेड क्यों नहीं, आई०ए०एस० ही क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन का ही अफसर क्यों, चाहे कोई भी ए०बी०सी०डी० कर्मचारी हो, अगर वह राष्ट्रद्रोही है, सचमुच में जासूसी का काम करे तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलनी चाहिये । लेकिन यह भी

[श्री राम विलास पासवान]

नहीं होना चाहिए की वह अफसर जनता पार्टी का राज्य हो तो जनता पार्टी का काम करे, जनता पार्टी का स्टैनो बनकर काम करे, लोकदल की सरकार हो तो लोकदल का स्टैनो बनकर काम करे और अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत हो तो कांग्रेस पार्टी का स्टैनो बनकर उसके अनसार ही काम करे। यदि उसी लाइन पर काम वह करें तो हम उसको करार कर दें कि यह राष्ट्र-विरोधी है, यह एंटी-नेशनल एलोमेंट है। इस आधार पर यदि काम चलेगा तो फिर आपकी सारी अफसरशाही से न तो उनका भला होगा और न देश का भला होगा।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। एक तरफ हम अफसरशाही पर जो कि अरबी घोड़े की तरह है जो किसी खेत में जाये तो खेत को खा जाता है तहस-नहस कर देता है, उस पर लगाम लगावें और हमारी राष्ट्रीयता और सुरक्षा भी अक्षुण्ण रहे देश की सिक्योरिटी भी बरकरार रहेगी। इन दोनों चीजों को साथ लेकर हम चलेंगे तथी उसका निदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद की शब्दावली का अध्ययन किया जा सकता है। इसका पाठ इस प्रकार है :

"जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जांच करायी जाय।"

यह शक्ति किसी अधिकारी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को दी गयी है। जोकि राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं तथा राज्यपाल को दी गई है जो कि राज्य के प्रथम नागरिक हैं तथा इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को विश्वास हो जाये कि जांच न करना देश की सुरक्षा के हित में है। यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे सेवा से हटाया गया है जांच न की जाये तो हम यह नहीं कह सकते कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है यह कार्यवाही राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के समाधान के बाद ही की जाती है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल कोई छोटा व्यक्ति नहीं है वह उत्तरदायी व्यक्ति है। उसे यह ध्यान रखना होता है कि पूरे राष्ट्र के हितों की रक्षा हो। अतः ऐसी जांच न किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि उनका समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को हटाये जाने पर जांच किया जाना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। जब यह अनुच्छेद बना था तब इस पर काफी विवाद हुआ था। कई सदस्य चाहते थे किइस अनुच्छेद को संविधान में सम्मिलित न किया जाये क्योंकि वह समझते थे कि यदि यह अनुच्छेद संविधान में रहता है तो सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त संरक्षण मिल सकेगा। और यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो यह चाहते थे कि यह अनुच्छेद संविधान में रहे। और इसलिए यह अनुच्छेद संविधान में है। मुझे इस अनुच्छेद के संविधान में होने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा कर्तव्य न केवल सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है जो निस्संदेह इस देश के नागरिक भी है और उनके हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए परन्तु राष्ट्र के हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इस प्रकार का अनुच्छेद संविधान में रहना चाहिए जिसका उपयोग हम बहुत आवश्यक होने पर राज्य की सुरक्षा के हित में कर सकें। इसलिए मैं अपने मित्र चित्त बसु से निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक पर आग्रह न करें तथा उक्त अनुच्छेद में निहित भावना को समझें तथा विधेयक को वापस ले लें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री चित्त बसु द्वारा रखे गये विधेयक का समर्थन करता हूँ।

सरकारी पक्ष के सदस्यों की चाल यह है कि पूरे सदन का ध्यान मुख्य बात से हटाकर एक इस विशेष बात की ओर दिलाया जाये कि क्या कोई व्यक्ति, राष्ट्रद्रोही है, क्या वह कोई जानकारी देश से बाहर भेज रहा है, जैसे कि इस अनुच्छेद का उपयोग केवल ऐसे ही मामलों में किया गया हो। मान लीजिए ऐसा ही हो, यदि कोई व्यक्ति, सरकारी सेवा में नहीं है। मेरा वह कोई सन्देश पाकिस्तान अथवा बंगला देश अथवा अमरीका या किसी अन्य देश को भेजना है तो यह अनुच्छेद उसके लिए नहीं है। उसकी नौकरी जाने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा प्रदर्शित करने की चेष्टा की जा रही है कि इस अनुच्छेद का उपयोग राष्ट्रीय हितों के संरक्षण में किया जा रहा है, जोकि सर्वथा गलत है।

मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। यह उपनिवेशी देश में ही संभव था तथा माल भी है कि व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखा जाता था। इन देशों में व्यक्ति को बिना कारण बताये नौकरी से निकाल दिया जाता है। परन्तु हमारा लोकतांत्रिक राज्य है। हमारी संसद है, न्यायालय हैं जोकि पवित्र माने जाते हैं। हमारे देश में ऐसी कठोर प्रणाली क्यों अपनायी जाती है। यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार

कार्य करना चाहता है परन्तु सत्ताधारी दल के इशारे पर नहीं नाचता तो उसे सेवा से च्युत कर दिया जाता है। आधार यह दिया जाता है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल उसे सेवा से च्युत करना चाहते है तथा उसे उसके अपराध की जानकारी भी नहीं दी जाती । हमारा लोकतन्त्र नया नहीं है। यह 33 वर्ष पुराना हो गया है । राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल किसकी रिपोर्ट पर कार्य करते है। यह या तो मंत्री अथवा किसी सरकारी अधिकारी के कहने से किया जाता है जिसकी विशेषता यही है कि वह शासक दल का चमचा समझा है

* * * *

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : मुझे इस पर आपत्ति है (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : आप आपत्ति कर सकते है । वह आरोप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वे अपना बचाव कर सकते हैं । परन्तु एक रेल कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अथवा सचिवालीय कर्मचारी जिसने मजदूर संघ संगठित किया है । अपना बचाव नहीं कर सकता (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, श्री संजय गांधी इस सभा के सदस्य हैं । जब आप उनके नाम का उल्लेख करते है.. (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है । मैं विरोधी दल के मित्रों से परिचित हूँ ।

श्री मगन भाई बरोट: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री बंसीलाल तथा श्री संजय गांधी इस सभा के सदस्य हैं (व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : किन नियमों के अनुसार?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मुझे करना है कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है, अथवा नहीं।

श्री मगनभाई बरोट : वे उपस्थित नहीं है परन्तु उन पर अपराधियों की तरह आरोप लगाये जा रहे हैं इनको निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री नारायण चौबे : कोई आरोप नहीं लगाया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाये तो ठीक है । जारी रखें । (व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया । आपका व्यवस्था प्रश्न था कि इन्होंने आरोप लगाये है परन्तु उन्होंने कह दिया है कि कोई आरोप नहीं लगाया गया । अतएव जारी रखें । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप रिकार्ड से देख सकते हैं कि क्या कोई आरोप लगाया गया है । कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री नारायण चौबे : 1972 में पश्चिम बंगाल में अनेकों सरकारी कर्मचारियों को इस अनुच्छेद के तहत पदच्युत कर दिया गया था और फिर उन्हें सेवा में ले लिया गया और देश को कोई क्षति नहीं पहुँची तथा वे देश की इमानदारी से सेवा कर रहे हैं । इतना ही नहीं । मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ । कामरेड के० जी० बासू को इस अनुच्छेद के अंतर्गत पदच्युत किया गया था किन्तु पश्चिम बंगाल के लोग धन्यवाद के पात्र हैं । उन्होंने उसे विधान सभा का सदस्य चुन लिया ताकि वह देश सेवा कर सके । इस प्रकार वे देशद्रोही नहीं हैं । किन्तु श्री बंसीलाल को अनुच्छेद 311(2)(ग) के अधीन नहीं हटाया गया था । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे मित्र के अनुसार ये सभी व्यक्ति जिन्हें अनुच्छेद 311 के अंतर्गत हटाया गया था पश्चिम बंगाल में विधान सभा सदस्य बन गये है। इसलिए उन्हें अनुच्छेद 311 का स्वागत करना चाहिए ।

श्री नारायण चौबे : पुडिंग का परीक्षण खाने से हो सकता है । व्यवहारिक स्थिति क्या है ? इसका उपयोग कभी भी भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं किया गया । उन्हें तो पदोन्नति दी जाती है । वे सदा मजदूर नेताओं तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रहे हैं । जो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं ।

बहुत से प्रसिद्ध मजदूर नेता जैसे सर्वश्री के० एन० भद्रा, के० एम० भट्टाचार्य, डी० बी० कोटय्या, आर० एल० रेड्डी, मुदेव चैतन्य तथा अन्यों ने इस कठोर नियम के अधीन दक्षिण पूर्वी रेलवे से अपनी नौकरी गवाई। परन्तु किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छेड़ा गया ।

तो क्या सरकारी कर्मचारियों के साथ अपराधियों से बदतर व्यवहार किया जाना न्यायिक अथवा लोकतांत्रिक है?

हम चाहते हैं कि इस धारा को हटा दिया जाये ताकि हमारा संविधान वास्तव में लोकतांत्रिक बन सके । हमें आशा है कि लोकतंत्र और समाजवाद की दोहाई देनेवाले सत्ताधारी दल समेत सभी वर्ग इसका समर्थन करेंगे ।

**उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक हमारे माननीय सदस्य, श्री चित्त वसु ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके विरोध में खड़ी हुई हूँ। मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वह विरोध पक्ष से संशोधन लाया गया है, बल्कि मैं इसका विरोध इसलिए करती हूँ कि वह जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है ।

आप सभी जानते हैं कि जब सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारीगण राष्ट्रविरोधी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं तो तत्क्षण और तत्काल कार्यवाही करनी होती है । यदि उसमें विलम्ब होता है तो, उससे हमारे राष्ट्र में काफी गड़बड़ी पैदा होती है और राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है ।

सभापति महोदय, आप सभी जानत हैं कि हमारा जो नार्मल प्रोसीजर है या जो संविधान में संशोधन की बात उन्होंने उठाई है, यदि यह सदन उसको मानता है तो यह एक लांग-ड्रान-प्रोसीजर हो जाएगा और इतना समय लग जाएगा कि उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारी सरकार को इतनी शक्ति तो प्रदत्त रहनी ही चाहिए कि जब देश को आन्तरिक सुरक्षा खतरे में हो तो तत्काल सरकार कार्यवाही कर सके, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह होना बहुत जरुरी है । राष्ट्रपति या राज्यपाल को संविधान में जो भी शक्ति प्रदत्त है, वह बिल्कुल उपयुक्त है ।

आप सभी जानते हैं, पहले जब जनता पार्टी और लोकदल का शासनकाल था, तो इस सदन में विचार-विमर्श हुआ था और सभी माननीय सदस्यों ने इस को यहां सदन में रिजैक्ट कर दिया था, क्यों उसे रिजैक्ट कर दिया था ? यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी यह सबको मान्य नहीं हुआ । आज फिर ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सदस्य, श्री चित्त वसु, की दिव्यचक्षु आज खुल गए है मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्र के व्यापक हित में और इसलिए कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, इस संशोधन को इस सदन द्वारा मान्यता नहीं देनी चाहिए । आप सभी जानते हैं, प्रजातन्त्र की दुहाई देकर फण्डामेंटल राइट्स की बात उठाकर उसके विरोध में बहुत सारी राष्ट्र विरोधी बातें होती है और यह हम सब लोगों के लिए खतरे का कारण बन जाती है ।

इसलिए मैं इस सदन से आग्रह करती हूं कि इस संशोधन को नहीं माना जाए ।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री चित्त वसु न अभी बड़े चित्ताकर्षक तरीके से एक अव्यवहारिक बिल की यहां पर वकालत की ।

श्रीमन्, 1962 में जब देश के ऊपर चीन ने हमला किया, तो विशिष्ट परिस्थितियों के चलते हुए भी यहां पर संविधान में यह संशोधन किया गया और इसके द्वारा राष्ट्रपति महोदय और गवर्नर महोदय को कुछ विशेषाधिकार दिए गए ताकि वे विशेष तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ, जो राष्ट्र के विरोध में, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता के विरोध में कार्य करते हैं, कार्यवाही कर सकें ।

मान्यवर, इस देश में जहां देशभक्तों की लम्बी फौज है, जहां पर राष्ट्र को सब कुछ समर्पित करने वाली सिविल सर्वेंट्स की फौज है, वहां पर इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी बहुत संख्या काली-भेड़ों की भी है जो पैसे के लोभ में या विचारधारा के लोभ में देश की स्वतंत्रता के साथ सौदा कर सकते हैं, देश की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं । इसी बात को समझकर इस दृष्टिकोण से 1963 में इसी सदन के उस समय के मनीषी संसद सदस्यों ने इस संविधान संशोधन को स्वीकृत कराया और उसको राष्ट्र की सहमति प्राप्त हुई । मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय चित्त वसु से, जिस समय उन्होंने इस संशोधन विधयक को यहां पर प्रस्तुत किया, क्या आज वे उन परिस्थितियों को भूल गए हैं, जो सन् 1963 में थी । आज भी देश की सीमाओं पर उतरा मण्डारा रहा है, जो सन 1963 में था । आज भी पाकिस्तान की ओर से हमारे ऊपर हमला होने का खतरा है, चीन की ओर से हमारे ऊपर हमला होने का खतरा है । यही नहीं आज देश के अन्दर कुछ ऐसे विचार पनप रहे हैं, जो इस देश को खतरे में डाल सकते हैं । आज आर० एस० एस० के तत्व, आनन्द-मार्गी तत्व, जमायते इस्लामी के तत्व, कुछ जातियों पर आधारित साम्प्रदायिक तत्व इस देश की स्वतन्त्रता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं । विदेशियों के इशारों पर यहां के अधिकारियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि 1963 में जो यह संविधान संशोधन किया गया, वह वास्तव में बहुत व्यावहारिक था और देश को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

मेरे लायक दोस्त ने यहां पर यह आशंका प्रकट की कि इस का राजनीति के लिये दुरुपयोग किया जाता है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि 1975 में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जिन को बंगला देश की लड़ाई के बाद इस बात का दोषी पाया गया कि उन्होंने राष्ट्र-द्रोह में कुछ काम किया है, ऐसे 71 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात चली और एक प्रक्रिया के माध्यम से, जिस का मेरे योग्य साथी श्री मगनभाई बरोट ने जिक्र किया, केवल 8 लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार बड़ी सजगता के साथ इस धारा का उपयोग करती है और यह अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि इस पर अब आशंका का कोई कारण नहीं रह जाता है।

मैं अपने साथी श्री चित्त बसु से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी एक से अधिक बार संसद से बाहर भी इस बात को जाहिर कर चुकी है कि हम राजनीतिक दलों के विरोध में या ऐसे लोगों के विरोध में जिन्होंने उन के इन्टरैस्ट को सर्व किया है, केवल राजनीतिक उद्देश्यों से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और मैं भी प्रधान मंत्री जी की इस बात की संसद के सामने ताईद करता हूं कि आज बदले की भावना से काम करने का अवसर नहीं है। आज इस राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का सवाल है। एक दूसरे के प्रति हम सब को आशंका का वातावरण नहीं रखना चाहिये सहयोग के वातावरण में जीने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं अपने साथी श्री चित्त बसु साहब, जिनका चित्त शायद कुछ मलीन है, जो शायद अपने दोषों से परेशान हैं, जो यह समझते हैं कि जिस तरीके से उन की मासिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी, जिस को उन की अपनी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, पश्चिमी बंगाल में बदले की भावना से काम कर रही है, शायद इन्दिरा जी की सरकार भी केन्द्र में उसी भावना से काम करेगी, ऐसा नहीं होगा। हम राष्ट्र के हित में एक समन्वित भावना से, एक दोस्ती की भावना से, काम करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार इसी भावना से काम करेगी।

इन शब्दों के साथ, यहां पर माननीय चित्त बसु साहब ने जो संशोधन विधेयक रखा है, मैं उस का विरोध करता हूं, उस को व्यावहारिक और राष्ट्र के हित में नहीं समझता हूं। मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, उन को इस अव्यावहारिक बिल को वापस ले लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर, आप केवल 4 मिनट लगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक है, मैं और अधिक समय लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस समय के अन्दर पूरा करन का प्रयत्न करें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय मित्र श्री चित्त बसु द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। हम अपने कर्तव्यों को कभी इच्छा से करते हैं और कभी हमारा कर्त्तव्य दुःखद होता है। जब लोग कभी जघन्य अपराध करते हैं और जब हमें उनका बचाव करना पड़ता है तो एक वह दुःखद कर्त्तव्य होता है। जब हम कभी जानते है कि कोई व्यक्ति निरपराध है तो हम कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मेरे आदरणीय मित्र और सहकर्मी श्री मगनभाई बरोट ने खुले रूप में यह कहना आरम्भ किया 'मैं दुःखद कर्त्तव्य कर रहा हूं'। हो सकता है वह इस बात से संतुष्ठ न हों कि प्रस्तुत किये गये विधेयक का स्वरूप उचित है। मैं नहीं जानता कि क्या वह समर्थन कर रहे हैं। किन्तु आरम्भ में उन्होंने कहा कि वास्तव में वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं किन्तु कुछ कारणों से उन्हें इसका विरोध करना पड़ा।

महोदय उनसे उठायी गयी आपत्तियों पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 311(2) (क) और (ख) की भी वही स्थिति है जो (ग) की है। यही मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। (क) के मामले में अपराधी पर आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। (ख) के अन्तर्गत संतुष्टि का सम्बन्ध अपराध से नहीं है किन्तु जांच करना व्यावहारिक नहीं है और यदि गवाह उपलब्ध नहीं है अथवा गवाह मर चुके हैं या गवाह विरोधी बन जायें तो जांच करना व्यावहारिक नहीं है। उस मामले में संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि यदि अधिकारी संतुष्ट है कि कोई जांच नहीं होगी क्योंकि ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसे प्रस्तुत किया जाना है। तीसरी आपत्ति इस विधेयक पर यह है कि किसी न्यायालय में सार्वजनिक जांच से उन्हें न्यायालय में दस्तावेजों को पेश करने का हक हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये जांच खुबी अदालत

[श्री० बापुसाहेब परुलेकर]

में नहीं होती है। कुछ अधिकारी जांच करते हैं और यदि मामला अन्ततः न्यायालय में जाता है तो मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह से जानते है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अधीन ये अधिकारी कतिपय दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। अतः ये तर्क वेकार हैं।

जहां तक मुख्य विधेयक का सम्बन्ध है मैं श्री चित्त वसु से पूरी तरह से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 (ग) में दिये गये सिद्धांत एक ही हैं किन्तु उनका प्रभाव भिन्न है। यह निसन्देह "इच्छा का सिद्धांत" है क्योंकि हमने इस अंग्रेजी सिद्धांत को माना है कि कर्मचारी मालीक की इच्छा पर नौकरी कर रहा है किन्तु उसका प्रभाव भिन्न है। अनुच्छेद 310 के अन्तर्गत उसे सेवा से वाहर जाने के लिए कहा जाता है किन्तु हम इसे वखोलगी या सेवा से हटाया जाना नहीं कहते हैं। इसे हम सेवा समाप्ति कहते हैं। उसे सरकारी सेवा में नई नौकरी मिल सकती है। हमारे सामने श्री गंगूली की सेवा समाप्ति का उदाहरण है जो रेलवे वोर्ड के चैयरमैन थे। राष्ट्रपति को कहना चाहिए "मैं संतुष्ट हूं कि आपकी हमारी सेवा में आवश्यकता नहीं है और वह वाहर चला जाता है किन्तु उसे रोका नहीं जाता है।" 311 (ग) के संदर्भ में यह स्थिति नहीं है। इसमें वह एक लांच्छन से बाहर जाता है। उसे नई नौकरी नहीं मिल सकती है। उसे घर जाकर वैठना पड़ेगा। अतः हमें इस वारे में वड़ा सतर्क रहना चाहिए।

साथ ही मेरे माननीय मित्र श्री शिवराज वी० पाटिल ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जा रही शक्तियों का उल्लेख किया है तथा मेरे कुछ सहकर्मियों ने भी आश्वासनों का उल्लेख किया है। जहां तक आश्वासनों का सम्वन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि जव मीसा पर सर्वप्रथम यहां चर्चा हुई थी और विधेयक पास किया गया था तो उस समय स्वयं प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसका राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, किन्तु हम जानते हैं कि वाद में क्या हुआ। अतः केवल आश्वासन काफी नहीं है और हमें इसकी भावना पर विचार करना है।

जहां तक (ग) का सम्वन्ध है मुझे यह कहते हुए खेद होता है की "संतुष्ट" शव्द वहुत व्यापक है। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो यह वहुत शरारतपूर्ण है।

शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती हैं। वे हमारे देश में उच्च पदाधिकारी हैं। हम सव उनका आदर करते हैं। किन्तु "संतुष्ट" शव्द वहुत व्यापक है। मैं नहीं जानता कि ये लोग कैसे संतुष्ट होते हैं। उनके पास कौन सा स्वतंत्र तंत्र है जिससे वे संतुष्ट होते हैं? वे सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। वस यही होता है। हमारे पास ताजा उदाहरण है। अनुच्छेद 356 (3) में "संतुष्ट" शव्द है जिसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्यथा राष्ट्रपति संतुष्ट हों तो वह विधान सभा को भंग कर सकते है। हम देखते हैं कि आधे घंटे में ही राष्ट्रपति नौ राज्य विधान सभाओं को भंग करने के वारे में संतुष्ट हो गये। इस प्रकार की हमारी "संतुष्टि" है। हमें मालूम नहीं कि उन्होंने अन्य स्त्रोतों से उस रिपोर्ट के अतिरिक्त क्या जानकारी एकत्रित की जो माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

मैं एक और वात उद्धरित करना चाहता हूं। "संतुष्ट" शव्द मीसा में भी शामिल किया हुआ था और पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया था कि यदि वे संतुष्ट हों तो वे लोगों को हिरासत में ले सकते हैं। महोदय, संतुष्ट होने के लिए परीक्षण निर्धारित किये जाते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री शंकर-राव जी चव्हाण, जो यहां नहीं है, मीसा के दौरान वह महाराष्ट्र राज्य में सर्वेसक्त थे। मैं नासिक जेल में था। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट ने एक वहुत वरिष्ट वकील श्री कृष्णाराव गोडवाडकर के विरुद्ध 23 नवम्वर, 1975 को हिरासत में लेने के वारंट जारी किये। और वारंट था, "मैं अमुक जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट हूं कि श्री कृष्णाराव गोडवाडकर, आपकी गतिविधियां राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक हैं अतः मैं आपको हिरासत में ले रहा हूं।" इस नजरवन्दी आदेश को पुलिस श्री कृष्णाराव गोडवाडकर के घर ले गये। दरवाजे पर ताला लगा था। उनका लड़का वाहर आया। उसने पूछा मामला क्या है? पुलिस अधिकारी ने कहा हम तुम्हारे पिता श्री कृष्णाराव गोडवाडकर को हिरासत में लेने आये हैं क्योंकि जिला अधिकारी संतुष्ट हैं कि उनकी गतिविधियां राज्य के हितों के लिए हानिकारक हैं। उसने कहां, "मुझे वहुत दुःख है आपको लम्वा सफर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी मर चुके हैं और आपके आदेश से दो महीने पहले जा चुके हैं।" अतः आपातकाल में यह हुआ है। महोदय मैं यह सव देख रहा था। यहां तक कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस चौकी में आपातस्थिति के उठाये जाने के

बाद भी हजारों लिखित नजरबन्दी वारंट पाये गये । अतः सम्बद्ध व्यक्ति की यही—'संतुष्टि' थी । अन्ततः सरकार सिफारिश करती है । यदि सरकार महसूस करती है कि अमुक अधिकारी नीति का समर्थन नहीं कर रहा है और महसूस करते है कि उसे हटाया जाना चाहिए तो मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं कि यह बताना राष्ट्र के हित में नहीं होगा । इसी अभिप्राय से यह विशेष खण्ड जोड़ा गया है । फिर मेरे माननीय मित्र ने इसके बारे में कहा अनेक उदाहरण हैं और कई लोगों को इस प्रकार हटाया गया । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समय आ गया कि हम अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के (ग) को हटा दें जो हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ।

कुछ समय पहले ऐसा विधेयक सभा के समक्ष लाया गया था किन्तु सभा ने इसे अस्वीकार किया । यदि हमने कोई गल्ती की तो मैं नहीं समझता कि हम सभी फिरसे उसे दोहराये और अब हम उसे सुधार सकते है ।

अन्त में श्री बरोट ने इसका उल्लेख किया था और उसने कहा कि जब तक अनुच्छेद 311 में खण्ड (2) (ख) है, (2) (ग) का लोप करने के लिए विधेयक अनुरूप नहीं है । यदि केवल यही आपत्ति है मैं ऐसा विधेयक ला सकता हूं और हम (2) (ख) का भी लोप कर सकते हैं ।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और मेरे मित्र श्री चित्त वसु द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन अथवा विरोध किया है। इस चर्चा के दौरान कई तथ्य सामने आये हैं और मेरे लिए यह कहना अशंगत नहीं होगा कि पिछली लोक सभा में भी विपक्ष के सदस्य श्री भगतराम द्वारा ऐसा विधेयक पेश किया गया था और इस विशेष खण्ड को रखने अथवा लोप करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी । अब फिर चर्चा हुई है और मेरे मित्र श्री चित्त वसु ने अपने आपको केवल एक खण्ड अर्थात् 311 (2) (ग) के लोप करने तक सीमित रखा है ।

हम सभी चाहे सभा के इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हों, जहां तक देश के हितों और एकता का सम्बन्ध है उसके लिए सबसे आग हैं । इस बारे में कोई विवाद नहीं है । हम सभी समान रूप से राज्य के हितों और सुरक्षा की रूचि रखते हैं ।

श्री चित्त वसु ने कुछ बातें उठाई हैं किन्तु उनके सारे भाषण के दौरान ऐसा मालूम होता था कि उन्हें यह अधिक चिन्ता थी कि इस विशेष खण्ड का कतिपय मजदूर संघ की गतिविधियों तथा मजदूर संघों के विरुद्ध प्रयोग अथवा दुरुपयोग किया जायेगा जिनका उनके दल से सम्बन्ध है अथवा उन दलों से सम्बन्ध है जिनकी उनके दल जैसी विचार धारा है । मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि प्रत्येक राजनैतिक दल का अपना मजदूर संघ सम्बन्धी आन्दोलन हैं तथा अपना मजदूर संगठन है । यह किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है । संविधान में मूलभूत अधिकारों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को संघ या यूनियन बनाने का पूरा अधिकार है और फिर यह अनुच्छेद 19 के खण्ड (4) से बंधित है :—

> "उक्त खण्ड के उपखण्ड (ग) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिए रुकावट न डालेगी ।"

यह रोक लगा दी गई है । जब तक वह भारत का स्वतंत्र नागरिक है किसी को भी रोका नहीं गया है । किसी भी व्यक्ति को अपना संघ बनाने से रोका नहीं जाता है और किसी भी व्यक्ति को अपनी राय स्वतंत्ररूप से और स्पष्ट रूप से प्रकट करने से रोका नहीं जाता है ।

श्री चित्त वसु ने अनुच्छेद 310 का उल्लख किया है और कहा है कि यदि रक्षा सेवाओं पर उस अनुच्छेद से कोई रोक हो तो वह समझ सकता है । अनुच्छेद 310 का सम्बन्ध रक्षा सेवाओं से है । अनुच्छेद 311 का सम्बन्ध सरकारी कर्मचारियों के अनेक वर्गों से है । अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना, या पंक्ति च्युत किया जाना है । मैं इसे दोहराना नहीं चाहता ।

[श्री पी० वेंकट सुब्बया]

अगर आप (क) और (ख) को पढ़ें तो आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में पर्याप्त संरक्षणों की व्यवस्था है । यहां मुद्दा बहुत ही सीमित है । खंड (ग) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो तोड़ फोड़ के कार्य कर रहे है, जो देश में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करते हैं, यह तो उस विशेष मामले से सम्बन्धित है जो संविधान में शुरू किया गया है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है और मैं नहीं समझता कि श्री चित्त बसु, जो एक मंजे हुए संसद सदस्य हैं और जो श्रमिक संघ नेता भी है, को देश की सुरक्षा और अखंडता के संदर्भ में संविधान में इस विशेष खण्ड को बनाये रखने की बुद्धिमत्ता पर विचार करना चाहिए । इन सभी मामलों में मैं यह उल्लेख करता हूं कि उस समय कुछ मामले चलाये गए थे, कुछ लोगों को हटाया गया था जब यह बात सिद्ध हो गयी थी कि व ऐसे संगठनों से संबद्ध थे जिनपर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया था और इस सभा की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि ऐसे लोगों की संख्या केवल 73 थी । जब उन पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया तब पिछली सरकार ने उनमें से 63 व्यक्तियों को बहाल कर दिया था । पिछली सरकार भी उनको दोषमुक्त नहीं कर सकी, क्योंकि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सुस्पष्ट थे । यह सिद्ध हो गया था कि वे राज्य के हित के विरुद्ध कार्य कर रह थे । मैं इस सभा की जानकारी के लिए यह फिर बताता हूं कि सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को बनावटी या झूठे आरोपों पर हटाने को तैयार नहीं है । एक प्रक्रिया बनी हुई है और लिखित विनियम हैं । इस प्रक्रिया के अनुसार केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनपर ऐसा संदेह है कि वे तोड़फोड के काम कर रहे हैं यह विस्तृत प्रक्रिया लागू की जाती है जिससे यह संदेह न रहे कि उन्हें अनुचित रूप से दण्ड दिया गया है । यह जानकारी उस विशेष विभाग में पहुंचती है जिसमें यह सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है । वे इन आरोपों की जांच करेंगे । यदि वे समझते हैं कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत कोई मामला बनता है तो वे इसे उच्च शक्ति प्राप्त समिति को, जिसमें गृह सचिव, विधि सचिव, कार्मिक विभाग सचिव और सम्बन्धित विभाग के सचिव होते हैं, भेज देंगे । इसके पश्चात्, वह समूचे मामले की जांच करेगी यदि वह संतुष्ट है तो वह फिर इसे कार्मिक विभाग के मंत्री को भेज देगी और कार्मिक विभाग के मंत्री द्वारा इस मामले पर जांच किए जाने के बाद सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया जाता है और इस सरकारी कर्मचारी को सेवा से अलग कर दिया जाता है । यह प्रक्रिया सभी मामलों मे लागूहुई है । मैं श्री चित्त बसु की जानकारी के लिए यह बताता हूं कि कुछेक मामले ही है और केवल एक मामला निपटाया गया है और हमने इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार को इस देश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों, जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, के वैध हितों का संरक्षण करने में उतना ही उत्साह है जितना कि किसी को भी हो सकता है । मैं इस सम्मानित सभा को यह भी आश्वासन देता हूं कि इस खण्ड का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा । हमने इस नीति को अपनाने में बड़ी सावधानी बरती है और इन सभी मामलों पर भलीभांति विचार करता रहा हूं । कुछ माननीय सदस्य वकील हैं । दुर्भाग्य की बात है कि मैं वकील नहीं हूं, परन्तु मुझे इस विधेयक के प्रभारी मंत्री के रूप में बोलना है और मैं सामान्य जानकारी के अनुसार ही कह रहा हूं । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस सरकार को लोकतंत्रीय और सार्वभौम अधिकारों का संरक्षण करने में उत्साह है । मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि देश का हित सर्वोपरि है । किसी व्यक्ति के हित देश के हितों के मुकाबले में गौन हैं । इस देश की प्रभुसत्ता, अखण्डता और हितों का संरक्षण करने के लिए ही यह खण्ड आवश्यक है । श्री चित्त बसु से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें । इस चर्चा द्वारा काफी ध्यान दिलाया गया है । उन्होंने अपना कर्तव्य किया है । वह अमुक स्थानों के अपने लोगों को इस बात से संतुष्ट कर सकेंगे कि लोक सभा में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभायी है । उनसे मेरी अपील है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें । मेरी अपील श्री डागा से भी है कि वह इस विधेयक को परिचालित करने सम्बन्धी अपने संशोधन के लिए जोर न दें । इस विधेयक को परिचालित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । मेरी दोनों मित्रों से अपील है कि वे अपने प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री चित्त बसु : (बारहाट) : इस वादविवाद में इस सभा के जिन सदस्यों ने भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं । मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वेंकटसुब्बया का भी उनके हस्तक्षेप के लिए बड़ा आभारी हूं । मैं उनका विशेषरूप से आभारी हूं क्योंकि उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वैध और लोकतंत्रीय श्रमिक संघ अधिकार के विरुद्ध राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

मुझे आशा है कि भविष्य में उनकी सरकार इस आश्वासन पर दृढ़ रहेगी। अतीत के रिकार्ड से पता चलता है कि इस तरह के आश्वासन के विपरित ही कार्यवाही हुई है। आंसुका इसका एक ज्वलंत उदाहरण है .... (व्यवधान)

प्रो मधु दंडवते (राजापूर) : मैं तो यह समझता हूं कि जब जयप्रकाशजी देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन सकते थे तब हम भी हो सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया है, इस विधेयक की भावना को बिगाड़ने का सतत प्रयास किया है। जासूसी का प्रश्न भी लाया गया है। भारत पर पाकिस्तानी या चीनी आक्रमण के दौरान 1970 और 1962 में विद्यमान राजनीतिक स्थिति का प्रश्न लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों को और जनता को आश्वासन दे सकता हूं कि विपक्ष में बैठे हम लोग राष्ट्र की अखण्डता और सुरक्षा की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं हैं और राष्ट्र के हित के लिए अपेक्षित बलिदान करने को तैयार हैं। परन्तु यदि ऐसा कोई वकील, व्यक्ति जो सरकारी सेवा में नहीं है, जासूसी के कार्य करता है या राज्यों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेता है तो जासूसी के काम में लगे उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त स्थानीय कानून हैं। फिर संविधान में ऐसे विशेष खण्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी जो सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही लागू हो ? यदि आप उस स्थिति से निपट सकते हैं जब कि सम्बन्धित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो और जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध काम करता है तो इसका उल्लेख सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही विशेषरूप से क्यों किया जाना चाहिए ? अतः यह दलील युक्तिसंगत नहीं है। आज भी मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं और इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि सरकारी सेवा में भरती के लिए लगभग सभी राज्यों में पुलिस सत्यापन की व्यवस्था प्रचलित है। क्या यह अधिकार से वंचित करना नहीं है ? पुलिस द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऐसे उदाहरण हैं कि जब कोई युवक अपने छात्र जीवन के दौरान छात्र संघ की गतिविधियों के में भाग लेता है और इसी कारण उसे सरकारी रोजगार नहीं दिया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि किसी माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जो पश्चिम बंगाल में राजनैतिक दृष्टि से सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं हैं। इस 311 का प्रयोग करने में खुशी होगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनैतिक सम्बद्धता पर विचार न करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को श्रमिक संघ के पूर्ण अधिकार दिये हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आपके लोग ही गड़बड़ी और अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं। आपके लोगों को ही सरकार का संरक्षण, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए श्रमिक संघ अधिकार प्राप्त हैं। वे गड़बड़ी पैदा करते हैं, विद्युत उत्पादन, आदि में तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी रखते हैं। श्री ए० बी० ए० धनीखान चौधरी ने 17,000 युवकों को, जिनके लिए रोजगार नहीं था, नौकरी दी। उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं मिला। यद्यपि वे सरकार विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें नौकरी की सुविधायें और सभी अधिकार आज भी मिले हुए हैं। वहां बहुत से श्रमिक संघ अधिकार प्राप्त हैं। मैं समझता हूं कि वादविवाद के दौरान इस तरह की बात कहना उचित नहीं है।

मैं अपने मित्र श्री मगनभाई बरोट के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि विस्तार में पेश किए गए मेरे इस विधेयक से वह संतुष्ट नहीं हैं। वह तब संतुष्ट होते यदि मैंने समूचे अनुच्छेद 311 को हटाकर विधेयक पेश किया होता। उन्होंने मेरी शिकायत की कि मैंने 311 पर ही जोर क्यों दिया है और (ख) तथा (क) पर तथा समूचे 311 पर क्यों नहीं। यदि वह और सभा इस 311 (ग), जो अत्यधिक हानिकर है, को हटाने के लिए सहमत है, तो मैं बाऊसाहिब से सहमत होने को तैयार हूं और मेरा उनसे अनुरोध है कि वह समूचे अनुच्छेद 311 को हटाने के लिए एक और प्रस्ताव या विधेयक पेश करें। कृपया 311(2) (ग) को पढ़िये :—

"जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।"

श्रीमान जी, आप इस बात के संबंध में मेरे साथ सहमत होंगे कि यहां जांच के कराये जाने का संबंध संतुष्टि से है; संतुष्टि बर्खास्तगी से संबंधित नहीं है। यहां संतुष्टि तो जांच के कराये जाने की इष्टसिद्धि के संबंध में है,

[श्री चित्त वसु]

किन्तु इस के फलस्वरूप उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। जांच के न कराये जाने पर वह स्वतः ही बर्खास्त हो जाता है। अतः यह इस खंड का कठोर पहलू है। अतः जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहां संतुष्टि का संबंध जांच से है, किन्तु उस का लाभ उठाकर उसे सीधे ही बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसा कि आप ने सुना है कि न्यायालय में इन मामलों के बारे में दलीलें नहीं दी जा सकती। वह स्वयं इस बात से सहमत हैं कि अनेक मामलों में, उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। यदि यह परन्तुक न्यायालय की दृष्टि में खटा नहीं उतरता, तो उसे संविधान में रखने की क्या आवश्यकता है ? राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा सा साम्य प्रस्तुत करना सरकार के लिये सम्मत नहीं है। किन्तु फिर भी इस खण्ड को केवल कर्मचारियों को आतंकित करने तथा मजदूर संघ विरोधी गतिविधियां करने के लिए बनाये रखा गया है। अतः मैं सभा से इस खण्ड के प्रभाव को देखने के लिये अनुरोध करता हूं। इस खण्ड का प्रभाव केवल जांच को रोकना ही नहीं है। मैं उस बात को तो समझ सकता था। किन्तु, इसका प्रभाव तो सरसरी तौर से बर्खास्तगी का है। श्री बरोट ने कहा है कि इस खण्ड के अंतर्गत शक्तियों के उपयोग किये जाने के पश्चात् भी न्यायालय के दरवाजे खुले हुये हैं। वह यह भी कहते हैं कि वह जांच नहीं करा सकते, क्योंकि लोग हित में ऐसा करना इष्टकर नहीं होगा। किन्तु यदि वह विरोध विशेष कर्मचारी न्यायालय के समक्ष जाता है, जैसा कि वह कहते हैं, जिसके बारे में मुझे संदेह है, तो ये साक्ष्य एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जायेंगे। अतः उस दृष्टि से भी हम अनुच्छेद को बनाये रखना आवश्यक नहीं समझा जाता। यह केवल कुछ नौकरशाही प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करना तथा उपनिवेशवादी विरासत को बनाये रखना है। सरकार की ओर से भी इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। इसलिये मैं सभा से इन सभी बातों का ध्यान रखने तथा अपने विधेयक को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें विचारार्थ प्रस्ताव को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन को सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : जबकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया हैं, तो क्या अब भी आप इस विधेयक के लिये जोर दे रखे हैं।

श्री चित्त वसु : श्रीमान् जी, अनिश्चित बात नहीं करनी चाहिये। मैं इस के लिये जोर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : विचारार्थ प्रस्ताव को पेश करने से पूर्व, क्योंकि यह संविधान का एक संशोधन है, इस लिये इस का मतदान मत विभाजन के द्वारा कराया जाना है। दीर्घाओं को खाली करा लिया जाये। प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 2

आचार्य, श्री वसुदेव
वसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चौबे, श्री नारायण
दंडवते, प्रो० मधु
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
लारेंस, श्री एम० एम०
मोदक, श्री विजय
परूलेकर, श्री बापूसाहेब
शैलानी, श्री चन्द्रपाल

मध्याह्न पश्चात् 6.46 बजे

यादव, श्री चन्द्रजीत
छांगुट राम, श्री
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, श्री निरेन
कोडियन, श्री पी० के०
मैत्रा, श्री सुनील
मुखर्जी, श्रीमती गीता
साहा, श्री गदाधर
शेजवलकर, श्री एन० के०
यादव, श्री सुभाषचन्द्र

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन	अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
वन्सी लाल, श्री	चौधरी श्री ए० बी० ए० मनी भान
डागा, श्री मूलचन्द	दास, श्री अनादि चरण
देव, श्री संतोष मोहन	गमित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्रीमती इंदिरा	जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जय नारायण, श्री	जमीलुर्रहमान, श्री
झा, श्री कमल नाथ	महाला, श्री आर० पी०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण	नायडू, श्री पी० राजगोपाल
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ	पांडे, श्री केदार
पारघी, श्री केशवराव	परमार, श्री हीरालाल
पटेल, श्री सी० डी०	पटेल, श्री उत्तमभाई ह०
पाटिल, श्री शिवराज वी०	पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पटनायक, श्री जानकी वल्लव	फुलवारिया, श्री विरदा राम
पुलय्या, श्री दारूर	राव, श्री एम० सत्यनारायण
रावत, श्री हरीश	साठे, श्री वसन्त
शान्ताराम, श्री	शर्मा, श्री नवल किशोर
शिव शंकर, श्री पी०	स्टीफन, श्री सी० एम०
स्वामी, श्री के० ए०	थुंगोन, श्री पी० के०
तुर, श्री लहनासिंह	वेंकटरमन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 20 **विपक्ष में** : 39

सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तक द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

*निम्नलिखित सदस्यों का मतदान भी अभिलिखित किया गया :

पक्ष में :

सर्वश्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, सुशील भट्टाचार्य, हंन्नान मोल्लाह तथा प्रो० रूपचन्द्र पाल ।

विपक्ष में :

सर्वश्री जैल सिंह, रंजीत सिंह, सुन्दरसिंह डूमरलाल बैठा, प्रो० के० के० तिवारी, सर्वश्री चिंतामणि जेना, उत्तम राठौर, श्रीमती चेन्नुपति विद्या, सर्वश्री कृष्ण दत्त, हाकम सिंह तथा मगनभाई बरीट ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 102 और 103 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि मैं प्रो० मधु दण्डवते को प्रस्ताव पेश करने के लिये बुलाऊं, हमें इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये, समय सीमा निर्धारित करनी होगी । क्या हम इस के लिये दो घंटे का समय निश्चित कर लें ?

विभिन्न माननीय सदस्य : जी हां ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमानजी, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

मुझे खेद है कि दिन की समाप्ति पर मुझे सभा के विचार के लिये इस विधेयक को पेश करना है । वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुये वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि यदि सभा इस पर ध्यानपूर्वक विचार करे, तो यह विधेयक विवादास्पद नहीं रहेगा ।

[प्रो० मधु दंडवते]

यदि वर्तमान वातावरण, जो दलबदल के कारण खराब हो गया है, जारी रहता है, तो संसदीय लोकतंत्र के समूचे परीक्षण के विफल हो जाने की सम्भावना है । अतः यद्यपि तकनीकी तौर से एक गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मैं इस विधेयक को पेश कर रहा हूं, तो भी वास्तव में यह विधेयक देश भर के लोगों की इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है ।

यदि आप अपने देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जायें, तो आप को लगेगा कि लोग राजनीतिक दलबदल के कारण निराश हैं और वे यह चाहते हैं कि इस सार्वभौम संसद को ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिये जिसके द्वारा हम दलबदल के इस दूषित वातावरण को नष्ट कर सकें और राष्ट्र को संसदीय लोकतंत्र तथा इसके कार्यकरण के लिये बनाया जा सके । इसी सापेक्ष महत्व तथा उद्देश्य के कारण ही मैंने सभा के समक्ष इस विधेयक को विचारार्थ रखा है ।

मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक पर दलगत भावना से विचार नहीं करेगी । यदि आप इस विधेयक पर इस के गुणों के आधार पर विचार करें, तो मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि इस विधेयक की विषय वस्तु के बारे में पूर्ण मतैक्य होगा ।

यदि हम विरोधी पक्ष से सम्बन्धित हों अथवा सत्तारूढ दल से संबन्धित हो, इस राजनीतिक दलबदल की बीमारी ने देश के राजनीतिक जीवन के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है और इसलिये मेरे विचार में यह एक ऐसा विधेयक है कि इस के बारे में कोई भी पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिये । और कोई भी विवाद नहीं होना चाहिये, निस्संदेह स्वस्थ वादविवाद किया जा सकता है। वास्तव में इस मामले पर राष्ट्रीय वादविवाद जारी है और श्री जय प्रकाश नारायण, जो राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो देश में प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने राजनीतिक दलबदल की ज्वलंत समस्या पर वादविवाद, बातचीत तथा चर्चा का आरम्भ किया था ...

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : किन्तु उन्होंने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण कहा था ।

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ उन्होंने कहा था, उसे मैं भली प्रकार जानता हूं क्योंकि दलबदल संबंधी समिति में व्यक्त तथा मुद्रित विचार मेरे पास हैं । इस समिति के सभा पति तत्कालीन गृहमंत्री श्री चव्हाण थे । इस समिति को वास्तव में इसी सभा में ही बनाया गया था और सम्भवतः आपको यह जान कर आघात पहुंचेगा एवं आश्चर्य होगा कि श्री वेंकट सुब्बया ही संकल्प को पेश करने तथा पारित कराने के लिये जिम्मेदार थे । उस संकल्प के परिणामस्वरूप ही दलबदल संबंधी समिति बनायी गयी थी ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मुझे आघात क्यों पहुंचे ?

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा हो सकता है कि यह सुखद आघात न हो ।

जैसाकि मैं बता रहा था कि 8 दिसम्बर, 1967 को श्री वेंकटसुब्बया द्वारा पेश किये गये संकल्प के आधार पर इस दलबदल समिति को बनाया गया था । प्रतिष्ठित महानुभाव इसके सदस्य थे । इसमें कानूनी विशेषज्ञ और उच्चकोटि के संसदविद थे । इसमें जयप्रकाश नारायण, सीतलवाद एवं प्रो० रंगा जैसे लोग और कुछ संविधान सभा के सदस्य भी इस समिति के सदस्य थे । और इस समिति में व्यक्त विचार दलगत विचारों से प्रेरित नहीं थे । इस समिति के निष्कर्ष बहुत ही रुचिकर हैं । विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने अपने दृष्टिकोण विस्तार से व्यक्त किये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत अगले दिन अपने भाषण को जारी रख सकते हैं ।

मध्याह्न पश्चात् 7.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 15 मार्च, 1980/25 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

भासमुना—वि 3—24 एल० एस० एस० (एन०डी०)—7-5-80—210